राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

बुधवार

1 मार्च, 2006

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बारहवीं विधान सभा के इस पांचवें सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सार्थक बहस करेंगे और हो-हल्ला नहीं करेंगे। श्री बहादुर सिंह गोदारा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना

1. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वाहन चालकों/परिचालकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं योग्यता निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उन यात्री वाहन जो 50 प्रतिशत से अधिक नाकारा हो चुके हैं एवं निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं है तथा प्रदूषण फैलाते हैं, को सुधारने/बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री यूनुस खान) : (1) चालकों/परिचालकों को लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने नियम बनाये हुए हैं जिनके तहत वाहन चालक/परिचालकों को लाइसेंस हेतु पाठ्यक्रम और योग्यता निर्धारित की हुई है। निजी वाहन चलाने हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष, 50 सीसी. से कम

(श्री यूनुस खान)

क्षमता वाला वाहन चलाने हेतु 16 वर्ष एवं परिवहन यान चलाने हेतु 20 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। उक्त योग्यता वाला व्यक्ति लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र है। चालक लाइसेंस के लिए आवेदक को परीक्षण टैस्ट देना होता है एवं परिवहन यान के मामलों में लर्निंग लाइसेंस से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 31 के अन्तर्गत ड्राइविंग स्कूलों या संस्थानों के मोटर यानों के चालकों को अनुदेश देने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है।

परिचालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन प्रारूप आर.एस. 31 में प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र, प्रारूप आर.एस. 3.9 में सैंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा जारी विधिमान्य प्राथमिक सहायता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा उसकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष या उच्च स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसे परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए उस क्षेत्र की भाषा या भाषाओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। चालक/परिचालक के लिए पृथक से कोई योग्यता और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने का राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। वह केवल केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्मित नियमों के अन्तर्गत वाहन चालक व परिचालक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य करती है। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों को पैट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के समन्वयन में अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर केन्द्र पर भी चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) 50 प्रतिशत से अधिक नाकारा हो चुके प्रदूषण फैलाने वाले निर्धारित मानदण्ड रहित वाहनों के सुधारने/बदलने जैसे विषय पर अलग से कोई कार्ययोजना विभाग के विचाराधीन नहीं है, तथापि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अन्तर्गत वाहनों को फिटनैस प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। जो परिवहन वाहन इन प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना नहीं करते हैं उन्हें विभाग द्वारा फिटनैस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(श्री यूनुस खान)

वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार ने मोटरयान प्रदूषण जांच स्कीम, 2005 बनाई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा 410 प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत किया हुआ है। ये प्रदूषण जांच केन्द्र वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करके उन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करते हैं। विभाग में 20 पोल्यूशन फ्लाइंग स्क्वैड कार्यरत हैं। विभाग के सभी उड़नदस्ते वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्रों की नियमित जांच करते हैं। अपने वाहनों को नाकारा घोषित करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अपने मानदण्ड निर्धारित हैं जिनके अनुसार 6.00 लाख किलोमीटर अथवा 7 वर्ष में जो भी पहले जो उसके आधार पर निगम की पुरानी वाहनों को नाकारा घोषित कर दिया जाता है तथा वाहनों की नियमित पीरियोडिकल मेंटिनेंस निर्धारित प्रक्रियानुसार आगार कार्यशाला एवं केन्द्रीय कार्यशालाओं में की जाती है जिसमें वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण/डीजल औसत का विशेष ध्यान रखा जाता है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय मंत्रीजी, आपने जो लाइसेंस जारी करने के मापदण्ड तय कर रखें हैं उसके अनुसार आपके विभाग में लाइसेंस एजेंटों के मार्फत् जारी किये जाते हैं और गलत और गैर जिम्मेदार लोगों को लाइसेंस दे दिये जाते हैं। उसके लिए फीस थोड़ी ज्यादा वसूल कर ली जाती है। यह सरेआम हो रहा है। इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? समाज के निर्दोष लोगों की, हजारों लोगों की जानें सालाना आपके इस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जाती हैं, उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री यूनुस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें एजेंट रखे जाएं। जहां तक एजेंटों के माध्यम से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हैं, कुछ अनपढ़ लोग किसी व्यक्ति विशेष से अपना लाइसेंस बनाने के लिए उनसे फार्म वगैरह फिलअप करवाते हैं, बाकी यहां इस तरीके का प्रावधान नहीं है। जहां तक लाइसेंस जिन ड्राइवर्स को हम देते हैं, उनके द्वारा दुर्घटना पर पिछले एक साल से हमने रोग लगाने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया हुआ है और हमारे ड्राइवरों को प्रशिक्षित

(श्री यूनुस खान)

करने के लिए अलग-अलग एन.जी.ओज. के माध्यम से हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दुर्घटनाओं में कमी आई है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि आपके सारे जिला परिवहन कार्यालयों में एजेंट बैठते हैं? आप आज ही जाकर चैकिंग कर लें। सरकार 'इस बात की जानकारी नहीं है', यह कहकर निपटाना चाहती है या इस बारे में दुरूस्ती करना चाहती है? माननीय मंत्रीजी, जब आप निकलते हैं.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माइक ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माइक गूंज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके कान गूंज रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माइक गूंज रहे हैं, अध्यक्षजी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मंत्रीजी, ऐसे वाहन, आपकी रोडवेज की बात नहीं करता, सरकारी संस्था है, लेकिन जीप हो, दूसरे वाहन हों, आप चलते हों तो आपको यह लगता है या तो मैं पीछे रह जाऊं या इसके आगे निकल जाऊं। प्रदूषण की वजह से आप चल नहीं सकते। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बसें जिस तरह से चलती हैं आम नागरिक को, यात्रियों को असुविधा होती है। ये दोनों बातें आप जांच कर लें। और जांच करने की आवश्यकता नहीं है, मंत्रीजी को मालूम है, कौनसा परिवहन कार्यालय है जो एजेंटों से मुक्त है।

श्री यूनुस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, मैं यह कह सकता हूं कि परिवहन कार्यालय में किसी प्रकार के एजेंट नहीं बैठते हैं। परिवहन कार्यालयों के बाहर इस तरीके का काम लोग अनधिकृत तरीके से कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक तीन सदस्यीय कमेटी बनायी हुई है कि क्या कानून के दायरे में रहकर किसी डिप्लोमाधारी या लॉ किये हुए लॉ ग्रेजुएट को हम इस तरीके का कोई लाइसेंस दे सकते हैं जिस तरीके से कोर्ट में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? उसके लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी बिठायी हुई है, कानून के दायरे में अगर इस तरीके का कोई प्रावधान आया तो निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी। जहां तक

(श्री यूनुस खान)

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की बात है, हमारे पास डीजल के लगभग 187 प्रदूषण जांच केन्द्र हैं और पैट्रोल के 223 कुल लगभग 410 इस तरीके के प्रदूषण केन्द्र काम कर रहे हैं। वैसे ही, जिला मुख्यालय पर काम करने वाले प्रदूषण जांच दल ग्रामीण क्षेत्र में जो व्हीकल चलते हैं उनकी जांच करते हैं और उनकी जांच कराना छह महीने में अनिवार्य है। छह महीने के अन्दर अगर वह जांच नहीं करवाते हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल थोड़े ही पूछते हैं? (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं पूछा करते।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : मंत्रीजी यह कह रहे हैं परिवहन कार्यालय के बाहर अवैध रूप से लोग बैठते हैं, तो क्या उनको सरकार नहीं रोक सकती?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 2006 व फरवरी, 2006 में डीलक्स और सेमी डीलक्स बसों का चुपचाप किराया बढ़ाने का निर्णय आपने लिया है, छह पैसे प्रति किलोमीटर?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। अलग से प्रश्न है। नो, नो (व्यवधान) आप लोग बीच में क्यों खड़े हो गये? क्या आवश्यकता है आपके खड़े होने की? माननीय सदस्य, आपका प्रश्न अलग से है। किराये का प्रश्न अलग से है। आप बाद में दूसरे प्रश्न के रूप में पूछ लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुपचाप छह पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया, और उससे हुआ क्या?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिमोहन शर्मा : उससे क्या हुआ कि प्राइवेट ओनर्स की जो डीलक्स बसें कोटा, बूंदी, जयपुर तक चलती है। वे 100 रुपये में कोटा ले जाती हैं। पहले 120 में ये भी ले जाती थीं, अब वे 140 लेते हैं तो उसमें कोई नहीं बैठता। आपने बिना डीजल, पैट्रोल की वृद्धि हुए सन् 2006 में किस आधार पर किराया बढ़ाया? आपके डिपो लगातार प्रोफिट में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : इसके बाद भी आपने क्यों किराया बढ़ाया?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल तो था प्रदूषण का, सवाल था योग्यता का, आप ले गये किराये पर उसे।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 50 प्रतिशत खटारा वाहन हैं जिनकी हम फिटनैस कराते हैं और फिटनैस से ज़ो सही वाहन होते हैं उनको हम सड़क पर चलने देते हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं कि राजस्थान परिवहन में जितनी बसें हैं, जिनको कंडम करके कबाड़ियों को आप बेचते हैं, विद रजिस्ट्रेशन आप बेचते हैं, उनमें ऐसे कितने रजिस्ट्रेशन हैं जो राजस्थान में सन् 1960 की मॉडल की गाडियों पर ठप्पे लगकर वे वाहन रोड़वेज के नाम पर चल रहे हैं और सारी प्रदूषण की व्यवस्था खराब करा रखी है पूरे राजस्थान की? ऐसे कितने वाहन हैं आपके जो फिटनैस पर ठप्पे लगते हैं उनके चेचिस कौन से हैं, इंजन कौन से हैं, मॉडल कौन से हैं, बॉडी कौन सी है? वे वाहन आपकी सड़कों पर दौड़ रहे हैं और वे प्रदूषण फैला रहे हैं। आप फिटनैस किस बेस पर कर रहे हैं, फिटनैस खाली आप चेचिस से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। जवाब अब हो रहा है, आने दीजिए जवाब।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : जवाब दो, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : Do you want to give any reply ?

श्री यूनुस खान : यह अलग से आपने प्रश्न पूछा है तो आपको अलग से इंफार्मेशन भेज दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप यह तो बताइये कि किराया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया आपने?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनियाजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मैं इसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह देखना मेरा काम है कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ।

राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

2. **श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 8 वर्षों में पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक विकास कोष से कितने कार्य स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितने प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों के अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जिला परिषद चूरू से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गत 8 वर्षों में पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में विधायक कोष से कुल 682 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 596 कार्य विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के तथा 86 कार्य विधान सभा तारानगर के हैं। सूची संलग्न क्रमशः परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 664 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 17 कार्य अपूर्ण एवं 1 कार्य निरस्त किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त 17 कार्य के अपूर्ण रहने के कारण। परिशिष्ट 'स' पर अंकितानुसार है।

(4) जी हां।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(5) जी हां। कार्य समय पर सम्पन्न नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, आज जो झूठ का पुलिंदा मुझे दिया गया है, मुझे यह दिख रहा है।

एक माननीय सदस्य : झूठ असंसदीय है।

श्री नन्दलाल पूनिया : झूठ ओर असत्य एक ही बात है।

एक माननीय सदस्य : असत्य कह दो आप।

श्री नन्दलाल पूनिया : असत्य का जो पुलिंदा पेश किया गया है। यह इनका जो जवाब है उससे बहुत दूर है जो परसों ही मेरे को एक दिया गया था। पंचायत समिति की तरफ से कहा गया कि आपके ये काम अधूरे हैं जिनमें 8 काम अधूरे बताये हैं। उन अधूरे कार्यों को पंचायत समिति के ग्राम सेवक ने लिखकर दिया है आपके विकास अधिकारी को उसकी फोटो कापी मेरे पास है। लेकिन आज उन कामों का इस पुलिंदे में कोई विवरण नहीं है। कोई विवरण नहीं हैं। जो अधूरे काम बिजली के हैं, जो इन्होंने पीछे 2004 में लिस्ट पेश की थी, वे 7 काम हैं, उनका भी इसमें कोई विवरण नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाऊं कि मैंने इस 12वीं विधान सभा के प्रथम बजट सत्र में एक मुद्दा उठाया था और आपने माननीय तिवाड़ीजी को यह कहा था कि ऐसा मामला है तो आप इन कामों को दिखाएं। मैंने पिछली बार भी इस काम को लेकर विधान सभा में धरना दिया था, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मुझे धरने पर से उठाया था और यह आश्वासन दिया था कि आपके काम अतिशीघ्र हो जाएंगे। बहुत ताज्जुब की बात है कि 2003 के काम आज तक पूरे नहीं हुए और इनके ही हिसाब में कहीं है भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि यह क्या है? पंचायती राज एक ढकोसला है? इससे तो कंजूस का गल्ला ही अच्छा है जिसमें पैसे का हिसाब तो मिल जाता है। कोई हिसाब नहीं है- पंचायत समिति कुछ कह रही है, आपका विभाग, हमारे मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े शर्म की बात है। मैं तो यह कहता हूं बहुत असत्य है। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि अधूरे काम पूरे कर दिये उन्होंने तो, या तो मैं

(श्री नन्दलाल पूनिया)

इस्तीफा देता हूं या मंत्रीजी इस्तीफा दें। बिजली के काम दिख रहे हैं रिकार्ड पर नहीं है। पिछली बार जवाब दिया था कि हम ये पूरे कर देंगे, आज उनका कोई रिकार्ड नहीं है। कहीं-कहीं खम्भे पड़े हैं। रोजाना बिजली बोर्ड जाता हूं, रोकर वापस आ जाता हूं। आज तीन साल हो गये मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, भाषण क्यों दे रहे हैं?

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि माननीय सदस्य को कार्य....

श्री कालूलाल गुर्जर : मूल प्रश्नकर्ता का तो जवाब दे दूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : इसके साथ ही आप दे दें, दोनों दे दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप विराजिए, आपसे पहले मूल प्रश्नकर्ता के जवाब देने हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियमों में आइए, उसके और भी प्रावधान हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या विभाग ने....

श्री अध्यक्ष : भाषण तो दे दिया, अब क्या पूछना चाहते हैं आप?

श्री नन्दलाल पूनिया : क्या विभाग ने एम.एल.ए. लैड से स्वीकृत कार्य करने एवं पूर्ण करने की कोई सीमा तय कर रखी है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों? 2003 में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की किसकी जिम्मेदारी है, बताएं? क्या पूर्ण कराने का विचार रखती है सरकार? क्या आपने अब तक जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है? नहीं की है तो क्यों नहीं की, जवाब दें?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, उसमें काफी सत्यता है, मैंने स्वयं जवाब में भी लिखा है। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो एक ऊल-जुलूल आरोप लगाया कि पंचायत समिति में इतने काम पैंडिंग हैं और झूठी जो सूचना दी है...

श्री नन्दलाल पूनिया : ऊल-जुलूल क्या होता है?

श्री कालूलाल गुर्जर : जिसका कोई बेस नहीं हो।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा बेस रिकार्ड पर आधारित है।

श्री अध्यक्ष : ऊल-जुलूल का मतलब होता है बेबुनियाद।

श्री कालूलाल गुर्जर : ऊल-जुलूल का मतलब बेबुनियाद, बेबुनियाद संसदीय शब्द है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह मान लिया कि सदस्य का आरोप सही है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सदस्य का जो आरोप है उससे मैं सहमत हूं तो फिर ऊल-जुलूल कहां रह गया?

श्री संयम लोढ़ा : फिर क्या मतलब है?

श्री अमराराम (धोद) : आरोपों से तो सहमत हैं और ऊल-जुलूल की बात करते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप सुनिए, अमरारामजी, आप विराजिए, आप सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर जितने कार्य स्वीकृत हुए उनमें पंचायत समिति में 368 कार्य स्वीकृत हुए थे और 368 पूर्ण हो गये हैं। माननीय सदस्य को मैं कहता हूं कि अगर बाकी हैं और मेरे को सूचना देते हैं, आपके पास जो भी रिकार्ड है आप दे दें, मैं सारी जांच कराऊंगा। गलत सूचना देने वाले अधिकारी को कतई नहीं बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करूंगा। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले पूरा जवाब दे दूं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद नम्बर दो...

श्री अध्यक्ष : उनका पूरा जवाब सुन लें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो आपने अनुशंसा की उसके अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 158 कार्य आपने स्वीकृत करवाए, उसमें से 155 पूरे हो गये और 3 कार्य अपूर्ण हैं। इसी तरह से, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 11 आपने अनुशंसा की, 10 पूरे हो गये, एक

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बाकी है। नगरपालिका में 92 आपने दिये, उसमें से 90 पूरे हो गये और 2 बाकी हैं। विद्युत विभाग में 52 में 40 दिए, 11 बाकी हैं। इस तरह से कुल 17 कार्य अपूर्ण हैं और एक कार्य आपका निरस्त हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि किस कारण से ये जो बाकी रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, निरस्त इन्होंने खुद किया या वहां इन्होंने कर दिया है, इसका भी जवाब दीजिएगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैं बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उसके मेरे पास आर्डर भी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है अभी कि कब इन्होंने अनुशंसा की और कब उसकी स्वीकृति जारी हुई और कब उसको पूरा होना था, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जितने इनके कार्य थे उसमें से काफी कार्य सन् 2003 के हैं जो बिजली विभाग के कार्य हैं। एक कार्य 2005 का है जो जून, 2005 में पूरा होना था। एक 19.3 को इन्होंने दिया और जून, 2005 को पूरा होना था। एक मई, 2005 में पूरा होना था और एक 30.6.2003 में पूरा होना था। इसी तरह से 2004 के भी तीन-चार कार्य हैं जो 2004 में पूरे होने थे। लेकिन वास्तव में विद्युत विभाग के जितने कार्य हैं उनको 12 महीने से ज्यादा का समय हो गया और पूरे नहीं किये गये...

श्री नन्दलाल पूनिया : तीन साल हो गये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने पर हमको जानकारी हुई। चूंकि इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी अन्य विभाग है, हमारा विभाग स्वीकृति करके स्वीकृति भेजता है और लैटर भी लिखता है कि आप इस कार्य को समय पर सम्पादित करें। लेकिन जिस विभाग ने नहीं किया उसके लिए मैंने जवाब में लिखा है कि कलक्टर को हमने लैटर लिखा है कि किन-किन विभाग के अधिकारियों की गलती से ये काम समय पर नहीं हुए और उनके खिलाफ में हम एक्शन ले रहे हैं। हमने स्वयं लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके बाद तो आपको इतना कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद लिखा है कि जो-जो दोषी हैं हम उनको निश्चित रूप से बख्शेंगे नहीं, उनको सजा देंगे। उसकी जांच के लिए मैंने कलक्टर को पत्र लिखकर दिया है और जिन-जिन का जितना दोष बनता है उसकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही कर दूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की...

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है, ऐसा ही एक सवाल इसमें आगे और लगा हुआ है महुवा का, मेरा आपसे निवेदन है कि आम तौर से यह देखा जाता है कि जब विधायक अनुशंसा कर देते हैं उसके उपरांत एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और फिर फाइनेंशियल सैंक्शन, इन दोनों के अन्दर बड़ा वक्त लगता है।

श्री अध्यक्ष : लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पार्लियामेंट के अन्दर एक पार्लियामेंट की कमेटी बनी हुई है, एम.पी. लैड के कामों के अन्दर जो स्वीकृति में देरी होती है या गड़बड़ी होती है उसकी अगर वहां शिकायत की जाए तो उसकी जांच की जाती है। अब कब तक तो विधान सभा का इन्तजार करें कि विधान सभा हो तो प्रश्न उठाएं या मंत्रीजी को लिखें। होता क्या है कि यहां आप डिपार्टमेंट्स को वर्क्स देते हैं, हम एम.पी. की तरह एन.जी.ओ. को दे नहीं सकते, एम.पीज. तो एन.जी.ओज. को भी दे देते हैं, सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही एम.एल.एज. को कार्य कराने पड़ते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि समय पर होते नहीं है। आप पीएचईडी को दे दीजिये, इरिगेशन को दे दीजिये, पीडब्ल्यू डी को दे दीजिये, किसी को भी दे दीजिये, जो काम समय पर पूरे हो जाने चाहिए वो नहीं होते हैं और फिर पैसा लैप्स होने की दिक्कत आती है कि पैसा लैप्स होगा।

श्री अध्यक्ष : लैप्स नहीं होता है, कैरी फारवर्ड होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आप निवेदन तो सुन लें पूरा। यह सरकार की स्वीट विल के ऊपर है। हमारे वक्त में हमने निकाला था कि यह पैसा लैप्स नहीं होगा, अगले साल में कैरी फारवर्ड हो जाएगा जो पैसा बच जाएगा। (व्यवधान) अब आप सुन लें मेरी बात। मैं सब के हित की बात रहा हूं। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदया यहां बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहूंगा कि इसका कोई मैकेनिज्म तो हो, उसकी कोई कमेटी आप बना दें। असेम्बली की कमेटी बन जाएगी, किसी को शिकायत करनी है तो असेम्बली की कमेटी के समक्ष जब यह शिकायत आएगी पार्लियामेंट की तरह तो उसके ऊपर कार्य के अन्दर निश्चित रूप से गति आएगी। यह जनता का पैसा है, सरकारी पैसा है, जनता के हित में खर्च होता है, इसके अन्दर देरी है तो आपको कोई न कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिससे कि समय पर कार्य सम्पादित हो सके। निष्पक्षता के आधार पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इसको स्वीकार करें और असेम्बली की किसी भी कमेटी को, नई कमेटी न बनाकर जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, किसी को भी आप कार्य सौंप दें जो इस कार्य की देखरेख करेगी तो इससे सारे ही विधायकों को बहुत सुविधा रहेगी, मेरा यही आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : लीडर आफ द हाउस।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की पीड़ा को हम समझ सकते हैं क्योंकि यह जायज प्राब्लम है और सब की है, इसलिए स्पीकर साहब से बाद में बात करके, आप लोगों से बात करके इसमें जो भी अपने को करने की बात होगी, अपन कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन

3. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि कनेक्शन देने हेतु नीति बनायी गयी है, यदि हां, तो क्या? निर्धारित नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2000 से अब तक किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु किस-किस वर्ष में कितने-कितने आवेदन किये गये तथा कितने कनेक्शन जारी किये गये व अगामी वर्षों में कितने-कितने कनेक्शन जारी करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) क्या सरकार सेम प्रभावित क्षेत्रों में बिना वरीयता के कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री ऊर्जा, (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। कृषि कनेक्शन देने हेतु कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित-31.12.2005) जारी की गई है जिसकी निर्धारित नीति की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला बीकानेर में दिनांक 1 जनवरी, 2000 से अब तक किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु किये गये आवेदनों तथा जारी किये गये कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। वर्ष 2006-07 में कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य अभी निर्धारित करना शेष है।

(3) सेम प्रभावित क्षेत्रों में बिना वरीयता के कृषि कनेक्शन जारी करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक ओर सेम प्रभावित क्षेत्र में काश्तकारों को समाधान देने के लिए सरकार करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है, दूसरी ओर काश्तकार सेम प्रभावित्त क्षेत्र के अन्दर वाटर लागिंग के कारण पानी ऊपर आ जाता है उसको डीजल इंजन के मार्फत पम्प आउट करने में लाखों रुपया खर्च करता है, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सेम प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन की खाली तीन श्रेणियां हैं, एक तो जनरल, एक स्पेशल और एक फार्म हाउस। अभी सरकार के पास कोई ऐसा विचाराधीन नहीं है कि कनेक्शन की कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाई जाए जिससे सेम प्रभावित क्षेत्र के अन्दर पानी पम्प आउट किया जाए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इतना ही है कि वाटर लॉग्ड एरिया है और यह सारा फ्लो टुवर्ड पाकिस्तान है, यह पानी व्यर्थ जा रहा है और पाकिस्तान में इस पानी का उपयोग हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं। यह नहीं है कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। यह दिक्कत नहीं आएगी। सवाल यह है कि जो पानी सीपेज से ऊपर हो रहा है, वाटर लॉग्ड हो रहा है, उस समस्या का निदान हो जाएगा। एक आप स्पेशल कैटेगरी कर दें तो यह पानी जो हमारा बह कर पाकिस्तान की ओर जा रहा है वह सारा रुक जाएगा। इसलिए मैंने पहले मुख्य मंत्री महोदया को भी पत्र लिखा था, पर यही एक जनरल जवाब आ गया कि यह कोई नीति में नहीं आता है, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। इसके ऊपर कृपया ध्यान दें तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी इसी सन्दर्भ में पुनः मंत्री महोदय से प्रश्न है कि नीति बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कृषि क्षेत्र के अन्दर फार्म हाउस नीति, विशेष कनेक्शन की नीति और साधारण कनेक्शन की नीति, यह राज्य सरकार की देन है। आज इतनी बड़ी समस्या है जिस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार चिंतित है और करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जा रहे हैं, उसी कड़ी में अगर हम प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दें तो काश्तकारों को राहत होगी। क्या विभाग इस बारे में अपना मानस रखता है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। Let the reply come. जवाब आने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो कनेक्शन रिलीज किये हैं, यह पूरा हाउस स्वीकार करेगा कि हमने एक ऐतिहासिक नम्बर ऑफ कनेक्शंस रिलीज किये हैं। पहले व्रर्ष के अन्दर जो हमारा लक्ष्य था 40 हजार कनेक्शन का, वह हम रिलीज कर चुके हैं और दूसरे वर्ष के अन्दर भी 40 हजार कनेक्शन हम आलरेडी जनवरी महीने तक रिलीज कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार पांच साल के टर्म के अन्दर 11100 कनेक्शन...

श्री अध्यक्ष : अब आप सेम की बात बताएं।

श्री गजेन्द्र सिंह : वही बता रहा हूं। अभी जो हम कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं, अभी विद्युत की भी थोड़ी कमी है इसलिए प्रायोरिटी जनरल कैटेगरी को दी है। हमारा जो लक्ष्य है उसको अभी तोड़ नहीं सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो कृषि कनेक्शन नीति, 2004 आपने घोषित की है उसमें डी.एन. जमा होने के बाद 120 दिन में कनेक्शन किसान को जारी होने के लिए घोषित किया था, बीकानेर में कृषि नीति घोषित होने के बाद जितने भी डी.एन. जमा हुए हैं उनमें से कितने कनेक्शन ऐसे हैं जो 120 दिन के बाद किये हैं? 120 दिन ही नहीं, 8 महीने और एक साल के बाद कनेक्शन जारी हुए हैं। तो उस नीति को तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं? आइंदा से जिनके डिमांड नोटिस जमा हैं, क्या उनको 120 दिन के अन्दर कनेक्शन जारी हो जाएंगे, मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। पहले जवाब आने दीजिये। बीच में नहीं बोलें आप। आप विराजें, पूछ लिया आपने।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, निश्चित रूप से उसके सम्बन्ध में हम सब को मिल बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। यह सेम की समस्या नहरी क्षेत्र में है, कुछ जमीन की प्रकृति है और कुछ फ्लड इर्रिगेशन की वजह से। यह सीपेज, ड्रेनेज की वजह से होती है, तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि सब मिल बैठकर जो भी विचार आप और हम निकालेंगे, निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : वाह साहब, वाह साहब।

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, सामान्य श्रेणी के जो कनेक्शन हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोक लगा रखी है। मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि खाली एक डूंगरगढ़ मे ही रोक लगा रखी है या राजस्थान में और कहीं पर भी रोक लगा रखी है? जो कट आफ डेट में कनेक्शन रूके हैं, सारे कनेक्शनों पर रोक लगा रखी है, इसका क्या कारण है? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो लक्ष्य था 60,000 डिमाण्ड नोट और 40,000 कनेक्शन, वह पहले वर्ष में मैटीरियलाइज हो चुका है और दूसरे वर्ष के अन्दर भी हम आगे ही चल रहे हैं। इस वर्ष के अन्दर, 40,000 कनेक्शन रिलीज करने में हमारे खाली 1400-1500 कनेक्शन रह गये हैं। अभी जो कनेक्शनों का मैटीरियलाइजेशन है, क्योंकि हमारी जो कृषि नीति है उसका इतना सरलीकरण हो गया है, इतना अफोर्डेबल हो गया है कनेक्शन देने में कि मैटीरियलाइजेशन डिमाण्ड नोट देने में नार्मली जो होता है, उससे बहुत अधिक ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, 120 दिन से ज्यादा समय लेते हैं तो क्या उन लोगों को ब्याज देंगे? किसान फीस जमा कराने में लेट हो जाते हैं तो आप पैनल्टी लेते हैं, ब्याज वसूल करते हैं, लाखों रुपयें डिमांड नोट के नाम पर जमा कर लेते हैं। फिर समय सीमा में कनेक्शन नहीं दे तो क्या आपको किसान को ब्याज नहीं देना चाहिए? क्य सरकार विचार करती है कि किसान को समय सीमा से अधिक समय में यदि कनेक्शन दिया जाता है तो उस समय के लिए ब्याज देय होना चाहिए? सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नोट जमा होने के बाद भी रोक लगा रखी है और नये डिमाण्ड नोट निकालने पर भी रोक लगा रखी है।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि खाली एक डूंगरगढ़ में ही रोक लगा रखी है या और कहीं भी रोक लगा रखी है?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने नाम पुकारा है रामप्रताप कासनिया। आप विराज जाएं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मांगा उसी से जाता है जो देता है। सरकार ने कृषि कनेक्शन बहुत ज्यादा संख्या में किये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सरकार से निवेदन है कि सेमग्रस्त क्षेत्र के अन्दर काश्तकारों को कनेक्शन देने में छूट...

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब तो दे दिया सिंचाई मंत्रीजी ने, अब उस बात को क्यों दोहरा रहे हैं आप? आप बिजली की बात आने दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : बात कनेक्शन की है, उसमें और इसमें फर्क है।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1,70,000 कनेक्शन जो 15 सालों से पैंडिंग हैं, हमारा लक्ष्य इनको इस साल में पूरा करने का है। यह हमारा ऐतिहासिक रिकार्ड रहेगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है स्पेसिफिक बीकानेर का, जो डिमाण्ड नोट जमा हुए हैं, उनकी कृषि नीति घोषित होने के बाद 120 दिन से ज्यादा समय कितने कनेक्शनों में लगा है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? आइन्दा जो डिमाण्ड नोट जमा हैं क्या वे 120 दिन में हो जाएंगे कनेक्शन ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, बीकानेर में जो डिमाण्ड नोट जमा हुए हैं और 120 दिन में नहीं हुए, कितने कनेक्शन हैं स्पेसिफिक, वह बता दें? कितने कनेक्शन हैं जो इनकी नीति के अनुसार नहीं करवाये गये?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, 12 साल में जो काम इन्होंने नहीं किये, वे दो साल में कराये, यह तो इनको धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से एक प्रश्न है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इस बार स्पेसिफिक दे दें। पहली बार राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के पिछले छह महीनों में कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं, जबकि राजस्थान में बिजली के कनेक्शन शिड्यूल्ड कास्ट के अपडेट रहे। जब भी वह फाइल जमा करता, उसी समय हो जाता था। पहली बार राजस्थान में पिछले छह महीनों से शिड्यूल्ड कास्ट के डिमाण्ड नोट पर भी रोक लगा रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुनिये। (व्यवधान) बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य जवाब सुनिये आप मंत्रीजी का।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने पांच वर्ष के कार्यकाल में 12,000 शिड्यूल्ड कास्ट के कनेक्शन दिये हैं जबकि हमने दो साल के अन्दर 10,000 को पार कर लिया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर नहीं आया है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका उत्तर दिलाइये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्रियान्वित कितने हुए? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य. स्थान ग्रहण करें। मिस्टर जारोड़ा, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, प्रश्न बहुत सीधा-सा है। 120 दिन में आपने जो वादा किया डिमाण्ड नोट में, उसको या तो आप तरमीम कर लीजिये, 120 दिन की बजाय इसको 150 करते हैं, 160 करते हैं। यदि सचमुच में आपके डिमाण्ड नोट में यह शर्त है तो उस शर्त की अनुपालना में क्या कमी है और किसकी वजह से कमी है, क्यों नहीं करते हैं, वह आप बता दीजिये। और क्या है इसमें? (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर ले। आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 2006 को केवल 16,840 डिमाण्ड नोट रह गये हैं। हमारा जो टारगेट इस साल का 40,000 कनेक्शन का है, हमें केवल 2,500 कनेक्शन देने हैं। लेकिन ये 16,840 कनेक्शन हम 30 जून तक पूरा कर देंगे और उसके बाद जब डिमाण्ड नोट इश्यू होगा, हम 90 दिन के अन्दर किसान को कनेक्शन देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हमने यह नहीं पूछा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश को यह नहीं मान रहे हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, पहले वाले का क्या हुआ, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपको आवश्यकता नहीं बीच में खड़े होने की। माननीय श्री रिछपाल मिर्धा। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया, श्री रिछपाल मिर्धा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर देने के लिए कहा, वह उत्तर तो नहीं आया अभी तक।

श्री अध्यक्ष : सॉरी, एक बीच में रह गया है। श्री अशोक कुमार नवलखा। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आसन ने जो पुकारा, वह नहीं हुआ है। आपने जो कहा था कि...

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही तो कहा था। आपने एक विसंगति के बारे में पूछा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पूछा था न, आपकी बात भी तो खराब हो रही है।

श्री अशोक कुमार नवलखा : प्रश्न संख्या 4

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर भी उत्तर नहीं दें, आपके निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार : आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आसन के निर्देशों का भी मंत्रीजी पालन नहीं करेंगे। क्या मतलब है यह? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये, या तो मंत्रीजी यह कह दें कि मैं तैयार नही हूं, तैयार होकर नहीं आया। स्पेसिफिक आपकी तरफ से निर्देश दिये गये...

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दे दिये 120 दिन में करने के। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : ...मैं आपसे चाहूंगा, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लिए आप क्या पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : 120 दिन के अन्दर नहीं दिये गये, अब क्या समय बढ़ाएंगे 120 दिन की?

छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों का माडा योजना में चयन

4. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पंचायत समिति छोटी सादड़ी में "माड़ा योजना" के अन्तर्गत कितने गांव हैं? सामान्य आबादी मय अनुसूचित जनजाति की आबादी के गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार माडा योजना मे मानदण्ड के अनुसार अन्य गांवों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति छोटी सादड़ी को जनजाति क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पंचायत समिति छोटी सादड़ी में माडा योजना के अन्तर्गत 79 ग्राम चयनित हैं। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। माडा योजना में मानदण्ड के अनुसार अन्य गांवों को सम्मिलित करने का कार्य जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जिला जनगणना पुस्तिकाएं प्रकाशित होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा।

(3) जी हां। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार कर पंचायत समिति छोटी सादड़ी की 10 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर इन गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अशोक कुमार नवलखा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए पंचायत समिति छोटी सादड़ी के हैं, उन ग्राम पंचायतों के भेजे गये हैं, एक तो ये प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजे गये? दूसरी बात, भारत सरकार ने अब तक इन प्रस्तावों की स्वीकृति क्यों नहीं दी? और तीसरी बात, सरकार द्वारा अब तक इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये?

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, माडा लघु खण्डों (माडा कलस्टर) जो विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे गये, भारत सरकार ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 को अनुमति माडा लघु खण्ड 36 और गार्मो की संख्या 3189, कुल जनसंख्या 11.67 लाख और इसमें से जनजातीय संख्या 6.70 । इसके बाद में 22 सितम्बर, 1983 दो लघु खण्डों जिसके अन्तर्गत ग्रामों की संख्या 157, कुल जनसंख्या 0.47 लाख और जनजातीय संख्या 0.27... (व्यवधान) मैं आपको पूरा ही बता दूं। उसके बाद 1987 में 'ख' लघु खण्ड, ग्रामों की संख्या 236, जनसंख्या 1.07 लाख और जनजातीय संख्या 0.55 कुल माडा लघु खण्ड 44 और ग्रामों की संख्या 3592 कुल जनसंख्या 22 लाख 58 हजार 134 और जनजाति संख्या इसमें 12 लाख 49 हजार 231 । माड़ा कलस्टर के अन्दर भी 16 अप्रैल, 1986 को कुल लघु खंड आठ, ग्रामों की संख्या 134, कुल जनसंख्या 49 हजार 565, जनजाति की संख्या 26 हजार 623 । ऐसे ही चार जनवरी, 1988 को दो लघु खंड, ग्रामों की संख्या 15, कुल जनसंख्या 13 हजार 975 और एस.टी. जनसंख्या 7 हजार 520 । 25 मार्च, 1988- लघु खण्ड एक, ग्राम संख्या 9, कुल जनसंख्या 5 हजार 080 और जनजातिय की संख्या 2 हजार 967 । आपने कहा कि प्रस्ताव कब-कब भिजवाये गये, जो भिजवाये गये प्रस्ताव, उसमें हम सूचना देंगे। इसमें 29.4.2004 को हमने प्रस्ताव भेजा। एक 2002-03 में शासन सचिव द्वारा भेजा गया। 18.6.2004 को भिजवाया गया। 2002-03 मे फिर 13.7.2004 को भिजवाया गया। ऐसे ही 2002-03 में 18.12.2004 को, फिर 2002-03 में 13.7.2005 को, 2002-03 में मेरे स्वयं के द्वारा 10.8.2005 को हमने प्रस्ताव भिजवाये। इसके बाद में 2002-03 3.1.2006 को हमने प्रस्ताव भिजवाये। ऐसे ही 2002-03 में यानि 25.2.2006 तक यह प्रस्ताव हमने भिजवाये हैं। अब भारत सरकार की स्वीकृति आने के बाद में हम निश्चित रूप से इनको सम्मिलित कर लेंगे।

(श्री कनकमल कटारा)

उसके भी मापदण्ड तय हैं, उस मापदण्ड के अनुसार निश्चित रूप से इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 2004 में प्रस्ताव गये, भारत सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि वापस स्वीकृत करे। 2004 में प्रस्ताव गये, दो-दो साल हो गये, इतने संवेदनशील हैं, आप एस.टी. के मामले में। शेम (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जोगेश्वर गर्गजी, वह प्रस्ताव पर साइन नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह प्रस्ताव पर साइन ही नहीं थे इसलिए क्या विचार करेंगें उस पर ?

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर के अवधि पार ऋणों की वसूली

5. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर और अन्य शाखाओं द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तियों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत किया गया? सूची पूर्व विवरण सहित तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना के कई सहकारी ऋणियों का ऋण अवधि पार हो गया है? यदि हां, तो किन-किन का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डिफाल्टर ऋणियों से ऋण वसूली करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर की समस्त शाखाओं द्वारा पिछले 5 वर्षों (2000-01 से 2004-05) के दौरान स्वीकृत मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों का व्यक्तिवार व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–एक सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(श्री मदन दिलावर)

(2) जी हां। तहसील डेगाना के अवधिपार ऋण बकायादारों का विवरण परिशिष्ट-दो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) डिफाल्टर ऋणियों से ऋण वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-दो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, पहले तो जो इन्होंने लिस्ट दी है, वह अधूरी लिस्ट दी है। अवधिपार ऋण जिनके हैं उन आधे लोगों के इस लिस्ट में नाम नहीं है। नम्बर दो, जिनका लोन अवधिपार हो गया, उनके खिलाफ इन्होंने धारा 99 में नोटिस जारी किये, उसके बावजूद कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने कुर्की की? इन्होंने जो प्रयास किये, इनके प्रयासों का क्या नतीजा आया? कितना ऋण वसूल हुआ? ऐसे कितने केस हैं? नम्बर-तीन, मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना है मंत्रीजी को कि अवधिपार ऋण की वसूली के लिए जो इन्होंने मापदण्ड अपनाये, इसमें भेदभाव बरता गया। दोहरे मापदण्ड अपनाये, जबकि सब के लिए एक मापदण्ड होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ कुर्की हुई और कितनी वसूली हुई?

श्री अध्यक्ष : बताइये मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : धारा 99 को नोटिस देने के बाद दस जो अवधिपार थे, दस लोगों का पैसा जमा हो गया है और जो अवधिपार हमारे पास हैं, सबके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अमाउंट बताइये, कितना अमाउंट रियलाइज हुआ।

श्री मदन दिलावर : अमाउंट बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : रिकवरी बताइये।

श्री मदन दिलावर : अमाउंट बता रहा हूं अवधिपार अमाउंट बता रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह तो बताओ, कितनों के खिलाफ कर रहे हैं आप कार्यवाही।

श्री रामनारायण चौधरी : दोहरे मापदण्ड का आरोप है आप पर।

श्री मदन दिलावर : अवधिपार ऋणों की सूची है उसमें तीस लोग हैं अभी, जिनका पैसा आना शेष है। मांगीलाल, भागीरथराम प्रजापत चोलवास के ऊपर है 25 हजार 790 रुपया, इसको धारा 99 का हमने नोटिस दे दिया है। ओमप्रकाश फूलचन्द...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह पूछा ही नहीं है। लिस्ट में है यह तो।

श्री मदन दिलावर : आप पूरा पूछना चाहते हो एक-एक का पूछना चाहते हों?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो लिस्ट में दिया हुआ है।

श्री मदन दिलावर : यह पूरा 9 लाख 34 हजार 391 रुपया अवधिपार है।

श्री अध्यक्ष : कितनी रिकवरी हुई, वह पूछ रहे हैं वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो लिस्ट के अन्दर है आलरेडी।

श्री अध्यक्ष : कुल कितनी रिकवरी हुई, वह पूछ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : यदि आप डिटेल चाहते हैं तो मैं डिटेल बता देता हूं। एकमुश्त चाहते हैं तो एकमुश्त बता देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : रिकवरी की डिटेल बताइये, रिकवरी कितनी हुई, कैसे हुई। यह तो लिस्ट में दे रखा है आपने।

श्री अध्यक्ष : आप कुल रिकवरी कितनी हुई, यह बता दीजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा हूं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसकी आपके पास जानकारी नहीं है। आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आपको तो थॉमस से और इमानुअल से ही फुर्सत नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा हूं, मेरे पास जानकारी है। मेरे पास जानकारी है, आप सुनो तो सही।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वहां लगा रखी है सारी ताकत तो आपने।

श्री मदन दिलावर : मेरी बात सुनो तो सही। मेरे पास सब की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है आपका ? यह क्या तरीका हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो थॉमस और इमानुअल के अलावा फुर्सत ही नहीं है कुछ भी।

श्री मदन दिलावर : ओमप्रकाश, फूलचन्द नायक, खूड़ी कलां को कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। (व्यवधान) ओमप्रकाश, गुलाबचन्द ओझा, हरसोर...

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री मदन दिलावर : ....को जो 25 हजार 991 रुपया है वह कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। मूलाराम, मेवसाराम, बनाराम जाट, लवादर के ऊपर 4500 रुपये बकाया हैं उसको धारा 99 का नोटिस दे दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह लिस्ट में दिया हुआ है। यह तो लिस्ट के अन्दर है। यह काहे को समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का, यह लिस्ट मे आलरेडी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शूरी, गनी खां, हरसोर को 6 हजार रुपये बकाया है, उसका नोटिस दे दिया गया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह तो लिस्ट में नाम है उनके पास. यह तो लिस्ट आ चुकी इनके पास।

श्री मदन दिलावर : कुल 9 लाख 24 हजार रुपये बकाया की वसूली हम ताकीद से कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : अब नाम लेने से फायदा क्या है? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं यह।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो टिकट के योग्य ही नहीं समझा इन्होंने, आप क्या पक्ष ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछते नहीं, एलीगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, यह कौन सा तरीका है?

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, प्रश्न ही पूछ रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : एलीगेशन कहा हैं, जवाब तो पूरा दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे वह, प्रश्न का जवाब देवें। आपने कह दिया उसका भी नही दे रहे है? यह तो। हमको तो कितनी रिकवरी हुई है, उसकी लिस्ट बताइये।

श्री अध्यक्ष : गलत बात, जरा स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें। आप, मंत्रीजी, केवल इतना बता दीजिये कि जो लम्बी-चौड़ी लिस्ट आपने दी है, रिकवरी कुल आपकी कितनी हुई हैं बस इतना बता दें आप तो।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दस लोगों ने हण्ड्रेड परसेंट पैसा जमा करा दिया है, चालीस लोग थे।

श्री अध्यक्ष : वही बात है। आपके पास क्या सूची नहीं है, कुल कितनी रिकवरी हुई?

श्री मदन दिलावर : नहीं, मेरे पास अमाउंट नहीं है, लोगों की सूची है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : आप कुल अमाउंट दीजिये, फिर किसलिए बैठे हैं यहां? आप अमाउंट नहीं दे सकते तो फिर किसलिए बैठे हैं? आप सूचना दे रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं?, अधूरी सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अभी दे देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई सूचना नहीं हैं इनके पास। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपके पास राशि कितनी आ गई, यह बताओ न?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : आपको, माननीय मंत्रीजी, पूरी सूचना सदन को देनी चाहिए। आप सदन में प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आपके पास पूरे आंकड़े होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिये। मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : और आपके पास अमाउंट होना चाहिए। आप अधूरी सूचना दे रहे हैं सदन में।

श्री अध्यक्ष : जारोड़ा साहब, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : आपके पास अमाउंट ही नहीं है, बात तो दुनिया भर की करते हैं। आप यह बताओ, कितनी राशि... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मंत्रीजी तैयार होकर नहीं आते, इनको तैयार होकर आना चाहिए, सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पूरे जिले की भी बता रहा हूं। जिले की भी सूची दे सकता हूं, डेगाना की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : राजकोष में कितना रुपया आया?

श्री अध्यक्ष : आसन कह रहा है, स्थान ग्रहण कर लें। जब मैंने प्रश्न पूछ लिया तो आप सब को क्या आवश्यकता हुई उसको दोबारा रिपीट करने की? वह जवाब दे रहे हैं, दे देंगे। (व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण करें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपका उत्तर देते ही नहीं है। आपने स्पष्ट पूछा कि कितनी राशि रिकवर की, राशि बता दें। अभी तक नहीं बताई। मंत्री का हाल यह है कि पूरी तैयारी करके नहीं आते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके पास जवाब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : इनके पास जवाब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे पास पूरा जवाब है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन ने पूछ लिया, उसके बाद भी जवाब नहीं है इनके पासं।

श्री अध्यक्ष : शांत रहे पहले, हां।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से अवगत कराना चाहता हूं, मेरा निवेदन यह है कि मैं हर तीन महीने इस बात की पूरी समीक्षा करता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोर नहीं, शोर नहीं।

श्री मदन दिलावर : और यह पहली बार हुआ है कि मैंने हर बैंक की दस-दस लोगों की, जो ऑप अवधिपार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, सब बताओ डिटेल।

श्री मदन दिलावर : जो टॉप अवधिपार हैं, उनकी सूची मांगी है, उनके नाम अखबार में साया किये हैं। उसके आधार पर कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा न गिरे, इसलिए लोग आकर भाग-भाग कर जमा करा रहे हैं और आकर मेरे पास आग्रह कर रहे हैं कि हमारी सूची जारी मत करना, हम आपके पैसे दे देंगे। लगातार इस प्रकार से और रिकार्ड तोड़ वसूली हुई है। ये आदेश मैंने लगातार दिये हुए हैं। जो अवधिपार बकाया हैं, उसमें कोई भी एक लाख रुपये से ज्यादा का बकायादार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं बीच में नहीं। बीच में नहीं. बैठें। कम्पलीट होने दें।

श्री मदन दिलावर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मैंने भूमि विकास बैंक में ये आदेश दिये हुए हैं, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में आदेश दिये हुए हैं। अब इनको तो पीड़ा है उसका मैं क्या करूं? ये कहते हैं कि किसानों के आपने दस हजार रुपये से ज्यादा का कर्जा माफ क्यों किया। एकमुश्त समाधान योजना हम लाये, एकमुश्त समाधान योजना में हमने यह कहा कि जो 1997 के पहले

(श्री मदन दिलावर)

के बकायादार हैं और वो किसी कारणवश-अकाल के कारण, घर की परेशानियों के कारण से अपना पैसा जमा नहीं करा पाये और यदि वो एकमुश्त पैसा जमा कराना चाहते हैं तो पिछले साल हमारी स्कीम थी कि वो एकमुश्त जमा कराने की हमारे यहां दरख्वास्त दे दें, गणना हम कर देते हैं..

श्री अध्यक्ष : बस हम संतुष्ट हैं, अब आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : 2001 के बाद का सारा ब्याज हम छोड़ देंगे। ऐसे लगभग 50 लाख...

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, राशि तो बताएं।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा ।

श्री अमराराम (धोद) : कितनी अवधिपार ऋण की राशि वसूल की? आपके निर्देश ही नहीं मानते।

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस के लोग यह कहना चाहते है कि 10 हजार रुपये से ज्यादा का कर्जा माफ क्यों किया। हम 10 हजार नहीं, यदि किसान....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश ही नहीं मानते। आपके निर्देशों की पालना मंत्री महोदय ही नहीं करेंगे तो हम क्या कहे।

श्री मदन दिलावर : ....आता है एकमुश्त योजना में तो 10 हजार नहीं, 50 हजार करेंगे, 1 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा, पर एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं कह दूं, आपकी बात को मैं कह रही हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इनको पीड़ा हो रही है, मेरे को पीड़ा नहीं हो रही है पीड़ा मंत्रीजी को हो रही है। मेरे को चिन्ता हो रही है कि काश्तकारों का बैंक है और काश्तकारों का बैंक डूबने के कगार पर है इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे को पीड़ा नहीं है, मेरे को काश्तकारों की पीड़ा है। यह पक्षपात कर रहे हैं, आप नहीं चाहते तो मैं नहीं पूछता।

श्री अध्यक्ष : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आसन का सम्मान करता हूं और आसन की इजाजत के बगैर नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : यदि आप प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 है, आधा घंटे की चर्चा आप लाएं, उसके ऊपर करें, क्या दिक्कत है इसमें? (व्यवधान) प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो क्लेरिफिकेशन पूछा कि अवधिपार ऋण की कितनी राशि वसूल की है, वो तो उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री को मैं मजबूर नहीं कर सकती। यह आसन मंत्री को मजूबर नहीं कर सकता।

श्री अमराराम (धोद) : आपके सवाल का उत्तर तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह आसन मंत्री को मजबूर नहीं कर सकता कि वो क्या जवाब दें, क्या नहीं दें। उन्होने जो जवाब दिया वो सुन लिया मैंने और आपके पास विकल्प है, नियम 49 में आइये आप।

श्री मदन दिलावर : मैं दूंगा जवाब, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी पीड़ा को कम करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगला प्रश्न पुकार लिया, मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : मैं इनकी पीड़ा को कम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय हमने 30 बकायादार जो डेगाना बैंक के अन्दर थे, उन सबको नोटिस दिया है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं आपने अगला प्रश्न पुकार लिया है और मंत्री इस तरह से अनुशासनहीनता कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं एक-एक बताना चाहूंगा, ये जस्टिफाई करें कैसे डूबेगा बैंक। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के द्वारा आसन की अवहेलना की जा रही है।

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) मुख्य मंत्री के इशारे पर मुझे सवाल पूछने से रोका जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) वारंट जारी कर दिया गया है। मूलाराम मेवाराम के 5500 रुपये बकाया हैं उनको 12/99 का नोटिस जारी कर दिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कहिये, अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री जुबेर खान : आसन ने अगला प्रश्न पुकार लिया है, मंत्रीजी आसन की अवहेलना कर रहे हैं, प्रताड़ना दीजिये, अध्यक्ष महोदय, इनको। प्रताडित कीजिये इनको।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को बैठाइये।

श्री मदन दिलावर : इनको हमने नोटिस जारी कर दिया है। रघुनाथ पुत्र श्री हेमाराम मेघवाल, जालसूखुर्द के 45,574 रुपये हैं, इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी क्या आपसे ऊपर हैं?

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की विधान सभा है इसको मदारियों का अखाड़ा मत बनाइये।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) वारंट जारी कर दिये गये हैं, गंगाराम पांचूराम जाट...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इस शोर-शराबे में आपकी आवाज तो सुनाई दे नहीं रही है, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, अब आप शांति से बैठें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय सदस्य की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अगला प्रश्न पुकार लिया है। प्रश्न संख्या-6 (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस तरीके से नहीं चलेगा, मैं पहले कह देता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : (व्यवधान) +++

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) बैंक के डूबने की बात कही है... (व्यवधान) जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। यह हाउस में रिकार्ड पर आया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : प्रश्न संख्या 6 पुकारा जा रहा है, यह सरकार इस प्रश्न से बचना चाहती है।

श्री जुबेर खान : प्रश्न संख्या-6 का जवाब दिलवाइये।

श्री मदन दिलावर : माननीय मिर्धाजी ने बैंक के डूबने की बात कही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक नहीं डूबेगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हाउस टैक्स पर सवाल हैं, आपने पुकार लिया है और सरकार उसका जवाब.... (व्यवधान) मुख्य मंत्री के इशारे पर खड़े हो रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। अब आप पूछिये।

प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

6. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में गृह कर समाप्त करने का विचार रखती है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) राज्य में वर्ष 2005-06 में गृह कर वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के प्रत्येक निकाय का गृह कर वसूली का लक्ष्य व उपलब्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2005 में गृह कर वसूली के विरोध में धरने व प्रदर्शन हुए? यदि हां, तो कहां-कहां ? मय तिथि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रतापसिंह सिंघवी) : (1) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

(2) वर्ष 2005-06 में गृह कर वसूली का 150.90 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित इस लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 15.02.06 तक 2612.60 लाख रुपये की वसूली हुई है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कितना ही धीरे बोलें, जवाब लेकर छोडूंगा।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही, शोर क्यों मचा रहे हैं? सुनिये न, सुनिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : (3) राज्य की प्रत्येक निकाय के गृह कर वसूली के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या तरीका है आपका? नेता प्रतिपक्ष, कंट्रोल करें लोगों को। आप अपने सदस्यों को कंट्रोल करिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : (4) प्रदेश में वर्ष 2005-06 में गृह कर वसूली के विरोध में हुए धरने, प्रदर्शन का मय तिथि के विवरण परिशिष्ट 'अ' के कॉलम संख्या 5 में वर्णित है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अभी मुझे जवाब देने दें पूरा।

श्री संयम लोढ़ा : आ गया पूरा, आ गया न, जवाब आ चुका है पूरा।

श्री जुबेर खान : यह कौन सा तरीका हुआ, अध्यक्ष महोदय?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं, यह क्या हो रहा है? आपके चैम्बर में क्या बात हुई थी, अध्यक्ष महोदय?

श्री संयम लोढ़ा : आपने जवाब दे दिया है मंत्रीजी अब आप विराजें। आपका जवाब आ गया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जवाब तो पूरा दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब तो देने दीजिये। मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब तो सुन लीजिये पहले। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब तो सुन लीजिये। जवाब सुनने दें, वो कुछ और कह रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो चाहें सवाल पूछ लें, उसका मैं जवाब दूंगा। मेरा पूरा जवाब तो एक बार सुन लें ये।

श्री नरपत सिंह राजवी : एक बार हाउस में प्रश्न पूछा जाता है तो वो व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं रहता, वो हाउस की सम्पत्ति है और मंत्रीजी का अब हम जवाब सुनना चाहते हैं। आप बहुत गम्भीर हैं, आप सुनने ही नहीं दे रहे हैं। आप कम से कम मंत्रीजी को जवाब तो देने दीजिये। हम भी उसमें पूछेंगे, ऐसी क्या बात है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय मंत्रीजी, यह धीमी गति का समाचार है। यह उत्तर धीमी गति का समाचार है, साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में दिनांक 15-1-06 को जगदीश चौक से रैली। दिनांक 16-2-06 को सविना चौराहे से रैली। फतेहनगर में कोई धरना-प्रदर्शन नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : जब यह कह दिया कि पूरा विवरण संलग्न है तो फिर पढ़ रहे हैं आप?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : भीण्डर में कोई धरना नहीं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन। कानोड़ में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। सलूम्बर में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। कुशलगढ़ में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। डूंगरपुर मे कोई धरना प्रदर्शन नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अब हमको सप्लीमेंट्री पूछने दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सागवाड़ा में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। चित्तौड़गढ़ में कोई धरना प्रदर्शन नहीं। निम्बाहेड़ा में दिनांक 27-12-05 को पालिका के बाहर धरना। प्रतापगढ़-कोई धरना नहीं। कपासन-दिनांक 6.12.05 को नगर पालिका के बाहर धरना। बड़ी सादड़ी-दिनांक 15.2.05 को धरना दिया गया। छोटी सादड़ी-कोई धरना नहीं। बेगूं-दिनांक 26.12.05 को धरना दिया गया।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत बात है। (व्यवधान) सदन ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा।

श्री जुबेर खान : सत्ता पक्ष का इस तरह से रवैया नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) यह इस तरह से लीपापोती कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप इस प्रश्न को स्थगित कीजिए और दुबारा लगाइये। यदि सदन को मजाक समझना है... (व्यवधान) सदन को मजाक बना रखा है। आपके सामने बात हुई है... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : या तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाए या यह जवाब पूरा आना चाहिये। (व्यवधान) ऐसा नही चलेगा।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यदि सदन चलाना है तो इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री श्रवण कुमार : जो मंत्री पढ़ नहीं सकता वह जवाब क्या देगा? इनको पढ़ना ही नहीं आता।

श्री महिपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह मजाक किया जा रहा है। एक मंत्री तैयार नहीं होकर आया आज।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अनफार्चुनेट कुछ नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर देना नहीं चाहते और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से समय पूरा हो जाए और प्रश्नकाल समाप्ति की आप घोषणा कर दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता है और जब सदन के नेता बोलते हैं तब भी किसी को खड़ा नहीं होना चाहिये, यह हमने तय किया है बी.ए.सी. में।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में अपने तय हुआ था कि उत्तर बराबर दिया जाएगा, लेकिन मंत्री महोदय जान बूझकर उत्तर को टालना चाहते हैं। ऐसा ही सहकारिता मंत्रजी ने किया, वह भी समय को टालना चाहते थे। यह मंत्री महोदय को पढ़ने की क्या जरूरत है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सूची सदन की मेज पर रख दी। यह तो एक-एक को पढ़ने लगे-वहां धरना नहीं, वहां धरना नहीं। यह किसने पूछा है? हमने तो यह पूछा कि कहां-कहां हैं इसकी सूची सदन की मेज पर रख दें। फिर इनको पढ़ने की कहां जरूरत है?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा है। धरने के लिये पूछा था तो बताएंगे तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : सूची मांगी है, सूची सदन की मेज पर रखें। इन्होने तो पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। एक घंटा लगेगा यह बताने में तो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो आप इसको स्थगित कर दें या हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा अलाउ कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने शायद प्रश्न पढ़ा नहीं। इसमें पूछा है, क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2005 में गृह कर वसूली के विरोध में धरने व प्रदर्शन हुए हैं? यदि हां तो कहा-कहां, मय तिथि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री संयम लोढ़ा : अब आप इसका उत्तर भी पढ़ लें, क्या दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने पढ़ने के लिये थोड़े ही कहा है, हमने तो सदन की मेज पर रखने के लिये कहा है, हम ले लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मान लो अगर कोई शिकायत है तो प्रक्रिया और नियमों में बहुत प्रावधान हैं। यदि इसके बावजूद भी कोई शिकायत है तो प्रक्रिया नियमों में आया जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और नियमों में तो तब आया जाता है जब ईमानदारी से सच्चाई के साथ उत्तर दिया जाए। यह जानबूझ कर सहकारिता मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया और नियमों में तब भी आया जाता है जब आप कोई तथ्य छिपा रहे हों। आप संतुष्ट नहीं हों तो आप आ सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सदन की परम्परा रही है कि किसी का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप सुओमोटो स्थगित कर देते हैं। आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था आसन से बिना मांगे भी हुई है, वह दे दीजिए आप। आप आधे घंटे की चर्चा दे दीजिए, इसको स्थगित कर दीजिए। आसन तो हमारा भी है, इनका भी है, आसन तो आसन है। हम समान व्यवहार के लिये आपसे अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप चैम्बर मे मिलियेगा मुझसे।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, फिर निवेदन करना चाहते हैं, आपके अधिकार में है प्रश्न के टाइम को आगे बढ़ाने का। यह आपके अधिकार में है कि जब मंत्री खुद सही ढंग से जवाब नहीं दे, आप इंटरवीन करते। यह दुर्भाग्य है, आप खुद चेयर पर बैठे हुए हैं, आपके चैम्बर में फैसला हुआ, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठी हुई हैं, and we are patronizing such thing. कि मंत्री जवाब नहीं दे। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सारे राजस्थान के लोग एजीटेटेड हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आज ही इसका जवाब दिया जाए, बाकी सदन की कार्यवाही में हम भाग नहीं लेंगे। आपको फैसला करना पड़ेगा। आगे एक महीने तक हाउस चलेगा। यही प्रैक्टिस रही तो, सरकार विरोध प्रदर्शन बन्द करना चाहती है, यह हम अलाउ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हाउस को एडजोर्न कीजिए, आपके चैम्बर में मीटिंग बुलाइए और सी.एम. से पूछिये कि किस तरह हाउस को चलाना चाहते हैं। बाकी हम हाउस को नहीं चलने देंगे। यदि आज फैसला नहीं होता है, मुख्य मंत्री की उपस्थिति में यदि इस तरह की व्यवस्था होगी तो हम हाउस में भाग नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना पड़ेगा। आप हाउस को 10 मिनट तक एडजोर्न कीजिए और सी.एम. और हमारे लीडर के साथ बैठकर फैसला कीजिए कि हाउस को कैसे चलाना है। मंत्री जवाब नहीं दें गृह कर जैसे मसले पर, आप खुद हंसते रहें, वहां मुख्य मंत्री बैठी रहें, फिर काहे का हाउस चलाना है? बन्द कीजिए इस हाउस को। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बंद करिये सदन को। सदन का मखौल बनाना है तो बन्द कीजिए। 6 महीने पहले हाउस चलाया नहीं। 6 महीने में इश्यू था उस समय हाउस चलाया नहीं। एक साल बाद हाउस चल रहा है और एक साल बाद भी यह स्थिति बनती है तो लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हम आपसे अपेक्षा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी और आप बैठकर फैसला कीजिए, आने वाले समय में एक महीने तक सदन इस तरह से चलाना है तो सदन को आज ही बन्द कर दीजिए। हम सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ लेंगे और 5 साल तक इन्तजार कर लेंगे। लेकिन सदन का मखौल बनाकर आप लोकतंत्र की पार्टी बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसमें भागीदार नहीं बनेगी। इसलिए हम आप से निवेदन करना चाहते हैं, आप हाउस को एडजोर्न कीजिए। जिस ढंग से मिनिस्टर ने जवाब दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने इंटरवीन नहीं किया, इससे बड़े दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौनसी सूचना छिपाई है? सवाल का जवाब दिया गया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मजाक बना रखा है विधान सभा को। मंत्री तैयारी करके आते नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, कौनसी सूचना छिपाई गई है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 200 से ऊपर नगरपालिकाएं हैं, अगर आप 200 से ऊपर नगरपालिकाओं के नाम यहां पर पढ़ेंगे.... (व्यवधान) आप हमारी बात सुनें, आप हमको मौका दीजिए। 200 से ज्यादा नगरपालिकाएं हैं, प्रश्न में साफ लिखा है सूची सदन के पटल पर रखें। यह तो एस्केप करने का, टाइम को बचाकर निकलने का, क्योंकि बड़ा इंबैरेसिंग सवाल है सरकार के लिये। सरकार ने मैनीफेस्टो में कहा है कि हम गृह कर समाप्त कर देंगे। अब दबाव डाला जा रहा है कि जो नगरपालिकाएं गृह कर को वसूल नहीं करेंगी, उनकी ग्रांट-इन-एड बंद कर दी जाएगी। आज जनता इसके ऊपर बहुत ज्यादा उत्तेजित है। आपने एक इश्यू बनाकर वोट प्राप्त किये, आज आप उसको फ्लाइट करके आप लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती का डंडा दिखाकर कि आपकी ग्रांट-इन-एड बंद कर दी जाएगी, पैसा लेना चाहते हैं। सरकार जिस इंबैरेसिंग पोजीशन में है उस इंबैरेसिंग पोजीशन से बचने के लिये आप 200 की लिस्ट पढ़ेंगे। आज पढ़ना शुरू करेंगे, कल सुबह तक आएगी। फिर वहां क्या ज्ञापन में दिया है, हरेक का ज्ञापन पढ़कर सुनाएंगे। यह तो लोकतंत्र का मजाक है, सदन के समय की बर्बादी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे आपकी निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है, आप आधे घंटे की चर्चा दीजिए, यहीं घोषणा कीजिए कि मैं आधे घंटे की चर्चा देती हूं। अन्यथा इस सदन की कार्यवाही इस प्रकार से तो नहीं चलेगी। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, समय की मांग है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद आज सदन का पहला दिन है, आज पहले दिन से यह परम्परा डली तो फिर इसका अंत कहां होगा? चलने दीजिए, जैसा चलेगा वैसे चलेगा। आप निर्णय दीजिए आधे घंटे की चर्चा का, आपको दिक्कत क्या आ रही है? बड़े इंबैरेसिंग प्रश्न आते हैं सदन में और सरकार बहादुरी से उसको फेस करती है। कहे कि हमने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस समय लिखा था कि हम गृह कर माफ करेंगे, अब हमारी मजबूरी है, हम लगाएंगे। हिम्मत है तो कह दे! कहना क्यों नहीं चाहती? राजस्थान की जनता को सही स्थिति तो मालूम पड़े इसके ऊपर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने एक स्पेसिफिक सवाल सहकारिता मंत्रीजी से पूछा था... (व्यवधान) आपने प्रश्न पुकार लिया सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का और वह मंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य इतना अपसैट हो रहे हैं, जरा मैं आपको बता दूं कि मेनीफेस्टो में कई चीजें अपन लिखते हैं और मेनीफेस्टो पांच साल का डाक्यूमेंट होता है। मैं यह कहना चाहूंगी गर्व के साथ कि अपने मेनोफेस्टों के इश्यू में से बाकी बचते हैं करीबन 25 टू 30 परसेंट ही, बाकी बड़ी मुश्किल से बचते हैं। यहां एक अहम सवाल जिसको आप लोगों ने अभी उठाया, मैं आप लोगों को सबको यह कहना चाहूंगी कि अभी तो हमारे तीन साल और बाकी हैं। ऐसे मुद्दों के ऊपर हम लोग अपने बीच में अभी विचार विमर्श करेंगे और हमको जो डिसीजन लेना है वह डिसीजन आप लोगों के सामने भी और जनता के सामने भी रखेंगे, कोई चीज हमें छिपानी नहीं है। परन्तु मेनीफेस्टो की जो चीजें होती हैं, वह एक साल, दो साल, तीन साल के अन्दर कोई सीमा नहीं बांधी जाती है। पांच साल का मेनीफेस्टो है। गृहकर का विषय आप लोगों ने उठाया है, हम जानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपने भी बात उठाई, लोग भी उसके बारे में पूछते हैं। हम लोग डिसीजन लेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर डिसीजन लेकर आप लोगों के सामने रखेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, लोगों के आगे ढोल और कुड़की बच रही है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के कथन से हमारी कोई असहमति नहीं है। हाउस के अन्दर जिस ढंग से मंत्री जवाब दे, समय को बाई पास करें, यह जो परम्परा है उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। आपने पांच साल के लिये प्रामिस किया, तीन साल में करेंगे, यह आपके ऊपर है। हम नहीं पूछ रहे आपसे। लेकिन सदन के अन्दर जो प्रश्न लगे उस प्रश्न का जवाब देने के लिये जिस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जाए, उस जवाब को अवाइड करने

(डा. सी.पी. जोशी)

की कोशिश की जाए। मुख्य मंत्रीजी बैठे रहें, अध्यक्ष बैटे रहें, इस परम्परा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पांच साल में करें, चार साल में करें, मत करें, लेकिन गृह कर के आधार पर आप एक तरफ लोगों को डण्डा लगा दें, ग्रांट नहीं देंगे, दूसरी तरफ हाउस के अन्दर जवाब को इस तरह से दें, यह क्या साबित करना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सारी बात हो गई।

डा. सी.पी. जोशी : आप करिये, मत करिये, आपके ऊपर है। लेकिन हाउस के अन्दर यह प्रोपर्टी नहीं हो सकती।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी ने एक-एक बिन्दु का जवाब दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी के सामने हाउस का टाइम पास नहीं करें, जवाब नहीं दें.... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : कौन से विषय पर चर्चा हो रही है?

डा. सी.पी. जोशी : यह मुख्य मंत्री और पार्टी की मर्जी से नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक-एक बिन्दु का जवाब दिया है।

डा. सी.पी.जोशी : आप इसको प्रोटस्ट करें, क्या करें I am on the floor of House.

श्री सांवर लाल : हर सवाल का जवाब दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं अब क्या अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारे सवाल का जवाब दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, विरोध का आगाज आप करें, बेइमानी आप करें, अन्याय आप करें, बोलने का मौका भी नहीं दें, और आप भी प्रोटेक्ट नहीं करें... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस प्रकार का रवैया नहीं चल सकता।

डा. सी.पी. जोशी : लोकतंत्र में हमारा अधिकार है प्रश्न पूछना और सही ढंग से जवाब दिलवाना यह अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है आपका कर्तव्य बनता है। मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दें... (व्यवधान) सदन का टाइम बाइपास नहीं करें।

श्री सांवर लाल : इससे बढ़िया जवाब क्या हो सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : गृह कर आप लगाइये (व्यवधान) हमें कोई इन्टरेस्ट नहीं है। सदन के अन्दर जवाब देने की परम्परा है उसके अन्दर यह काम नहीं कर सकते। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, फिर निवेदन करना चाहता हूं हमारा प्रोटेस्ट नियम है, नियम और कानून का पालन नहीं होने का प्रोटेस्ट है। जो प्रश्न हमने पूछा उसका जवाब देने मे जिस तरह का तरीका अपना रहे हैं उसका प्रोटेस्ट है। मुख्य मंत्रीजी बैठे रहें सदन के अन्दर। यह परम्परा बन जाएगी तो आने वाले एक महीने में सदन के अन्दर किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आ पाएगा, यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। गृह कर, हमें कोई मतलब नहीं है, गृहकर लगाएं, मत लगाएं, चार साल में लगाएं, पांच साल में लगाएं, दस साल में लगाइये, यह कोई इश्यू नहीं है। नियम और कानून को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका मन कहता है, नौ बार एम.एल.ए. रहे हैं, आपका मन कहता है, मंत्री इसका जवाब देंगे। एक पहली क्लास का लड़का क, ख, ग पढ़ता है वैसे पढ़ाई करने का काम है। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, श्री गुलाबचन्द कटारिया, इम्पार्टेन्ट इश्यू है, यह टाइम पास की... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप हाउस में अपनी मैजोरिटी के आधार पर हमारे गले को नहीं दबा सकते। श्री गुलाबचन्द कटारिया मैजोरिटी के आधार पर हाउस के नियम और कानून को नहीं बदल सकते। इसलिये हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। या तो आज ही इस प्रश्न को लगाइये या आधे घण्टे की चर्चा की जाए, अन्यथा हाउस को बंद कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इतनी एक्सरसाइज तो आपके माननीय सदस्य भी करें कि नियम 49 में आ जाएं, मैं एक्सैप्ट कर लूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : क्यों आएं? 49 का नियम तब लागू होता है जब

(डा. सी.पी. जोशी)

मंत्री सही जवाब दें। 49 का कोई सम्बन्ध नहीं है, मंत्री के जवाब देने का जो तथ्य है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कौनसा गलत जवाब दे रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री ने जवाब किस ढंग से दिया है...

श्री सांवर लाल : मंत्री ने एक-एक बिन्दु का जवाब दिया है कौनसा गलत जवाब दिया है?

श्री कालूलाल गुर्जर : अगर आप इसको सही नहीं मान रहे, 49 में आना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल : एक-एक बिन्दु का जवाब दिया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : जवाब नहीं मान रहे तो 49 में आना चाहिये।

डा. सी.पी. जोशी : यह आर.एस.एस. को दबा सकते हैं, हमको नहीं दबा सकते। सांवरजी, आर.एस.एस. को दबा सकते हैं, हमको नहीं दबा सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की नेता खड़ी है, कुछ बोलना चाह रही हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता खड़ी हैं, यह कोई तरीका नहीं है। नेता बैठी हैं, यह खड़े हुए हैं, यह नहीं कहा आपने। नेता के सामने मंत्री बोले... (व्यवधान) आपने कहा था क्या, नेता बैठी थीं और मंत्री बोल रहे थे तब? अब अध्यक्ष खड़े हैं, मुख्य मंत्री खड़े हैं इनको बोला आपने? हम ही हैं डांट पड़ने के लिए?... (व्यवधान) एक तरफ से काम करते हैं आप।

श्री महिपाल सिंह यादव (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, जो भी सवाल किया उसका एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सदन की नेता खड़ी हैं, क्या कर रहे हो आप? कम से कम इतना तो रखो कि सदन की नेता खड़ी हों तो आप बैठ जाएं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : इसका जवाब मैंने तो दे दिया लेकिन माननीय सदस्य इसके ऊपर ज्यादा उत्तेजित होकर उनको यह फील

होता है कि अपने को इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्चा करना है, आप चर्चा कर लो।

डा. सी.पी. जोशी : चर्चा शुरू करवाइये, अध्यक्ष महोदय, चर्चा शुरू करवाइये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्चा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के इस कथन के बाद अगर इस विषय पर प्रतिपक्ष चर्चा करना चाहता है, अभी स्वायत्त शासन की मांग आई उस पर चर्चा करें। प्रत्येक मंत्री अपना जवाब देने को, उत्तरदायित्वपूर्ण जवाब देते हैं। यह प्रश्न छठे नम्बर पर लगा हैं, इस सदन के अन्दर आप साक्षी रही हैं कई बार एक-एक सवाल पर पूरा क्वेश्चन आवर खतम हो जाता है। छठे नम्बर पर समय कम था, सबको पता है।

डा. सी.पी. जोशी : सबको सिखा रहे हो? आप ही गुरु हो, चेले भी आप ही हो, सिखाने वाले भी आप ही हो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को एम्बरेस कर रहे हो, सिखाने वाले भी आप ही, बताने वाले भी आप। काहे को मुख्य मंत्रीजी को एम्बरेस कर रहे हो, आप बहुत लायक हो।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी आधे घण्टे की चर्चा करने को तैयार हैं तो संसदीय कार्य मंत्रीजी क्यों टालना चाह रहे हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मेरा यह कहना है कि बात हो गई, पूरी बात सैटल भी हो गई, मैंने कह दिया अभी आप लोगों को, कोई चर्चा की जरूरत है तो करें, पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपना टैम्पर लूज नहीं करें।

डा. सी.पी. जोशी : टेम्पर लूज नहीं है, Don't patronize मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका सम्मान करता हूं। Don't patronize for some wrong practices. आपकी उपस्थिति में गलत लोकतंत्र की परम्परा स्थापित हो, यह आपके लिये शोभा नहीं देता। आप दर्शक बनकर बैठे हुए हैं आपको शोभा नहीं देता है। इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके राजस्थान के सफल मुख्य मंत्री नहीं बन सकते। आप पार्टी को दबा सकते हैं, हमको नहीं दबा सकते।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सारे प्रतिपक्ष के सदस्य अपसैट हैं। आप व्यवस्था करें सैट करने की। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बार-बार यह बात कह रहे हैं लोकतंत्र को.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप लोगों ने किया होगा, हमने तो घोषणा की.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हमारी उदारता है।

श्री सांवर लाल : लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं आप। आप दबाव दे रहे हैं विधान सभा नहीं चलने देंगे।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं चलने देंगे आपकी मर्जी पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मंत्री महोदय जवाब नहीं देते थे और दादा गीरी से आपने सदन को चलाया। हम कभी भी, हम चाहते हैं उदारतापूर्वक... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के कथन के बाद आपकी इजाजत हो तो पूछ सकता हूं, आपकी आज्ञा हो तो पूछ सकता हूं?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने प्रस्ताव दे दिया कि आधे घण्टे की चर्चा में सत्ता पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे का नाम नहीं लिया उन्होंने।

श्री रामनारायण चौधरी : आप स्थगित कर दीजिये उसको, आधे घण्टे की चर्चा करवा दीजिये बाद में।

श्री अध्यक्ष : नियम 49 में आइये, आधे घण्टे की चर्चा को मैं स्वीकृत करूंगी। आओ नियम 49 में।

श्री संयम लोढ़ा : सवाल पूछने की इजाजत दीजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले सदस्य के सवाल पर आपने स्वयं सहकारिता मंत्रीजी से स्पेसिफिक उत्तर देने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के लिये कहा, वह उन्होंने उत्तर दिया नहीं। आपने प्रश्न स्थगित करके इनको पुकार लिया, फिर सहकारिता मंत्रीजी खड़े होकर जवाब देने लग गये। फिर इन्होंने प्रश्न पूछ लिया तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे धीमी गति के समाचार पढ़ रहे हों। क्या आप नहीं समझ रही थीं, समय टालने की कोशिश की जा रही है? समय पूरा करने की कोशिश की जा रही है? सरकार अगर अपना समय पूरा करना चाहती है तो यह कोई बात थोड़े हुई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह माइनस भाषण रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, पक्ष को एतराज नहीं है, विपक्ष को एतराज नहीं है, पर बीच के आदमी को एतराज है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उन्होंने पूरा पढ़ा तो उनका क्या दोष है?

श्री अध्यक्ष : यह सदन कौन से प्रश्न पर चाहता है आधे घण्टे की चर्चा, दो प्रश्न हैं?

डा. सी.पी. जोशी : गृह कर वाला, जिस प्रश्न पर मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया, वह प्रश्न सबसे पहले। उसको हम बाद में ले आएंगे। आप तो उस में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो को-आपरेटिव वाले का भी नहीं आया था।

डा. सी.पी. जोशी : No, no. Don't side-track Adhyakshji, हमारा सिम्पल है कि जिस ढंग से गृह कर का प्रश्न नम्बर 6 पर लगा हुआ है, आप सबसे पहले। वह हम बाद में लेंगे 49 में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब तो आया, पर सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं मिला, उसका चाहते हैं, 6 नम्बर का।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. सी.पी. जोशी : हां, आप क्यों इण्टरफियर कर रहे हैं? आधे घण्टे की चर्चा करना मुख्य मंत्री महोदय ने एग्री किया है, Do not interpret it. आप पूछिये आधे घण्टे की चर्चा करके वाइण्ड-अप कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मुख्य मंत्रीजी के कहने के बाद संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक महोदय, आप उसको क्यों साइडट्रैक कर रहे हैं? जब सदन के नेता ने कह दिया और विपक्ष चाहता है तो फिर आसन को दिक्कत क्या है, करने दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : हां, जवाब दिलवाएं, जवाब दिलवाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : चर्चा कब करनी है? आप स्थगित कर दें और आधे घण्टे की चर्चा की तारीख अभी घोषित कर दें। आपके अधिकार में है, ऐसा हुआ है इससे पहले भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बिना कोई प्रस्ताव आये आधे घण्टे की चर्चा, बिना नियमों और प्रक्रियाओं में आये आधे घण्टे की चर्चा ले लेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो प्रश्न का समय बढ़ा दो, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : नियम और प्रक्रिया अपनी जगह है अध्यक्ष जी विराजमान हैं, सदन की नेता का प्रस्ताव है, हम उसको स्वीकार करते हैं। स्थगित कर सकते हैं, आधे घण्टे की चर्चा की तारीख दे दीजिए।

श्री सांवर लाल : नहीं, इस पर क्या चर्चा करना? मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, हमारी घोषणा, 5 साल के लिये है, 5 साल में फैसला कर लेंगे। इससे ज्यादा कर लेंगे आप? क्या चर्चा करना चाहते हैं आप? (व्यवधान) आपका इंटेंशन यही है कि हम.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अगली बार फिर मूर्ख बनाएंगे क्या? जैसे राम मन्दिर बना रहे हैं आप 20 साल से, ऐसे हाउस टैक्स हर बार घोषणा करते जाएंगे क्या? (व्यवधान) आपकी घोषणाओं की पालना नहीं....सब जानते हैं कि आप नौटंकी करते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्यगण, कम से कम चाहे सत्तापक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि आसन जब पांवों पर हो तो बैठ जाएं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, यद्यपि नियमों में तो यही प्रावधान है कि नियम 49 के अन्दर आप संतुष्ट नहीं हैं और उसके विषय में कुछ विवरण चाहते हैं तो आप 49 के अन्दर यहां पर आएं। फिर भी चूंकि दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष इस विषय को बहुत अधिक गम्भीर मानते हुए चर्चा करना चाहते हैं, इसलिये मुझे, विधान सभा अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों में मैं आधे घण्टे की चर्चा परसों इस पर हो, इसके लिये निर्धारित कर रही हूं समय। (व्यवधान) परसों। परसों, वह आ जाएगा। जब बिजनस आएगा, बिजनस में आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई नोटिस तो मूव करेगा, आधे घण्टे की चर्चा किसने मांगी है, कौन प्रस्तावक है, कौन समर्थक है?

श्री रामनारायण चौधरी : आप पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब....

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कह दिया आपको... (व्यवधान) मैंने कह दिया है, नियमों में तो प्रावधान है यह है कि 49 में आना पड़ता है लेकिन कोई....

श्री प्रद्युम्न सिंह : पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, अध्यक्ष को ये पावर्स हैं कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहली बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य लेकिन मैंने निवेदन किया न आपसे, जैसा कि सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों ही इस बात पर सहमत हैं इसलिये मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पर आधे घण्टे की चर्चा का समय परसों के लिये नियत कर रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सदन के नेता ने प्रस्ताव कर दिया और प्रतिपक्ष ने सहमति जाहिर कर दी और अध्ययक्षीय व्यवस्था हो गयी, उसके बाद पार्लियामेन्टरी मिनिस्टर क्या आपत्ति करते है? इस पर तो व्यवस्था दे दीजिए। सदन का निर्णय हो गया, आपने स्वीकार कर लिया, फिर ये यहां पर खड़े हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : छोडिये, आप बैठिये।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की तहसील हिण्डौली में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

2. मोहम्मद माहिर आजाद एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाले के कारण फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

3. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में खरीफ एवं रबी दोनो ही फसलों को हुए नुकसान के कारण अकाल के हालात पैदा होने के सम्बन्ध में।

4. श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य की ओर से जिला पाली में 75 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के उपरान्त भी इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने के सम्बन्ध में।

5. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं चौदह अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था तथा धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के सम्बन्ध में।

6. श्री संयम लोढ़ा एवं उन्नीस अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में आपसी सदभाव के बढ़ते खतरे पर प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।

कभी आपसी सदभाव का बढ़ता खतरा होता है क्या, सदभाव का? सदभाव के बढ़ने का खतरा होता है क्या?

7. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य के पूर्वी जिलों में पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

8. श्री रामनारायण मीणा एवं ग्यारह अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बढ़ रहीं हिंसक घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय बजट पर सामान्य वाद-विवाद व अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को उपरोक्त विषयों को उठाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा। इसलिए इन स्थगन प्रस्तावों के रूप में इन विषयों को उठाने की अनुमति.... (व्यवधान) प्लीज, बीच में नहीं। आसन पांवों पर है, इसका भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री महादेव सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में विद्युत वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था एवं किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है इसलिये में अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य महादेव सिंह को 2-3 मिनट में, क्योंकि आपने विषय वस्तु बतायी है, क्योंकि यह एक बहुत जिसे कहना चाहिए, ऐसा विषय है कि सारे ही राजस्थान के किसानों से सम्बन्धित है, इसलिये उन्हें कुछ समय के लिये बोलने की अनुमति होगी। कृपया बोलें, महादेव सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे यहां... (व्यवधान) 28 तारीख तक सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट मांगने के लिये कहा लेकिन 28 फरवरी निकल गयी। बाकी के राजस्थान में तो अकाल के अन्दर... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी कारण से दो दिन नहीं रह पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट अपनी बात निवेदन कर लेने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन भरतपुर, अलवर और पूर्वी राजस्थान है वहां अकाल.... (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर की तीन मुख्य योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से ग्राम बिशनपुरा को जयपुर-रामगढ़ बांध रोड़ से जोड़ने हेतु निर्मित की गई सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के सम्बन्ध में।

(3) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से जिला चूरू में पेयजल हेतु अधिक पानी के आबंटन के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के रामगंज बालाजी स्थित खाद्य तेल उद्योग बुंगे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।

(5) श्री लालचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में मैरिज गार्डन्स से आम नागरिकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से लूणी में बिजली की सुचारू व्यवस्था हेतु नया उप खण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री महादेव सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर और पूर्वी राजस्थान में अकाल नहीं होता है लेकिन हमारे सरसों का जो खराबा हुआ, पूरे जिले के किसानों की इकानामी उस पर निर्भर करती है, जो फसलें थीं सरसों की, वे 70 प्रतिशत खराब हो गयी। सरकार ने 28 तारीख तक उसकी रिपोर्ट आने के लिए कहा था, किसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ दो मिनट विषय-वस्तु को रखकर अगर इस पर मुझे भी बोलने की अनुमति दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सर्वदलीय बैठक में भी तय हो गया है और नियमों में भी यह व्यवस्था है कि एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं हो सकती है।... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह किसानों से जुडी हुई बात है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब यह किस पर बोल रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात है तो आपके चेश्म में मिल सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सबका समय खराब कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सबका क्या खराब हो रहा है? यह किसानों का मामला है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में, दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महादेव सिंहजी, बोलिये आप। आपको नहीं बोलना? आपको नहीं बोलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलवर, भरतपुर, धौलपुर में सारी फसल... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं 295 शुरू करवाऊं, महादेव सिंहजी, यदि आपको नहीं बोलना है तो ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ... (व्यवधान) वह खराब हो गयी और किसानों से जुड़ा मामला है, आप दो मिनट का समय इसके ऊपर हमको भी दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। इतना ही आपसे निवेदन है हमारा तो।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। मेरी बात सुनिये, नगर से आने वाले माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, बिजली-पानी पर नहीं बोला करें? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। इससे पहले सुन लीजिए। सुन लीजिए। स्थगन प्रस्ताव रीसेंट आकरेंस पर बहुत महत्वपूर्ण होता, तब जाकर उसे लिया जाता है।

जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद जब आप करेंगे तब, बजट के सामान्य वाद-विवाद पर तब, जब आपकी मांगों का डिस्कशन होगा उस समय, इन सब समय पर। और फिर उसके बाद अकाल की चर्चा भी होगी उस समय भी आप यह बात कह दीजिएगा। आज ही क्या जरूरी है यह बात कहना?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को इन्होंने गिरदावरी के लिए कहा था और ये निर्देश दिये हैं कि 20 परसेंट से ज्यादा रिपोर्ट में खराबा नहीं बताया जाए। जब रिपोर्ट गलत आ जाएगी तो फिर किसान को क्या मिलेगा? किसान तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आज यह बात होती तब तो कोई मतलब था इसका। इसलिए अर्जेसी है। हमने इसीलिए आपसे निवेदन किया है।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सरकारी रिकार्ड में यह बताया है हिण्डौली के लिए कि 15391 हैक्टेयर में सारी फसल बर्बाद हो गयी। लेकिन 4602 हैक्टेयर में चारे की फसल ठीक बताकर अकाल घोषित करने से रोका गया है।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : यह बिना पुकारे ही खड़े हो रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काहे पर बोल रहे हैं यह?... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : बरसात नहीं हुई है, पानी नहीं है, सारे बांध खाली पड़े हुए हैं और सरकारी रिपोर्ट में सरकार खुद मानती है... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत के बिना बोल रहे हैं यह तो। अंकित नहीं किया जाए इनको। इनको अंकित करने से रोका जाए।..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपने धींगा-मस्ती की है।आपने धींगा-मस्ती की है। नियमों का पालन नहीं किया है। तय होने के बाद आप जबरदस्ती बोले हैं। इस तरह से धींगा-मस्ती ठीक नही है आपकी। माननीय महादेव सिंहजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें।...(व्यवधान) आप पहले मुझे सुन लीजिए (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनिये। कोई रिकार्ड नहीं किया जाए।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है... (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष, आपके सदस्य क्या कर रहे हैं? मैंने इनके स्थगन प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकृत किया है कि इनके स्थगन प्रस्ताव में इन्होंने यह कहा है 'राज्य में आपसी सदभाव के बढ़ते खतरे पर प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।'...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : राज्य में आपसी सदभाव तो बढ़ाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपने जो मूल प्रस्ताव दिया है, वह आपका मूल प्रस्ताव पढ़कर सुना रही हूं।....(व्यवधान)

सुनिये प्लीज। आप नहीं सुनेंगे? सुनिये-सुनिये। आप भी विराजिये। मैं आपका मूल प्रस्ताव जो आपने दिया है, यह यहां की गलती नहीं है, आपने जो दिया है वह पढ़कर सुना रही हूं। सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्लीज, क्या हो गया अब आपको? कुछ नहीं। प्लीज, बैठ जाइये आप। आसन पांवों पर। अशोक बैरवा।

प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत राज्य में आपसी सदभाव के लिए बढ़ते खतरे को प्रभावी रोकथाम में राज्य सरकार की विफलता से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य विधान सभा की बैठक की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने के सम्बन्ध में।

मतलब सदभाव जो बढ़ रहा है, इनको इस बात से खतरा हो रहा है। क्या बोलेंगे अब ? सिट डाउन प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपसी सदभाव से इनको खतरा बढ़ रहा है। प्लीज सिट डाउन। अशोक बैरवा, मुझे नाम लेने के लिए मजबूर नहीं करें। मुझे आप नाम लेने के लिए मजबूर नहीं करें। आप मुझे नाम लेने के लिए मजबूर नहीं करें। No. I do not want to hear anything. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। नहीं-नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं।...(व्यवधान) अंकित नहीं किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप अंकित नहीं करें। नो-नो अंकित नहीं करेंगे।

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री प्रेमसिंह बाजौर : xxx

श्री दाताराम गुर्जर : xxx

श्री भवानी सिंह राजावत : xxx

श्री वासुदेव देवनानी : xxx

श्री जालम सिंह रावलोत : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मन की इच्छा है कि राजस्थान शांति, अमन-चैन से रहे। हमारी-आपकी, सबकी इच्छा एक ही है। कुछ ईश्वर योग से पिछला साल इस दृष्टि से काफी ठीक निकला। एक घटना ऐसी हुई जिसके कारण कुछ उद्वेलित हुआ। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे तथ्य आपके सामने रखूंगा, कहीं किसी को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बचाने का सवाल नहीं है। अगर किसी किताब लिखने वाले ने गलती की तो वह सजा पाएगा। किताब के आधार पर अगर कोई कानून तोड़कर किसी प्रकार की अप्रिय घटना उनके खिलाफ भी करेगा तो उसके खिलाफ भी उसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करेंगे। कहीं आपके मन में यह अंदेशा नहीं होना चाहिये। अभी उस केस में जिन लोगों ने तोड़-फोड की, उसमें तीन लोग पुलिस कस्टडी में हैं। बाकी केसेज में जिनमें जमानती बैलेबल आफेंस बने हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप और हम दोनों की इच्छा है कि अमन-चैन और शांति बने रहे। इसको भड़काने वाली कार्यवाही नहीं करें, क्योंकि किताब को हमने बैन किया पहले। अगर वास्तव में वह समाज के लोगों के हाथ में चली जाती तो तूफान हो जाता। किसी तरह से उसको हमने समय रहते अपनी जानकारी के अनुसार पहले बैन करके समेटने की कोशिश की वर्ना इस प्रकार की भावना समाज में लोगों में पढ़ने जा ज़ाएगी तो एक बहुत बड़ी अशांति फैलेगी। जितनी हम कोशिश कर सकते थे वह की हैं। अभी भी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम और आप सब मिलकर किसी तरह से शांत करके इस विषय को ठीक करें। अगर कोई घटना-दुर्घटना उसके रिएक्शन में हो रही है, हमने उनके खिलाफ भी 8-9-10 केस बनाये हैं। ऐसा नहीं है। हम कार्यवाही कर रहे हैं, जो हमारी सीमा है, मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं। फिर भी अगर सदन चाहे तो खुलकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उसके जो अच्छे पक्ष हैं, वे भी आएंगे, जो बुरे पक्ष हैं वे आएंगे। उनको सुनने के बाद, हाउस की चर्चा के बाद राजस्थान में अमन-चैन नहीं होगा, एक तरह से राजस्थान में विद्वेष फैल जाएगा। मैं सोचता हूं इससे लाभ नहीं निकलेगा, उससे नुकसान हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान) ?

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी बात का, मेरे पास विषय की जानकारी नहीं है, आप मुझे जानकारी दें। अगर किसी और ने इस प्रकार से समाज के अन्दर विद्वेष फैलाने वाला लिखा होगा तो हम निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही करेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती : xxx

श्री सांगसिंह भाटी : xxx

श्री तगाराम चौधरी : xxx

श्री दांताराम गुर्जर : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आसन की अनुमति के बिना बोलेगा, वह अंकित नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अपील कर रही हूं कि कृपया आसन की अनुमति से ही बोलें तो ही अंकित होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो अभी बातें कहीं, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह कोर्स रीडर नवीं कक्षा की पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रकाशित की है। इस पुस्तक में कृष्ण के भाई दाऊजी के बारे में क्या लिखा है, मुझे कहते हुए यहां शर्म आती है। इसी प्रकार...

श्री अध्यक्ष : क्या लिखा है दाऊजी के बारे में ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कल ही यह पुस्तक मैंने खरीदी है। आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दाऊजी के बारे में लिखा क्या है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसमें दाऊजी के बारे में लिखा है कि वह शराब पीते थे, यह करते थे। इस तरह की अनर्गल बातें लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो बंद कर दी ना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बिक रही है। मैं कल ही खरीद कर लाया हूं। आप कहो तो सदन की मेज पर रख दूंगा। (व्यवधान) आप बिराज जाए, मैं बोल लूं उसके बाद बोल लेना। यह एक्सिलेंट इंगलिश कोर्स, इस पुस्तक में क्या लिखा है, यह सब आपके सदन के पटल पर रख देता हूं। इन सब पुस्तकों को, जो इस तरह की हैं, उनको बैन करना चाहिये। 'हकीकत' नाम की पुस्तक के बारे में जो बातें हुई हैं, हमें उसका बहुत क्षोभ है, खेद है। ऐसी पुस्तक के लेखक और प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों को कोई इजाजत देगा कि वह कानून को हाथ में ले लें? आज जितनी भी मिशनरी स्कूल्स हैं, जितने भी चर्च हैं, आपके सिविल लाइन्स के पास वाला चर्च है वहां पर परसों शाम को पुलिस के सामने गुण्डागर्दी हुई। वहां के लोगों को प्रार्थना नहीं करने दी गयी। इसी प्रकार कोटा में तीन बसें जलाई गई। जगह-जगह जो मिशन के इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप डिमाण्ड्स पर बोलियेगा तब...

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बिलकुल पाइंटेड बात कह रहा हूं। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को देनी नहीं चाहिये।

श्री ओम बिरला : xxx (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह दोनों खड़े होते हैं, इनको रोकते क्यों नहीं हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उनका उदाहरण यहां नहीं देना चाहिये (व्यवधान)... मोहम्मद साहब के बाल उड़ा दिये गये तो सारे हिन्दुस्तान में आग लग गयी एक बाल के लिये। यह हिन्दुस्तान इतना सैंसिटिव है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके कहने से बोल रहा हूं ओर यह बीच

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बीच में व्यवधान कर रहे हैं। (व्यवधान) हां, तो आप आग लगा रहे हो। मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको शर्म नहीं आती, मोहम्मद साहब के बाल पर पूरे हिन्दुस्तान में आग लगा दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके आदेश से फ्लोर के पजेशन पर हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि सैक्यूलर गवर्नमेंट के हिसाब से हमने शपथ ली हुई है...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी ने कहा, हमने बंद कर दी है, आप फिर बोले जा रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम को सभी धर्मों को अपना संरक्षण देना चाहिए। लेकिन पुलिस की उपस्थिति में...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, आपने किताब बंद कर दी न, यह किताब बंद हो गयी न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां जी। श्री अध्यक्ष हां तो फिर क्या बोल रहे हो अब आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बिक रही है। मैं आपकी दे रहा हूं कल की रसीद। यह सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले की पड़ी हुई आप ले आये होंगे। ... (व्यवधान) बंद कर दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कहां ले आये होंगे, मेरे पास रसीद है इन किताबों की जिसमें क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप का अखाड़ा संघ, जागरण मंच, बजरंग दल या विश्व हिन्दू परिषद जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस के संरक्षण में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहना है, शिक्षा मंत्रीजी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बैठें तब कहूं न।

श्री अध्यक्ष : यह बैठ जाएंगे अपने आप...(व्यवधान) मैंने आपको पुकार लिया। मैंने आपका नाम पुकार लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्रीजी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सदन का समय जाया करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो।

श्री ओम बिड़ला : xxx

श्री भवानी सिंह राजावत :xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री जालम सिंह रावलोत : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री प्रेमसिंह बाजौर : xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती : xxx

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर मैंने अनुमति नहीं दी है आपको। मैंने केवल इसलिए अनुमति दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कहते ही चले जाओ। शिक्षा मंत्रीजी, आप बोलिये। आप शिक्षा मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : xxx

श्री अध्यक्ष : नो, बैठ जाएं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : xxx

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : xxx

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी के अलावा मेरी अनुमति के बिना जो बोलेगा, अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : यह आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हो, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : आप जागते रहिये, सरकार को सोने दीजिए। आप जागते रहिये।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : आपको तो मक्खन लगा दिया। मुख्य मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया, ठीक है। अब अंकित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने जो नवीं की अंग्रेजी पुस्तक के बारे में कहा है, वह पुस्तक पिछले साल ही चर्चा भी हो गयी थी। पिछले साल ही जो गयी थी, उस पुस्तक के वे चैप्टर भी हटा दिये गये हैं, नयी पुस्तक भी लिख दी गयी है, उसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन बिक्री पर प्रतिबंध के बाद में ऐसी पुस्तक को खरीद कर लाना भी अपराध है, अब वह काम नहीं करना चाहिए था आपको।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि पुस्तक कब छपी थी, कब यह रुकी थी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब यह कोर्स में नहीं है, एक। और इसके बाद में हमने प्रदेश स्तर पर...

श्री अध्यक्ष : खरीद कर लाना अपराध है बैंड चीज को। बैन है, बैन। ....(व्यवधान).

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मुझे बडा अफसोस है कि मंत्रीजी पूरी बात सुनते नहीं हैं। आपने क्या यह एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स को प्रतिबंधित किया है? आपने संजीव इंग्लिश कोर्स को प्रतिबंधित किया है क्या? मैंने यही बात आपको कही कि जिस किताब के बारे में, आपने जो किताब छापी थी उसके बारे में किताबें बिक रही हैं, और ये नयी किताबें हैं, इनको आपने प्रतिबंधित नहीं किया है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, मान लीजिए, ये किताबें गलत हैं, तो इस किताब के लेखक और प्रकाशक के खिलाफ आप कार्यवाही करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कार्यवाही कर दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन आपको यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप पूरे राजस्थान का साम्प्रदायिक सदभाव कमजोर करें और पुलिस संरक्षण में जाकर स्कूलों को तोड़ें। आज सेंट जेवियर स्कूल में लोग पढ़ते हैं, सभी सम्प्रदायों के लोग पढ़ते हैं....

श्री ओम बिड़ला : माननीय सदस्य, सदन के पटल पर गलत बयानी कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और वहां पर जाकर तोड़फोड़ करें। सेंट पॉल की मूर्ति तोड़ी। यह कोई धर्म इजाजत नहीं देता है। (व्यवधान) इसलिए ऐसे तत्वो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और प्रदेश में साम्प्रदायिक सदभाव को कायम किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब हमारी भी सहनशीलता की क्षमता होती है। में सोचता हूं कि अपनी नेता को खुश करने के लिए इस प्रकार का सदन का दुरुपयोग करें, वहां केवल सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश मत करो। केवल सोनिया गांधी को खुश करने के लिए यहां खड़े होकर वकालत करना बंद करो। ... (व्यवधान)

श्री ओम बिड़ला : राजस्थाम की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सदन का दुरुपयोग करना चाहते हो,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भड़काने वाला काम करना चाहते हो। हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से शांत हो और इसको भड़काने वाला काम कर रहे हो... (व्यवधान)

अगर आप इस पर बोलेंगे न, जो कुछ इसमें लिखा है...(व्यवधान)... उसकी पैरवी करना चाहते हो? क्या करना चाह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? इस किताबों को और हकीकत को, दोनों को बराबर की श्रेणी में रखना चाहते हो, यही कहना चाहते हो?... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आडवाणीजी और अटलजी चले गये, अब आप किस को खुश करना चाहते हो?...(व्यवधान)... सोनियाजी तो राजी हैं, अब आप आगे की सोचो, राजनाथ सिंहजी...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हकीकत, और यह नवीं की किताब है, इसका चैप्टर है ये दोनों बराबर हैं, आप यह कहना चाहते हो ? सोनिया गांधी को यह बताना चाहते हो, मैं राजस्थान विधान सभा में यह जो हकीकत किताब लिखी है, उसकी पैरवी कर रहा था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सोनिया गांधी ने तो आपको सड़क पर लाकर छोड़ दिया और अगली बार फिर छोड़ देगी आपको, यह मान कर चलो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दुर्भाग्य है। अगर इस सदन का यह उपयोग करते हैं आप जैसा सीनियर मैम्बर, तो मुझे अफसोस है इस बात का। अगर आप इसको चाहते हैं न तो मैं एक-एक परत खोल कर रख दूंगा, राजस्थान सारा जल जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या रख दोगे आप? उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उस समय न आप बचा सकोगे न मैं बचा सकूंगा। आप चाहते हो राजस्थान को जलाना, आप चाहते हो गांव-गांव और गली-गली लोग हथियार...(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप सरकार की तरफ से जो...(व्यवधान)...

श्री गुलाचन्द कटारिया : आप चाहते हो राजस्थान में विद्वेष फैल जाए... (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का टैम्पर लूज हो गया।

श्री गुलाबचन्द्र कटारिया : इसके बारे में तो कभी नहीं बोलते हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने सबसे पहले यह कहा था कि हकीकत के लेखक और प्रकाशक के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सबसे पहले, केवल एक शब्द कह कर? जो किताब बहुत खराब है, उसमें पढ़ा आपने? मुर्दे में भी जान आ जाए अगर उसको पढ़ें तो... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप साम्प्रदायिक सदभाव को कमजोर करना चाहते हैं, हम यह नहीं होने देंगे राजस्थान में। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब को बराबर जीने का अधिकार है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमारे भगवान को वेश्या बताया... (व्यवधान)... अगर भवगान को वेश्या बता कर कि वेश्याओं के साथ खेल खेलते थे, यह भगवान कृष्ण का चरित्र लिखा उसने। क्या चरित्र लिखा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन बचा रहा है उसको? मैंने कहा है, इस बात की हम निन्दा करते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम तो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जलाये जा रहे हो। (व्यवधान) केवल सोनिया गांधी को खुश करने के इस सदन का दुरुपयोग मत करो। ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसके लिखाफ कार्यवाही की जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मजाब बना रखी है। अगर हम सीनियर मैम्बर... (व्यवधान)... इसके कारण से आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने खुद कहा है कि हकीकत किताब के लिखने वाले को आप जेल में भेजें। हम उनकी निन्दा करते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस दिन चाहोगे न उस दिन खोल कर रख दूंगा। आप समझते क्या हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप सरकार चलाने वाले लोग पुलिस के साथ xxx करोगे, स्कूलों को तोड़ोगे यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम चाहते हैं कि किसी तरह से मामला शांत हो... (व्यवधान)... आप एक घंटे तक बोलें तो दो घंटे तक बोल सकते हैं। क्या चाहते हो आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या बात करते हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप क्या चाहते हो? केवल अपनी नेता को खुश करने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना चाहते हो?... (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनका टैम्पर लूज हो गया। समाज कल्याण मंत्री xxx बंद करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह तो हिन्दुस्तान है... (व्यवधान)... बाकी इस किताब को पढ़ने के बाद में लोग फाड़ देते अब तक। हिन्दुस्तान की अपनी मर्यादा है न इसलिए... (व्यवधान)... केवल एक कार्टून छप जाता है न डेनमार्क में तो उसका रिएक्शन यहां के लोगों की भावना को होता है, तो लोग खड़े होते हैं। क्यों नहीं होंगे?... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार में बैठे हुए लोग सदभाव को कायम रखें। (व्यवधान) सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : डेनमार्क में छपे कार्टून पर अगर यहां के लोगों की भावना आहत हो सकती है तो हकीकत किताब के आधार पर यहां हिन्दू मान्यता क्यों नहीं गर्मा पाएगी? ... (व्यवधान)... क्यों नहीं उसका विरोध होगा ? केवल चिल्लाने से काम नहीं चल सकता यह क्या मजाक बना रखी है?... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकारी तंत्र +++ फैला रहे हो, वह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसी प्रकार से भगवान विष्णु के बारे में, भगवान राम के बारे में.... (भारी व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, आप क्षमा मांगिये। माफी मांगिये आप। ... (भारी व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मजाक बना रखी है। हमने बात को संभालने की कोशिश की, हमने हर दृष्टि से उसको शांत करने का प्रयास किया। और उसके बाद भी आप उकसा रहे हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

हमने हर प्रकार से इस पर कार्यवाही करने की कोशिश की, हमने हर दृष्टि से इसको शांत करने का प्रयास किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं तो क्या सुदर्शनजी को खुश करें। सोनिया गांधीजी के बजाय सुदर्शनजी को खुश करें क्या?

(13.00 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बैठ जाओ। बैठ जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप धमका नहीं सकते। आसन से बात करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मोहम्मद साहब के बाल उखाड़ने थे तो...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : ऐसे मामले बहुत संवेदनशील मामले होते हैं। हम एक पुस्तक के ऊपर हम लोग जानते हैं कि जगह-जगह पर कैसा रिक्शन हो रहा है। गृह मंत्रीजी ने खड़े होकर शुरूआत में ही सब लोगों को आगाह किया कि मेहरबानी करके जो चीजें हम लोगों के बीच में फूट डालने वाली होती हैं उनके बारे में हम लोगों को इस तरीके से विदाउट रेस्पांसिबिलिटी बात करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरा फिर आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, उन्होंने कह दिया है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की किताबें लिखी हैं उन लोगों को सख्त से सख्त यदि पनिशमेंट देने की जरूरत होगी, उनको तो देंगे। उन्होंने यह आपके सामने क्लीयर कर दिया है कि जो इसके अन्दर कहीं भी किसी तरीके से भी लिप्त है उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं समझती हूं कि और भी कोई ऐसे केसेज हैं जो आपके

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सामने आये हुए हैं, वे भी उन्होंने कहा, मंत्रीजी ने भी कहा कि वे केसेज कोई भी ऐसे हैं तो आप हमारे नोटिस में लाएं तो उसके ऊपर हम एक्शन ले सकें। परन्तु मैं समझती हूं कि अननेसेसरिली इस चीज को इस तरीके से बढ़ाने में किसी के लिए फायदा नहीं है, और इसीलिए मेहरबानी करके इस मामले को यहीं ड्राप करें तो मैं समझती हूं कि अच्छा है। हाउस के लिए अच्छा है, राजस्थान के लिए अच्छा है। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी कुर्सी में आज कोई कील-वील या कुछ ऐसा लग गया है क्या जो आप खड़े हो जाते? क्या बात है, बैठ ही नहीं रहे हो ?

श्री संयम लोढ़ा : बहुत अच्छा होता, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री महोदय यह भी कहतीं कि अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों पर, जिन स्कूलों पर पुलिस के संरक्षण में हमले हुए हैं, वे मैं नहीं होने दूंगी। यह कहतीं वह। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने बहुत क्लीयर कर दिया है कि जिसने किताब लिखी उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी रिएक्शन में किसी ने गड़बड़ किया उसको भी और कानून अपने हाथ में लिया तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। यह होम मिनिस्टरजी ने भी कह रखा है और यह मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने विदिन फाइव मिनिट्स खड़े होकर यह बात कह दी तो यहां तो सब पढ़े-लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब माननीय सदस्य इस चीज को समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की विधान सभा से ये बातें जाएंगी तो इससे राजस्थान के लोगों के बीच में दीवारें खड़ी हो जाएंगी, फूट पड़ जाएगी। It is not a question क्रिश्चियन है, मुसलमान है कि हिन्दू है। यह पूरे राजस्थान का परिवार है राजस्थान के परिवार में किसी भी तरीके से हम लोग फूट नहीं डालना चाहते हैं और मैं समझती हूं कि आप हमको मदद करेंगे इसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आम आदमी मानसिक संतुलन खोए... (व्यवधान) लेकिन गृह मंत्री संतुलन खो दे...

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मोहम्मद साहब की यह कह रहे हैं। इस तरह से आप जो बात कह रहे हैं परिवार की, वही हम कह रहे हैं आपसे कि जब लोग आपसे मिलने आते हैं तो मिलना चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। श्री महादेवसिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय फसल के पकने का टाइम है और पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों की परीक्षा का समय भी है। बिजली जिस हिसाब से गांवों में दी जा रही है उस हिसाब को देखते हुए फसल के अन्दर पानी नहीं जा रहा है, बिजली समय पर नहीं मिल रही है और अनियमित रूप से...

श्री अध्यक्ष : आप यह तो बताओ, इस समय कितनी मिल रही है, कितने घंटे, यह बताओ पहले ?

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताने जा रहा था कि निश्चित कोई टाइम ही नहीं है। अनाउंस तो छह घंटे का कर रखा है लेकिन कहीं तीन घंटे बिजली मिलती है, कहीं साढ़े तीन घंटे मिलती है, कहीं पांच घंटे मिलती है और कहीं छह घंटे तक बिजली मिलती है। लेकिन निश्चित समय, निश्चित जगह ऐसी हालत कर रखी है कि गांवों में आधा घंटे बिजली दे दी और उसके बाद मे फिर कटौती कर दी, इसलिए पानी सही रूप से फसल में जा भी नहीं सकता है। सुबह परीक्षा का टाइम है, लड़के जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उनको भी समय पर बिजली नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर जब जल जाता है, किसान अपने साधन से वहां कार्यालय तक लेकर जाता है, उनको बुला लिया जाता है उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच रोज तक बदल कर नहीं देते हैं क्योंकि लम्बी लाइनें है। लोड ज्यादा पड़ता है और ट्रांसफार्मर ज्यादा जलते हैं। 33 केवी के जो ग्रिड सब स्टेशन हैं उनके बनने में देरी हो रही है। इसकी वजह से हमारी लाइनें जल रही हैं। मेरा निवेदन है कि इस समय फसल का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने अधिकारियों से कह कर समय पर बिजली दिलाएं, नियमित रूप से दिलाएं जिससे किसानों की फसल आसानी से पक सके और विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए बिजली मिल सके। अच्छी तरह से मालूम है आपको कि हमारे राजस्थान में लगातार अकाल पड़ते आ रहे हैं और पिछली बार भी भयंकर अकाल था। किसान की फसल अब भी नहीं होगी तो किसान की कमर टूट जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलाई जाए, ट्रांसफार्मर जल जाएं तो उनको भी समय पर तुरन्त बदलवाया जाए और सिंगल फेस की बिजली बच्चों के लिए सुबह जल्दी से जल्दी दिलाएं और शाम को दस बजे तक दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप चार बजे इस बारे में आपने क्या व्यवस्था इस समय कर रखी है वह जवाब दें। अभी तैयार हैं तो अभी दे दें आप।

श्री गजेन्द्र खींवसर (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पांच वर्ष के कार्यकाल में...

श्री अध्यक्ष : ना, ना अब आप इस बात को छोड़ों। इस समय क्या व्यवस्था है, आप वह दो ना।

श्री श्रवण कुमार : यह जरूरत क्या है? पुरानी बात क्यों कर रहे हैं?

श्री लाल चन्द कटारिया : कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हम इधर बैठे हैं ना (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना?

श्री लाल चन्द कटारिया : आप बीस होना चाहते हो क्या, मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : पुरानी सरकार ने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है, इस समय किसानों को बिजली चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण।

एक माननीय सदस्य : फसल पकने पर आयी है और आप लोग ट्रांसफार्मर उतार रहे हो।

श्री अध्यक्ष : मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य, आप इसको कांग्रेस से शुरू नहीं करके बी.जे.पी. से शुरू करों।

श्री श्रवण कुमार : आप अपनी बात बताइये, गजेन्द्रसिंह जी।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, क्लैरिफिकेशन दें उसमें दो-तीन चीजें मैं आपके सामने दो-तीन मिनट में रख देता हूं, फिर मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है। वह केवल इस समय यह बताएंगे

(श्री अध्यक्ष)

कि इस समय यह कितनी बिजली दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, कितनी शार्टेज हैं, कहां से मंगा रहे हैं और किस भाव से लेकर कितनी सस्ती आपको दे रहे हैं। ये सब बातें बता दीजिए।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, दो चीजें हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने चार बजे का टाइम दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि मैं अभी तैयार हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी कहां से तैयार हैं? पता ही नहीं है, उन्होंने कागज दे दिया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह खुद कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, वह खुद कह रहे हैं कि मैं अभी तैयार हूं, देने के लिए।

श्री अमरा राम (धोद) : तैयार हैं जब ही तो हम पूछ रहे हैं, वह बता देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने हमने यह बात उठाई है और हमें सुनो तो सही पहले।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या सुनेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : टाइम दो हमको पहले।

श्री अध्यक्ष : नो, नो, यह केवल स्थगन प्रस्ताव था, इस स्थगन प्रस्ताव को मैंने इस समय फसल को बचाने के दृष्टिकोण से कि ऐसा अवसर है कि कुछ न कुछ विद्युत मंत्रीजी अपनी ओर से दें, बताएं कि वह क्या-क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं इसलिए मैंने कह दिया। वर्ना स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने कहा मैं अभी तैयार हूं तो मैंने कहा अभी तैयार हैं तो अभी दे दीजिए (व्यवधान) बात बोलने की बोल दें।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी क्या जवाब इनके पास नहीं है, कांग्रेस ने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तैयार हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : कांग्रेस ने क्या किया वह लेकर आये हैं। इन्होंने खुद ने क्या किया, इनको पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप चाहो तो चार बजे दे सकते हो।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर : अभी देना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह अभी तैयार हैं और दे रहे हैं, फिर भी आप सुनना नहीं चाहते।

श्री हेमाराम चौधरी : इनको कांग्रेस ने क्या किया वह मालूम है सिर्फ। इन्होंने खुद क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, यह इनको पता नहीं है, क्या जवाब देंगे? चार बजे का टाइम दो ना.

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पता इन्हें मालूम नहीं हैं? ऊर्जा मंत्री हैं सब मालूम है इनको। आप कैसे कह सकते हो, उन्हें मालूम नहीं है?

श्री हेमाराम चौधरी : पहले से शुरू किया है। बात आज की है और दो साल पहले से शुरू कर रहे हैं।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी को यह पता नहीं है कि बीकानेर में कनेक्शन कब हुए तो बिजली का क्या पता लगेगा ?

श्री हेमाराम चौधरी : इनकी शुरूआत से लगता है कि इनको अभी तक जानकारी नहीं है।

श्री अमरा राम (धोद) : बीकानेर में जो कनेक्शन हुए दो साल में, कितने दिनों में कनेक्शन हुए, उनका पता नहीं है तो बिजली का क्या पता है?

श्री महादेव सिंह : आपने पूछ लिया उसका जवाब ही उन्होंने नहीं दिया तो हमारा तो क्या देंगे? अध्यक्ष महोदय, छह घंटे से...

श्री अध्यक्ष : आप यहां किसी की नालेज को चैलेंज नहीं कर सकते। आप विराजे।

श्री अमरा राम (धोद) : नालेज नहीं, जो सूचनाएं उनके पास हैं..

श्री अध्यक्ष : आप तो सब अपने मन की करने लगे।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करें। आप भी विराज जाओ।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने 31 हजार मिलियन यूनिट सप्लाई की है जो कि कांग्रेस की पांच साल के अन्दर... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : साफ-साफ पूछ रहे हैं आपसे... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इस साल की बताओ ना, पिछले दो साल की... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : आप सुनो तो सही, आप ही की बात कर रहा हूं मैं यहां... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : यह कौन पूछ रहा है? इस समय बिजली की आवश्यकता है, हम आपसे बिजली के लिये कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप यह बताइये, अक्टूबर के बाद मार्च तक आपकी क्या परफमारमेंस रही?... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जनवरी-फरवरी की बता दो इस साल 2006 की। या 2005-2006 की बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत तैयारी के साथ 4.00 बजे जवाब दे देना, बस ठीक है।

श्री श्रवण कुमार : अक्टूबर के बाद मार्च तक आपकी क्या परफारमेंस है, क्या देना चाहते हो... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पहले तो मिली या नहीं मिली, वह मामला तो आया गया हुआ... (व्यवधान) अब इस समय क्या है?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर ले। अब आप स्थान गहण करें। प्लीज

(श्री अध्यक्ष)

मैंने कहा, स्थान ग्रहण कर लें... (व्यवधान) वह 4.00 बजे जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सरकार कांग्रेस की क्या, कांग्रेस वाली इधर आकर बैठ गयी। कांग्रेस ने बुरा किया, अच्छा नहीं किया... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने स्थान पर नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं वहीं जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो इन झुंझुनूं वालों से ही परेशान हूं, क्या करूं? (व्यवधान) आप 4.00 बजे दीजियेगा। आप कृपया 4.00 बजे दीजियेगा इसका।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर : मैं तो पहले ही... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं 4.00 बजे, बस ठीक है। (व्यवधान) यह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के जो कोई बोलता है उसका अंकित नहीं होता है। प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख, श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्री महादेव सिंह : xxx

श्री अध्यक्ष : 4.00 बजे देंगे वह। 4.00 बजे का टाइम दे दिया, 4.00 बजे देंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सीकर शहर की सीवरेज, पेयजल व नवलगढ़ रोड़ से गंदे पानी की निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। सीकर शहर की मुख्य तीन योजनाएं यथा सीवरेज, पेयजल एवं नवलगढ़ रोड़ से गंदे पानी की निकासी योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर शहर के लिये तीन महत्वपूर्ण स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निवेदन करना चाहूंगी।

(13.12 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सीकर शहर के लिये 65.00 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना लगभग 2 वर्ष से स्वीकृत है जिसमें से 15.00 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, परन्तु स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सम्भवतः इसका मुख्य कारण प्रशासनिक शिथिलता है। इसी प्रकार सीकर शहर के लिये 11.00 करोड़ रुपये की पेयजल योजना भी अधूरी है। इन योजनाओं में जिन टंकियों का निर्माण हुआ है उनसे अभी तक पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है। कई टंकिया नहीं हैं तथा अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक भी नहीं बने है। इस पेयजल योजना के पूर्ण नहीं होने से एक तरफ काफी मोहल्लों में ट्यूबवैल्स से डायरेक्ट सप्लाई है तथा एक तरफ मोहल्लों में पेयजल की कमी है।

इसी प्रकार सीकर शहर की नवलगढ़ रोड़, रेलवे क्रासिंग के पास गन्दे पानी की निकासी हेतु लगभग 30.00 लाख की योजना स्वीकृत है। इस योजना की क्रियान्विति नहीं होने के कारण नवलगढ़ रोड पर नागरिकों एवं वाहनों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में तो आवागमन ठप्प-सा हो जाता है। प्रकरण के सम्बन्ध में मैंने इस स्वीकृत कार्य को कराने के लिए गत बजट सत्र में भी राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 से माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था। प्रकरण में माननीय सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ने प. 4(क)(5)विस/एलएसजी/05/1254 दिनांक 21-3-2005 द्वारा जवाब भी दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि गन्दे पानी की समस्या के निराकरण के लिये प्रभावी कार्यवाही कर दी गयी है। स्थिति ज्यों की त्यों है, अतः इस कार्य को पूरा कराने हेतु भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

अंत में मैं पुरजोर शब्दों में सीकर शहर की महत्वपूर्ण स्वीकृत सीवरेज योजना राशि रूपये 65.00 करोड़, स्वीकृत पेयजल राशि रुपये 11.00 करोड़ तथा स्वीकृत नवलगढ़ रोड़ पर रेलवे क्रासिंग के पास गन्दे पानी की निकासी हेतु योजना राशि रुपये 30.00 लाख के क्रियान्वयन हेतु निवेदन करती हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान ।

जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम बिशनपुरा को जयपुर-रामगढ़ बांध मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़क का अपूर्ण निर्माण

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना।

महोदय, निवेदन है कि ग्राम बिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर स्थित श्री रघुनाथजी व बालाजी के मन्दिर के साथ ही आस-पास के गांवों को जयपुर से रामगढ़ बांध की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व उक्त सड़क स्वीकृत हो गयी थी। जिसका निर्माण कार्य काफी विलम्ब से शुरू हुआ। इस सड़क का निर्माण आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, वह भी बहुत घटिया स्तर का है जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। इस निर्माण कार्य की यदि उच्चस्तरीय जांच करवायी जाए तो मान्यवार, स्पष्ट घोटाला उजागर होगा और राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि का जिस तरह से दुरूपयोग किया गया है, वह स्पष्ट होगा। कुछ उदाहरण स्वरूप दीवारों की चुनाई में सीमेंट का अनुपात बहुत कम है, चुनाई की प्रक्रिया ठीक नहीं है तथा कंकरीट व मोरम भी निर्धारित प्रक्रिया व अनुपात के विपरीत है जिससे जरा-सी बारिश में ही जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं और दीवारें में दरार आ गयी है। इस सम्बन्ध में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की गयी है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य पर स्थानीय ग्रामीणों ने मजदूरी की है, लेकिन अभी तक ठेकेदार द्वारा मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया गया है। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने से उन्हें ऋण लेकर आजिविका चलानी पड़ी है

(श्री जुबेर खान)

जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। इस सम्बन्ध में मजदूरों ने आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से शपथपूर्वक शिकायत कर मजदूरी के भुगतान हेतु निवेदन किया है, लेकिन आज दिन तक उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व असंतोष है। अंतः मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने तथा मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी कहा है यह पूरी सूचना मुझे दे दें, जो भी कार्यवाही होगी मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

चूरू में पेयजल हेतु अधिक पानी का आबंटन

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत चूरू जिले में पेयजल हेतु अधिक पानी के आबंटन तथा आपणी योजना के द्वितीय चरण को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मान्यवर, चूरू जिले में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है, यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाकर समस्या के हल हेतु उचित निर्णय नहीं लिये गये तो आने वाले समय में चूरू जिले के अधिकांश हिस्से को पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझना पड़ेगा। चूरू जिले के अधिकांश हिस्से में भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त है तथा पीने योग्य नहीं है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी लेकर चूरू जिले की पेयजल समस्या को हल करने का प्रयास किया। इसी प्रयास के तहत आपणी योजना का प्रथम चरण प्रारम्भ कर जिले की तारानगर, सरदारशहर व राजगढ़ तहसीलों को राहत दिलाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में आपणी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत तारानगर तहसील, राजगढ़ तहसील (आंशिक) तथा सरदारशहर तहसील (आंशिक) को

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रथम चरण में कुछ गांवों व ढाणियों को त्रुटिवश वंचित रख दिया गया था। इस बाबत संशोधित योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। यदि सरकार इन वंचित गांवों और ढाणियों को शीघ्र पानी पहुंचाने का निर्णय ले तो पूरे प्रदेश के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है।

आपणी योजना के दूसरे चरण में रतनगढ़ तहसील, सुजानगढ़ तहसील और राजगढ़ तहसील (आंशिक) लाभान्वित होंगे। प्रथम चरण सरकार द्वारा जर्मन की के.एफ.डब्ल्यू. कम्पनी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर सम्पूर्ण किया गया है। द्वितीय चरण के लिये के.एफ.डब्ल्यू. धन व्यय करने को तैयार है। लेकिन सरकारी तंत्र की शिथिलता और इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक इसे हरी झंड नहीं मिली है। चूरू जिले के पेयजल संकट को मद्देनजर रखते हुए तुरंत इसे मंजूरी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार चूरू-बिसाऊ योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील के बचे हुए हिस्से को शामिल कर आपणी योजना के निर्धारित मापदंडों के आधार पर कार्य सम्पूर्ण किया जाना चाहिए। चूरू-बिसाऊ योजना में सम्पूर्ण चूरू शहर व रतन नगर को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। इन पेयजल योजनाओं के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का 42 क्यूसेक पानी आबंटित है लेकिन पिछले कुछ महीनों से 30 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि चूरू जिले की इन योजनाओं के लिए 42 क्यूसेक्स पानी सुनिश्चित किया जाए और चूंकि इन योजनाओं के बनने के पश्चात कुछ हिस्सों को बाद में पेयजल योजना में शामिल किया गया है तथा आगे भी चूरू तहसील के वंचित गांवों को शामिल किया गया है इसलिए पानी के आबंटन को 42 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 60% क्यूसेक्स कर दिया जाए।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना यही देनी थी कि यह मैच फिक्सिंग का काम चल रहा है। स्वीकृति हो चुकी है, राजेन्द्रजी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, उनके माध्यम से लेना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री नरपतसिंह राजवी : एक निवेदन और करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप इनको ज्ञान दीजिये। ये दोनों चूरू जिले के अलावा बाहर निकलना ही नहीं चाहते। डॉ. साहब भी हमारे मित्र हैं और इधर भी हमारे मित्र हैं, लेकिन चूरू ज़िले के बाहर और विधान सभा क्षेत्र के बाहर वह पनपना नहीं चाहते हैं। राजस्थान का अनुकरणीय उदाहरण यही होगा क्या? चूरू का ही डिवीजन बीकानेर भी है, वहां भी पानी की कमी है। उसका भी नाम वह साथ में लेते। यह मैच फिक्सिंग नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा : चूरू का ही संभाग बीकानेर है। चूरू का ही डिवीजन बीकानेर है।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी साहब पहले अपना घर संभालेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : चूरू का ही डिवीजन बीकानेर है और आपके अधीन है, आप ध्यान रखो दोनों का।

श्री उपाध्यक्ष : पहले घर संभालना जरूरी है।

श्री रामनारायण मीणा : यह नेता हैं दोनों के।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी के रामगंज बालाजी स्थित तेल उद्योग बुंगे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि रामगंज बालाजी (बूंदी) क्षेत्र के निवासियों द्वारा मेरी जानकारी में लाया गया है कि बूंदी के पास रामगंज बालाजी में संचालित तेल उद्योग बुंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तेल परिशोधन के काम में आने के बाद नि:स्रावित दूषित पानी का पूरा उपचार नहीं करके उसे उद्योग परिसर के बाहर बहा देता है। जिससे राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 के नीचे से निकल रहे नाले मे बहने से दुर्गन्ध फैलती है तथा वातावरण खराब होता है। यह पानी मवेशियों द्वारा पिये जाने से उन्हें भी बीमारियां हो रही हैं। वायु प्रदूषण भी इस उद्योग द्वारा फैलाया जा रहा है। रात्रि

(श्री रामनारायण मीणा)

के समय उद्योग द्वारा ओर अधिक दूषित वायु एवं जल नि:स्रावित किया जाता है। निर्धारित मापदण्डों से कहीं अधिक प्रदूषण फैलने से क्षेत्र के लोगों तथा उक्त राज मार्ग से भारी संख्या में गुजरने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। फैलाये जा रहे इस प्रदूषण से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है तथा कृषि उपज में भी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के ग्रामवासियान जिला प्रशासन को भी इस तथ्य से अवगत करा चुके हैं तथा अखबारों में कई बार इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हो चुके हैं। मेरे द्वारा भी पत्र दिनांक 27.2.2004 एवं 27.6.2005 के जरिये माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थिति बदतर होती जा रही है। काम करने वाले मजदूरो को भी उद्योग मालिक द्वारा वहीं बसाया हुआ है। उद्योग मालिक के द्वारा जान-बूझकर नियमों तथा पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य की अवहेलना की जा रही है। अतः निवेदन है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण इस प्रकरण में उक्त उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे वायु एवं जल प्रदूषण को रोके जाने के लिए उद्योग को पाबंद करने तथा क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस बायकाट कर गयी या गंभीर नहीं हैं सदन के प्रति? सब गायब हैं।....(व्यवधान) तीन ही बचे हैं।

श्री श्रवण कुमार : तीन ही काफी हैं हम।

श्री ओम बिरला : स्थिति ऐसी ही होने वाली है क्या?

श्री रामनारायण मीणा : मुझे ऐसा लगता है कि उन साथी के जाने के बाद आप फिर बढ़ना चाहते हैं। लाड़पुरा के माननीय विधायक नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो। रामगंजमण्डी वालों को बुला लूंगा मैं।

श्री ओम बिरला : बुलाओ ना। आप हरिमोहनजी को बुला लेना, ममताजी को भी बुला लेना साथ-साथ।

श्री रामनारायण मीणा : हम सब आपको चाहते हैं।

श्री ओम बिरला : हरिमोहनजी को बुला लें, ममताजी को बुला लें।

श्री रामनारायण मीणा : कांग्रेस वाले आपको चाहते हैं फिर आप हमसे दुर्भावना क्यों रखते हो, यह बताएं आप?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द कटारिया।

सामुदायिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों से समीप वासियों को होती असुविधा

श्री लाल चन्द कटारिया (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राज्य के हर शहर में खास तौर से बड़े शहरों में तथा राजधानी जयपुर में हजारों की संख्या में ऐसे स्थल हैं। चाहे वह धर्मशाला हो, मंदिर का स्थान हो या फिर कम्युनिटी सेंटर अथवा मैरिज गार्डन या स्कूल-कालेज आदि हो, जहां पर शादी-सगाई समारोह सम्पन्न होते हैं। ऐसे समारोहों के आयोजनों से आसपास रह रहे नागरिकों को भारी परेशानियों झेलने के लिये मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ तो वाहनों को रेलमपेल हो जाती है दूसरी ओर गंदगी और कचरे के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं जिनके निस्तारण की माकूल व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही इन समारोहों में बजने वाले तेज आवाज के संगीत से आम जन का जीना दूभर हो जाता है। इसके साथ ही इन स्थलों पर आग लगने से दुर्घटना हो जाने पर बचाव के कोई पुख्ता इंतजामात भी नहीं होते जिससे जनता की जान हमेशा सांसत में रहती है।

जयपुर शहर में विभिन्न आवासीय इलाकों में ऐसे स्थल हैं जिनके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी प्रभावित हो रही है। छोटी-छोटी सड़कों पर सैकड़ों हजारों वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े हो जाते हैं, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। आसपास की वायु इतनी प्रदूषित हो जाती है कि लोगों का दम घुटने लगता है। इसी प्रकार इन स्थलों के बाहर गंदगी व कूड़े-करकट के

ढेरों से सारा वातावरण बदबूमय हो जाता है, हर गुजरने वाले व्यक्ति को नाक बंद कर निकलने को मजबूर होना पड़ता है। इसी के साथ सबसे भयंकर समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन स्थलों पर दिन में ही नहीं अपितु देर रात तक डी.जे. सैट से तेज ध्वनि निकलती रहती है। पड़ोस में रहने वाले नागरिकों के इससे कान तक बहरे होने का खतरा बना रहता है।

अतः मैं राज्य सरकार को इस समस्या से निजात दिलाने बाबत ध्यानाकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि राज्य में एक मैरिज गार्डन्स कंट्रोल एक्ट बनाकर आम नागरिकों को रोजमर्रा में हो रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल।

लूणी में नये विद्युत उपखण्ड की स्वीकृति

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विकास एवं प्रगति की रीढ़ है। माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के प्रदेश की सत्ता सम्भालने के पश्चात् बिजली उत्पादन व वितरण व्यवस्था में सराहनीय प्रगति हुई है। चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप किसानों, उद्योगों, कल-कारखानों, घरेलू उपभोक्ताओं को बराबर समय पर आवश्यकतानुसार बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यशस्वी मुख्य मंत्रीजी व सरकार साधुवाद की पात्र है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित कर प्रदेश में बिजली के मामले मे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है जो कि प्रदेश की जनता व सरकार के लिए गौरव की बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बागडोर संभालने के बाद प्रदेश के सभी वर्गों ने राहत की सांस ली है। अपने दो वर्ष के कार्यकाल में राजे सरकार ने वास्तव में जन कल्याणकारी सरकार की छवि बनाई। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसानों व बिजली उपभोक्ताओं को दिये गये जख्मों पर मरहम लगाकर सच्चे जनसेवक के रूप में अपना परिचय दिया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज के आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता को आधारभूत सुविधाएं-सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध करवाना चुनी हुई सरकार का परम दायित्व है। इन सुविधाओं की निगरानी, रख-रखाव, प्रबन्धन करना भी सम्बन्धित विभाग का ही दायित्व बनता है। जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में विद्युत विभाग तो राम भरोसे ही चल रहा है। लगता है जैसे कोई अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत है ही नहीं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी के डिसकाम में एक ही उपखण्ड होने से रख-रखाव, आपूर्ति, कनेक्शन, हेमलेट व अन्य योजनाओं के कार्यों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकतम उपभोक्ता भार, व्यापक क्षेत्रफल, अधिकतम राजस्व बकाया, नये कनेक्शनों की अधिक मांग, हेमलेट योजनाओं की अत्यधिक मांग के आधार पर तुरन्त लूणी को दो उपखंडों में विभक्त कर देना न्यायसंगत व जनहित में अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में विभागीय अधिकारियों व माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया है। विभाग स्तर पर कार्यवाही अंतिम स्तर पर है। जनता को सुचारु बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु तुरन्त प्रभाव से लूणी में एक नया उपखण्ड बनाने की स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर जिले में विद्यालय खोले जाने का मानदण्ड

श्री उपाध्यक्ष ; पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। श्री सांगसिंह भाटी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पिछले दो साल में पूरे राजस्थान और हमारे जैसलमेर जिले को अग्रणी रखा, उसके लिए जैसलमेर जिले की जनता की तरफ से आभार और धन्यवाद। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के दिन हमारे सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में काफी पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को आप तत्काल भरें। इससे शिक्षा में बिलकुल त्रुटि हो रही है। आपने जो नार्म्स तय किए हैं कि हर एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर में

(श्री सांगसिंह भाटी)

विद्यालय खोले जाएंगे, जैसलमेर जिले की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जैसे जयपुर में आपने लागू किये वैसे ही नार्म्स जैसलमेर में लागू करना जनहित में नहीं रहेगा। मैं इस पर्ची के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले का भू-भाग नहरी क्षेत्र का है जिसमें अभी 65 हजार हमारे नए फार्म भरे हैं और नया नहरी इलाका जो आबाद होगा उसमें नए विद्यालयों की जरूरत पड़ेगी। विशेष अलाटमेण्ट और नये सिरे से जो एरिया आबाद हो रहा है उसमें भी नए विद्यालयों की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा में जैसलमेर जिला हमेशा से पिछड़ा रहा है इसलिए जो नार्म्स आपने जयपुर और उदयपुर जिलों के लिए तय किए हैं वे जैसलमेर जिले में लागू न करें। एक-एक किलोमीटर, आधा-आधा किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल खोलें और सदियों से पिछड़े हुए जिले को अग्रणी रखें, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांगसिंह जी भाटी की एक बात से तो सहमत हूं कि एक किलोमीटर का जो हमने क्राइटेरिया तय किया है, जैसलमेर और बाड़मेर में वास्तव में एक किलोमीटर से कम का हो तो खोलने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप प्रस्ताव देंगे। लेकिन पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों की संख्या 10 और 15 के बीच कम से कम हो, एक बात।

दूसरी, इन्होंने अध्यापकों की जो कमी की बात बताई है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर सरकारी तौर पर देखें तो आज राजस्थान में अध्यापकों की कमी नहीं है 1 करोड़ 14 लाख बच्चे हमारे यहां हैं और 3 लाख के करीब अध्यापक हैं, अगर उनका भाग दें तो 40 का एवरेज आता है जो राष्ट्रीय एवरेज है और एक आदर्श स्थिति है। हमारे आने के बाद में 38,602 प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों की राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्ति की गयी है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इसी प्रकार से 982 मृतक आश्रितों को डाइरेक्ट विभाग द्वारा और नियुक्ति दी गई है। लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी. का जो फर्स्ट स्टेज था, शिक्षा कर्मी जिनकी अवधि खतम हो गई थी, उनको समायोजित करने के बाद में 51,201 लोगों को हमारी सरकार आने के बाद में हमने 8,500 के स्केल में नियुक्ति दी है। यह ऐतिहासिक काम हुआ है जो राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि अध्यापकों की कमी है।

श्री उपाध्यक्ष : जगह नहीं भर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो कमी है, वह मैं बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वह कमी है सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में।

श्री लाल चन्द कटारिया : वह पैसा कहां से आया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका पैसा राजस्थान और हिन्दुस्तान के लोगों ने टैक्स दिया उसमें से आया। पैसा आया, इनकी नियुक्ति राज्य के कोष से भी हुई है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी हुई है, उसमें भारत सरकार का भी पैसा है। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार से सब प्रान्तों से ज्यादा पैसा राजस्थान को मिला है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : उससे सम्बन्धित मैं आपसे बहस नहीं करता. खाली एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं को सतत् शिक्षा केन्द्र डिक्लेयर नहीं करती तो क्या सर्व शिक्षा अभियान में 2 साल बाद थर्ड ग्रेड की पोस्टें आप ले पाते, नम्बर एक? नम्बर दो, जिन 51,000 टीचर्स की भर्ती आपने की, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद, लेकिन क्या इसमें वह नियम नहीं था कि 50 प्रतिशत फीमेल टीचर ली जाएंगी, जैण्डर इक्विटी के लिए? इन सारे प्रयासों के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेहरबानी करके आप पिछली सरकार को धन्यवाद दें कि 26,000 राजीव गांधी पाठशालाओं को जो पांचवी तक के स्कूल हैं, नहीं खोलते, टैक्निकली हमने गलती की कि फाइनेन्स लेने के लिए हमने पांच सौ रुपए में उनको सतत् शिक्षा केन्द्र डिक्लेयर किया, उसका फायदा उठाकर तीसरे साल जब आपकी सरकार आ गई, हमारी सरकार ने जाते हुए 30 हजार पोस्टें थीं, कोर्ट में स्टे आ गया, आपने प्रयास करके कोर्ट से स्टे को वेकेट कराकर यह काम किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपको यह भी अवश्य कहना चाहिए कि अशोकजी गहलोत की सरकार यदि यह काम नहीं करती तो आप इतने पदों पर आज की डेट में अपाइण्टमेण्ट नहीं कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह तो सतत् प्रक्रिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोशीजी को धन्यवाद दूंगा। यह बात ठीक है कि राजीव गांधी पाठशालाएं जो खोलीं, उनको आज क्रमोन्नत करते हैं, वह हमने भी 3-4 हजार क्रमोन्नत की हैं, उसके 3-4 हजार पद हमको मिले हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं हैं कि कोई दूसरा गलती करे तो उसका राजनीतिक फायदा अगर मैं उठा सकता हूं तो मैं जरूर उठाऊंगा। और मैंने उठाया है। इसमें क्या बात है? (व्यवधान)। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : धन्यवाद किसको देना है, अशोकजी गहलोत को दें कि आपको दें?

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो देना चाहता हूं घनश्यामजी को। आप वसुन्धराजी को देना चाहते हैं या घनश्याम जी को, जवाब दें आप? आप नहीं बोल सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, उसका कारण यह है कि उनमें से कुछ ऐसे पद हैं जिनको हम डाइरेक्ट भर्ती नहीं कर सकते। उनको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही भर्ती करना पड़ता है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को अभ्यर्थना भजी हुई है, लेकिन उसमें विलम्ब हो रहा है। इसलिए मैं आज सदन को यह सूचित करना चाहता हूं, हमने तय कर लिया है कि एक बार इमरजेन्सी प्रमोशन के रूप में राजस्थान में कार्यरत टीचर्स का जुलाई के महीने तक हण्डरेड परसेंट प्रमोशन करेंगे ताकि खाली स्थान जुलाई में भर जाएं। उसके बाद पुरानी प्रक्रिया चालू रहेगी। उसकी कमी-पूर्ति के लिए 7,222 शिक्षकों की नई भर्ती राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से कराने के लिए अभ्यर्थना एक-दो दिन में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आने वाले समय में टीचर्स की कमी राजस्थान में नहीं रहेगी और सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करेगी, इतना ही मैं आपको बता सकता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : टीचर्स की कमी है वह मेथेमेटिक्स और इंग्लिश की है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारी जो सैकण्ड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेण्ट की पालिसी है उसमें रिजर्वेशन एक इश्यू है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं

(डा. सी.पी. जोशी)

जहां 75 प्रतिशत से ज्यादा सैकण्ड ग्रेड टीचर्स का रिजर्वेशन है और कोर्ट में लोग लिटिगेशन में गए हुए हैं कि वहां इतना नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह सब्जैक्ट टीचर्स खास तौर से मैथेमेटिक्स और इंग्लिश के टीचर्स की कमी है सैकण्ड ग्रेड के, और लेक्चरर्स की। उसमें नियमों में यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो भले ही आप हमको कहें कि भर्ती करेंगे, यह करेंगे, आप सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में इन सब्जैक्ट टीचर्स को नहीं भर सकेंगे। सबसे ज्यादा सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में तकलीफ है, वह राज्य सरकार दूर करे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं. सी.पी. जोशी साहब की इस बात से सहमत हूं कि सब्जैक्ट टीचर्स की हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, अंग्रेजी, साइन्स और मैथेमेटिक्स, इसलिए हमने तय किया है कि हमारे जो कार्यरत अध्यापक हैं उनका हम प्रमोशन करेंगे और सब्जैक्टवाइज करेंगे। उन सब्जैक्ट के जितने टीचर अवेलेबल हैं, इमरजेन्सी प्रमोशन नियमों में संशोधन करके हम करेंगे और एक बार हण्डरेड परसेंट फुलफिल करेंगे।

इसी प्रकार से दूसरा हमने तय किया है कि फिर भी यदि कहीं कोई कमी रहेगी तो अभी जो 38000 लोगों की भर्ती की थी उसमें नेट पास, स्लेट पास. एम.एससी, बी.एससी., किये हुए लड़के थर्ड ग्रेड में लगे हैं उनको हम विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत जब तक नयी भर्ती नहीं होती तब तक सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में उनको लगाएंगे। जुलाई से स्कूल खुलने पर हम ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि इस बार सारे स्थानान्तरण, स्कूल खोलने का काम और जो भी काम हैं वे जुलाई से पहले पूरे हो जाएं और एक जुलाई से किसी भी प्रकार से शैक्षणिक व्यवस्था में दिक्कत नहीं हो। इसके लिए निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरा प्रयत्न करेंगे, यहीं मैं आपसे कह सकता हूं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ गया, पूरा आ गया।

श्री सांगसिंह भाटी : मंत्री महोदय, स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसलमेर जिले में पहले सरकार की रोक लगायी हुई थी कि शिक्षा विभाग में जैसलमेर जिले से स्थानान्तरण नहीं करेंगे, लेकिन रोक के बावजूद भी मेरे जैसलमेर जिले से स्थानान्तरण हुए हैं

(श्री सांगसिंह भाटी)

और पद खाली हैं। अगर स्थानान्तरण होने लगे तो सारी स्कूलें खाली हो जाएंगी, सारे अध्यापक बाहर के हैं, जैसलमेर जिले के नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आठ जिलों में प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। उन जिलों से किसी प्रकार का स्थानान्तरण नहीं हुआ है। 46 ऐसे लोग थे जो मैरिट के आधार पर दूसरे जिलों में आये थे, लेकिन मैरिट गलत होने के कारण से उन दूसरे जिलों में चले गये। वे लड़किया थीं। उनका मैरिट का संशोधन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस नियम में राजसमन्द जिले को भी जोड़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : जब शिक्षा पर चर्चा होगी तब कह देना। शिक्षा पर चर्चा होगी बजट के टाइम में, उस वक्त कर लेंगे। श्री धर्मपाल चौधरी। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : आपने तृतीय सत्र में आश्वासन दिया था, क्या मंत्री महोदय आश्वासन देना चाहेंगे कि गये सत्र में नहीं हुए वो इस सत्र में खोलेंगे?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : जैसा आपने कांग्रेस के राज में किया था वैसा आपके साथ में हो रहा है और ऐसा ही होगा। पहले आपने किया था, इधर बैठे थे। हमारे साथ जो किया था वह आपके साथ हो रहा है, चिन्ता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

बानसूर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पन्न दहशत का वातावरण

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बानसूर में हो रहे अतिक्रमण के माध्यम से जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। बानसूर में सन् 1957 में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सड़क बनी, ग्रामीण सड़क थी, उसके बाद में पूरा कस्बा बस गया। कस्बा बसने के बाद में अब अतिक्रमण के नाम पर वहां पर 150 खोखे वालों को उजाड़ दिया गया। आज तक उन लोगों को सड़क का मुआवजा नहीं मिला। गांव वालों को पता नहीं कब ग्रामीण सड़क स्टेट हाइवे के रूप में क्रमोन्न्त हुई। उसका मुआवजा किसी को दिया नहीं। एक तरफ हमारा लोक कल्याणकारी सरकार यहां पर जो बांग्लादेशी हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं, गांव में रहने वाले गरीब आदमी को बसाने की बात करती है और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी अपना रोजगार कर रहे थे उन 150 लोगों को वहां से उजाड़ दिया। उसके बाद में जिस तरीके का वातावरण वहां पर बना रखा है, लगभग 450 दुकानें तो बानसूर में टूटेंगी। उसके बाद 13-15 गांवों में, जिन गांवों में वह सड़क गुजरती है, वहां पर कितने ही लोग बेघर हो जाएंगे, कितने ही गरीब लोगों का रोजगार खतम हो जाएगा।

वहां पर ऐसे अधिकारी हैं जिनका सरकार द्वारा ट्रांसफर तो कर दिया गया, वे अधिकारी जहां-जहां भी रहे चाहे सोहेला काण्ड में रहे, सोहेला काण्ड में उनको 302 में मुलजिम बनाया गया। उससे पहले वे कुम्हेर में रहे, उससे पहले बहरोड़ में रहे, जहां भी उनका कार्यकाल रहा उन्होंने इसी तरह से काम किया। अब यहां पर पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब भी हैं, उनसे भी हमने चर्चा करके कहा कि कब आपने यह सड़क बनायी, सड़क बनाकर कब इसको आपने ओ.डी.आर. से एम.डी.आर. में किया और एम.डी.आर. से स्टेट हाइवे में कब किया, आपने लोगों को मुआवजा दिया या नहीं दिया, इन सारी बातों पर जब सरकार की तरफ से जवाब आए, आगे आश्वासन मिले सरकार की तरफ से कि वहां पर जो लोग अपना व्यापार कर रहे थे, जो अपना छोटा-मोटा काम कर रहे थे उन लोगों पर वापस वहां पर कहीं जगह दी जाएगी। दूसरा वहां पर जो दहशत का वातावरण उन गांवों में हैं उस वातावरण में माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर यह बताएंगे कि इनके द्वारा उसमें क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? आज भी वहां लोगों में इतना बड़ा दहशत का वातावरण है कि 80 फीट तक हम सड़क को चौड़ा करेंगे। कई-कई जगह तो 40 फीट सड़क भी नहीं है। अब 80 फीट सड़क बनाने में कहीं हास्पिटल की दीवार टूट रही है, कहीं स्कूल टूटेंगे, अलग जगह पर जो सार्वजनिक स्थान हैं वे भी टूटेंगे। वहां पर मंदिर को भी तोड़ दिया।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मैं ग्रामीण विकास मंत्रीजी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में एस.डी.एम. को कोई अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत में 91 के नोटिस जबर्दस्ती दिये गये। वहां पर सरपंच एक महिला है उसको एस.डी.एम. द्वारा बार-बार धमकाया गया और ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई। गांव के अन्दर सारी कार्यवाही सरपंच करता है, उसमें सरपंच ही नोटिस देता है और उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं होती तब वह एस.डी.एम. को लिखकर देता है। आप दोनों मंत्री यहां पर विराजमान हैं, जिन 150 लोगों को बेघर किया है उन लोगों को वहां पर कोई छोटी-मोटी गुमटी बनाने की जगह मिले जिससे उनको वहां पर व्यवसाय करने का मौका मिले और ऐसा वातावरण नहीं हो। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब यहां पर अपना आश्वासन देंगे जिससे कि वहां पर शांति बनी रहे और जो लोग बेघर हुए हैं उनको भी कोई न कोई जगह मिले, मेरा आपसे यही 'निवेदन है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे इलाके में अगर मंदिर का कोई रास्ता चलता जानवर भी तोड़ जाए तो आप हंगामा कर देते हैं और सरकार से जुड़े हुए संगठन आंदोलन और वातावरण खराब कर देते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सड़क को चौड़ा करने के नाम पर अतिक्रमण हटाने की चर्चा की है वो स्टेट हाइवे नम्बर 52 है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आनन्दपुर से चालू होकर थानागाजी तक जाता है और यह सड़क 13 कस्बों तक जाती हैं। यह सही है कि सड़क जब प्रारम्भ में बनी थी उस समय यह विलेज रोड़ थी और उसके बाद धीरे-धीरे क्रमोन्नत होकर स्टेट हाइवे बना है। स्टेट हाइवे के नार्म्स के अनुसार 80 फीट रोड होनी चाहिए, पर यह भी सही है वर्तमान में जिन 13 कस्बों से यह गुजर रही हैं वहां कहीं 40 फीट भी है, कहीं 50 फीट भी है, कहीं 55 फीट भी है। 80 फीट अगर हम सड़क को चौड़ी करते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं तो इसमें पहले जो अभियान चलाया गया था तब लगभग 47 छोटी-मोटी दुकानें तोड़ी गई थीं और वर्तमान में 103 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस जारी करने का अधिकार लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में तहसीलदार को भी है, ग्राम पंचायत को भी है। इसके तहत जो नोटिस दिये गये, जब यह बात ध्यान में आयी कि यह सड़क पीछे से कम चौड़ी है और एक कस्बे में आते हुए इसको चौड़ा करने के नाम पर कुछ लोगों को विस्थापित किया जा रहा है तो मैंने वह सारी पत्रावली मंगायी है, और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सड़क की चौड़ाई बराबर-बराबर सब जगह से रहे, निश्चित तौर पर पूरी चीज देखकर फिर इस अभियान को आगे चलाने की आवश्यकता पड़े तो आगे चलाएंगे वर्ना इस अभियान को रोकने की आवश्यकता पड़ी तो रोकेंगे। इसमें निश्चित तौर पर बाईपास पूर्व में बना हुआ है, बानसूर से अलवर सड़क को जोड़ने वाला बाइपास पहले से बना हुआ है, इसलिए नये बाईपास की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कितने लोगों को नोटिस दिया गया, इसमें भी शक नहीं है इसमें 4-5 विद्यालय जो बीच में आते हैं अगर हम 80 फीट पर करते हैं तो फिर हरसौरा, बानसूर, नारायणपुर और गूताशाहपुर इन चार में विद्यालयों के भवनों को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि यह सारी बात ध्यान में रखते हुए पत्रावली मंगाकर अध्ययन करके, और आपसे भी चर्चा कर लेंगे, बानसूर के माननीय सदस्य से भी चर्चा कर लेंगे और सर्वमान्य हल ऐसा निकले कि सड़क में अतिक्रमण भी हट जाए और लोगों का ज्यादा नुकसान भी नहीं हो, लोगों की दुकानें भी नहीं टूटें।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें आया है। पंचायती राज का मामला था और आपने मांग की थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए थोड़ा।

श्री कालूलाल गुर्जर : बोलना जरूरी है, उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि हमारे यहां पर सरपंच को धमकाया गया और उसके साथ में बदतमीजी की गई है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य उस सरपंच से मुझे लिखाकर दें, जिसने भी ऐसा किया होगा, हम भी हमारे विभाग से कार्यवाही कराएंगे।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके निर्वाचन क्षेत्र में कहां-कहां अतिक्रमण हटाना है, जरा बोल दो, वह भी हटा देंगे। 103 दुकानें टूटी हैं वहां बानसूर में।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई आपकी बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कुछ मुआवजा पाने के भी अधिकारी हैं, अगर हैं, किसी की घर की जमीन है और टाइटल है और उनको मुआवजा देने के लिए भी...

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पहले अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1988 में मुआवजा तय किया गया था, 1993 में अवार्ड जारी करके जिनकी जमीन थी उनका मुआवजा वितरित भी किया गया था। परन्तु मुआवजे की राशि उस समय लोगों ने ली नहीं थी प्रोटेस्ट के रूप में। मैं दुबारा दिखवाकर दुबारा करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पीछे मंतव्य यह नहीं है कि अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते, पर अतिक्रमण हटने से पहले एक बार हम सब लोगों से बैठकर चर्चा करना चाहते हैं। सड़क अगर पीछे 50 फीट है और एक कस्बे में हम 80 फीट कर देंगे उसका लाभ नहीं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अगर सड़क को 80 फीट करना है तो फिर सब जगह ही 80 फीट करेंगे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसको पूरी चीज को देखकर और सबको चर्चा करके अतिक्रमण रोकने की कोई मंशा नहीं है, किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा नहीं है। सी.पी. साहब शायद एप्रिशिएट करें, 103 दुकानें टूट रही हैं, 47 पहले दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं, अगर इसमें इस तरह टूटी...

श्री उपाध्यक्ष : बस आ गया, धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं साहब, इन्होंने जो कहा है यह अलवर के रहने वाले हैं नहीं, मैं सबसे पहले जिला परिषद का...

श्री उपाध्यक्ष : अब छोड़ो उनकी बात।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, नहीं, साहब, एक मिनट जो उन्होंने बीच में कहा। आप सुनें, साहब, उनकी बात से नहीं है, उनकी बगल में बैठे वह माननीय विधायक तो आए नहीं हैं।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान में नहीं हैं, आपको राजस्थान बानसूर का नहीं पता।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : कहां धरना लगा था, आपको नहीं पता।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, जो आप बिलकुल कह रहे हो, असत्य बात करने लग रहे हो और आपके जो साथी विधायक वहां बैठे हैं... (व्यवधान) एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही है ये मिलकर...

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने जो बात कही है वह रिकार्ड पर नहीं गयी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : रिकार्ड पर मत आओ चाहे। हमको रिकार्ड पर नहीं लेना। आज जो बात इन्होंने कह दी वह तो रिकार्ड पर आपके माध्यम से

जाये कि इन्होंने मिलीभगत करके. आज अगर पूरे राजस्थान का सर्वे करा लिया जाए, इनकी विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाए, आज यहां पर फैसला हो जाए कि राजस्थान में सड़कों पर कितना अतिक्रमण है....

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : ये माननीय सदस्य आज सोनियाजी को खुश करने के लिए यहां से समाचार भेजने के लिए बार-बार उठ उठकर बोलने लगे।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नथिंग, नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर, नथिंग, शून्यकाल है। नाम पुकार लिया।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सब चलेगा। शून्यकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : मेरा नाम पुकार दिया, रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामनारायण मीणा : मेरा अर्ज करना यह है, माननीय सदस्य ने कहा कि आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है उसके बाद भी आप बोलने की इजाजत उनको दे रहे हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको यह कहा था कि इधर से जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब कौन श्री पूछकर बोल रहे हो? एक्शन ले रहे हो, आपके पास एक्शन हो तो सबको बाहर निकाल दो। वह पूछ कर बोल रहे थे।

श्री रामनारायण मीणा : यह तो सत्ता पक्ष के लोग माघ के महीने में ऊंट के यहां फूटता है ना, इतने मदांध हो रहे हैं ये?

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो ?

श्री रामनारायण मीणा : और हमको विश्वास है चेयर के ऊपर।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तो सब बोलने का अधिकार है और दूसरा बोले तो आपको तकलीफ होती है।

श्री रामनारायण मीणा : इनको कब्जे में करो, मदांध हो रहे हैं ये तो।

श्री धर्मपाल चौधरी : अपने आप को संभालो, अपने +++ को संभालो।

श्री रामनारायण मीणा : केसर कस्तूरी नहीं पी है, केसर कस्तूरी का मद आपको दिया जाए इसलिए कृपा करके बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : सुन्न में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, सुन्न ही हो तब काहे का पाइंट आफ आर्डर होता है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ हकीकत आपके सामने रखूंगा हकीकत से मत डरो, भाई।

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो हकीकत ही रखी जाती है

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : अब ये हकीकत के नाम से डर रहे हैं तो मैं क्या करूं? हकीकत को सत्य बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में हकीकत ही रखी जाती है।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों का जालौर की बजाय सुमेरपुर मण्डी से जुड़ाव

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : जी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 136 गांव हैं, लगभग सभी एक फसली गांव है और ऐसे 22 गांव जो पाली जिले से जुड़े हुए हैं, नजदीक में हैं. पहली बार 8 वर्षों के बाद वहां जवाई बांध से सिंचाई की गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जो 23-23 गांव हैं जो सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी के 25 किलोमीटर के रेडियस के अन्दर आए हुए हैं, उन गांवों की कृषि उपज का 90 प्रतिशत माल बिकने को सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी में जाता है बाकी मेरे आहोर तहसील में कोई मण्डी है नहीं। उन गांवों को जब कि माल सुमेरपुर कृषि मण्डी में जाता है, सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़ दिया जाए जिससे वहां पर हुई आय का कुछ फायदा मेरे किसानो को भी मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। यह बहुत मौलिक विषय है। पूर्व सरकारों ने बिलकुल नजरअंदाज ही नहीं किया, वहां की जनता के साथ अन्याय किया है, उस अन्याय की भरपाई के लिए मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से निवेदन यही कहना चाहता हूं कि मेरे इन 22-23 गांवों को पूरा न्याय मिले और सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी से इन्हें जोड़ा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कौन सी मंडी से जुड़े हुए हैं?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : अभी वे जालौर से हैं जो 50 किलोमीटर की दूरी पर है; 90 प्रतिशत माल सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी में जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : वहां कोई रूकावट थोड़े ही है जाने में?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य यह विषय ध्यान में लाये हैं, कृषि उपज मण्डी जालौर में इनके विधान सभा क्षेत्र के 20 गांव लगे हुए हैं और आपने चाहा कि ये सिरोही में शामिल किये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : जिला भी जालौर ही है।

श्री प्रभुलाल सैनी : सारे प्रकरण का परीक्षण कराया जाएगा। जब यह जालौर की मण्डी बनी, यह 1997 में बनी और उसके बाद से सीमाओं का

(श्री प्रभुलाल सैनी)

निर्धारण किया गया। सीमाओं का पुनर्निधारण करने के लिए सारे विषय का परीक्षण कराके किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यदि विधि सम्मत हुआ तो समुचित कार्यवाही करके किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : शिवगंज के गांवों को सुमेरपुर मण्डी से जोड़ा गया क्योकि सुमेरपुर मण्डी में उसका माल जाता है, जबकि मेरे आहोर में मण्डी नहीं है, उन गांवों को जोड़ने की मैं सिफारिश करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : शिवगंज ही नहीं सिरोही भी जोड़ा जाए, तीनों तहसीलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : ये दो साल निकल गये, पहले अन्याय के निकल गये, दो साल आपके निकल गये, उनके साथ अन्याय करते रहेगो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा ।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो घोषणा करो, जोड़ देंगे मंत्रीजी, किसानो का भला हो जाएगा।

बारां जिले में ट्यूबवैल व हैण्डपम्प खोदने में अनियमितता

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्रीजी को बारां जिले में जितने हैण्डपम्प लगे हैं उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। वैसे तो मंत्रीजी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में एक हजार करीबन हैण्डपम्प बारां जिले में लगाये हैं और बारां जिले की बहुत सारी पेयजल योजनाएं भी मंजूर की हैं, परन्तु मैं कुछ तकलीफ भी, मंत्रीजी, आपके सामने रखूंगा। जो मेरे इलाके में हैण्डपम्प लगे हैं, वे हैण्डपम्प आपने मंजूर तो किये, उनको लगना था 90 मीटर का लेकिन हैण्डपम्प पूरे खुदाई नहीं हुए।

(14.00 बजे)

कम खुदाई होने से वे सब हैण्ड पम्प ड्राई हो गये। इसकी जांच भी मैंने तहसीलदार के द्वारा करवाई, अधिशासी अधिकारी के द्वारा भी जांच कराई और

(श्री हेमराज मीणा)

जांच में भी यह तथ्य साबित हुआ है कि हैण्डपम्प का जितना भुगतान उठा है उतने हैण्डपम्प नहीं खुदे। उसके बाद भी, वहां नीचे के छोटे कर्मचारी थे वे उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि कुछ ट्यूबवैल्स छबड़ा और छीपाबड़ौद में भी लगे हैं, वो सामान्य ट्यूबवैल थे लेकिन वहां के अधिकारियों ने बहाया बनाया कि यहां पर सामान्य ट्यूबवैल सफल नहीं है तो उन्होंने एक टेलिस्कोपिक बोर का भुगतान किया और डेढ-दो गुना भुगतान उठाया। देखा गया, जब जांच हुई तो पाया गया कि वास्तव में सामान्य बोर ही वहां पर लगे हैं। तो यह भी बहुत बड़ी लापरवाही और अनियमितता हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में मैं यह बात भी लाया, माननीय मंत्रीजी, सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस मामले में बहुत गंभीर रहीं, उन्होंने उस एक्स.ईएन. के खिलाफ तगड़ी कार्यवाही की। विजिलेंस भी यहां से भेजी और एक्स.ईएन. के खिलाफ कार्यवाही हुई, उस एक्स. ईएन. को वहां से हटाया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उसमें अकेला एक्स.ईएन. दोषी नहीं है। उसके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है वह पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही हो। नीचे के अधिकारी भी उसमें बहुत शामिल हुए हैं उसमें जे.ईएन. भी शामिल है, ए.ईएन. भी शामिल है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प लगाने वाला कांट्रेक्टर था वो भी उसमें मिला हुआ है, तभी वह भुगतान उठा, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पेयजल का इस समय सारे जिले में बहुत क्राइसिस है। सरकार की ओर से माननीय मंत्रीजी ने केवल एक-एक गाड़ी वहां पर लगा रखी है। आज सारे हैण्डपम्प मृत पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि कई हैण्ड पम्प नये लगे हैं लेकिन वो हैण्डपम्प ड्राई हो गये। ड्राई होने के बाद भी वहां के अधिकारियों के द्वारा ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ड्राई हैण्ड पम्प का भुगतान नहीं किया जाता है जब तक उसमें पानी नहीं होगा। लेकिन ड्राई हैण्डपम्प का भुगतान हुआ। जो ड्राई ट्यूबवैल थे उनका भी भुगतान हुआ। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना

(श्री हेमराज मीणा)

चाहूंगा कि आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें और जो प्रकरण जांच का विचाराधीन है उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, कौन-कौन ठेकेदार दोषी है, उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करें। उन ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आज इस बात को उठाया उसके पहले मेरे से मिले और लिखित में भी आपने इस सम्बन्ध में शिकायत मुझे दी हैं। मैंने आपको आश्वस्त किया है कि इसकी जांच करवा देंगे, जांच चल रही है। आपने 2-3 बिन्दु उठाये हैं कि एक तो हैण्डपम्प कम गहराई पर खोदे गये हैं, तो अमूमन लगभग शिकायत रहती है क्योंकि हैण्ड पम्प खुदने और लगाने के बाद हमारे विभाग के अधिकारियों के अलावा कोई इंडिविजुअल जाकर देखता नहीं है। अब वे ठेकेदार से मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, या आपकी शिकायत बिलकुल दुरूस्त है या नहीं है, यह पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर जो आप कह रहे हैं वह ठीक है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जो कार्यवाही नियम कानून से होनी चाहिए, वह चाहे नीचे का अधिकारी हो चाहे अधिशाषी अधिकारी हो, सबके विरूद्ध हम करेंगे। अब ठेकेदार की गलती है, निश्चित रूप से खोदना चाहिए। उसने अगर नहीं खोदा है तो उससे गलती जो हमारे अधिकारी नाप-जोख करने के लिए, एम.बी. भरने के लिए हैं, वो भी दोषी ज्यादा हैं। ठेकेदार के खिलाफ भी हम उसकी रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि क्या कार्यवाही हो सकती है।

बाकी पानी की समस्या का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्य सब चिंता करते हैं। पीने के पानी और खेती-बाड़ी के पानी के जिस तरीके के हालात राजस्थान और देश में हो रहे हैं, बरसात कम हो रही है, लगातार अण्डर ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है, सरफेस वाटर कम है, देश का 10 प्रतिशत एरिया है और 1.16 प्रतिशत सरफेस वाटर है, तो यह आपकी चिंता वाजिब है। पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि दो साल के अन्दर पीने के पानी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है इससे विशेष कोई असामान्य परिस्थिति पैदा नहीं हुई है, लोगों को पीने का पानी हमने मुहैया कराया है। जहां तक हैण्डपम्प मरम्मत का सवाल है, हमने दो गाडियों के आर्डर कर दिये हैं। अगर आपके नहीं लगी है तो हम फटाफट लगवा देंगे। यह भी पूरे राजस्थान के लिए लगाई है। आप क्यों खड़े हो रहे हो,

(श्री सांवर लाल)

आपके भी लग जाएगी पंचायत समिति में। हर जगह पंचायत समिति में 2-2 गाडियों की व्यवस्था हमने की है। अगर कहीं ऐसा क्रिटिकल एरिया है, पहाड़ी एरिया है जहां आने-जाने में ज्यादा टाइम लगता है, अब हैण्डपम्प ड्राई होना, यह स्वाभाविक है। मैंने कहा कि दोहन ज्यादा हो रहा है, रिचार्ज कम हो रहा है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जल अभियान शुरू किया है उसमें सारे माननीय सदस्य जो सदन के हैं उन सब से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपन जहां पर भी जाएं, कम से कम अपना सहयोग दें जिससे राजस्थान में आने वाले समय में जल का संकट नहीं हो। अब ड्राई हैण्ड पम्प के भुगतान का जो निर्णय है, यह हमारी नीति निर्धारण समिति में हुआ है, उसकी पालना हम कर रहे हैं। पालना इसलिए कर रहे हैं कि कई जगह ऊंचा खोदकर के वो पैसा ले लें, इसलिए रखा है। बाकी जहां तक मेरा जो व्यक्तिगत मत है इसमें ड्राई रहना या नहीं रहना अगर पूरी गहराई तक खोदे तो किसी ठेकेदार की गलती नहीं है, हमारा हाइड्रोजियोलाजिस्ट पाइंट देता है उसके बाद में ठेकेदार पाइण्ट्स बनाता है चाहे हैण्डपम्प का हो चाहे ट्यूबवैल का हो। पर चूंकि फैसला पहले का है इसलिए हम उस फैसले के हिसाब से चल रहे हैं। अगर उसमें कहीं पर आपको यह शिकायत है तो हम उसकी जांच कराएंगे। जो आपने आज सदन में उठाया है इसी की प्रोसीडिंग लेकर के उसके आधार पर जांच करा देंगे, आपसे अलग से लिखित में लेने की आश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्री युनूस खान (श्री घनश्याम तिवाड़ी के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (18) शिक्षा-4/2004 दिनांक 7.6.2005 जिसके द्वारा राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय नियम, 2005 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्य एफ.8(21) पी.डब्ल्यू./2004/ पार्ट-1 दिनांक 3.9.2005 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी आफ राजस्थान के साथ कतिपय सड़कों के विकास के लिए करार किया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर, पंचायती राज मंत्री दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

पंचायती राज विभाग

श्री कालू लाल गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

I. अधिसूचना संख्या-एफ.4(5)स्था.स.चु./पंरावि/विधि/2001/1045 दिनांक 5.4.2005 जिसके द्वारा पंचायती राज (स्थायी समिति गठन) नियम, 2000 में संशोधन किया गया है।

II. अधिसूचनासंख्या-एफ.37(6)पीआरडी/एडीएम-2/क्लास-I V /प्रोम/न/03/ 2031 दिनांक 20.7.2005 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्न 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

I अधिसूचना संख्या-एफ.6(7)राज-6/95/21 दिनांक 29.9.2005 जिसके

(श्री रामनारायण डूडी)

द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ए. श्रीनिवासन को उनके क्षेत्र अधिकार के भीतर सहायक कलक्टर नियुक्त किया गया है।

II अधिसूचना संख्या-एफ.16(1)राज-6/04/22 दिनांक 1.10.2005 जिसके द्वारा श्री पूनमचन्द शर्मा को जिला बीकानेर हेतु भू-आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

III अधिसूचना संख्या-एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–प.6(12)राज-6/99/30 दिनांक 18.9.1999 को अतिष्ठित करते हुए अनाधिमुक्त सरकारी भूमि के आबंटन हेतु निबंधन और शर्तें जारी की गई हैं।

IV अधिसूचना संख्या-एफ.9(21)राज-6/05/24 दिनांक 20.10.2005 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (पापर खार तथा सब्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

V अधिसूचना संख्या-एफ.6(14)राज-6/95/25 दिनांक 21.10.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.6(14)राज-6/95/9 दिनांक 28.4.2004 में संशोधन किया गया है।

VI अधिसूचना संख्या-एफ.14(1)राज-6/2005/26 दिनांक 9.11.2005 जिसके द्वारा सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु नियमों के अधीन जिला कलक्टर दिनांक 31.3.2006 तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर भूमि आबंटन कर सकेंगे।

VII अधिसूचना संख्या-एफ.6(9)राज-6/96/पार्ट/10 दिनांक 6.1.2006 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों को राजकीय भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में लिये जाने वाली दर का निर्धारण किया गया है।

VIII अधिसूचना संख्या-एफ.15(5)राज-6/94/22 दिनांक 20.1.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पास बुक (कृषि जोत अधिनियम) 1994 को अजमेर जिले की तहसील नसीराबाद में लागू करने के लिए दिनांक 1.4.2006 की तिथि नियत की गई है।

IX अधिसूचना संख्या-एफ.16(1)राज-6/04/23 दिनांक 27.1.2006 जिसके

(श्री रामनारायण डूडी)

द्वारा श्री अर्जुनराम पुरोहित, पूर्व सरपंच को जिला सिरोही हेतु भू-आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

X अधिसूचना संख्या–एफ.2(4)राज-6/2001/25 दिनांक 10.2.2006 जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव आंकल जिला जैसलमेर की ग्रामदानी भूमि पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को विंड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है।

XI अधिसूचना संख्या-एफ.11(1)राज-6/04/26 दिनांक 17.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानीसिंह राजावत, संसदीय सचिव दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

निर्वाचन विभाग

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या-प.2(1)/(1)रोल/निर्वा/2005/3165 दिनांक 8 अगस्त, 2005 एवं अधिसूचना संख्या-प.2(1)(1)रोल/निर्वा/2004/172 दिनांक 25.1.2006 जिसके द्वारा भारत परिसीमन आयोग की लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के सदस्यों की विमत टिप्पण तथा लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री नरपतसिंह राजवी, उद्योग मंत्री, सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-05

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री युनूस खान, यातायात मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल के पांच वार्षिक लेखे एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल वार्षिक लेखे (1996-97 से 2000-2001) व वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 40(7) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 1996-

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 एवं जल अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए(13) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) (श्री वीरेन्द्र मीणा के स्थान पर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्र आहूत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिये

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह जो प्रतिवेदन रख रहे हैं, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर डिबेट का उल्लेख किया गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की धारा 174 का हैडिंग है 'Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution', 175 का है 'Right of Gov-

(डा. सी.पी. जोशी)

ernor to address and send messages to the House or Houses' और 176 का है 'Special Address by the Governor'. उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा को जो आहूत किया गया है, वह माननीय चौधरी साहब जो हमारे सचिव महोदय हैं, गवर्नर साहब के एड्रेस में 174 का उन्होंने उल्लेख किया है कि 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रतिभा पाटील, राज्यपाल राजस्थान एतद्द्वारा 12वीं राजस्थान विधान सभा का पंचम् अधिवेशन मंगलवार दिनांक 28 फरवरी, 2006 को 11.00 बजे पूर्वान्ह राजस्थान विधान सभा भवन ज्योति नगर जयपुर में आहूत करती हूं।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 174 में आहूत किया गया है और 175 में नहीं किया गया है। यह हमारी परम्परा रही है कि हम परम्पराओं के शैल्टर में रहकर बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बुलेटिन संख्या-2 में विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में जानकारी दी। उसमें उल्लेख है कि 12वीं विधान सभा का पंचम् सत्र होगा, उसमें विधान सभा के समक्ष महाहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। उसमें न आर्टिकल 174 मेंशन है, न 175 मेंशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 174 आर्टिकल में सैशन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई है कि छह महीने के अन्दर सैशन होना चाहिए, यह अधिकार गवर्नर साहब का है। 175 में स्पेसिफिक हैडिंग दिया गया है कि गवर्नर साहब को राइट किया है एड्रेस करने का और 176 में यह कहा गया है कि स्पेशल सैशन गवर्नर साहब बुला सकते हैं। इसका मतलब गवर्नर की पावर को 174 में डिफाइन किया गया है। 175 में स्पेसिफिक किया गया है कि 175 में गवर्नर साहब हाउस को बुला सकते हैं। और 176 में यह कहा गया है कि स्पेशल परपज के लिए भी गवर्नर साहब बुला सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर की जो किताब है पार्लियामेंट प्रैक्टिसेज एण्ड प्रोसीजर आप पार्लियामेंट, उसमें यह लिखा है 'In the States it is the Governor who delivers the Address to the State Legislature informing it "of the causes of its summons" . "My contention is, इसमें काजेज आफ सम्मन्स का कहीं उल्लेख नहीं है। यह आगे लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि "Being a statement of policy of the Government, the Address is drafted by the Government: it is not the President but the Government who are responsible for the contents of the Address." उपाध्यक्ष महोदय, सदन आहूत करने

(डा. सी.पी. जोशी)

की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें काजेज आफ सम्मन्स नही है। 174 के अन्तर्गत क्यों बुलाया, 175 के अन्तर्गत क्यों नहीं बुलाया? 175 के अन्तर्गत बुलाएं तो इसमें काजेज आफ सम्मन्स लिखा जाना चाहिए था कि यह सदन जो बुलाया गया है इसमें काजेज आफ सम्मन्स ये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 174 में लिखा हुआ है कि छह महीने में एक बार सदन होगा, और यह 175 में आपको बाइंड किया हुआ है कि आपको काजेज आफ सम्मन्स लिखने पड़ेंगे कि आपने इस सत्र को क्यों बुलाया, सत्र का क्या उद्देश्य है। नया सत्र है तो बजट पास कर रहे हैं, आपकी क्या पालिसेज हैं, इसका कहीं न कहीं आपको इसमें बुलाने के सम्बन्ध में उल्लेख करने की आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं नहीं समझता महोदय कि प्रैक्टिस के आधार पर परम्पराओं के आधार पर संविधान की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का हम पालन नहीं करें।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हमने परम्पराओं के आधार पर संविधान में उल्लेखित जो हमारे एक्त में प्रोविजन हैं, उनका यदि हमने पालन नहीं किया तो जो डिबेट कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह असंवैधानिक डिबेट होगी, संवैधानिक डिबेट नहीं होगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विनम्र शब्दों में करना चाहता हूं, आप खुद वकील हैं, आप लर्नेड वकील हैं, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बता दें कि 174 के अन्दर ही यदि गर्वनर को बुलाना था और गवर्नर को बुलाकर ही एड्रेस करना था तो 175 क्लाज की संवैधानिक जरूरत ही नहीं थी। 176 की भी जरूरत नहीं थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 176 को आप देखें, 176 में स्पेशल मेंशन कर रखा है, "Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion..." मतलब स्पेशल सैशन बुलाने के सम्बन्ध में गवर्नर जब एड्रेस करेंगे तो उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे अन्यथा हमारी पार्लियामेन्ट प्रैक्टिस की जो बुक्स हैं, उसके आधार पर गवर्नर होंगे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 174 के अन्तर्गत माननीय गवर्नर साहब ने खाली यह कहा है कि यह उनका अधिकार है कि छह महीने में सैशन बुलाना चाहिए, बिलकुल ठीक है। पर 175 बाउंड करता है आपको कि गवर्नर साहब जो एड्रेस करेंगे उस एड्रेस को सरकार उनको जो लिखकर भेजती है,

(डा. सी.पी. जोशी)

उसमें कंटेन्ट्स क्या हैं, काज आफ सम्मन क्या है, आप नया सैशन बुलाना चाहते हैं, बजट पर डिस्कस करना है, यह आपको काजेज आप सम्मन्स में मेंशन करना चाहिए। पार्लियामेंट प्रैक्टिस में उसको कोट किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पेज नम्बर 197, इसमें क्लियिरली मेंशन किया हुआ हैं, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं "In the State it is the Governor who delivers the Address to the State Legislature informing it "of the causes of its summons". '' आगे लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह जो बुलेटिन में लिख रखा है, "Therefore, after the Address, a separate paragraph giving details of the government business expected to be taken during the session... published in the Bulletin..." यह *एक्सपेक्टेड टू बी टेकन* आपने लिखा है, इसमें मुझे बता दें, आप बुलेटिन-2 को उठाकर देख लें, न इसमें 175 का उल्लेख है, न 174 का उल्लेख है। उपाध्यक्ष महोदय, हम परम्पराओं के आधार पर यदि संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं तो यह हमारा सबका धर्म बनता है, कानून बनाने वाले यदि कानून की पालना नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया परम्पराओं के आधार पर सदन को चलाने की बनिस्पत संवैधानिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सदन चलाए। इस सदन को आप आप साइने डाई बन्द करिये और 175 के अन्दर दुबारा गवर्नर साहब काज आफ सम्मन लिखें, उसके बाद सदन को आहूत करें। तब यह जो हमारा सदन है वह संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएगा, अन्यथा यह गैर संवैधानिक काम करके हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिबेट करवा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान का खुला उल्लंघन होगा। मैं समझता हूं कि संविधान के प्रति निष्ठा ली है, इस सरकार ने ली है, संविधान के प्रति मंत्रियों ने निष्ठा ली हैं, संविधान के प्रति हम सबने निष्ठा ली है इस हाउस के अन्दर, तो हमारा ज्यादा धर्म बन जाता है कि जनता के जो इग्नोरेंट आदमी हैं, जो कानून नहीं जानते हैं, उनको यह मैसेज हो कि राजस्थान विधान सभा जो सबसे बड़ी, सर्वोच्च संस्था है, यह संविधान का पालन करती है। पालन करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 174 को दुबारा देख लें, 175 को दुबारा देख लें। यदि इसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता हो तो

(डा. सी.पी. जोशी)

इसमें कोई हठी नहीं होती है। सरकार को सदन को साइने डाई करके 175 के अनतर्गत काजेज आफ सम्मन्स के आधार पर हमें इन्फोर्म करना चाहिए कि हमको इस सदन में इस परपज के लिए बुलाया गया है। आप केवल मात्र यह कहकर शैल्टर नहीं कर सकते कि छह महीने में हमको सदन सदन बुलाना था, वह तो छह महीने का मेण्डेटरी है। यह तो गवर्नर ने अपने रोल का काम किया है, वह तो सरकार को इन्फार्म किया है कि छह महीने में सदन बुलाया जाए। लेकिन किस लिए बुलाया है सदन, इसके लिए कालेज आफ सम्मन्स का उल्लेख करना जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामेंट प्रैक्टिस का सिस्टम रहा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप इसमें यह व्यवस्था दें। जो डिबेट हम प्रारम्भ करना चाह रहे हैं, यह संवैधानिक डिबेट हो, 175 के अन्तर्गत डिबेट हो। इस सरकार ने काजेज आफ सम्मन्स नहीं दिये हैं और केवल मात्र इसलिए गवर्नर साहब ने अभिभाषण दिला दिया।

कल बड़ी तकलीफ हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ घंटे तक गवर्नर साहब से अभिभाषण दिलाया, तीन-तीन महिला हैं, महिला मुख्य मंत्री, महिला अध्यक्ष और महिला गवर्नर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो गैर संवैधानिक काम हैं तो यह तो हमारी ज्यादा ड्यूटी बन जाती है कि इस गैर संवैधानिक काम के लिए हम जनता को यह बताएं कि यह सरकार संवैधानिक दृष्टि से काम नहीं कर रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है और गवर्नर जैसे पद से यह कराया है, वह भी गैर संवैधानिक काम कराया है। इसलिए इस सदन को तुरन्त साइने डाई डिक्लेयर किया जाए और दुबारा 175 के अन्तर्गत काज आफ सम्मन के आधार पर हाउस को बुलाकर डिबेट करवाई जाए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 174 एण्ड 175 जिसका जिक्र नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं ओर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 174 किसके लिए हैं, "Sessions of the State Legislature, prorogation..." यह सैशन को बुलाने के लिए है, आहूत करने के लिए है और 175 आर्टिकल है यह गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे हाउस को, उसके लिए है। दो डिफरेंट चीजें है। एक तो हाउस को सम्मन करना, एक हाउस को एड्रेस करना। सम्मन करने के लिए आर्टिक्ल 174 है कांस्टीट्यूशन का और एड्रेस करने के लिए आर्टिक्ल 175 है कांस्टीट्यूशन का। और स्पेशल सैशन अगर गवर्नर साहब बुलाते हैं, उसके

(डा. एन. एस. गुर्जर)

लिए आर्टिकल 176 है। This is not special session, this is regular Budget Session. तो इसमें 174 लागू होगा।

डा. सी.पी. जोशी : क्यों?

डा. एन.एस. गुर्जर : क्योंकि this is regular session, Budget session.

डा. सी.पी. जोशी : Why not 175?

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, 175 एड्रेस करने की पावर देता है गवर्नर साहब को हाउस को। 174 में हाउस को आहूत करने का प्रोवीजन है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक और दिलाना चाहूंगा कि यह जो सम्मन निकाला, यह जो आज्ञा निकाली यहां से, अधिसूचना निकाली है, इसमें यह साफ लिखा हुआ है- "In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of Article 174 of the Constitution of India..." जिसमें उनको पावर है हाउस को सम्मन करने की, "..... I, Pratibha Patil, Governor of Rajasthan, do hereby summon the 5th session of the 12th Rajasthan Legislative Assembly at 11.00 A.M. on Tuesday, the 28th February, 2006 at the Rajasthan Vidhan Sabha Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur. (Pratibha Patil) साफ है, लोक सभा के अन्दर भी जितने सम्मन उसका भी पैटर्न यही है। राज्य विधान सभा के अन्दर अब तक मैंने देखे हैं, पढ़ता रहता हूं, आप निकलवा ले रिकार्ड, उनमें भी सेम...

डा. सी.पी. जोशी : यह पढ़ लिया करो, यह पढ़ लिया करो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं बता रहा हूं अभी। मैं कौल एण्ड शकधर पर भी आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपको पढ़ाते तो अच्छा है। आप तो पढ़े हुए हैं यह।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक सैट पैटर्न है, क्योंकि क्लीयर है, हाउस को सम्मन करने के लिए, Art. 175 is not for that Art. 174 is related for the summoning of the House. And Art. 175 is related to the Address to the House. तो एड्रेस द हाउस के लिए नहीं है, सम्मन किया है उसको। उसके बाद जब सम्मन करेंगे बजट सैशन के लिए तो एड्रेस का राइट अपने आप हो जाता है, इसलिए 174 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने हाउस को आहूत किया और

(डा. एन. एस. गुर्जर)

यह कांस्टीट्यूशन में है। अब कौल एण्ड शकधर को कोट कर रहे थे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन को कोई भी, न कौल एण्ड शकधर और न कोई नियम की पुस्तक, ओवर रूल नहीं कर सकता, कांस्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स को।

डा. सी.पी. जोशी : सिवाय नाथूसिंह जी के।

डा. एन.एस. गुर्जर : आज कौल शकधर के आधार पर अगर आप कांस्टीट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को उड़ाना चाहो, आप कौल एण्ड शकधर के आधार पर कांस्टीट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को उड़ाना चाहो, आप नहीं उड़ा सकते। The Constitution of India is above all. The book of Kaul & Shakdhar gives directions under the Constitution of India. Kaul & Shakdhar and our rule book, they give directions to the House, under the Constitution of India. इसलिए कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया से ऊपर कौल एण्ड शकधर नहीं हो सकता। इसलिए इसको रिजैक्ट किया जाए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है। यही मैं आप से अपील करना चाहता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल महामहिम गवर्नर महोदय ने कृपा करके इस हाउस को सम्बोधित किया। आज नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं, उनको यह भी मालूम है कि वह कितने प्रभावशाली ढंग से धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे, इसलिए यह पाइण्ट आफ आर्डर एक साजिश के तहत उठाया गया है ताकि इनका ध्यान भंग हो जाए, और उसमें वह कामयाब हो गये।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट करूंगा, एक मिनट। 174 के पीछे मंशा यह है कि कोई भी सरकार, पिछले समय में वैस्ट बंगाल में भी हुआ, कभी यह भी हुआ, छह महीने तक हाउस को सम्मन नहीं करें। यह चुनी हुई सरकार की मनमर्जी पर नहीं है, इसलिए 174 में यह बाउंड किया है कि सिक्स मंथ्स में गवर्नर हाउस को बुला सके। यह 174 का क्लाज है। आधे वकील साहब और एडवोकेट जनरल बोलोगे तो डूबोगे, 174 के क्लाज की मंशा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि गवर्नर को, यह मेंडेटरी है कि यदि

(डा. सी.पी. जोशी)

सिक्स मंथस् के अन्तर्गत चुनी हुई सरकार हाउस को नहीं बुलाए तो गवर्नर प्रेमलोट कर सकता है, यह पावर 174 में दी है। 175 में तो यह है कि एड्रेस कैसे करेंगे। एड्रेस करने मे मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, 1980 में हम एम.एल.ए. जीतकर आये थे, तब तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता भैरोसिंहजी ने यह प्रश्न उठाया था, जो आज भी आपके इसमें, रूल्स में है कि काजेज आफ सम्मन मेंशन करना जरूरी है। काजेज आफ सम्मन मेंशन नहीं करते हैं तो जो गवर्नर एड्रेस कर रहे हैं वह एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। तो 175 इसलिए रेलेवेंट हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। 174 तो यह है कि सरकार, जो सरकार वसुंधराजी, मुख्यमंत्री की सरकार है, यह छह महीने में नहीं बुलाए, जैसे पिछली बार भी नहीं बुलाया, आखिरी दिन बुलाया उन्होंने, उसको सेफगार्ड करने के लिए कानून में व्यवस्था कर रखी है कि इनकी मनमर्जी से छह महीने में यदि सरकार नहीं बुलाएगी तो गवर्नर उसको डाइरेक्शन देगा कि आपको इसमें करना पड़ेगा। That is the provision in Art, 174. 175 क्लियरली मेंशन करता है कि जब एड्रेस करेंगे तो एड्रेस करने के लिए उन्होंने 175 कर रखा है और इसमें हैडिंग दे रखा है। अब नाथू सिंहजी जिस तरह से एलएल.एम. किये और जैसे एडवोकेट जनरल हैं, ऐसी राय दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुख्यमंत्रीजी और सरकार इनकी राय की माने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान) आप बोलना, बाप बिराजो। कोई फिल्म का डायलाग तो है नहीं कि अपन मुद्रा रचकर बोल लें फिल्म में। फिल्मों में डायलाग में कोई संविधान नहीं होता है, जो अपन बोलते हैं, वही तो लोगों को देखना पड़ता है। यहां तो संविधान की व्यवस्था के अन्दर काम करना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कौल एण्ड शकधर की किताब में मेंशन है कि "In the States it is the Governor who delivers the Address to the State Legislature informing it "of the causes of its summons"." 175 का उल्लेख करना मस्ट है, उपाध्यक्ष महोदय। 174 तो केवल मात्र गवर्नर को यह अधिकार देता है कि यदि सरकार रिकमंडेशन नहीं करे, असेम्बली नहीं बुलाए सरकार बुला सकती है, पहले भी बुला सकती है, तीन-तीन सैशन भी होते हैं, लेकिन 175 में काजेज आफ सम्मन करने का प्रोवीजन दे रखा है, उपाध्यक्ष महोदय। और 176 में कर रखा है स्पेशल सैशन बुलाने के लिए इसलिए। उपाध्यक्ष महोदय, 174 का शैल्टर इसलिए नहीं ले सकते हम। यह तो गवर्नर ने हाउस को इनफार्म कर दिया कि

(डा. सी.पी. जोशी)

हाउस होगा, लेकिन 175 में सरकार का धर्म बनता है, गवर्नर साहब को एड्रेस करने के लिए जो उन्होंने लिखा, उसके काजेज आफ सम्मन का इस बुलेटिन में कहीं न कहीं उल्लेख करते। यदि बुलेटिन को आप मानते हैं ता। जो बुलेटिन की कोई वेलिडिटी नहीं है। बुलेटिन की वेलिडिटी कानून के ऊपर नहीं हो सकती। इस बुलेटिन के अन्दर जिसके आधार पर हमको कहा गया है। उसमें भी कहीं 174 का, 175 का मेंशन नहीं है, नाथूसिंह जी, आप बड़े विद्वान हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हुए हैं, आपकी विद्वता कम होती तो यहां बैठते, आगे बैठते आप जितनी विद्वता आप में है, उस विद्वता के आधार पर हम देखें, उपाध्यक्ष महोदय, तो 174 बिलकुल अलग है, 175 अलग हैं। 176 अलग है, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर गम्भीरता से लें, यह परम्पराओं के आधार पर हाउस भी चलता है...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप लोगों को कह रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : लेकिन परम्पराएं, यदि कानून की बात को कोई पाइण्ट आउट कर दे तो संविधान की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह धर्म बनता है आप और हम सब का। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी रूलिंग रिजर्व कर लें, आप एडवोकेट जनरल को बुला लें, आप इसमें राय ले लें कि 174 ओनली बाइंड्स द गवर्नर कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यदि सम्मन नहीं करती है हाउस को तो 174 में गवर्नर बुला सकता हूं, चीफ मिनिस्टर की रिकमंडेशन की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी अदरवाइज़ और सब चीजों में गवर्नमेंट की रिकमंडेशंस, पर गवर्नर काम करता है, 174 में यह बाइंडिंग नहीं है। आल द रिकमंडेशन, काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर गवर्नर काम करता है, 174 का पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मेंडेटरी नहीं है। यह प्रोवीजन 174 के अन्तर्गत किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह इसके साथ लिंक है, आप फिर मेहरबानी करके देख लें। Art. 174 debars the Council of Ministers to recommend to the Governor. And for all other purposes, the Government is bound to act on the advice of the Council of Ministers. 174 में काउंसिल आफ मिनिस्टर्स एडवाइस नहीं भी करे तब भी गवर्नर हाउस को सम्मन कर सकता है, यह प्रोविजन है। 175

(डा. सी.पी. जोशी)

का प्रोविजन बहुत क्लीयर है कि सरकार जब भी बुलाएगी तो सरकार का काजेज आफ सम्मन इसके बारे में लिखने पड़ेंगे। इस सरकार ने काजेज आफ सम्मन लिखे नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर की डिबेट पर बोलना चाहता नहीं, आप पूरी डिबेट को उठाकर देख लें, पिछले साल का हिसाब-किताब लगा लिया, 2006-07 में क्या करेंगे, कोई मेंशन ही नहीं है। यहां 2012 में क्या करेंगे, वह मेंशन है। 2012 में इतनी बिजली पैदा करेंगे लेकिन 2006-2007 में क्या करेंगे, इसका किसी डिपार्टमेंट का उल्लेख नहीं है। डिपार्टमेंट की सारी सूचना को इग्नोर कर दिया इन्होंने। काज आफ एक्शन का मेंशन करना जरूरी है, बिना काज ऑफ एक्शन के बुलेटिन में मेंशन किये हुए, आप जिस राज्यपाल के भाषण को डिबेट करा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, यह गैर संवैधानिक व्यवस्था होगी, इसलिए मेहरबानी करके आप इस पर गंभीरता से सोचकर निर्णय करें। बाकी आप परम्पराओं के आधार पर, पचास साल से चल रही है, आज भी डिबेट करा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गैर संवैधानिक काम हम करते ही आ रहे हैं, एक काम ओर कर दें, क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा धर्म बनता है कि जो कानून बनाने वाले आदमी आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे आप और संविधान की रक्षा का एक ही तरीका है, इस हाउस को साइने-डाई बंद करें, 175 में काल करें, सरकार से काज ऑफ सम्मन लें। उनको मेंशन करके आप हाउस में डिबेट कराएंगे तो यह संवैधानिक डिबेट होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. एन.एस.गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आर्टिकल 174 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको। "The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place..." टाइम एंड प्लेस इसमें दे रखा है "...at such time and place as he thinks fit, but six monts shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Governor may from time to time,-..." यस बोल रहा हूं न"

(a) prorogue the House or either House; (b) dissolve the Legislative Assembly." यानि यह गवर्नर साहब को समय पर टाइम बताएगी, स्थान बताएगी और

(डा. एन.एस. गुर्जर)

हाउस को सम्मन करेगी 74 में। 75 तो टोटली डिफरेंट है। 75 में अगर काउन्सिल है किसी स्टेट में और असेम्बली है तो दोनों के ज्वाइंट सैशन को एड्रेस गवर्नर साहब करेंगे। 75 में एड्रेस करने का है और यह अच्छी तरह से जानते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : 174 में नहीं है। 174 में दोनों हाउस को एड्रेस करने का नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये, 75 का है सम्मन का। 75 में कहीं नहीं लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं भी ... (व्यवधान) हां, मैं बोल रहा हूं, Please don't disturb. आप कहीं भी उठाकर देख लें, 75 में कहीं भी सम्मन शब्द नहीं है। पूरे आर्टिकल 175 को देख लें, कहीं भी सम्मन शब्द नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहें तो वसु का जो कांस्टिट्यूशन है उसकी कमेंटरी देख लें। मेरी पढ़ी हुई है। अभी लाया नहीं हूं आज मैं, नहीं तो बता देता आपको। इसका मतलब क्या है, वसु की कमेंटरी पढ़ लें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह अच्छी तरह से पता है कि हाउस तब बुलाया जाता है जब गवर्नमेंट रिकमंड करके गवर्नर साहब को भेजती है कि हम इस समय हाउस बुलाना चाहते हैं। उसके बाद क्योंकि एक ऑथोरिटी है कांस्टीट्यूशन ऑथोरिटी गवर्नर साहब, इसलिए जब गवर्नमेंट रिकमंड करती है कि हम इस समय यह हाउस बुलाना चाहते हैं, इस परपज से, उसके बाद ही गवर्नर साहब यह आदेश प्रदान करते हैं, हाउस सम्मन करने का। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमे अनकांस्टीट्यूशन कुछ नहीं है और जब से यह विधान सभा बनी है यह चल रहा है। पार्लियामेंट में भी वो ही पैटर्न है, हर विधान सभा में वो ही पैटर्न है, इसलिए this is not unconstitutional at all. This is totally constitutional. इसलिए सही हुआ है जो भी हुआ है। न किसी को बुलाने की जरूरत है, न किसी को राय करने की जरूरत है। आप इस पर अपनी राय दें और इस पाइंट ऑफ आर्डर को रिजेक्ट करें, I will request the hon'ble Chair.

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा नाथूसिंहजी ने कहा और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ऑब्जेक्शन उठाये, इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस समय-समय पर ये उठाते रहे हैं इस विधान सभा में, और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हमारी परम्पराएं हैं, जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसमें उसको रिजैक्ट किया जा चुका है पहले। मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, यह जो प्रथम खंड है इसमें पेज 19 है अध्याय-4 में, इसमें स्पष्ट तौर से, कई बार सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने इस प्रकार के प्रश्न उठाये और उसमें यह कहा कि 176 का कारण बताना आवश्यक है इसलिए वो करना चाहिए। तो इन बातों को रिजैक्ट करते हुए पहले ये निर्णय किये जा चुके हैं इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इसे रिजैक्ट करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो आपत्ति उठायी है उस आपत्ति को मैं निराधार मानना हूं क्योंकि जो 7 फरवरी, 2006 को आदेश राज्यपाल महोदय ने दिया था वो इस तरह से है, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं प्रतिभा पाटील, राज्यपाल, राजस्थान एतद्द्वारा 12वीं विधान सभा का पंचम् अधिवेशन मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006 को 11.00 बजे पूर्वान्ह राजस्थान विधान सभा भवन, ज्योति नगर, जयपुर में आहूत करती हूं।' उसके नीचे उसी दिन सचिव महोदय ने यह सूचना दी सदस्यों को, 'मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप तदनुसार विधान सभा के सत्र में भाग लें।' उसके बाद संविधान के आर्टिकल 175 के मुताबिक राज्यपाल महोदय ने सदन को अपना अभिभाषण दे दिया। उसके बाद अब इस प्रकार का एतराज उठा रहे हैं कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : तो कब उठाएं फिर? गवर्नर के सामने तो बोल नहीं सकते। मौका तो यही है। मौका कब है गवर्नर के बोलने के बाद? मौका तो अभी है, तभी बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के एड्रेस की 175 के अनुसार कार्यवाही हो चुकी है और अब उसके लिए आप.... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : आप सुन लें। आप यों मत रहो कि आप ही विद्वान हो। आप यह दिमाग से निकल लें।

डा. सी.पी. जोशी : अभी रखा है, डिस्काम अभी हो सकता है।

श्री जोगाराम पटेल : ऐसा है, आप कभी सुनने का प्रयास तो करें। दूसरों को कभी आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप दो साल नहीं हुए, बैठो सीखो अभी।

श्री जोगाराम पटेल : आप यह भूल जाओ दिमाग से 2 साल, 10 साल। 50 साल से अगर उल्टा सीखेंगे तो उलटा ही अच्छा। पर सुनें तो सही, यह कांस्टीट्यूशनल अगर आपका ऑब्जेक्शन है, यह कांस्टीट्यूशन के अकार्डिंग आहूत नहीं हुआ है तो फिर गवर्नर का एड्रेस कैसे हो गया? आप बोलते गवर्नर के सामने कि साहब, आपने हाउस को अकार्डिंग टू कांस्टीट्यूशन आहूत नहीं किया है।

डा. सी.पी. जोशी : गवर्नर साहब के सामने बोलेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो?

श्री जोगाराम पटेल : तो कैसे बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे? गवर्नर का एड्रेस तो हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संविधान के आर्टिकल 175 के मुताबिक the Governor may address the Legistative Assembly. And when the Governor has addressed the Legislative Assembly, now the procedure has started उसके ऊपर अब चर्चा होनी है। Therefore at this stage, this objection has got no meaning.

डा. सी.पी. जोशी : What was that stage where I should have raised it ? आज पहली बार आपने रखा है, पहले प्रश्न आवर था। गवर्नर एड्रेस था, कल हाउस खतम हो गया, What was that stage? अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दे दें, कि वो कौनसी स्टेज थी जिसमें मुझे उठाना चाहिए था?

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नर एड्रेस होने के बाद किस बात का ऑब्जेक्शन?

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप बताएं, मैं किस स्टेज पर उठा सकता हूं?

श्री उपाध्यक्ष : When the Governor has addressed the House....

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप माफ करें, मैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब गवर्नर ने 175 के तहत एड्रेस

(श्री उपाध्यक्ष)

कर दिया हाउस को, अब आप कह रहे हैं कि एड्रेस गलत हो गया, उसके लिए सूचना होनी चाहिए था It has got no meaning.

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपने व्यवस्था दे दी।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। गवर्नर के एक्शन को क्या हम डिस्कस कर सकते हैं हाउस में?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर सकते।

डा. सी.पी. जोशी : तो फिर स्टेज कौनसी बची है? स्टेज बची जब हाउस में आप लें कर रहे हैं, डिबेट को ले रहे हैं, तभी तो बची है। बाकी गवर्नर साहब के सामने बोल सकते नहीं। यह पहली बार ले हुआ है तब बात कर रहे हैं। तब क्या बात करें, बताएं मुझे? कब बात करें? What stage we should have spoken at ? आप बताएं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किस स्टेज पर बोलना चाहिए था? मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, आप मुझे यह ज्ञान करा दें कि मुझे किस स्टेज पर बोलना चाहिए था?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मानते हैं कि गवर्नर के किसी भी एक्शन पर हम चर्चा नहीं कर सकते, तो स्व्यं उस पर चर्चा करके गलती कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं गवर्नर के एक्शन पर नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट के एक्शन पर कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गवर्नर का ही एक्शन है।

डा. सी.पी. जोशी : आप हाउस में जब ला रहे हैं डिस्काम करने के लिए, उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। गर्वनर के एक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गवर्नर का ही एक्शन है 174 के तहत गवर्नर ने...

डा. सी.पी. जोशी : आदरणीय जैन साहब, मैं गवर्नर के कृत्य पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपने जो रखा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किसने बुलाया है?

डा. सी.पी. जोशी : आपने बिजनस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट रखी है उस पर डिस्कस किया है उसको. I have not discussed the Governor's action. I have discussed the report which you have placed. आपने जो हाउस में रख दी है उस पर डिस्कस किया है मैंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो रख रहा हूं जो सब पार्टियों के नेताओं ने तय किया है।

डा. सी.पी. जोशी : वो कृत्य आपका है, चीफ व्हिप का, वो गवर्नर का नहीं है। यह कृत्य आपका है कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में रखें, उस पर डिस्कस कर रहा हूं मैं. I am not discussing the Governor's Address.

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब मान्यवर महामहिम ने एड्रेस कर दिया उसके बाद मुझे बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को रखने में कोई रोक नहीं सकता और न ही इस कार्यवाही से कोई रोक सकता, इसलिये मेरे पर न तो आपने कोई ऑब्जेक्शन किया, और यदि किया है तो वो अवैधानिक है।

डा. सी.पी. जोशी : आप स्पीकर बन जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसे मैंने निवेदन किया, हाउस को आहूत करने के लिए आर्टिकल 174 के अन्दर ही फिर से 175 के अन्दर कोई अलग से एड्रेस करने के लिए दुबारा आहूत करने की आवश्यकता नहीं है। यह की यह परम्परा लोक सभा में भी है, संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक the same procedure is there. और अब जो है, अब तो यह प्रक्रिया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए शुरू हो रही है, अब आप यह एतराज उठा रहे हैं कि नहीं, साहब, अभिभाषण गलत हो गया, उसके ऊपर यह प्रक्रिया वाद-विवाद की नहीं होनी चाहिए, it has got no meaning and I reject it.

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

डा. सी.पी. जोशी : फिर वो आपकी रिपोर्ट पास तो कराइये, महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको पूरा पढ़ भी देता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2006 को मध्यान्ह पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्म में हुई। समिति ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1 मार्च, 2006 से 16 मार्च, 2006 तक सदन में लिये जाने कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए।

बुधवार दिनांक 1 मार्च, 2006 गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2006 शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद
शनिवार, दिनांक 4 मार्च, 2006	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद विवाद एवं मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे सरकारी की ओर से उत्तर
रविवार, दिनांक 5 मार्च, 2006 सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2006 मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2006	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 8मार्च, 2006	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 का उपस्थापन
गुरूवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2006	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 पर सामान्य वाद विवाद
रविवार, दिनांक 12 मार्च, 2006 सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2006 मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2006 बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2006	बैठक नहीं होगी।
गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2006	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद विवाद एवं मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कार्य सलाहकार समिति ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद एवं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07 पर सामान्य वाद विवाद में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक समय मिले, इस हेतु सदन के 2 घंटे अतिरिक्त रूप से बैठने की अनुशंसा की है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समित के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिये सदन 2 घंटे अतिरिक्त रूप से बैठे, इस समय को सम्मिलित करते हुए कुल 24 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियो के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

भारतीय जनता पार्टी	14 घंटे 30 मिनट
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	6 घंटे 36 मिनट
इण्डियन नेशनल लोकदल	29 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	15 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	15 मिनट
कम्युनिस्ट पार्टी	7 मिनट
लोकजन शक्ति पार्टी	7 मिनट
राजस्थन सामाजिक न्याय मंच	7 मिनट
निर्दलीय	1 घंटा 34 मिनट

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. एन.एस. गुर्जर, सदस्य विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजयपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद समावेदन प्रस्तुत किया जाए।

"इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

श्री घनश्याम तिवाडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि डाक्टर एन.एस. गुर्जर साहब का भाषण भी सुनें और उनके केश का अवलोकन भी करें और उनकी ड्रेस का अवलोकन भी करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनसे यही यही कराते रहो और आगे आप बैठो। मतलब उनका जो उपयोग लेना वह तो आप पूरा लेओ।

श्री हरिमोहन शर्मा : अच्छी शक्लों को बाहर रखो और आप यहीं जमे रहो, वाह भाई वाह।

(14.45 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि यह प्रस्ताव रखने का मुझे आपने अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष : अवसर तो आपको इन्होंने दिया है, मैंने कब दिया ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अभी तो आपने ही नाम पुकारा है इसलिए परम्परा यही है कि आपके प्रति आभार व्यक्त करूं।

श्री जुबेर खान : धन्यवाद मत दो वर्ना अगले 3 साल भी आप से ही शुरू कराएंगे, यही से।

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें सीरियसली बात कहने दें, बोलने दें उन्हें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति जो हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र में विभिन्न पदों पर रहीं, केन्द्र में विभिन्न पदों पर रहीं, राजस्थान से लगाव रहा, उन्होंने यहां पधार कर इस सदन को सम्बोधित किया, मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं।

इसी समय पिछले 2 साल में कांग्रेस पार्टी में हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के पद पर 2 साल में पहले माननीय कल्ला साहब थे, अब मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी प्रतिपक्ष के नेता बनकर आये हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। उनको बधाई देता हूं, वह बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी हैं उनके ज्ञान का भी सदन और हमको लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : अब अभिनंदन अपनी पार्टी का करो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : पार्टी का अभिनंदन करते तो अभी तक कुछ बन ही जाते।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में हमारी पार्टियां हैं लेकिन उससे भी हमारे सदन की कुछ उच्च परम्पराएं हैं, मैं उनका ही पालन कर रहा हूं। यह इनके ऊपर है किसको बनाएं किस को नहीं बनाएं लेकिन इनकी असफलता तो इसी से प्रदर्शित हो गई कि इनको लीडर आप अपोजीशन भी 2 साल में 2 बनाने पड गये।

मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस अभिभाषण के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक नया सोच राजस्थान को दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह आब्जेक्शन बात है। आप उनका अभिनंदन करें, लेकिन यह इनकी असफलता है, इनको दो बनाने पड़ गये, एक तरफ तो आप कह रहे हो इनका आन्तरिक मामला है। आपके एक-एक राज्य में 5 साल में तीन-तीन चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, वह असफलता होती है क्या? आपने केन्द्र में लीडर आफ अपोजीशन कितनी बार

बदला था-कभी अटलजी, कभी आडवाणीजी और कभी कोई? आप इसमें मत जाइए, आप इस गहराई में मत जाइए, आपको जो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ा किया है आप अपना ज्ञान उसी में लगाओ। आप इस पर मत बोलिये ।

डा. एन.एस. गुर्जर : अच्छा, अब आप विराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी असफलता है कि हमारी सफलता है, आप अपने राज की सफलता गिनाओ ना। आप विषय से अलग बात करते हो इसीलिए आपका चेंज उसमें नहीं हुआ।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको असफलता के लिये कहा ही नहीं मैंने तो। उनके बनने से आपको क्या परेशानी हो गई?

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें, अब शांति से सुनें उन्हें।

डा. एन.एस. गुर्जर : उनके बनने से आपको क्या परेशानी हो गई?

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन आप यह कह रहे हो, कुछ भी है चुन लिया नेता, इससे क्या मतलब हुआ?

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे मालूम है आप भी दावेदार थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं कहीं दावेदार नहीं था। आप इस बात को भूल जाइए। आप केवल उनका स्वागत कीजिए।

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, सुनिये, आप उन्हें। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बोलने लायक बात नहीं है यह।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस अभिभाषण के द्वारा एक आधुनिक राजस्थान की तस्वीर पेश की है, 21वीं सदी के राजस्थान की, विकसित राजस्थान की एक नये सोच के साथ, नये अंदाज के साथ राजस्थान को आधुनिक बनाने का सपना लेकर नई कार्यशैली के साथ, रिजल्ट ओरिएण्टेड कार्यशैली अपनाकर दो साल में राजस्थान जो बीमारू राज्य की श्रेणी में था, उसको आगे खींचकर विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का एक सराहनीय प्रयास किया है। इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का अभिनंदन

(डा. एन.एस. गुर्जर)

करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो शुरूआत है, नाम बाकी है, काम बाकी है, अंतिम मुकाम बाकी है रात है, अभी तो भोर बाकी है। यह तो प्रारम्भ है। यह तो बीमारू राज्य को खींचकर विकसित राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किया है, अब इस अभिभाषण के माध्यम से संकेत दिया है राजस्थान की जनता को और सदन को कि अगले तीन साल में राजस्थान जो विकसित प्रदेश हैं उनमें सबसे अग्रणी श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, यह कि नहीं कह रहा, योजना आयोग ने राजस्थान सरकार की किन-किन चीजों के अन्दर बेहतर वित्तीय प्रबंधन मिड-डे मील, जल अभियान, निजी क्षेत्र में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में भर्ती, ग्रामीण विकास कार्य, बालबाड़ी योजना, फीडर सुधार योजना, इन मामलों में योजना आयोग ने राजस्थान सरकार की सराहना की है। यह मैं नहीं कह रहा, यह योजना आयोग कह रहा है।

इसके अलावा उद्योगों में भारी निवेश, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, सड़क-सड़क में तो पूरे देश में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है, आई.टी., ऊर्जा इन क्षेत्रों में राजस्थान ने तकनीकी संस्थान खोले। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में राज्य का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने, ग्वार, मोठ, ईसबगोल, मैथी आदि का समर्थन मूल्य तय करने की पहल करके पिछली सरकार को बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। पिछली सरकार की आलोचना इसलिये नहीं करना चाहता कि जो भी सरकार बनती है बैस्ट पोसीबल करने का प्रयास करती है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की अपनी तरफ से। मुझे बोलने दीजिये, Let me tell in my way.

श्री अध्यक्ष : बीच में कोई टोके नहीं, बीच में नहीं बोलें।

डा. एन.एस. गुर्जर : Let me tell in my style.

श्री अध्यक्ष : ना इधर से बोलें, ना उधर से बोलें (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह मुझे मालूम नहीं था, आंतरिक मामला ऐसा है क्या। आपने भी बहुत प्रयास किया राजस्थान का विकास करने का लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप क्रिकेट मैच देखती होंगी,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

क्रिकेट में हर खिलाड़ी शतक बनाने का प्रयास करता है कई दोहरा शतक बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश तो करते हैं लेकिन कई खिलाड़ी जाते ही जीरो पर आउट हो जाते हैं, जैसे आपकी सरकार जीरो पर ही आउट हो गई। (व्यवधान) मेरी चिन्ता छोडिये आप।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री जुबेर खान : पांच साल खेली पूरा टेस्ट मैच।

डा. एन.एस. गुर्जर : पांच साल तक क्रीज पर बने रहे लेकिन एक रन नहीं बनाया, यह रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारी मुख्य मंत्रीजी को देखिये, आते ही दो साल में, दोहरे शतक जमाये। शतक ही नहीं, दोहरे शतक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं टोकें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे बोलने दीजिए प्लीज। यह है अन्तर, सरकार की कार्यशैली का अन्तर, मानिटरिंग का अन्तर, पहले कभी भी साल में, दो-दो, तीन-तीन बार मानिटरिंग नहीं होती थी किसी भी विभाग की। मानिटरिंग मुख्य मंत्रीजी ने आते ही एक नई कार्यशैली को प्रारम्भ किया और मानिटरिंग के समय के अन्दर। हमको केवल पैसा ही खर्च नहीं करना। आप लोगों का बजट भी मैंने देखा है, कई साल से सदन में रहा हूं। बजट के अन्दर आंकड़े होते थे, इतना पैसा इस पर खर्च किया, और मैदान में जाकर देखते थे तो ? इसलिये केवल आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं है। जो पैसा जा रहा है। वह जनता के काम आ रहा है या नहीं, वह योजना ठीक ढंग से लागू हो रही है कि नहीं, इसके लिए आन्सरेबल बनाया आफिसर्स को। सबकी अलग-अलग जिम्मेदारी तय की और मानिटरिंग का काम शुरू करके एक नई पहल राजस्थान में शुरू की। उसका परिणाम आया। दी रिजल्ट ओरियेन्टेड अशोकजी मुख्य मंत्री बने, मुझे उनके बारे मे कुछ नहीं कहना, व्यक्तिगत रूप से मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अच्छे व्यक्ति है, प्रयास भी उन्होंने खूब किया लेकिन जैसा मैंने कहा, हर खिलाड़ी शतक बनाने की कोशिश करता है, जीरो पर आउट हो जाता है। उनका दोष नहीं मानता। आते ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र की किताब को बाइबल की तरह, हनुमान चालीसा की तरह अधिकारियों को पकड़ा दिया सैक्रेटेरियट में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

पकड़ा दिया और कहा कि इसको रटो और इसको रटकर इसको पूरा करो। उन्होंने खूब रटा, खूब पूजा भी की उसकी और रट रटकर खूब प्रयास भी किया, लेकिन हुआ क्या? 147 वादे इन्होंने घोषणा पत्र में, जिसमें से 108 वादे तो टच ही नहीं कर पाये। और दूसरी और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ,यह तो पांच साल का कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या दिखा रहे हैं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य?

डा. एन.एस. गुर्जर : आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। आप बोलना, कल जवाब देना। जो मैं बोल रहा हूं नोट करते जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या दिखा रहे हैं, गलत बात है।

डा. एन.एस. गुर्जर : दूसरी और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : घोषणा पत्र दिखा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्यों दिखा रहे हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह कांग्रेस का दिखा रहे हैं हम बीजेपी का... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी का हो-बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस का, इस तरीके से दिखाना सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा है, घोषणा पत्र मेरे पास भी है, क्या दिखा रहे हैं? घोषणा पत्र मेरे पास भी है आपका भी और हमारा भी, दोनों घोषणा पत्र मेरे पास हैं इसलिये मुझे दिखाइये मत, मेरे पास हैं। आपको तो सारा बता ही दिया जनता ने। 156 से 56 पर ला टिकाया, यह सबसे बड़ा घोषणा पत्र का परिणाम है।

मोहम्मद माहिर आजाद : और आप 32 पर पहुंचे थे जो?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोटेक्ट करिये, बीच-बीच में टोक रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि टोका-टाकी नहीं करें।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, 147 में से 108 वायदे पूरे नहीं हुए। और हमने 243 वायदे किये, 243 वायदे, उनका क्या हुआ? केवल दो साल के समय में, पांच साल नहीं केवल दो साल में, 243 में से क्रियान्विति घोषणाओं की संख्या, क्रियान्विति हो चुके 115, प्रगति पर 70, आंशिक क्रियान्विति 6 की और लंबित केवल 52 सिर्फ लंबित हैं, 243 में से केवल 52 लंबित हैं दो साल में। इनके 147 में से पांच साल में 108 वादे पूरे नहीं हुए। अब यह तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पुराना शासन क्या है और अब का शासन क्या है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कांग्रेस शासन काल में क्या हुआ, उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि कितनी बार न्यायालय ने इनको कहां-कहां फटकार लगाई, कहां-कहां इन्होंने क्या-क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वह बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उपलब्धि बताई है संरकार की, आप भी अपनी उपलब्धि बताइये।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपलब्धि बता रहा हूं। यह उपब्धियों का ब्यौरा दे रहा हूं। अभी देख लीजिये, उपलब्धियां बता रहा हूं, इंडिया टूडे का ये हमारे आंकड़े। वह भी दूंगा, पांच साल बनाम दो साल में क्या हुआ पांच साल में क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ओवर आल रेकिंग, आल इण्डिया के हर स्टेट का सर्वे किया एक इनडिपेंडेंट एजेंसी ने. इण्डिया टुडे ने। तीन एजेंसी ने मिलकर सर्वे किया और उन्होंने राजस्थान को रैंकिंग दी, वह मैं बताना चाहूंता हूं। 20 बड़े राज्य. राज्यों की दशा और दिशा, यह उनका विषय था। बड़े 20, छोटे राज्य 10 और केन्द्र शासित 5, जो बड़े राज्यों का आंकलन उन्होंने किया, उसका मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(15.00 बजे)

ओवर आल रैंकिंग 2004 के अन्दर 3 से 4 में आ गया। 13वें नम्बर पर राजस्थान था 2005 में, एक साल के अन्दर एक रैंक कम हो गयी। प्रगति की दृष्टि से 12वें स्थान पर आ गया, . से आकर कहां 13, उसके पहले 17वें नम्बर पर था। 17वें नम्बर से पहले हमारा शासन आया, 5वें नम्बर पर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

हम लाये, ये 9 नम्बर पर ले गये, 9 से 13 पर ले गये और आज जब सत्ता में आये तो एक साल के अन्दर ही 13 से 12 पर उसको ले गये। यह भी मुख्य मंत्रीजी की एक सफलता है ओवर आल रैंकिंग में।

केरल और तमिलनाडु, कानून व्यवस्था का मुद्दा आएगा तो उसमें मैं आंकड़े दूंगा, लेकिन कानून-व्यवस्था पर भी ये बोलेंगे, उस पर भी उन्होंने रैंकिंग दी है। 2004 में चौथी रैंकिंग थी जो 2005 में आते-आते तीसरी रैंकिंग हो गयी। 1.43 अंक थे 2004 में, 2005 में 1.38 हैं। इसका मतलब, हमारे यहां अपराध कम हुए हैं। निवेश के माहौल में सुधार-2004 में 1.02 था, 2005 में 1.09 यानि+0.07 यह अंक है और क्रम है+2। निवेश के माहौल में सुधार कर 15वें नम्बर पर राजस्थान था उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 13वें नम्बर पर लाकर खड़ा कर दिया, 13वें स्थान पर। जिसके कारण, जो आप अभी यह तुलना करेंगे, कभी आप सेज उठाएंगे, कभी दूसरी बात करेंगे, इकोनोमिक जोन कैसे घोषित कर दिया, नॉलेज कारिडोर कैसे कर दिया, यह कैसे कर दिया, 10 हजार करोड़ का निवेश होगा, अध्यक्ष महोदय, 10 हजार करोड़ का।

श्री हरिमोहन शर्मा : इकोनोमिक जोन हमने नहीं उठाया, यह तो आपसी विवाद है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये चाहते हैं, उठें।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूं। आप उठा लेना। एक लाख 14 हजार को रोजगार मिलेगा। और इसके अन्दर जो निवेश होगा, सबसे बड़ी बात, 10 हजार करोड़ का निवेश होगा। (व्यवधान) 14 हजार करोड़ का ओवर आल मिलाकर। (व्यवधान) देखिये, अलग-अलग उसमें होता है। अभी मंत्री हैं, उनकी अलग-अलग असेसरीज होंगी, उनको जोड़कर बताया है। मैं तो जो ओरिजनल है, वह बता रहा हूं। असेसरीज मिल गयीं, 14 हजार करोड़ हो गया। बहुत अच्छी बात है, इसमें खराब क्या बात हुई? मैं समर्थन कर देता हूं इस बात का, और क्या होगा?

इसी तरह से बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे के अन्दर भी सुधार हुआ। शिक्षा के अन्दर भी सुधार हुआ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इण्डिया टुडे और एजेंसी और थीं जिन्होंने सर्वे किया, यह रिपोर्ट कह रहा हूं।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वित्तीय प्रबन्धन, मैं नहीं कह रहा हूं, औसतन वार्षिक योजना का बजट, मैं आगे एनुअल प्लान आपको बताऊंगा, वह मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बजट पर जब आएंगे तो बोलूंगा। औसतन आपके समय में दिसम्बर, 1998 से नवम्बर, 2003 तक 4614 करोड़ रुपये, औसत आपकी रही। और औसतन दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2005 तक, दो साल में, सिर्फ 2 साल का औसत, यह रहा 7574 रुपये, यानि 1.6 गुना ज्यादा। यह 2 साल में हुआ। यानि इन्होंने जब शासन छोड़ा था, 4 महीने बाकी थे दिसम्बर, 2003 में शासन सम्भाला था, उस समय 4200 करोड़ के आसपास थी आपकी योजना। और 4 महीने के अन्दर ही मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सरकार ने 4 महीने में छलांग लगायी, 5500 करोड़ का लक्ष्य रखा और जब समाप्त हुई, 4 महीने में 6044 करोड़ की योजना जाकर समाप्त हुई। तो कहां 4258 करोड़ और कहां 6044 करोड़, यह 4 महीने में कितना जम्प लगाया। उसके बाद भी आज 2 साल के अन्दर-अन्दर ही 8500 करोड़ के ऊपर हमारी वार्षिक योजना पहुंच गयी। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसका परिणाम क्या होगा? हमारी दसवीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 में समाप्त होगी, नवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े 27 हजार करोड़ की बनायी थी, आपके सालों के अन्दर उस साढ़े 27 हजार करोड़ में से घटाकर 19900 और कुछ खर्च किया, और इन दो सालों में, यह सरकार आयी, 2 साल में इतना इम्प्रूवमेंट किया। अगर आप रहते तो ज्यादा से ज्यादा 25 हजार करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचते, लेकिन अब यह पंचवर्षीय योजना जाकर 33 हजार करोड़ से ज्यादा योजना का पैसा खर्च होगा। कितनी तेजी से राजस्थान का विकास कर रहा है, इसका आप अंदाजा लगाइये।

कर राजस्व में इसका परिणाम हुआ कि आपकी जो सरकार थी, 5 साल में आप 702 दिन ओवरड्राफ्ट में रहे, हमारी सरकार फरवरी, 2004 के बाद एक दिन भी ओवरड्राफ्ट में नहीं रही। आज राजस्थान का रिजर्व बैंक में जो खाता है, हमेशा सरप्लस में रहा। यह मैं कह रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार : आपको नुकसान हो रहा है बोलने से। अगर आगे आप अच्छा बोलते हैं तो बोलने के लिये अलग रखा है आपको, वर्ना मंत्री बना देते।

श्री अध्यक्ष : बीच में इंटरप्ट नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप नेता, बीच में इंटरप्ट न करें। बीच-बीच में नहीं करेंगे आप।

श्री रामनारायण मीणा : ये सारी जमीनें बेचकर खा गये और ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। गांवों में खलिहान नहीं छोड़े। बैंक के नाम पर सारी जमीनें बेचकर खा गये।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह अभी बताऊंगा, अभी आ रहा हूं। उस पर भी आऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में बोल रहे हैं। आपका नम्बर जब आए तब आपको सब अधिकार है कहने का, लेकिन बीच में नहीं बोलें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं उस पर भी आऊंगा।

कर राजस्व में वृद्धि की। योजना राशि बढ़ाई, पंचवर्षीय योजना में खर्चा बढ़ाया। कर राजस्व जहां 2001-2002 में 7 प्रतिशत था, 2004 में उसको बढ़ाकर 15.88 प्रतिशत कर दिया और 2004-05 में 16.13 प्रतिशत कर दिया। पूंजीगत परिव्यय पर व्यय की गयी, ऋणों के ऊपर यह आपके समय 2001-02 में 29.82 प्रतिशत था और 2002-06 की बी.ई. में 64.43 था, एक रिकार्ड कायम किया। इसी तरह से राजकोषीय घाटा डी.एस.डी.पी. का वह घटाया, वह आप जब थे 1998-99 में, 7.02 प्रतिशत था, 2002-03 में 7.15 प्रतिशत था, 2005-06 के अन्दर 5.09 प्रतिशत रह गया। इसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट, परसेंटस आफ रेवेन्यू डेफिसिट, वह 1999-2000 में रेवेन्यू डेफिसिट था 37.18 और 2005-06 में सम्भावित है केवल 7 प्रतिशत। 2004-05 में 12 प्रतिशत और 2005-06 के अन्दर केवल 7 प्रतिशत सम्भावित है। अब कहां

(डा. एन.एस. गुर्जर)

तो 37 प्रतिशत और कहां रेवेन्यू डेफिसिट 7 प्रतिशत। इसी तरह से 11वें और 12वें वित्त आयोग ने रिकमण्ड किया कि आप रेवेन्यू डेफिसिट कम करिये, आप फिस्कल डेफिसिट कम करिये, अगर ये कम करेंगे तो ऋणों के अन्दर, ऋणों के ब्याज के अन्दर, और दूसरी कई चीजें हैं, योजना आयोग आपको इंसेंटिव देगा। वे सब आपको इंसेटिव फाइनेंस कमीशन की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। राज्य ने रेवेन्यू डेफिसिट कम किया, फिस्कल डेफिसिट कम किया और वह पात्रता अर्जित कर ली। पात्रता अर्जित करके जो पैसा लाये वह आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कितना पैसा इतनी योजनाओ में लाये हैं। जो बकाया था, अध्यक्ष महोदय, जो पुराना बकाया था, वह राशि भी हम लाये। पहले आप ग्रिप में आ गये थे, कुछ साल पहले, जब इनका शासन था, फिस्कल स्ट्रेस बोलते हैं उसको, फिस्कल स्ट्रेस में इसलिये आ गये कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट सब ज्यादा थे। उसका एक फार्मूला दिया हुआ है। उससे निकालकर वापस 2 साल के अन्दर यह सरकार लायी है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि बजट में आएगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा, इनके समय में जो कर्जा था, 18.5 प्रतिशत बढ़ता रहा। यह पाइण्ट भी लाएंगे। कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, उसका प्रतिशत नहीं देख रहे कि हमारी योजना का आकार कितना बढ़ गया और खर्च कितना हो रहा है। उसका जो कर्जा बढ़ा इनके समय में, वह 18.5 प्रतिशत और 2 साल में कर्ज को घटाकर 12.5 प्रतिशत यह सरकार ले आयी। 6 प्रतिशत नीचे, डाउन उसको ले गयी। यह प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इस तरह से चाहे वितीय प्रबन्धन में देखें, दूसरी चीजों में देखें, इंसेंटिव के रूप में जो 12वें वित्त आयोग की रिलीफ थी, डैट रिलीफ, उसमें हमने पैसा लिया, सेविंग आफ इण्ट्रेस्ट एग्रीगेटिंग टू रुपीज 700 परसेंट, यह सब लिया।

यह सारा का सारा मैं ज्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं कि बजट के अन्दर फिर हम इसको डिटेल के अन्दर बताएंगे लेकिन मैं मोटा-मोटा आपको कुल मिलाकर इसलिए बताना चाहता हूं कि इस साल के अन्दर, कुछ सालों के अन्दर, दो साल के अन्दर वितीय प्रबंधन के कारण हम बहुत आगे चले गये। 8000 करोड़ का कर्जा हमको मिला था जब आप 1990 में गये। हम जब 1998 में छोड़कर गये तो 23000 करोड़ का कर्जा हमने छोड़ा। आप जब वापस 2003 में हमको सम्भलाकर गये तो लगभग 53 से

(डा. एन.एस. गुर्जर)

55 हजार करोड़ के आस-पास का कर्जा हमको आपने सम्भलवाया। हम 23 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये, तो साढ़े अठारह हजार करोड़ की परिसम्पत्तियां देकर गये लेकिन आप 55 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये तो 24 हजार करोड़ की परिसम्पत्तियां हमको छोड़कर गये, तो क्या दिया आपने? परिसम्पत्तियां कम और कर्जा ज्यादा। कर्जा लेते गये। उसका हिसाब-किताब भी आपने नहीं लगाया। इसलिए जितना भी चाहे हम इण्ट्रेस्ट पे कर रहे हैं, वह अब कम आ गया। पहले आप 2001-02 के अन्दर 32 परसेंट कर रहे थे। 2005-06 में केवल 26 परसेंट हो रहा है। तो हर चीज के अन्दर आपसे आगे वित्तीय प्रबंधन में यह सरकार रही है। ये कर्जा लेते रहे और लायबिलिटी बढ़ाते रहे असेट्स अनुपात में कम होते गये।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि बजट में यह मामला आएगा उस समय मैं कहूंगा। हाई फिस्कल स्टैस में ये स्टेट को ले गये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर 19 परसेंट से ज्यादा, टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन थी, कैटेगराइज किया है उन्होंने स्टेट्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर 19 परसेंट ज्यादा हो जाता है, "The interest payment would be above 19% of the revenue expenditure, the state has thus crossed even the high fiscal stress limit." यह स्थिति है। 17 परसेंट से एक्सीड करते हैं, फिस्कल उसमें आ जाता है और ये 19 परसेंट से भी बहुत ज्याद आगे चले गये थे। इसलिए फिस्कल स्ट्रैस में इन्होंने स्टेट को पहुंचाया है। उसके बाद राजस्थान की हालत खराब होती गयी। राजस्थान की हालत खराब हो गयी और हमारी प्रति व्यक्ति आय घट गयी। राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने के कारण यह दो साल का जो टैक्स था, इस सरकार ने टैक्सों का सरलीकरण किया। सरलीकरण करके, एक थ्योरी है टैक्स कलेक्शन की कि टैक्स को कम करो और सरल करो, टैक्स ज्यादा आएगा। टैक्स का परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था आपने टैक्स को कई चीजों में, भवन निर्माण सामग्री को 14 से घटाकर 9 कर दिया। कर दरें 15 से घटाकर 12 चीजों में ही कर दीं। सरलीकरण किया। स्टाम शुल्क में कमी की। इसका परिणाम क्या हुआ, कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन 26.58 परसेंट तक बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष : बजट में क्या बोलेंगे आप? ये सब बात आप कह रहे हो तो बजट पर फिर क्या बोलेंगे?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं मोटी-मोटी चीज बता रहा हूं। इसलिए दो साल के ऊपर कमेंट्स करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण नाथूरामकाजी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि निवेश के प्रयास सराहनीय है। कांग्रेस को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। यह उनकी टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी नहीं है। यह उनकी टिप्पणी है। इसलिए यह हमारी स्थिति है इसकी। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलते हुए बताना चाहूंगा कि पांच साल के अन्दर और दो साल में अब यह वित्तीय प्रबन्धन का असर, मैं इस पर क्यों स्ट्रैस दे रहा था? अध्यक्ष महोदय, बजट और फिस्कल स्ट्रैस पर, इण्ट्रेस्ट पर, ब्याज पर, सेण्ट्रल से पैसा मिलने पर, योजनाओं पर और इन योजनाओ पर मैं क्यों स्ट्रैस कर रहा था? क्योंकि इसका ओवरआल इम्पैक्ट आता है सारी योजनाओं के ऊपर। सारे विभागों के ऊपर और सारे वर्गों के ऊपर। माननीय मुख्य मंत्रीजी परिवर्तन यात्रा में घूमीं तो उन्होंने गरीब की झौंपड़ी का दु:ख देखा। उन्होंने महिलाओं का दु:ख देखा। बेरोजगारों का दु:ख देखा। किसानों का दु:ख देखा। व्यापारियों का दु:ख देखा। एस.सी., एस.टी. का दु:ख देखा।

श्री जुबेर खान : घनश्यामजी तो गर्दन हिला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बोलकर बेकार में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सचेतक प्रतिपक्ष, आप फालतू में...; (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी नजर मेरी गर्दन पर है, उसको तो छोड़ो।

डा. एन.एस. गुर्जर : उसके आधार पर, जब उन्होंने वह जीच देखी तो आकर वित्त को भी उसी तरह से मैनेज किया। अगर वित्त मैनेज हो जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। उसी तरह से आपने राजस्थान के वित्त को मैनेज किया, उसका असर क्या हुआ? उसका असर हर विभाग पर पड़ा।

जैसा कि आप माननीय घनश्यामजी का जिक्र कर रहे थे, शिक्षा के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। शिक्षा के अन्दर कांग्रेस ने दिसम्बर, 1998 से नवम्बर, 2003 तक और भाजपा ने दिसम्बर, 2003 से अक्टूबर, 2005 तक, मैं केवल इस समय की तुलनात्मक स्थिति सदन के अन्दर पेश करना चाहता हूं। औसतन वार्षिक बजट आपके समय में था 344.38 करोड़ और औसतन

(डा. एन.एस. गुर्जर)

वार्षिक बजट हमारा, औसतन वार्षिक बजट बता रहा हूं भाजपा के अन्दर, 563.56 करोड़ रुपये। नये प्राथमिक विद्यालय आपने केवल 550 खोले। शिक्षा मंत्रीजी और इस सरकार ने आते ही 3343 विद्यालय नये खोले। आपने राजीव गांधी पाठशालाओं को एक भी प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत नहीं किया, हमने 4254 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया। प्राथमिक विद्यालयों को, जो सैकण्डरी में करते हैं मिडिल से सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी में 767 विद्यालय को किया है और दो साल में ही इस सरकार ने 541 सीनियर सैकण्डरी को किया, केवल दो साल में। आपने पांच साल में किया 700 और इस सरकार ने केवल दो साल में 500 से ऊपर। यह है तुलनात्मक दृष्टि से पांच साल बनाम दो साल। राज्य स्तरीय ओपन विद्यालय आपके एक भी नहीं, हमने एक खोला। नये विश्वविद्यालय आपने दो खोले, हमने छह खोले। कम्प्यूटर शिक्षा की फीस आपके समय में सारी देनी पड़ती थी अब 50 परसेंट छूट है।

आपने मिड-डे मील में केवल घूघरी का वितरण किया और अब गर्म पका हुआ खाना मिलता है। इसके अलावा कम्प्यूटर शिक्षा में जन सहभागिता से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन प्रोग्राम, सिस्को, आई.वी.एम., इण्टेल आदि कम्प्यूटर दक्ष सहभागियों को, ट्रेनर्स को, अंग्रेजी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा। यह सरकार की एक बहुत अनूठी पहल थी जिसके कारण अब राजस्थान के बच्चे नेशनल लेवल पर ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कम्पीटीशन के अन्दर आगे आएंगे। यह एक बहुत बड़ी, अनूठी पहल है। महाविद्यालय आपके समय पर आपने पांच साल में पांच राजकीय महाविद्यालय खोले और 102 निजी महाविद्यालय खोले। हमारे समय में दो साल में ही पांच नये राजकीय महाविद्यालय और 343 निजी महाविद्यालय खोले गये हैं। महाविद्यालयों में नवीन विषय आपने 33 राजकीय महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये, 189 निजी महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये। हमने दो साल में ही 3 राजकीय में प्रारम्भ किये और 185 निजी में प्रारम्भ किये। यानि, पांच साल में आपने 189 में और दो साल में 185 में, यह एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सीटें आपके समय में पांच साल में 7447, पांच साल में केवल 4747, रामनारायणजी साहब, बता रहा हूं, और इस सरकार ने दो साल के अन्दर ही 34000 सीटें 34000 सीटें, यह एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। मैं दो साल और पांच साल का आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। स्नातकोत्तर स्तर के प्राचार्यों को व्यय करने की सीमा, वहां पर ठीक-ठाक करने के लिए

(डा. एन.एस. गुर्जर)

आपने उनको केवल दस हजार रुपये दे रखे थे और इस सरकार ने पांच लाख रुपये दिये। स्नातकोत्तर स्तर के प्राचार्यों को 20 हजार .... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सरकार की उपलब्धियां तो आपको बतानी ही चाहिए लेकिन जो ज्यादतियां पंचायती राज मंत्रीजी ने आपकी पंचायत समिति में कीं, कुछ उस पर भी बोलना.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें।...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारा यह इण्टर्नल मामला है, उसमें बीच में आप कहां आ रहे हो?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया है? आज आपको कुछ तकलीफ लगी मुझे।

श्री संयम लोढ़ा : इतनी उपलब्धियां आपके बिना हो रही हैं तो फिर इस सरकार को आपकी याद कैसे आएगी? अपने लिए भी इसमें छोडो ताकि आप कुछ आगे और कर सको। यह सब आपके बिना अच्छा हो रहा है तो फिर आपको कौन पूछेगा?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं भी सरकार का भाग हूं, अलग नहीं हूं। मैं सरकार का भाग हूं, अलग नहीं हूं।...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : इनके राज में अलग हो जाते थे यह। यह लड़ते थे इसलिए इनको याद आती है कि यह लड़ते क्यों नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिये लेकिन सदन को सोच लेना चाहिये कि उनकी काबिलियत को निश्चित तौर पर परखा जाएगा, मौका दिया जाएगा, क्यों, तिवाड़ी साहब ?

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी वकालत के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्नातकोत्तर स्तर के प्राचार्यों को व्यय करने की सीमा 20 हजार रुपये थी, उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपये इस सरकार ने किया। इससे महाविद्यालय का आधारभूत संरचनात्मक ढांचा था, उसका विकास हुआ। यह सब और निःशुल्क

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कक्षा 1 से 12 तक की कक्षा के विद्यार्थियों को 120 करोड़ रुपये की निःशुल्क पुस्तकें दी गयीं। इस तरह से शिक्षा में मैंने पांच और दो साल का अन्तर बताया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण छात्राओं को, आप महिला हैं, ग्रामीण छात्राओं को निःशुल्क बस यात्रा का प्रावधान किया। हर एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय खोला। सर्व शिक्षा अभियान के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबन्धन हेतु प्रदेश को पूरे देशभर में ए ग्रेड मिला। पूरे देश के अन्दर ए ग्रेड मिला है। जीवन कौशल शिक्षा, प्रदेश में पहली बार तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए दिशा-निर्देश दिये। पांच नये-फैशन टैक्नोलोजी, आटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैंनेजमेंट एण्ड एप्लाइड इलैक्ट्रोनिक्स इन्सट्रूमेन्टेशन में डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी में जो साधारण सब्जैक्ट्स पढ़ाये जाते हैं उसके अलावा यह टैक्निकल सब्जैक्ट्स, क्योंकि आजकल इनकी मांग ज्यादा हो रही है, सरकार ने यह स्थिति भी समझी और इसका ध्यान रखा।

अब आता हूं, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के ऊपर। सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्र में इस सरकार ने अच्छा काम किया। उसके साथ आधारभूत ढांचे को भी विकसित करने के लिये काम किया। सामाजिक और सामुदायिक विकास जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रामीण विकास, रोजगार ये सब चीजें आती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके शासन काल में स्वास्थ्य बीमा की तरफ कोई रूचि नहीं थी। इस सरकार ने आते ही राजस्थान स्वास्थ्य सेवा विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के साथ-साथ इससे 248 अस्पतालों को मजबूत करने का निर्णय लिया। इसी तरह से 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेष इमरजेन्सी ओब्सट्रिक्ट केयर सेन्टर के रूप में सशक्त करने का निर्णय लिया। 200 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो नये बच्चे पैदा होते हैं, एक महीने में ही उनमें से कई बच्चे समाप्त हो जाते हैं। इसलिये प्रसूति गृह के निर्माण का निर्णय इस सरकार ने लिया। 200 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है और आगे बढ़ाने की सोच रही है। 2004-05 का बजट जो 722 करोड़ का था, जो हमने ही बढ़ाया था, उसको और बढ़ाकर 2005-06 के अन्दर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

850 करोड़ कर दिया ताकि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों। आपने जितना बजट किया था, जस्ट उससे डबल। इसी तरह से राष्ट्रीय राज मार्गों पर दुर्घटनाएं होती थीं, हम रोज अखबारों में पढ़ते थे, आज वहां इतने आदमी मर गये, आज वहां इतने आदमी मर गये.. उसको रोकने के लिये, उसमें कमी करने के लिये 6 स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ कर ट्रोमा यूनिट स्थापना की गयी। मेरे यहां देवली में भी की, इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब तक सिजेरियन सुविधा केवल जिला स्तरीय अस्पतालों में ही उपलब्ध थी, अब यह सुविधा राज्य के 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी उपलब्ध होगी। इस सुविधा के अभाव में महिला मर जाती थी, बच्चे मर जाते थे। यह सुविधा देखिये आप।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये स्थानीय जनता में आशा का चयन किया गया। अब तक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये 16,558 आशाओं का चयन कर लिया गया, संभाग मुख्यालयों को छोड़कर शेष जिला मुख्यालयों पर 1.1.2004 से, कितना इम्पोर्टेन्ट डिसीजन है-अगर कोई आयुर्वेद का इलाज कराना चाहता है तो आयुर्वेद ही नहीं, एलोपैथी इलाज का कराना चाहता है तो एलोपैथी ही नहीं, कोई होम्योपैथी का इलाज कराना चाहता है तो होम्यापैथी ही नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि इन्होंने 1.1.2004 से एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, युनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में से किन्हीं दो पद्धतियों की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की एक ही छत के नीचे। इसलिये मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त : स्वास्थ्य मंत्रीजी बड़े खुश हो रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसी तरह से टेली मेडिसिन की सेवाओं का भी शुभारम्भ किया गया है। टेली मेडिसिन सेवाएं, संजीवनी कार्यक्रम, जनजाति एवं मरू क्षेत्रों में, हमारे मीणा साहब बैठे हुए हैं, मरू क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इस तरह का निर्णय भी इन्होंने लिया है। इसी तरह से महिला होने के नाते बच्चों का दु:ख, महिलाओं का दु:ख भी जानती हैं, इन्होंने महिलाओं के लिये 99,318 स्वयं सहायता समूह का गठन कराया, 33075 समूहों को बैंकों से जोड़ा, 5627 करोड़ रुपये की

(डा. एन.एस. गुर्जर)

साख सुविधाएं इन समूहों को मुहैया करायीं। 16 नवम्बर, 2005 से तीन से छह आयु वर्ग के बच्चों को केन्द्रों पर गर्म भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। 1130 आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गयी, 500 ग्रामीण महिला समूहों के काम के समय उनके शिशुओं की सार-संभाल के लिये शिशु बाल गृहों की स्थापना की भी पहल की गयी। जब ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं तो उनके बच्चे सड़क पर पड़े रहते हैं, उनका भी ध्यान रहा। जब परिवर्तन यात्रा में देखा कि बच्चे सड़क पर पड़े हैं, गर्मी में हम देखते हैं, मैं मंत्री था, झण्डारोहण करने जा रहा था, अध्यक्ष महोदय, सड़क के ऊपर दो साल के बच्चे को तड़पते हुए देखा। महिला काम कर रही थी मजबूरी में, मैंने उसी समय बहुत ही करूणात्मक एक कविता लिखी थी। मुझे याद है, मैं वह कविता नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मेरा दिल पसीज गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुना ही दो।

श्री अध्यक्ष : बच्चे को गोद में तो नहीं उठाया?

डा. एन.एस. गुर्जर : जब वह कविता मैंने भरतपुर में सुनाई तो नीरज जैसे कवि ने मेरी पीठ थपथपाई। ग्रामीण साथिनों का मानदेय 1 अप्रैल, 2004 से 350 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : नाथूसिंहजी, आपकी कविता से मालूम पड़ेगा कि राजस्थान की पीड़ा को किस रूप में अनुभव करते हैं, यह कविता पढ़ो आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : अति कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन की कार्य योजना यूनीसेफ के सहयोग से की जाकर अजमेर, अलवर, टौंक, जोधपुर, राजसमन्द, धौलपुर, झालावाड़ जिलों में इस योजना को कार्यान्वित किया जा चुका है। इसी तरह से जनजाति विकास में, यहां रघुवीरजी बैठे हुए हैं, सरकार ने 9 से 12 की 12,300 जनजाति छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजाति छात्राओं को स्कूटी का प्रावधन किया। 17 हजार जनजाति परिवारों को भूमि आबंटन का लाभ दिया गया। सिविल सेवा की आरम्भिक/मुख्य परीक्षा में सफल एस.सी., एस.टी. छात्रों को अनुप्रति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सम्बल दिया गया। दो या इससे अधिक विकलांक वाले परिवारों को आस्था योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. जैसी सुविधाएं दी गयीं। विधवा, विकलांग, पेंशनर्स को

(डा. एन.एस. गुर्जर)

प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क, अब देखिये, रेवड़ वाले लोग होते थे जिनकी कोई सुनता ही नहीं था। आज यहां कल वहां। घूमन्तु, पशुपालक परिवार के बच्चों को स्कूल में पढ़ने की सुविधा प्रदान की गयी। रेवड़ वाले घूमन्तू व उनके पशुओं को बीमा सुविधा में लिया गया। इस वर्ष 1 करोड़ 50 लाख भेड़-बकरियों और 90 हजार घुमन्तू पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। इसलिये आम आदमी यानि समाज का कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको कुछ न कुछ नहीं दिया गया हो, जिसके इम्पैक्ट नहीं आया हो जो वित्तीय प्रबन्धन किया है उसका।

इसी तरह से रोजगार के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपके राज में शिक्षकों की नियुक्ति कोई नहीं, जीरो, और इस राज के आने के बाद 32,933 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की नियुक्ति आपके राज में कोई नहीं, जीरों यहां 2732 प्राचार्यों एवं उप प्राचार्यों की पदोन्नति। 137 आपके राज में, अब 631 । ए.एन.एम. की नियुक्ति जनजाति क्षेत्रों में 935, मरू क्षेत्रों में 670, सहयोगिनों की नियुक्ति 22912, महिला सिपाहियों की नियुक्ति 1200, साथिनों की नियुक्ति 7674, इतना अगर हम देखें तो अकेले शिक्षा विभाग में 51000 से ज्यादा नौकरियां दी गयीं और रोजगार के अवसर दूसरी योजना में उपलब्ध कराये गये हैं। मैं आगे आना चाहूंगा, यह तो केवल सरकारी नौकरियों की चर्चा कर रहा था।

इसी तरह लघु उद्योगों का पंजीयन आपके राज में 48122 हुआ, इस राज में दो साल में, 22149, दो साल में। इसके कारण इन उद्योगों में रोजगार आपके समय में 1,72,676 पांच साल में, और अब दो साल में ही 83,864 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। यह दो साल की उपलब्धि है। आर्टिजन इकाइयों में रोजगार आपके समय में 61 हजार को पांच साल में और यहां दो साल मे ही 28,606 । लघु उद्योग इकाइयों में रोजगार सृजन आपके समय में 1,11,648 पांच साल में और दो साल में 55,258 का रोजगार सृजन किया गया। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में करीब 49.428 को रोजगार प्रदान किया गया जबकि आपके समय में पांच साल में केवल 1,25,648 को किया गया था। यानि दो साल में ही 50 हजार पर गया। इसलिए रोजगार में भी आगे, महिलाओं के कल्याण में भी आगे, बच्चों के कल्याण में भी आगे, जनजाति के कल्याण में भी आगे।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अब मैं ग्रामीण विकास के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जब तक विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, इन वर्गों को सहायता देने के साथ उनका विकास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? औसतन वार्षिक बजट ग्रामीण विकास का 433.72 करोड़ रुपया आपका, हमारा रहा 693.31 करोड़ रुपया। यह जनवरी, 2006 में 774.9 करोड़ रुपये प्राप्त हो गया, 717.44 करोड़ खर्च हो गया, प्रतिशत खर्च 92.58 प्रतिशत। आपके समय यह मानिटरिंग नहीं होती थी जिसके कारण लास्ट की तिमाही में खर्चा होता था, उसके पहले कोई खर्चा नहीं होता था।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना से जनवरी, 2006 से 22,297 बी.पी.एल. परिवार लाभान्वित हुए हैं। 25 हजार के स्थान पर 30,809 रुपये एकम परिवार को पहले बी.पी.एल. परिवार को 25 हजार रुपये दिये जाते थे स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना में, अब इसको बढ़ा कर 30,809 कर दिया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जनवरी, 2006 में 166.35 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये। इन्दिरा आवास योजना में 58.58 करोड़ रुपये खर्च, डांग क्षेत्रीय विकास योजना में 5 करोड़ का प्रावधान, मगरा क्षेत्र विकास योजना में जिसमें राजसमन्द, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ की पंचायत समितियां हैं, उनके गांवों को जोड़ कर उनमें विकास की योजना बनायी गयी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना-जनवरी, 2006 तक 10,389 बी.पी.एल. परिवार लाभान्वित। राष्ट्रीय सम विकास योजना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ 105 करोड़ रुपये के विरुद्ध 93 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका। कृषि उत्पादक वृद्धि और रोजगार के अवसर इसके तरह उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 81 हजार किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

इस तरह से अब तक यह तो यह सरकार कर रही है, इसके अलावा और छोटे-मोटे काम हैं, काम के बदले अनाज योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम था, एस.जी.आर.वाई. और दूसरी चीजें हैं लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है। 190 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास का रोक कर बैठी हुई है। यह केन्द्र सरकार रोक कर बैठी है। हमारे समय आप तो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि आप लोग उनको भेजने नहीं देते हो। कृषि में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

देखें, 261 सरसों केन्द्र स्थापित कर 2400 करोड़ की 14 लाख टन रिकार्ड सरसों की खरीद पिछले साल की गयी जो कि एक ऐतिहासिक रिकार्ड है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : 190 करोड़ काहे के रोके हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर : 190 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के।

किसान जीवन कल्याण योजना, जनवरी 2006, 1282 मजदूरों/ काश्तकारों को 429 लाख रुपये की सहायता दी गयी। गोवंश संवर्धन हेतु गौशालाओं को अनुदान दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 13 जिलों में 41 करोड़ के कार्यक्रम बनाये और ओलावृष्टि में किसानों का चार माह का बिजली का बिल माफ किया।

बी.पी.एल. की रियायतें हैं, बी.पी.एल. को जो रियायतें मिलती हैं। और कई ए.पी.एल. परिवार के गरीब होते हैं लेकिन बी.पी.एल. में नहीं आ पाते हैं, सरकार ने सिफारिश की है कि ए.पी.एल. के गरीब परिवारों को भी वहीं रियायतें दी जाएं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्दर 6 लाख किसानों को 2005 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया खरीफ, 2005 में। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति पर सुबह डिस्कस हो रहा था, बिजली की स्थिति पर जब मैं आऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां भी इसको पाइंट आउट करना चाहूंगा, कि पहली बार रबी की फसल में पौने तीन लाख हैक्टेयर जमीन में ज्यादा बुवाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, उसमें 50 प्रतिशत ट्यूबवैल पर आधारित कृषि है, लगातार बिजली दी गयी। कहीं भी बिजली को लेकर बहुत ज्यादा कोई आन्दोलन की स्थिति नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो बिजली मंत्री को ही कहने देना आप, यह देंगे स्टेटमेंट।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से आपदा प्रबन्धन में बाढ़ सहायता, भूकम्प सहायता लागू कर दी गयी। आपदा राहत कोष की स्थापना की गयी। राजस्थान राहत कोष की स्थापना की गयी। यह

(डा. एन.एस. गुर्जर)

किस लिए? कि आपदा राहत कोष में टर्म एण्ड कंडीशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बना रखी है, उसमें जो परिवार और व्यक्ति कवर नहीं होते उनको कवर करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है। सूखा सहायता नीति तैयार की जा रही है। अकाल राहत कार्यों में फर्स्ट टाइम बजट के पेटे 50 करोड़ रुपये सामग्री के पेटे दिये गये। 50 करोड़ पहले बह जाते थे, जितना भी आता था कि पैसा कहां गया? अब ये 50 करोड़ रुपये देने से पक्की परिसम्पत्तियां खड़ी होंगी और उन परिसम्पत्तियों का लाभ राजस्थान को आगे परमानेंट मिलेगा। इसी तरह से बाढ़ग्रस्त सड़कों के लिए 45 करोड़ रुपये दिये गये, आज किसी भी कस्बे में चले जाओ, आपको टूटी-फूटी सड़कें नजर नहीं आएंगी।

ये इस सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। इसके अलावा पर्यटन में भी पिछली सरकार का 2003-04 में 8.63 करोड़ का बजट था, इसको तिगुना कर 24.5 करोड़ का कर दिया। वर्तमान सरकार ने मेवाड़ कॉम्पलेक्स, हाड़ौती के विकास, एडोप्टेड मोन्युमेंटल स्कीम, नाथद्वारा की भांति मंदिरों का जीवंत विकास, मरू क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, एडवेंचर और स्वास्थ्य पर्यटन की विशेष योजनाएं प्रारम्भ की हैं। हैरीटेज आन व्हील्स फरवरी, 2006 से प्रारम्भ की गयी... .

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप मेरे और बोलने वाले के बीच से जा रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : विरासत संरक्षण योजना-22 शहरों में विरासत महत्व पर 10 करोड़ का व्यय। धार्मिक पर्यटन 2005-06 में 80 लाख रुपये मंदिरों के जीर्णोद्धार पर। दो धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये गये हैं मेवाड़-बांगड़ सर्किट और ब्रज सर्किट। यह बहुत पहले से लोगों की मांग थी और ये बहुत महत्वपूर्ण सर्किट हैं पर्यटन की दृष्टि से। अभी मैं पुष्कर जाकर आया हूं, तीन दिन पहले ही, वहां पर भी एक अनूठी योजना शुरू की गयी है जिसमें भारी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया और वहां पर कई अच्छे-अच्छे कार्यक्रम विदेशी महिलाओं और पुरुषों ने प्रस्तुत किये।

श्री जुबेर खान : कैसे डांस किये थे, वह भी बता दो विदेशी महिलाओं ने?

डा. एन.एस. गुर्जर : वह बता दूंगा। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा डांस की, तब बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर खड़े होकर बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री जुबेर खान :. ऐसी बात का उदाहरण क्यों देते हैं जो आपने भी देखा हो, कितना और किस तरह के अभद्र वहां प्रदर्शन हुए हैं? इसकी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब वह क्या करें, क्या न करें, लेकिन आप बीच में काहे को व्यवधान डाल रहे हैं? यह भी ठीक नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मुझे गलत समझ रहे हो। जो मैं कह रहा हूं वह चीज नहीं है जो आप समझ रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी भाषा में कहो न कि यह समझ जाएं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मुझे इनका बहुत अध्ययन करना पड़ेगा।

अभी ऊर्जा, वार्षिक बजट, औसत वार्षिक बजट 1240.17 करोड...

श्री अध्यक्ष : ऊर्जा पर मंत्रीजी का स्टेटमेंट आएगा अभी चार बजे।

डा. एन.एस. गुर्जर : आ रहा है। चलिये, उनका आ जाने दीजिए, मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं केवल दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो बिजली का उत्पादन किया है, अभी तक टोटल बिजली का उत्पादन 2600 मेगावाट बिजली हमारे यहां है और करीब 2000 मेगावाट से ज्यादा के प्रोजैक्ट की क्रियान्विति के लिए इस सरकार ने प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं छबड़ा के अन्दर चार-पांच जगह। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लाख कनेक्शन इन्होंने दो साल में जारी किये हैं, किसानों को कनेक्शन देने की नीति का सरलीकरण किया और उस सरलीकरण के अन्दर इन्होंने पहले 50 प्रतिशत लगता था। प्रति कनेक्शन उसको कम कर दस परसेंट कर दिया। ट्रांसफार्मर एक महीने में बदले जाते थे. अब 72 घंटे में बदलने की व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ी चीज, पांच हजार करोड़ रुपए का

(डा. एन.एस. गुर्जर)

फीडर सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया। आज छीजत की और चोरी की हम चर्चा कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, 62.5 परसेंट से केवल 22 समथिंग परसेंट, के ऊपर छीजत आ टिकी, जहां-जहां फीडर सुधार कार्यक्रम हुआ। एक लाख कनेक्शन दिये और सरलीकरण किया। ये केवल एक साल में ज्यादा से ज्यादा प्रन्द्रह हजार के आस-पास कनेक्शन देते थे। सरलीकरण के कारण 400-500 करोड़ रुपए का किसानों को लाभ हुआ और महंगी बिजली खरीद कर किसानों को दी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपने कहा वक्तव्य आएगा, साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया उसके कारण किसानों को लाभ हुआ। इस तरह से इस सरकार ने पिछले दो साल में एक हजार करोड़ रुपए का किसानों को फायदा करवाया केवल अकेले बिजली सैक्टर में। यह मैं आंकड़ों के आधार पर सिद्ध कर दूंगा, परन्तु समय नही है इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप कैसे बोलते थे, मैं एक नमूना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2.44 पर बोलना शुरू किया था, 3.41 हो गये हैं, दो-तीन-चार मिनट में खतम कर दो। एक घंटा तो बहुत होता है। समर्थक भी बोलेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं। ये किस तरह से देते थे अध्यक्ष महोदय, किस तरह से बोलते थे। हम प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, जो काम हो रहा है उसको बता रहे हैं कि पांच साल में यह हुआ। दो साल में आंकड़ों सहित व्यावहारिक बोल रहे हैं। ये कैसे बोलते थे? 19 मार्च, 2002 का धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए पूर्व मंत्री माननीय शैलेन्द्रजी जोशी ने इसी सदन में कहा बिजली के बारे में, वह कोट करना चाहता हूं चार लाइन कि किस तरह से....

श्री अध्यक्ष : आप यह और वह छोड़ें, हमने क्या किया, आप तो वह बोलें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुनेंगी तो आपको पता लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कोट कर रहा हूं... (व्यवधान) उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय बोला, मैं कोट कर रहा हूं। आई कोट, उपाध्यक्ष महोदय वह बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : करिए तो कोट।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जो हमने उपलब्धियां की हैं, वे बेजोड़ हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से बिजली के उत्पादन में हम सक्षम हैं और राजस्थान वर्ष 2003 में बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राजस्थान का जो उत्पादन है वह अतिरिक्त उत्पादन की श्रेणी में आ जाएगा। यह 2003 के अतिरिक्त उत्पादन के लिए बोल करके गये हैं। यह भाषण दिया है, मैंने इसलिए कोट करना जरूरी समझा कि...

श्री अध्यक्ष : न तो वह ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री का तो कोई मान भी सकते हैं कि उन्होंने कहा है। ऐसे ही कह दिया होगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : हाउस में बोलें तो जिम्मेदारी से तो बोलें, मैंने इसलिए कहा है। इसी तरह से पक्षियों के संरक्षण के लिए, जन चेतना जाग्रत करने के लिए, वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में डा. सलीम अली व्याख्यान केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सालिम अली। गलत छपा है यह सलीम अली, मैं तो इतना सा ही निवेदन कर रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा है, मैं मान लेता हूं सालिम अली। ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए इस सरकार ने केन्द्र सरकार को 109 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा है ताकि चम्बल से पानी आ जाए, लेकिन केन्द्र सरकार एक धेला नहीं दे रही है, एक धेला। इसी तरह से सरिस्का अभ्यारण्य मे तेरह बाघ और उन्नीस बघेरों के प्रकरण दर्ज कर संसार चन्द्र सहित तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके लिए भी राज्य सरकार ने चौबीस करोड़ रुपए का एक प्रपोजल बनाकर भेजा गांव के री-लोकेशन का और उसके डवलपमेंट करने का। माननीय मनमोहन सिंहजी भी बड़ी चर्चा करते हैं। प्रधान मंत्रीजी को भी बड़ी चिन्ता होती है बाघों से। एक माननीय सदस्य यहां इस समय नहीं है, उन्होंने तो उस कमेटी से तयागपत्र ही दे दिया था। आपको बड़ी चिन्ता होती है, लेकिन इनकी चिन्ता देखिए, केवलादेवी में 109 करोड़ रुपए नहीं दे रहे। सरिस्का में एस.टी.पी. सरिस्का

(डा. एन.एस. गुर्जर)

टाइगर प्रोजैक्ट के लिए चौबीस हजार करोड़ का प्रस्ताव भेजा, एक धेला नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट। यह जो रणथम्भौर टाइगर प्राजैक्ट है इसको ईको सेंसिटिव जोन बनाया इस सरकार ने चारों तरफ से और पांच सौ मीटर के दायरे में होटल और रिसोर्ट पर रोक लगाई। यह पहले कुम्भट कमेटी ने दस किलोमीटर की रिकमंडेशन की थी और दस किलो मीटर ही माना था। उसके बाद इस सरकार ने आकर एक किलोमीटर किया, एक किलोमीटर के बाद इन्होंने पांच सौ मीटर कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि बाघों का संरक्षण हो, इन अभ्यारण्यों का संरक्षण हो। किस आधार पर यह सरकार बोल रही है? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री अध्यक्ष : आपकी मुख्य मंत्री सब ले आएंगी, चिन्ता ही मत करो। आपकी मुख्य मंत्री सेण्ट्रल से मिलने वाली सारी सहायता ले आएंगी, आप चिन्ता मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : सेण्ट्रल की चिन्ता मत करो।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आप राज्य की चिन्ता मत करो, हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप एक घंटे से ज्यादा ले चुके हैं, कन्क्लूड करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा अनुमोदन करने वाले के लिए भी छोड़ दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : यह तो मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, नहीं तो यह दो घंटे नहीं बैठते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कृपापूर्वक चौदह घंटे का समय दिया है, भारतीय जनता पार्टी का चौदह घंटे का समय आपने निश्चित किया है।

श्री अध्यक्ष : तो क्या अकेले यही बोलेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अच्छा बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आज रिकार्ड बना लें कितना बोलते हैं, चौदह घंटे इनको दिए जाएं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सड़क पर आना चाहता हूं। सड़कों के अन्दर वार्षिक औसतन बजट... (व्यवधान) केवल 245.78 करोड़ रुपए का आपका ओर हमारा इस सरकार का औसत बजट 487.22 करोड़ रुपए का, जस्ट डबल। बी.टी. रोड़ निर्माण-बारह किलोमीटर प्रतिदिन हमारी सरकार बना रही है। आपकी सरकार चार किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी। हमारी सरकार प्रतिदिन सड़कों से चार गावों को जोड़ रही है, आपने पांच साल तक केवल एक गांव को प्रतिदिन जोड़ा। इस सरकार ने पहली बार सड़क विकास नीति स्टेट मेगा हाई-वे प्रोजेक्ट, रिडको, मुख्य मंत्री सड़क योजना की शुरूआत की। शुरूआत करने के कारण हुआ क्या कि इस हेतु इस सरकार को भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की और पूरे देश में सड़क निर्माण में प्रथम स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह से...

डा. सी.पी. जोशी : पहले भी एक नम्बर पर ही था। यह मालूम नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह : यह कागज पहले नीचे दब गया था।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं किसको पहले लूं और किसको बाद में लूं, आपको क्या आपत्ति है?

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्र सिंहजी की सिफारिश के बिना आपका काम नहीं होगा, आप बोलो।

डा. एन.एस. गुर्जर : चलो, आप मेरे शुभचिंतक हैं तो ऐसा मान लीजिए। इसी तरह से सिंचाई और कमांड एरिया डवलपमेंट क्षेत्र के लिए औसत सालाना बजट 498.16 करोड़ था, हमारा बढ़कर जस्ट डबल 958.94 करोड़ हो गया। औसत बजट जस्ट डबल। सिंचाई के अन्दर क्योंकि जब तक सिंचाई का बढ़ाएंगे नहीं, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता. इन्दिरा गांधी परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर तेईस माह के अन्दर 18,84.06

(डा. एन.एस. गुर्जर)

करोड़ रुपया खर्च किया गया, 93.17 परसेंट है। इधर तो 1884 करोड़ रुपया 23 माह में, सिर्फ 23 माह में, दो साल भी नहीं, और इनके पांच साल के शासन में केपल 2022 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाये हैं।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय से कहिए कि मंत्री महोदय अपने कार्यालय में जाकर काम करें, यहां सदन में काम होता है क्या?

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र सिंहजी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो, साठ किलोमीटर रोड़ जो मेरे को दिया था, इस राज में एक भी रोड नहीं दिया। रोड फूटी-टूटी पड़ी है। यह बातें करने... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अत्यधिक सिंचाई क्षेत्र की 1.88 लाख... (व्यवधान) बीस पेयजल योजनाओं के ऊपर...

श्री श्रवण कुमार : चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, मुख्य मंत्रीजी ने समान अधिकार दिया था कि साठ किलोमीटर रोड़ प्रत्येक एम.एल.ए. रीकारपेट करेगा, वह नहीं कराई आज तक।

डा. एन.एस. गुर्जर : सतही जल आधारित बीस पेयजल योजनाओं में 1020 करोड़ रुपए का व्यय और 23 माह मे तीन मध्यम 66 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गयीं, एक रिकार्ड है। इन्होंने पांच साल के अन्दर केवल तीन वृहत्, 81 लघु सिंचाई योजनाएं कीं। मोगा सुधार और आबियाना के लिए 27 करोड़ का आबियाना का कर्जा माफ किया। इन्होंने कोई पहल नहीं की। हरिके बैराज के गेटों की मरम्मत होने के कारण और नहर वाटर कोर्सेज की मरम्मत के कारण अधिक पानी मिलना हमको शुरू हुआ। नये नर्बदा प्रोजैक्ट के गुजरात सरकार को 646 करोड़ रुपये देकर, 74 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कराया। यह नर्बदा प्रोजैक्ट का पानी राजस्थान में आए इसके लिये 646.95 करोड़ का पूरा का पूरा भुगतान गुजरात सरकार को कर दिया गया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यह।

इसी तरह से शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिये पांच साल में 132 करोड़ औसत वार्षिक बजट खर्च किया हमने। 2004-05 में 195 करोड़ का, एक साल में ही। आपने पांच सालों में औसतन 132 करोड़, हमने 2004-05 में ही 195 करोड़ और 2005-06 में बढ़ाकर उसको 212 करोड़ कर दिया।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

यह पेयजल में किया। इसी तरह से पेयजल का वार्षिक औसत बजट था 286.44 करोड़ रुपया जो आपने खर्च किया और हमारा इससे जस्ट डबल बढ़ करके 460.86 करोड़ हो गया।

इसी तरह से ग्रामीण पेयजल में आपका वार्षिक बजट 165 करोड़ रुपये और हमारी सरकार का 2004-05 में 269 करोड़ और 2005-06 के अन्दर 335 करोड़ रुपये, आपसे तिगुना बजट ग्रामीण पेयजल योजनाओं के ऊपर हमारी सरकार का प्रावधान हुआ।

इसी तरह से दो वर्षों में इस सरकार ने 4702.06 करोड़ लागत की 22 पेयजल की नयी योजनाओं को स्वीकृति दी, 11 परियोजनाओं का काम शुरू किया और 17 जिलों के 6700 गांवों को इसका लाभ मिला। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जिले इस योजना में शामिल हैं। बीसलपुर परियोजना से जयपुर को पानी लाने के लिये भी इस सरकार ने प्रावधान किया लेकिन केन्द्र सरकार ने कह दिया कि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से एक योजना को ड्राप करोगे तो हम इसमें पैसा देंगे। तो केन्द्र एहसान कर रहा है, एहसान के बावजूद यह सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई-सा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अन्दर यह सरकार आगे बढ़ती जा रही है। इसी तरह से इन्होंने...

श्री अध्यक्ष : बस अब काफी हो गया, अब तीन-चार... (व्यवधान) समाप्त कीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं समाप्त ही कर रहा हूं बस। इसका असर हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों के अन्दर इनकी हार हुई...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह बोल रहे हैं और हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस पाइंट पर यहां, लेकिन जब हम बोलेंगे तब इनकी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। यह जितना दें, तथ्यात्मक बात बोल रहे हैं तो उसका प्रतिवाद हमारी तरफ से आएगा।

श्री अध्यक्ष : जितना विस्तार में प्रतिपक्ष ने किया है, हर बार बोला है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आंकड़े कोट कर रहा हूं, आप कृपया उन आंकड़ों का जिक्र करें जब आप भाषण दें। मैं सरकार के...

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अभी तो चुप हूं लेकिन हमारी तरफ से बोलेंगे और वह तथ्यों के साथ बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि...

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, बोलिये न आप। मैं तो चलाकर बोल रहा हूं इसीलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : तो आपने कहां से कर दिया, यह तथ्य के साथ आएगा। आपने स्टेट में तो किया नहीं एक कौड़ी का। यह तो तथ्य है कि भारत सरकार का पैसा है, वह हमारे आया। उसमें आपके प्रश्न का उत्तर आएगा हमारी तरफ से।

श्री अध्यक्ष : हां, तो देना ना उत्तर, कौन ना कर रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो यह हा-हुल्लड़ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : देना, कोई नहीं हा-हुल्ल्ड करेगा। कोई हा-हुल्लड नहीं करेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह हा-हुल्लड का ही इंतजाम करवा रहा हूं पहले। हम तो शांति से सुन रहे हैं, हम धैर्य से सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो देना। आप देना, कोई नहीं करेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से काम कर रही हैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी, भगवान का भी आशीर्वाद मिल रहा है। रेगिस्तान में तेल मिला, 9000 करोड़ रुपये की रिफाइनरी लगी जिससे इनडायरेक्ट एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट बीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान में हुआ है। इसको आप क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, ये सब उपलब्धियां हैं। आज आप कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बड़ी चर्चा कर रहे थे, कानून और व्यवस्था की एक रिपोर्ट तो मैंने आपको कोट की है लेकिन मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। आज एम.पी. के

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अन्दर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 11.7 परसेंट, कर्नाटक में 11.4, केरल में 22.11, आसाम में 14.09, बिहार में 10.2, महाराष्ट्र में 6.8 और राजस्थान में 2.7, केवल 2.7 यह अपराधों का रिकार्ड है। यह अपराधों की दर है। इसी तरह से तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो 1999 में हत्या, जब आपका शासन था, उस समय 1520 एवरेज थीं, एक साल में हमारे 2005 में 1221 । लूट 1209। अभी 590 । बलात्कार 1198, अभी 993 । नकबजनी 8971, अभी 5227 । साम्प्रदायिक दंगे 38, अभी 19 । साम्प्रदायिक घटना/तनाव 3, अभी 2 । यह आपके उदाहरण दे रहा हूं। बलवा आपके समय में 16598 और हमारे समय में 2290 । यह अपराधों का रिकार्ड है। इस तरह करीब 9 प्रतिशत की कमी कुल दर्ज अभियोगों में आयी है। इसी तरह से दहेज मृत्यु, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार व अपहरण जैसे अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी आयी है। आप कहते हो, महिलाओं के साथ बहुत हो रहा है, 10 प्रतिशत की कमी। अनुसूचित जाति अत्याचार के अपराधों में 12.96 प्रतिशत की कमी। अनुसूचित जनजाति अत्याचार के अपराधों में 26.29 प्रतिशत की कमी। इसी तरह से स्पेशल क्राइम एण्ड इकोनोमिक आफेंस की यूनिट एक अलग बनायी गयी है जिसमें नकली दवा, खाद, फर्जी, लाइसेंस कम्पनियां, तस्कर गिरोह, सारी चीजों को जोड़कर एक तुरन्त उसमें इनवेस्टीगेशन हो, इस बात की व्यवस्था की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा, ये सेज-सेज बहुत चिल्ला रहे हैं और इन्होंने कहा कि महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को फायदा कर दिया, फलां को फायदा कर दिया...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सेज कई राज्यों के अन्दर है और चीन के अन्दर तो 600 से अधिक विशेष जोन हैं क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन का हो गया और व्यापार को हमने खोल दिया तो सेज इसके लिये आवश्यक है। राजस्थान के अन्दर इसको लागू होने से दस हजार करोड़ का निवेश होगा, एक लाख लोगों से ज्यादा को नौकरी मिलेगी और इस कारण से राजस्थान एक नयी तकनीक में आगे बढ़ेगा। यह जो आई.टी. का क्षेत्र है, दूसरी चीजें हैं, आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

राजस्थान का ही इसमें नाम ऊंचा होगा। कहते हैं रियायती दर पर जमीनें दीं, आपने इसमें यह कर दिया, मीनमेख निकालते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया? आज यह सरकार बड़े-बड़े प्रोजैक्ट जयपुर के आस-पास में लायी, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा का लायी सेज का, कूकस हीरो हौंडा में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है, घाट की गूणी में 300 करोड़ खर्च होंगे, स्मृति वन और यह जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क था, 25000 रुपये वर्ग मीटर के अन्दर उस जमीन को दिया गया। और आपने क्या किया? उसी जे.एल.एन. मार्ग पर ई.पी. को जमीन आपने कौडियों के भाव में दे दी, 1225 रुपये गज, कौडियों के भाव में। आज भी 18000 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उसके पीछे पड़ी हुई है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराओ।

सर्व आइलैंड डवलपमेंट में इन्होंने 7.56 करोड़ की छूट दी...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके लिये कोई आवश्यक नहीं है बोलना। कोई आवश्यक नहीं है बोलना। आप स्थान गहण करें, मंत्रीजी, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जिस किसी व्यक्ति ने भी ई.पी. के पास जे.डी.ए. की लैंड पर कब्जा कर रखा है उसकी मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और वह जे.डी.ए. की जमीन है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह ई.पी. को जमीन दी इसमें 8.46 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। जलमहल की लीज दे दी गयी और यह चुनाव से कुछ समय पूर्व ही...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 4.00 बजे मंत्रीजी देंगे, 3.58 हो गये हैं। 4.00 बजे उनका स्टेटमेंट है।

डा. एन.एस. गुर्जर : दो तीन मिनट में कनक्लूड करूंगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमें भी पता लगे, कौन हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सर्व आइलैंड डवलपमेंट को 7.56 करोड़ की छूट दी इन्होंने ठीक चुनाव के पहले। (व्यवधान) बायेर हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को 12.40 करोड़ की छूट दी। परफैक्स बिजनस सोल्यूशन को 3.37 करोड़ की छूट दी। आई.टी. इंडिया को 11.09 करोड़ की छूट दी। अध्यक्ष महोदय, ये किस आधार पर इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार छूट दे रही है? इसका परिणाम क्या हुआ?

डा. सी.पी. जोशी : आप तो पहले स्पीकर हो, मान्यवर, किसने आरोप लगाये? आप तो पहले ही स्पीकर हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : अखबारों में रोज लगा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य...

डा. सी.पी. जोशी : चोर की दाढ़ी में तिनका, अध्यक्ष महोदय। पहले स्पीकर हैं... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अखबार में रोज आपके स्टेटमेंट आये, आपने जन-जागरण अभियानों में खूब बोला है, मैं उस पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये इस वित्तीय प्रबन्धन का सारे विभागों पर असर हुआ। सारे वर्गों पर असर हुआ है और सारे वर्गों की उन्नति इस सरकार ने की है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

(16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अपने जन-जागरण अभियान चलाया और माननीय मुख्य मंत्रीजी जन-सम्पर्क यात्रा पर निकलीं, दोनों का असर क्या हुआ? दोनों का असर बताना चाहता हूं, 22 स्थानों पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चार बजे का.... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : दो मिनट में समअप ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट में... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अब समअप ही कर रहा हूं। इनका जन-जागरण अभियान जगह-जगह फ्लाप शो साबित हुआ और मुख्य मंत्रीजी की जन-सम्पर्क यात्रा में मिनिमम 25 हजार से लेकर 35 हजार तक लोग मीटिंगों में आये। एक लाख लोग छबड़ा में आये। इसी तरह से सोजत के अन्दर 50 हजार बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या रिलेवेंसी है?

डा. एन.एस. गुर्जर : वह कार्यालयों के आंकड़े हैं। वह कैसे आये और कैसे नहीं आये, सब आंकड़े हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी जन-जागरण यात्रा सारी फ्लाप शो रही। कई जगह जिला हैड क्वार्टर पर यात्रा ही नहीं हो पायी। अब यह बंटी हुई कांग्रेस राजस्थान का भला नहीं कर सकती है। ये चुनावों के आंकड़े हैं, प्रमुखों के, प्रधानों के, नगरपालिकाओं के, लोक सभा के और विधान सभा क्षेत्र के आप ये सब हारे हैं। अभी-तीन म्युनिसिपैलिटी में दो में हम जीते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 17 जिला प्रमुख हमारे बने हैं, ध्यान रखना। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जन-सम्पर्क यात्रा फेल हो गयी और आपकी जन-जागरण यात्रा सफल हुई। यह अलग ही बोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : जोधपुर में आपस में झगड़ गये। जोधपुर के सारे अखबार भरे हुए हैं उस दिन के। आपस में ही झगड़ गये।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अंत में यह कहना चाहूंगा कि यह जो यात्रा 21वीं सदी में ले जाने के सोच के साथ, राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का जो सपना मुख्य मंत्रीजी ने संजोया, है, अपने पहले बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि हम हौसलो के साथ...।

श्री अध्यक्ष : हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : हम हौसलों से उड़ा करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : उन्होंने कहा, हम हौसलों से गिरा करते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा था, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : हौसलों से उड़ा करते हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका इशारा घनश्यामजी तिवाड़ी की तरफ तो नहीं... (व्यवधान) औसत की बात हो रही है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार-बार समय का ध्यान दिला रही हैं। और यह मुझे टोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप प्लीज कन्क्लूड करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : हौसलों से उड़ा करते हैं तो मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वरचित है ना?

डा. एन.एस. गुर्जर : स्वरचित है। अध्यक्ष महोदय, चार लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा। 21वीं सदी में राजस्थान को दो साल में अंधेरे से निकालकर उजाले में ले आयी और अब विकसित प्रदेशों में प्रथम श्रेणी पर लाने के प्रयास कर रही हैं, वे हौसले बरकरार हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी के लिए चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। 'जनता का विश्वास साथ है, जनता इनको प्यारी है। इसलिए हे वसुन्धराजी। आप सब पर भारी है।' इसलिए ही आज भी सबसे ज्यादा कोई पापुलर नेता है तो कांग्रेस के पास एक नेता भी नहीं है जितनी वसुन्धराजी पापुलर हैं। वसुन्धराजी, आप सब पर भारी हैं। मुश्किलें तो बहुत हैं राह में मुश्किलें तो आ रही हैं लेकिन हौसलों की उड़ान अभी जारी है। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान : 462 घंटे हौसलों से उड़ी थीं कि हवाई जहाज में उड़ी थीं? हवा में रही थीं 462 घंटे, हौसलों से रही थीं कि हवाई जहाज में रही थीं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बाकी है, इनको मंत्री बनाना बाकी है। मैंने इनके मन की बात कह दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में किसानों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो समस्या है वह खाली राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में है। तीन-चार वर्षों को छोड़कर, मेरे पास नार्दन ग्रिड के जो आंकड़े हैं, हमारे से भारी समस्या दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में है। इनमें हमसे ज्यादा समस्या है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमने रिकार्ड सप्लाई प्रदेश को दी है। किसानों के हित में हमने कनेक्शन बहुत रिलीज किये। हमने जो बिजली उपलब्ध करवायी वह रिकार्ड उपलब्ध करवायी है। पिछले वर्ष में रबी के सीजन में एवरेज 8975 लाख यूनिट पर-डे तथा इस वर्ष 975 लाख यूनिट हम दे रहे हैं। हम इस वर्ष बिजली खरीदेंगे, लगभग 530 करोड़ की खरीदेंगे। पिछले वर्ष हमने 285 करोड़ की बिजली खरीदी। और अभी पाला भी पड़ा ओर हमारे मावठ भी नहीं हुई। इन सब परिस्थितियों को देखतें हुए हमने बिजली सात रुपये प्रति यूनिट तक खरीदी है ताकि किसानों और विद्यार्थी को परेशानी नहीं हो। इसके अलावा मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो एवरेज प्रोक्योरमेंट था बिजली की दर का, वह था 2 रुपये 70 पैसे, इस वर्ष पूरे वर्ष का एवरेज 3 रुपये 71 पैसे रहा है। राजस्थान के इतिहास में पिछले दो वर्ष में बिजली की डिमांड रिकार्ड बढ़ी है। वह 35 प्रतिशत बढ़ी है। जब ग्रोथ होती है, किसी भी प्रदेश में जी.डी.पी. ग्रोथ होती है किसी भी देश की होती है, जैसे इंडिया का जी.डी.पी. ग्रोथ है 7 प्रतिशत के करीब ओर चीन का उससे भी ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष के अन्दर जो हमने राजस्थान में बिजली के कनेक्शन दिये हैं, 90 हजार हमने दे दिये हैं। जब से हमारी सरकार आयी है, यह जो 35 प्रतिशत की ग्रोथ है, यह केवल दो वर्ष में हुई है। जबकि कांग्रेस सरकार के पांच साल में पांच प्रतिशत टोटल ग्रोथ हुई है। कहां 5 प्रतिशत और कहां 2 वर्ष में 35 प्रतिशत। यह एक सडन इन्क्रीज इन डिमांड। हमारी जो ग्रोथ रही और जो हमार राज्य में खुशहाली आई है, यह हमारे लियं समस्या आ गयी थी। और आपको जैसा बताया कि रिकार्ड उपलब्धि रही। इंण्डस्ट्रीज का कोटा

(श्री गजेन्द्र सिंह)

जहां हमारी मेक्सिमम रेवेन्यू होती है, उनमें कटौती की। एक मेगावाट से ज्यादा की जो यूनिटें हैं उनमें 24 घंटे कटौती है। यह हमारे किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए दी ताकि वे परीक्षाओं में पढ़ सकें। उनके लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में, जोनल हैडक्वार्टर्स में व्यवस्था है। हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि we didn't try our best. अब अगर नार्दन ग्रिड में ही बिजली उपलब्ध नहीं हो तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो परियोजनाएं हैं, हमारे जो थर्मल प्लांट है, उन्होंने रिकार्ड कायम किया है। हमारे 89 प्रतिशत पी.एल.एफ. उनको नेशनल अवार्ड भी पिछले साल मिला। इस साल उन्होने और भी बढ़िया किया है। हमारे प्रदेश की परियोजना में कोई फेल्योर नहीं थी। हमारे राजस्थान स्टेट में हमारा कोई फाल्ट नहीं था। जो बिजली के लोसेस हुए हैं, जो हमारे सेन्ट्रल प्रोजेक्ट हैं, उसके अन्दर नाथपा-झाकड़ी का, वहां से बिजली कम मिली है क्योंकि वहां पर शिल्टिंग हो गयी थी और बिजली उपलब्ध नहीं हुई। इसके अतिरिक्त आर.ए.पी.पी. का जो एटामिक पावर का है यूनिट नम्बर 1, सौ मेगावाट का, कई महीनों से ठप्प पड़ा हुआ है। यूनिट-2 जो 220 मेगावाट का है, वह 9 अक्टूबर से ठप्प पड़ा है। इसके अतिरिक्त एन.ए.पी.पी. 220 मेगावाट है, यह भी 31 अक्टूबर से ठप्प है। हम जो लैट डाउन हुए हैं, वह बेसिकली जो सेन्ट्रल पावर प्रोजैक्ट हैं, उनकी वजह से हमें बिजली कम उपलब्ध हुई और यह समस्या इसकी वजह से गम्भीर बनती चली गयी। जो हमारी रिकार्ड डिमांड है वह भी एक और कारण थी। जो शाम को हम बिजली देते हैं, अभी माननीय विधायक खंडेला के फर्मा रहे थे कि शाम को बच्चों को पढ़ाने मे दिक्कत होती है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि बिजली जो हम शाम को दे रहे हैं, उसमें फेस-लिफ्टिंग करने से बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जो बिजली एक्चुअली हम दे रहे हैं, कस्बों और गांवों में दे रहे हैं, वह बिजली फेस लिफ्टिंग की वजह से चोरी होकर पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक-दो घण्टे की जो कमी आ रही है, उसका यह प्रमुख कारण है। इसके अलावा हम जो फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम है जिसके अन्दर 8,475 फीडर लिए जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फर्स्ट तीन साल के अन्दर यह कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। पहले चरण के अन्दर हम लगभग 397 फीडर्स को रिनोवेट कर

(श्री गजेन्द्र सिंह)

चुके हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन फीडर्स के अन्दर जहां पर टी एण्ड डी लोसेज 62.2 प्रतिशत थे, वे 22.1 प्रतिशत पर आ गये हैं। कोशिश हमारी यही है कि इसे 15 प्रतिशत पर लाया जाए।

इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स फेल्योर रेट था 69.1 प्रतिशत, वह 1 प्रतिशत पर आ गया है, यह बहुत भारी बेनिफिट है। ये 397 फीडर्स हैं, इनसे 1,213 गांवों को फायदा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में 3 वर्ष लगेंगे लेकिन हम अगले वर्ष में जितने भी गांव हैं उनमें सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स लगा देंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि उन गांवों में फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम कब कम्पलीट होगा। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स लगाने से इन गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जाएगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अपने लाइन लासेज कम करने का 62 प्रतिशत का जो फीगर दिया है, वे कुल कितने फीडर थे? उनकी संख्या कितनी है, बता दीजिए?

श्री गजेन्द्र सिंह : आपके जो मेन फीडर हैं, विधानी जे पी टी सी, बधाल जे पी टी सी, बहरोड़, ताराज बोर्ड, झालावाड़, घाटी झालावाड़, बरेड़ा, धापका गांव, कोटा, फलौदी, सवाईमाधोपुर।

डा. सी.पी. जोशी : आपका टारगेट कितना था 2005-2006 में? इन 5-10 फीडर्स के अतिरिक्त उन 10 गांवों के अलावा किसी भी फीडर में काम नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह सारा ध्यान आकर्षित किया है। इनका स्थगन प्रस्ताव कितनों को कितने घण्टे बिजली दे रहे हैं और फसल पके तब तक पूरी बिजली दें, केवल इतना था, वह बता दें आप बस।

श्री गजेन्द्र सिंह : अब मैं इनको वे आंकड़े भी बता देता हूं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, जो वसूली कर रहे हैं उसको तो रोका जाना चाहिए। अभी फसल आई नहीं है और वसूली कर रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर्स उतार रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, फीडर रिनोवेशन का मंत्रीजी ने जिक्र किया है, उसका पूरा आन्सर राजस्थान की जनता को जानने के लिए मिल जाए तो हर्ष का विषय है।

श्री महादेव सिंह : फसल पक गई है और आप वसूली कर रहे हैं, इसको तो रोका जाए। ट्रांसफार्मर्स उतारे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : बात वसूली की नहीं हो रही है, माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया है.... (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : 26 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में एम एल ए क्वार्टर में कभी बिजली जाती नहीं थी, ठण्ड के समय 8 बजे से 10 बजे तक बिजली चली जाती है, वह क्या है? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तक वसूली को रुकवाया जाए।

श्री नाथूराम अहारी : एम एल ए क्वार्टर में बिजली नहीं है और किसानों की बात कर रहे हैं।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक फसल न आ जाए, तब तक किसानों की वसूली को रोका जाए। उनके ट्रांसफार्मर्स उतारे जा रहे हैं, जिससे फसल का नुकसान होगा। पानी नहीं जाएगा और जो फसल आ रही है वह नहीं आएगी। फसल पकने का समय है।

श्री अध्यक्ष : वसूली रोकने की बात की ही नहीं, आपने बिजली देने की बात की थी।

श्री महादेव सिंह : फसल पकने का टाइम है, वसूली रोकी जाए और ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए, मंत्री महोदय से यह कह रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : इसको रोक दें आप कृपा कर दें, मंत्रीजी, दो महीने बाद में ले लेंगे। आप भी थोड़ी उदारता दिखाओ किसानों के प्रति. किसानों के आदमी हो। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : किसानों की बात है, माननीय मंत्री महोदय, किसानों के भले की तो सोचो। (व्यवधान) रिकवरी स्थगित करके किसानों का भला कराओ।

श्री गजेन्द्र सिंह : डेगाना से पधारे हुए विधायक को मैं कहना चाहता हूं कि हमने दो-तीन महीने की छूट दे दी थी आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ इतने खड़े हो जाते हैं कि कोई बात ही समझ में नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आप खुद नागौर जिले के रहने वाले हैं, आपको पता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, पहले आप इनको सुन लें, इसके बाद आप बोलेंगे, नहीं तो मैं भी नहीं सुन पा रही हूं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सात दिन का दौरा किया था तो आपने भी देखा है।

श्री अध्यक्ष : एक बार विराजें। एक बार सुन लो उनको, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : इस समय किसानों की जर्जर हालत है, 60-50 हजार रुपए बकाया हैं उनके कनेक्शन काट दिये गये हैं। राहत तो आप दे नहीं रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से सवाल तो यह था कि राजस्थान की सरकार ने 8 घण्टे बिजली देने की घोषणा की, 6 घण्टे से बुवाई कराई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको तो 7 घण्टे मिल रही है, आप क्यों बात कर रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : कहां मिल रही है? 3 घण्टे बिजली मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : आप तो झुन्झुनूं की काट के ले रहे हैं। झुन्झुनूं की काट के 1 घण्टे बिजली ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अभी जो बिजली मिल रही है वह मेहरबानी से नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जो स्थिति है...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : आपके पडाव के कारण मिली है, आपका कहना सही है। जहां किसानों का जहां पड़ाव नहीं है वहां नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो, मंत्रीजी, इतना बता दें क्योंकि आप खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : धोद तो अनुसूचित जाति की सीट हो गई इसलिए आपने तो वहां जाना ही छोड़ दिया।

श्री अमराराम (धोद) : बिजली की जो लाख यूनिट बढ़ाकर बताई कि वह 10 प्रतिशत बढ़ी है तो इतनी ज्यादा कहां से मिल गई? डिमाण्ड बढ़ी है 35 प्रतिशत और आपने लाख यूनिट बढ़ाई है वह बढ़ी है 10 प्रतिशत, 25 प्रतिशत शोर्टेज रही है । 6 घण्टे की बिजली में बुवाई कराकर...

श्री अध्यक्ष : वहां से खरीदकर ला रहे हैं। मंत्रीजी, कहां से आ रही है बता दीजिए। कितनी-कितनी लाए हैं, बता दीजिए। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें, आप सुन तो लें उनकी।

श्री श्रवण कुमार : अब फसल खतम हो चुकी है, बेकार लेने से फायदा क्या है?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आप तो इतना बता दीजिए कि राजस्थान में 6 घण्टे की बिजली से बुवाई की, आप कितनी दें, डेढ़ महीने से तीन घण्टे बिजली वह भी 13 दफे, उसका भी कोई टाइम नहीं। 24 घण्टे में 3 घण्टे बिजली दे रहे हैं 6 घण्टे बिजली शाम को देने की बात करते हैं, आज की तारीख में राजस्थान के किसान को 6 घण्टे बिजली नहीं जा रही है। न 6 घण्टे किसान के लिए जा रही है न आम जनता के लिए।

श्री राकेश मेघवाल : कभी परबतसर, कभी नावां, कभी कुचामन, आप तो राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के नेता हैं, आपको खुद की कांस्टीट्युएंसी का ही पता नहीं है कि बिजली कितनी आ रही है, आप तो जगह-जगह धरने-प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। बिजली जो आ रही है, वह तो आप अपने क्षेत्र की जनता से पूछ लो पहले। बाकी जगह-जगह कभी परबतसर में धरना देते हैं, कभी नावां और कभी कुचामन और कभी डीडवाना और कभी नागौर, क्योंकि आपकी सीट तो जनरल रही नहीं, अनुसूचित जाति की हो गई, तो वहां से तो मुझे तख्ता उलटने के लिए आना पड़ेगा। आजकल आप परबतसर ज्यादा जाते हो इसलिए आपके अपने खुद के गांव का तो पता ही नहीं है। धोद में 7

(श्री राकेश मेघवाल)

घण्टे बिजली आती है और जहां आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, परबतसर, बागोट में, वहां भी 7 घण्टे बिजली आती है।

श्री श्रवण कुमार : धरने से आई न?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सिम्पल-सी बात बता दें कि राजस्थान में बुवाई के बाद में 6 घण्टे का शिड्यूल इन्होंने चालू किया था, 8 घण्टे का वादा किया था, 6 घण्टे से बुवाई शुरू की थी, इन पिछले 5 महीने में....

श्री अध्यक्ष : आज की क्या स्थिति है, यह पूछें।

श्री अमराराम (धोद) : यही तो पूछ रहा हूं। आज का प्रश्न यह है कि पिछले डेढ़ महीने में इन्होंने 6 घण्टे के बजाय 3 घण्टे बिजली दी है। एक तरफ तो प्रकृति मार रही है, सर्दी ने मार दिया, बरसात नहीं हो रही है, दूसरी तरफ गरमी इतनी बढ़ी है। जैसा मंत्रीजी कह रहे हैं, पिछले डेढ महीने में बिजली नहीं दी जिससे फसल का नुकसान हुआ है। आज सवाल यह है कि 6 घण्टे से बढ़ाकर अगर बिजली नहीं देंगे एक सवा महीने, तब तक फसल पकने वाली है, और जहां तक इण्डस्ट्री की काटने की बात करते हैं, यह तो तब काटी गई जब राजस्थान के किसान सड़कों पर आये। मात्र तीन घण्टे के लिए काटी गई है और मात्र तीन दिन के लिए इण्डस्ट्री की काटी है। आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए की बिजली खरीदेंगे, पूरे राजस्थान में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि हम किसान के लिए बिजली खरीद रहे हैं, जो 5300 मेगावाट बिजली है, राजस्थान के 80 प्रतिशत किसान का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। राजस्थान सरकार यह प्रचार कर रही है कि 500 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा रही है, राजस्थान के किसान के लिए खरीदी जा रही है, उस पर एहसान किया जा रहा है। किस बात का एहसान किया जा रहा है? सरकार ने वादा किया था 8 घण्टे का और 1 दिन भी सवा दो साल में 8 घण्टे बिजली नहीं दी। कोई समय नहीं है गांव मे बिजली देने का। आज भी फसल पकने में एक महीना सवा महीना बाकी है और आज भी राजस्थान में पहली बार किसान का कनेक्शन काटकर करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें, धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अब बिजली देंगे या नहीं देंगे, आप तो स्पष्ट यह बताएं? परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, रात को, सुबह-शाम मिलेगी कि नहीं मिलगी? आपने बताया कि इतने भाव से ले ली इतने भाव से ले ली, वह इतने मेगावाट देने को तैयार हैं, खरीदों तो पूरे साल भर देने के लिए हम तैयार हैं, सरकार खरीदे। क्या हम बताएंगे कि कहां से खरीदें? क्या आपने हमसे पूछकर यह वादा किया था कि 8 घण्टे बिजली देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए। अंकित न हो।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) अंकित न हो।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित तो हो नहीं रहा है, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिना अनुमति के बोलेंगे वह अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के बोलेंगे उनका अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।. आप स्थान ग्रहण करें, आपने कह दी बात।

श्री गजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फर्माया था कि उनके तीन घण्टे बिजली आती है। मैं दो दिन के अन्दर इनको एम.आर.आई. रिपोर्ट से बता दूंगा, इनको 5-6 घण्टे बिजली मिल रही है। मैं सदन में पेश कर दूंगा, इनको कापी भेज दूंगा कि इनको 5 से 6 घण्टे बिजली मिली है। ट्रांसफार्मर्स के बारे में इन्होंने बताया, इनके जो दो जगह है गोविन्दपुरा और छाजना, इसकी रिपोर्ट आज आयी है, पहले इन ट्रांसफार्मर्स की कोई कंपलेंट नहीं थी। 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर्स इनके लग जाएंगे। और 33 केवीए के बारे में इन्होंने जो चर्चा की थी, हमारी सरकार ने 33 केवीए में 185 सब-स्टेशन हैं वो हमारा रिकार्ड रहा है।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री गजेन्द्र सिंह : कहीं से भी देंगे, 5 से 6 घण्टे बिजली आपको मिलेगी। हमने इंडस्ट्रियल कट कर दिया है तीन घण्टे। बिजली के अन्दर सुधार हो गया है। आप भले ही कह दें, तीन घण्टे आती है। आप बताइए, कितने घण्टे बिजली आती है ? हम एम.आर.आई. करके बताएंगे, किस फीडर पर तीन घण्टे आती है। यों ही आरोप लगा रहे हैं आप। (व्यवधान) यह रिकार्ड है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, पहले फसल पाला मार गई, अब एकदम गर्मी पड़ने लग गई, मैं चाहूंगी किसी भी तरीके से एक महीने भर की बात है, 6 घण्टे किसान को बिजली मिल सके, यह व्यवस्था आप करें।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें कहने दीजिए। यह क्या बात हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान) आसन की बात को भी आप यों करते हैं। उन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक महीना रह गया है फसल के लिए, किसानो को 6 घण्टे बिजली कम से कम मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि ट्रांसफार्मर उतारो; पैसा बकाया नहीं दे, तुरन्त निकाल दें, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका आप ध्यान रखना। मैं आपको यह तो नहीं कहती कि बिल को आप इस समय स्थगित करें, लेकिन इतना मैं जरूर चाहूंगी कि किसी का कनेक्शन नहीं कटे।

श्री गजेन्द्र सिंह : कनेक्शन का ही मैं कह रहा हूं, चाहे किश्तों में करना पड़े, करेंगे।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री बृजकिशोर शर्मा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी, धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के प्रस्ताव पर बोलेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य के उक्त प्रस्ताव का मैं सहर्ष अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम का गरिमापूर्वक अभिव्यक्त किया हुआ अभिभाषण सरकार के स्तर पर उन सारी समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करता है। इस अभिभाषण का वास्तविक स्वरूप विश्लेषणात्मक संख्या के रुप में स्टेटिस्टिक्स से नहीं दिया जा सकता। आपकी इजाजत से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस देश के एक प्रज्ञा पुरूष हुए हैं जिनको वर्ल्ड टीचर की उपमा से विभूषित किया गया है, जे. कृष्णामूर्ति ने एक बात कही कि जीवन अदभुत है, चीजें अप्रत्याशित रूप से घटित होती हैं और समस्या का समाधान सिर्फ विरोध करना ही नहीं बल्कि मनुष्य को चाहिए कि असीम विनम्रता और एक निष्कपट हृदय से उन समस्याओं के समाधान के प्रति अग्रसर हो।

इस सम्पूर्ण अभिभाषण का अगर वास्तविक स्वरूप हम देखना चाहें तो एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अरविन्द क्रिस्टल ने एक बात कही है कि democracy does not guarantee equality of conditions, it only provides equality of opportunity. एक समय था जब प्रतिपक्ष के पास अपर्चुनिटी थी, जनता के जन प्रतिनिधि के स्वरूप में जन समर्थन से उन्होने पांच वर्ष के लिए सत्ता संभाली, उस स्वरूप मे जितनी कृतज्ञता से और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने पुरजोर तरीके से इस समाज को उसके संताप से परिहार दिलाने की चेष्टा की। आज का वर्तमान आज की इस सरकार की वास्तविकता है। इस वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करने के लिए अगर इस बात को इस तरीके से कहा जाए कि यह सदन लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सदन की गरिमा और इसका गौरव प्रजातंत्र का सम्मान है। सदन के अन्दर की आवाज सदन के बाहर के प्रदेश और देश की दिशा और दशा का प्रतिबिम्ब है। हम जो कुछ यहां कहते हैं उसमें अगर सत्यता और स्वच्छ संवाद का अवसर प्रदान किया जाता है तो वास्तविक स्वरूप में प्रजातंत्र का वह स्वरूप हमें देखने को मिलता है जिसकी कल्पना हमारे और आपके नेताओं ने उस वक्त की थी। यही प्रजातंत्र इस बात की भी इजाजत देता है कि विचारों का आदान-प्रदान और विचारों का विकास उन सारी प्रतिभाओं पर अलंकृत है और अंकित करता है जिसका उत्कर्ष चरित्र हमें हमारे संस्कार और संस्कृति से मिलता है। अगर इन सारी बातों को हम आज की पृष्ठभूमि में देखना चाहें तो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सरल-सी बात है, किसी भी संस्थागत ढांचे के वास्तविक साक्षात्कार की अगर हमें कहीं से अनुभूति होती है तो परिवार से होती है। जब इंसान परिवार में जन्म लेता है और जब ऐसी अवस्था आती है, उसको परिवार के धर्म का और कर्तव्य का निर्वाह करने का अवसर मिलता है तो मां उसका सबसे पहला चरित्र होती है। उसे चरित्र के संस्कारों से पल्लवित करता है, अपने चरित्र को पारदर्शित करता है। कोई सरकार सिर्फ सजीव नागरिकों के जन-प्रतिनिधियों से नहीं बनती बल्कि व्यवस्थाओं की उस धुरी पर भी चलती है जो आस्थाओं से नहीं बल्कि पंजीकृत प्रक्रियाओं से बद्धित है। इसका सरल सारांश यह होगा कि सरकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं, सरकार को चलाने के कुछ सिस्टम हैं और सरकार की योग्यता और उसके स्वास्थ्य के बारे में जब आकलन होता है तो उसकी फिस्कल हैल्थ या उसकी इकोनोमिक वैलवीइंग का एक यार्डस्टिक और एक ग्राफ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसका आकलन करने के लिए हमारे पास में ऐसे क्या मापदण्ड है?

बहुत-सी बातें टोडारायसिंह से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहीं, उन आंकड़ों में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि सारे के सारे लोग इतने मनस्वी जीव हैं कि उन आंकड़ों को समझ भी सकते हैं और अपनी-अपनी कल्पनाओं के दायरे से निकलकर उसकी वास्तविकता के स्वरूप को आलिंगन भी कर सकते हैं। लेकिन अपना एक तजुर्बा आपके बीच में जरूर पेश करना चाहूंगा। जब हम बच्चे थे और हमें पहली बार जेब खर्च का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 24 घण्टे मे हमने हमारे जेब खर्च को खर्च करके वापस जब अपनी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मां के पास आकर कहा कि हमारा जेब खर्च तो पूरा खतम हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तो इस महीने के 29 दिन और बाकी हैं। हमने कहा कि आप हमारी मां हैं, इस 30 दिन की व्यवस्था एक दिन में अगर हमने खर्च कर दी तो आप मां हैं, आपसे लेने का हमें अधिकार हैं, हमें और दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मां हरदम नहीं रहेगी, अगर इस 29 दिन के खर्चे को एक दिन में भी खर्च नहीं करते, 29 दिन के उपरांत भी अगर तुम्हारे पास कोई बच जाता तो उस सिद्धान्त की पालना होती कि money saved is money earned. मैं इस सिद्धांत की पालना के लिए जो इस सरकार ने कदम उठाये, उसकी सराहना करता हूं। मैं यह बात नहीं कहना चाहता कि केन्द्र से फिस्कल मैनेजमेंट के लिए हमने पिछले 2 सालों में क्या कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन इतना तो हम कहना चाहेंगे कि जिस ऋण पर हम इतना बड़ा ब्याज दे रहे थे उस ब्याज को कटाकर जिसको हम डैट स्वैप कहते हैं, कुछ हमने बचाया। अधिकारपूर्वक कहते हैं कि यह हमारी खरी कमाई थी जो फिस्कल मैनेजमेंट के द्वारा हमको मिली है। छोटा-सा उदाहरण था, पर यह उदाहरण उस वक्त प्रतिपादित इसलिए नहीं हो सका कि मां का सोच उस वक्त उस सरकार के लीडर में नहीं था, पुरूष था। पुरूष प्रधान हमारी व्यवस्था है लेकिन मां के ममत्व को और मां के संयम को अगर कोई आंकता है तो इस राष्ट्र का वह वास्तविक चरित्र पारदर्शित होता है जिसकी साहित्य में कल्पना की गई, जिसको साहित्य में पंजीकृत किया गया, लेकिन जो इस युग में कभी-कभी ही देखने को मिलता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं और कहूंगा कि सरकार वह भी थी और सरकार यह भी है और जनता जब निर्णय करती है तो कहीं कोई गलती नहीं करती। उन पांच वर्षों तक अगर जनता ने अपना विश्वास उनको दिया था तो उनका कोई गलत निर्णय नहीं था और अगर आज की वास्तविकता, यह विश्वास हम पर केन्द्रित है तो कोई गलत निर्णय नहीं है। लेकिन जिस स्वरूप में हम अपने आपको परिदर्शित करते हैं, जिस स्वरूप में हम व्यवस्था को परिचालित करते हैं, वह भी उसका वास्तविक मापदण्ड है, इसलिए यह जनता कभी इस ओर बिठाती है तो कभी उस ओर बिठाती है। आज अगर उसकी व्याख्या हम करें तो हम यह पाते हैं कि एक फर्क उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में है जो हमारे आदरणीय नेतृत्व ने हमको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दिया। किसी ने यह कहा कि उस व्यवस्था में, उसका नेता. बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं में अव्वल नम्बर का मुख्य मंत्री का दर्जा उसे मिला। अगर अंग्रेजी में उसको कह दें तो number one Chief Minister of that time. अब हमसे कोई यह पूछे कि इस प्रतिस्पर्द्धा में आप कहां हैं तो हम यह चाहेंगे कि इस प्रतिस्पर्द्धा का रास्ता हमारे नेतृत्व ने अख्तियार नहीं किया। (व्यवधान) मैं बिलकुल आदर सहित यह बात कहना चाहूंगा, मैं किसी भी पत्रिका की क्रेडिबिलिटी को न तो क्वेश्चन करना चाहता हूं और न ही मेरा यह अभिप्राय था, हम उस विचारधारा में पड़ना ही नहीं चाहते । जब नेतृत्व से यह बात कही गई कि क्या आप भी एक नम्बर के मुख्य मंत्री बनना पसंद करेंगे तो उनका जवाब था कि इसमें कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं हो जाता कि एक व्यक्ति एक नम्बर का व्यक्ति बन जाए। कीर्तिमान स्थापित तब होगा जब राजस्थान को एक नम्बर का प्रदेश सम्पूर्ण देश में प्रतिष्ठापित करेंगे। फर्क इतना ही था। उन्होंने भी किया, परं आज उस रास्ते पर अग्रसर होने के लिए जितने प्रयास किये जा रहे हैं उसके लिए नेतृत्व को धन्यवाद हम देते हैं और यह आभार प्रकट करते हैं कि पारदर्शिता से योजनाओं को आप क्रियान्वित कर रहे हैं, और तरीके से इस राजस्थान के वर्तमान प्रदेश को आप पल्लवित कर रहे हैं। ठीक उसी जगह जहां पत्रिकाएं यह लिखती थीं कि अमुक व्यक्ति नम्बर एक का मुख्य मंत्री है आगे आने वाले वर्षों में हमें यह देखने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा कि यह प्रदेश का एक नम्बर का है। इस सारे कथन के पीछे एक उद्देश्य है कि हम कितने संवेदनशील हैं यहां की आवश्यकताओं के प्रति, हम कितने संवेदशनशील हैं यहां की जनता की आकांक्षाओं के प्रति, हम कितने संवेदशील हैं उनकी अपेक्षाओं के प्रति।

इस सारी कवायद के अन्दर अगर एक बात सम्मान स्वरूप में आती है तो एक बात और आती है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत गरिमा पूर्वक और सदभावना से यह बात कही थी, कि हम ''मैं'' से ''हम'' के सिद्धान्त पर जा रहे हैं। बहुत आदर सहित यह बात इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस पदेश को एक नेतृत्व मिला है लेकिन यह मुमकिन तभी होगा जब हम ''मैं'' से ''हम'' के शब्द को आलिंगन कर लें। और उसमें हमारे साथ में आपकी भी आवश्यकता है। यह सम्पूर्ण सदन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस बात का गवाह है कि अगर इस प्रदेश को हमें उस मंजिल तक पहुंचाना है तो किसी एक नेतृत्व के हाथों नहीं वरन् सामूहिक नेतृत्व के हाथों। आपकी और हमारी शहादत के बीच में उस नेतृत्व के व्यक्ति से पल्लवित होकर अगर यह प्रदेश उस मुकाम पर पहुंचता है तो वाहवाही सरकार की तो होगी ही होगी, राजस्थान के इस सदन की भी होगी जिसमें आप और हम बैठ कर इस देश के लोगों और इस प्रदेश के लोगों को एक नया सवेरा देने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नीति और नीतियों पर आधारित बहुत सी-सोच है लेकिन जिस चीज को हम देख लेते हैं वही अनुभव है। हम यह मानते हैं कि जितनी सरकार आई, पिछली सरकार ने भी गरीबों के लिए अनेक मकान बनाये। हम यह कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उनके मकान बनाने में और हमारे मकान बनाने में फर्क है। वह मकान बना रहे थे, हम घर बना रहे हैं। इन दोनों शब्दों के मर्म को आप देखिए, मकान एक चारदीवारी है, घर एक भावना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अभिप्राय किसी को अंकित करने का कभी नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : यह सारी आदमी के दृष्टिकोण की बात है। उसी ईंट और गारे की इमारत को कोई मकान के स्वरूप में देखता है और उसी ईंट-गारे के इमारत को कोई घर के स्वरूप में देखता है। उसकी भावना क्या है, उसका चरित्र क्या है यह उससे परिलक्षित होता है। पैसा मकान खरीद कर दे सकता है लेकिन पैसा घर खरीद कर नहीं दे सकता। इस सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि गरीब को मिले तो मकान नहीं घर मिले। स्वाभिमानपूर्वक मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है। और इससे आगे इंसान किसी बात को सोचता है तो खुशहाली हो जाती है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो। बहुत से बड़े बड़े पोस्टर्स आज की तारीख में विज्ञापन के स्वरूप में देखने को मिलते हैं लेकिन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय. यह बात बताइये कि मुस्कान कितने समय तक किसी चेहरे पर ठहर सकती है? यह क्षणिक है। स्पेस ऑफ टाइम इस चीज को मिटा देता है। लेकिन इस सरकार की प्रतिबद्धता मुस्कान के साथ-साथ उस परिवार को, जन सामान्य को खुशी देने की है जो पूरी तरह से अटल है, अंतरात्मा से है, व्यावहारिक स्वरूप में है, उसके धार्मिक स्वरूप में है और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उसके स्वयं के भविष्य के स्वरूप में है। हंसी क्षणिक हो सकती है, मुस्कान क्षणिक हो सकती है लेकिन जिसको आपने खुशी दे दी वह स्थायित्व प्रदान करती है, उसको भरोसा प्रदान करती है। वह उसकी अंतरात्मा से आती है, आपकी और हमारी दी हुई किसी भौतिक सम्पदा से नहीं आती। वह स्वयं के विचार से आती है, स्वयं के आलोक से आती है और जब इस विचार का मंथन करके उसका चरित्र इसको ग्रहण कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति और वह घर खुशहाल हो जाता है। यह इस सरकार की परम्परा रही है, यह इस सरकार का सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत के आलोक के लिए वह सारा शाश्वत और सर्वकालिक संस्कारों का हम लोग अवलोकन करते हैं तो एक बात पाते हैं, इन सारों की धुरी एक इंसान के स्वर में गूंजती हैं और वह मां है, ऐसी चीज है जो घर के अन्दर कभी भी विछंद नहीं होने देती। चाहे कितने भी संधि विच्छेद आप करा लें, वहां जाकर बात ठहर जाती है। उसके लिए उसका खून और उसका कतरा बराबर का रंगा हुआ है, वह कभी भी इसमें भेदभाव नहीं कर सकती। इसी मातृत्व शक्ति और स्वभाव के साथ में हम फख्र से कहते हैं कि जो कोई यह कहता है कि राजनैतिक द्वेषता से यहां विकास का काम होता है, वह सतही गलत है। इस मातृत्व शक्ति और इस मां के स्वरूप में सम्पूर्ण सदस्य, 200 के 200 जन प्रतिनिधि और यहां पूरा का पूरा प्रदेश इसके लिए एक परिवार है और सम्पूर्ण विकास की भागीदारी में उसका दायित्व और उसका स्वयं का कण पूरे के पूरे तरीके से प्रत्यायित है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम उस आविष्कार को भी स्वीकार करते हैं कि आज से पहले पक्ष और विपक्ष के स्वरूप में सिर्फ समस्याओं के ऊपर जिरह करने की जो बाध्यता आती थी, उसको भी हम पाटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चलना है तो साथ-साथ चलना होगा। प्रजातंत्र की उस व्यवस्था का भी अनुकरण करना पड़ेगा जिसने आपको क्या जिम्मेदारी दी है और हमें क्या जिम्मेदारी दी है, लेकिन जवाबदेही आपकी भी है और जवाबदेही हमारी भी है। किस रास्ते पर हम किस तरीके से अग्रसर होते हैं, वह सारा का सारा स्वरूप इसमें विद्यमान है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि करूणाजनित सहानुभूति जन प्रतिनिधि का सहज धर्म है एवं परदुःखआर्द्रता और परोपकार का सिद्धांत उसका प्रतीकात्मक प्रतिफल है। इस शोध पर अगर हम अपनी बात को कहें और अपने काम को अंजाम दें तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सरकार जिस उद्देश्य से चल रही है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सहज सरलता प्रदान करती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत-सी बातें आप लोगों के सामने आएंगी, बहुत-से अच्छे-अच्छे विचार यहां के सम्माननीय सदस्य रखेंगे, लेकिन एक बात आप और हम अच्छी तरह महसूस करते हैं और आज की तारीख में जुडिशियरी के अन्दर भी यह बात कही जाती है कि justice done is not enough. Justice should also be seen to be done. यह की यह बात सरकार पर भी लागू होती है। आपने क्या किया? इन कागज के आंकड़ों में और कागज तक सीमित है तो सरकार का कोई मायना नहीं है। जो कुछ कागज कह रहा है वह वास्तविक स्वरूप में जन सामान्य के मस्तिष्क में अगर अंकित हो जाता है और आत्मा से वह उसको स्वीकार कर लेता है और उस पर जब वह अपनी प्रतिक्रिया देता है तो वह वास्तविक स्वरूप है। The Government is not only to govern the State but it should also be seen to be governing the individuals and providing the benefits for welfare of it. यही शाश्वत सिद्धांत के ऊपर आज की इस सरकार की वास्तविक पहचान है। इस सारे के सारे मामले को अगर छोटे-से और सूक्ष्म स्वरूप में आपके सामने पेश करें तो हमें यह बताइये कि आखिर यह मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? पांच वर्ष के पूर्व यहां के इंसान, यहां का युवा बेरोजगार घूम रहा था। दो वर्ष में 60 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया सरकार ने। यह कागजों में नहीं है, यह अनुभव हो रहा है। और यह किसी दल तक सीमित नहीं है। पूरी पारदर्शिता, पूरी आनेस्टी के साथ में, जो योग्यता रखता था, पात्रता रखता था, अगर उसमें योग्यता है तो उसे नौकरी और रोजगार मिला, सरकारी मद पर मिला। आखिर यही तो अनुभव है इस सरकार का, यही तो चरित्र है इस सरकार का। जो कह दिया था वह कर रहे हैं तो यह कहां आशंका है कि जो कुछ और करना बाकी है वह हम पूरा नहीं करेंगे? चाहे गृह कर हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, जो कह दिया वह कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। यह हमारा सिद्धांत है और समय हमारे साथ में है, शास्वत चरित्र हमारे साथ में है।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि जब बच्चे थे तो इकोनोमिक्स में ज्ञान अर्जन करने की बात आई, तो एक अर्थशास्त्री ने एक बात कही कि एक ध्यान रखना कि सारे के सारे इकोनोमिक्स में एक चीज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सबसे ज्यादा जटिल है जिसको पैसा या मनी कहते हैं। उसका एक अर्थ है- The money is the matter of function for medium, measures, standard and store. 20वीं शताब्दी में यह पढ़ा था, और सोचा नहीं था कि 21वीं शताब्दी तक आते-आते इस मीडियम, मैजर और स्टोर पर कहीं प्रश्न लग जाएगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह दूरदर्शिता आज की व्यवस्था में नहीं होती तो, शायद आप और हम देखने जा रहे हैं, आज की आपकी अर्थव्यवस्था इससे नहीं आंकी जाएगी कि कितना खजाना आपके पास में है। पर्यावरण जिस तरीके से दूषित हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था का आकलन आज की तारीख के अन्दर, आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट्स के रूप में भी लिया जाएगा। आपकी केमिकल वैल्थ क्या है, इकोलोजिकल वैल्थ क्या है, इकोलोजिकल वैल्थ के गैस एमिशन में आपका क्रेडिट स्टेण्डर्ड क्या है, यह सारी की सारी उस बात को धूमिल कर देता है जो उस अर्थशास्त्री ने इस सम्बन्ध में कही थी। यह पैसे से नहीं मिलेगा। मुझे बहुत हर्ष है इस बात को कहते हुए पहली बार कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से इस बात को हमें पढ़ने को मिला कि 45 लाख का कार्बन एमिशन में यूरो सी ए आर का क्रेडिट राजस्थान को मिला है। यह इस सरकार की दूरदर्शिता है कि इकोनोमिक फील्ड जो आज की तारीख में एक इमर्जिंग फील्ड है, उसके बारे में भी हमने सोचा, वह व्यवस्था लागू की। पूरा का पूरा राजस्थान का मिनरल और माइंस कार्पोरेशन इस बात का धन्यवाद का पात्र है कि इस चीज में पारदर्शिता करते हुए लक्षित करते हुए, चाहे एक छोटा-सा ही लेकिन सही दिशा में हमारा कदम है। क्योटो प्रोटोकाल के तहत जो सिर्फ 15 फरवरी, 2005 को लागू हुआ था, 11 महीने की अल्प विधि में आपने और इस सरकार ने यह ऐसी व्यवस्था दे दी कि जिस फील्ड में या जिस योजना में आप और हम सोच नहीं सकते थे, हमने सोचा, क्रियान्वित किया और उसका फल भी प्राप्त कर लिया। यह हमारी सोच का प्रतिफल है।

फोसिल्स जिसको हाइड्रो कार्बन्स आप कह लीजिये, किसी भी नेशन की एक नैचुरल वैल्थ है। सबको इस पर गर्व है और हमें भी गर्व है। यह हमारा सौभाग्य है कि जिस वक्त इस बात का सर्वाधिक प्रचलन हो रहा है, सरकार हमारी है लेकिन हम यह बात नहीं कहते कि वह तेल हमने पैदा किया। वह वहां था। लेकिन फर्क इतना ही है, वो परमाणु विस्फोट जो 70 के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दशक में हुआ था और यह परमाणु विस्फोट जो वाजपेयीजी के दशक में हुआ, आइल उस वक्त भी था, रिफाइनरी उस वक्त भी लग सकती थी। हमें आशा है कि यह रिफाइनरी भी लगेगी, इन हाइड्रो कार्बन्स के साथ-साथ हमारी जनता की, जन सामान्य की आर्थिक दशा में भी सुधार होगा। बाड़मेर और जैसलमेर जिसको सिर्फ पर्यटक मिट्टी के टीबों को देखने आते थे, अब साइंटिस्ट वहां शोध करने भी आ रहे हैं। फर्क वह भी था और फर्क यह भी है। जैसलमेर और बाड़मेर उस वक्त भी विश्वविख्यात थे जैसलमेर और बाड़मेर आज भी विश्व विख्यात है, सिर्फ विषय अलग-अलग हैं। हम यह मानते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर के द्वारा इस राजस्थान की आर्थिक दशा को सुधारने में वह सारा का सारा संयम से मिलेगा जो आज तक शायद जैसलमेर का और बाड़मेर का निवासी देख नहीं सकता है। हम इस बात को भी प्रतिपादित करते हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर पर ही यह चीज केन्द्रित नहीं है, हर्ष की तो बात यह है कि कोटा और बारां जैसे जिलों में भी हमें यह प्राप्त हुआ है। तो ऐसा लगता है शंका वहां हो सकती है। लेकिन शंका उसकी तो बिलकुल नहीं है, दे रहा है, छप्पर फाड़ कर दे रहा है और धरातल को फाड़कर भी दे रहा है, तो फिर कमी किस बात की है? जो कुछ कहा है वह कर रहे हैं। जो लिखा है वह भी करेंगे। और जो नहीं लिखा हुआ और इस जनता की भलाई में है, वह भी करेंगे, वह भी पंजीकृत करेंगे और इसकी भी शहादत देंगे, यह हमारी सरकार का वास्तविक स्वरूप है। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इतनी-सी बात जरूर कहूंगा, भरोसे पर, उम्मीद पर यह जिंदगी पल्लवित है। कल के क्षण क्या हो जाए, उसका तो हमें नहीं मालूम लेकिन इरादे नेक हैं, नीति नेक है तो उसका प्रतिफल भी उचित होगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, देर से जरुर देता है, लेकिन देता जरूर है। उसके घर कभी अंधेर नहीं होती है और इस सरकार के घर के अन्दर कभी अंधेर नहीं है। यह शंका जिसको है वह मिटा दे। यही बात कहते हुए पुन: हर्ष के साथ आपको, सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रदेश ऊंची उड़ान भरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महोदया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सात बजे तक तो आपने पहले ही कह दिया न उसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर भी कोई टैक्निकली नहीं रह जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है। अब बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने बी.ए.सी. में लिया है उसे।

श्री रामनारायण चौधरी : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मंजूर हो गया, फिर यह क्या उठा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी। प्रतिवेदन मंजूर हो गया, यही तो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं, वह मंजूर हो गया। सी.पी. जोशी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो प्रस्ताव रखा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धीरे-धीरे बोलना।

श्री अध्यक्ष : हां, धीरे-धीरे भी और पिच भी लो। धीरे भी और लो भी।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे बहुत प्रसन्नता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो तथ्य लिखे, उन तथ्यों के आधार पर विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी विद्वता से राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आज इस सरकार को लगभग ढाई साल होने आये हैं, सवा दो साल पहले चुनाव हुए, परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद जनता की जिस आकांक्षा के अनुरूप

(डा. सी.पी. जोशी)

इस सरकार को काम करना था, उन्होंने करने का प्रयत्न किया, ऐसा अभिभाषण में माननीय सदस्यों ने कहा। 'लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई साल बाद इस सरकार ने जो कुछ भी काम किये, उसके आगे ढाई साल में क्या परिणाम होने वाले हैं, उसका ठीक ढंग से हम एनेलिसिस नहीं करेंगे तो व्यक्ति के प्रति हमारी निष्ठा हो सकती है, व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में विचारधारा इम्पोर्टेन्ट होती है, विचाराधारा के आधार पर लोग सत्ता में आते हैं। लेकिन पार्टी की विचारधारा जब तक लोक पर हावी नहीं होती है, तब लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर लिया गया वोट व्यक्ति के पास आकर अटक जाता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोटे तौर पर यदि राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का एनेलिसिस करें, क्लासिफिकेशन करें तो इसमें एक बात कहीं गई है कि यह सरकार जो आई है, उस सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन अच्छा किया। इस सरकार ने इस बात की भी क्रेडिट ली, माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम है, उस सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम मे जितना पैसा इनके पास आया, चाहे वह स्कीम इनके समय में बनी या नहीं बनी, चाहे हमारे समय में बनी या नहीं बनी या हमारे से पहले इनकी सरकार थी उनके समय में बनी, उसका इन्होने जिक्र नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम सबको मालूम है कि हमारी सरकार आने के पहले ही माननीय भैरोसिंहजी शेखावत की सरकार थी, उस सरकार ने भी आर.यू.आई.डी.पी. के लोन की बात की थी। वह लोन का काम, हमारी सरकार में जाकर पैसा आया, हम वह काम कितना कर सके, नहीं कर सकें, आज आर.यू.आई.डी.पी. का काम करने का इस सरकार को मौका मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के पहले तत्कालीन सरकार ने डी.पी.आई.पी. के कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक के साथ नेगोशिएट किया और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा है वह हमारी सरकार के समय में आया, उसकी कितनी प्रगति हुई कितनी नहीं हुई, वह काम आज आपकी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक उसी प्रकार लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी. ऐसे जितने कार्यक्रम हैं, वे कार्यक्रम पहले लागू हो गये। हमने भी करने की कोशिश की, आज आप भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर माननीय अध्यक्ष महोदय,

(डा. सी.पी. जोशी)

एक शब्द, एक शब्द इस गवर्नर की स्पीच में इस बात का नहीं है कि जो भारत सरकार नई बनी है, उस सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में व्यवस्था की, फिजिकल डिवोल्यूशन के इस सरकार ने कारण और नियम बनाये। इस सरकार से जितना पैसा मिल रहा है, उस समय में उस सरकार से पैसा नहीं मिल रहा था। आप भी जानते हैं, इंट्रेस्ट रेट बदली है। एक जमाना था, इंट्रेस्ट रेट कितनी थी और इंट्रेस्ट रेट कितनी है? स्वैप कि कितने नियम और कानून थे? आप स्वैप के नियम और कानून कितने बन गये? आज एफ.ए.बी.एम. की हम बात कर रहे हैं, उस समय तो एफ.ए.बी.एम. की स्थिति नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर इसमें सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के बारे में जितना हमने कहा, उसका श्रेय हम लोगों ने ले लिया। चाहे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बैठे हैं, उसमें आंकड़े उठाकर देख लें, भारत सरकार ने जितना करोड़ रुपया आपको दिया है, जितनी सड़कें आपने बनाई, नम्बर एक का सर्टिफिकेट आप ले गये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, उस सरकार के समय में और आपकी सरकार के समय में जितना पैसा आज आया, उस पैसे का हिसाब-किताब लगा लो। हमारी सरकार जब थी, मिड-डे-मील स्कीम का 120 करोड़ रुपया राजस्थान के प्लान के पैसों से जाता था, आपकी सरकार को सौभाग्य है कि भारत सरकार से पूरा का पूरा मिड-डे-मील का पैसा आपको मिल रहा है; बुस्क का पैसा उसमें मिल रहा है। आज जो एजुकेशन पर सैस लगाया है, जितना एलीमेन्ट्री एजुकेशन का डिवोल्यूशन हो रहा है, उतना हमारे समय में नहीं हुआ था। इस नये बजट के बाद में 30 प्रतिशत और एजुकेशन का डिवोल्यूशन होगा। यह पैसा इसके अन्दर आ जाए, उस पैसे से कमरा बने तो हमारा एचीवमेंट। उस पैसे से अध्यापक लगे तो हमारा एचीवमेंट। 75 प्रतिशत जो आदमी दे रहा है उसका कोई एचीवमेट नहीं है, 25 प्रतिशत जो आदमी कर रहा है, उसका सब एचीवमेंट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू करे सरकार, हमे भारत सरकार से पैसा मिले, श्रेय हमें लेना चाहिए था, यह तो इस सरकार की आदत हैं। हमने कैसे बनाया शिक्षा संकुल? माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, एक पैसा राजस्थान के बजट से नहीं लिया। मैं दुबारा कहना चाहता हूं, आप चाहे उठाकर देख लें- उस जमीन पर किसका कब्जा था, किन लोगों ने सोसायटी बनाकर जमीन पर

(डा. सी.पी. जोशी)

कब्जा कर रखा था, कैसे उस जमीन को छुड़वाया, कैसे उस जमीन को आक्शन करवाया, उसमें कहां किस तरह से पैसा लिया? लोक जुम्बिश का एक लाख रुपया महीने का किराया था, डी.पी.ई.पी. का एक लाख रुपया महीने का किराया था, बड़े लोगों के मकान किराये ले रखे थे। उन मकानों के पैसों को हमने पूल किया और पूल करने के बाद में हमने आज शिक्षा संकुल बनाया। हमारे मन में कल्पना थी कि राजीव गांधी के नाम से उसका नाम रखेंगे। शिक्षा संकुल बन गया, अच्छा भवन बन गया, उसमें राधाकृष्णन की फोटो लगाने का काम हमने कर लिया। हम श्रेय लेना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, काम क्या करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे शिक्षा मंत्रीजी के काम करने में, उनकी बड़ाई करने में कोई तकलीफ नहीं है, श्रेय मिलना चाहिए, बहुत श्रेय मिलना चाहिए, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी पढ़ा होगा, अभी प्रथमा जैसा संस्थान है इवोल्यूशन किया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बीच में नहीं बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रथमा जैसी एजुकेशन संस्था है, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एलीमेन्ट्री एजुकेशन के स्टेटस का इवेल्यूशन किया है कि क्या हमारा एचीवमेंट है लैंग्वेज में हमारा एचीवमेंट क्या है, मैथेमेटिक्स में हमारा क्या एचीवमेंट है। क्या यह मालूम है, अध्यक्ष महोदय, कि हमने क्वालिटेटिव एक्सपांशन करने की बनिस्बत क्वांटिटेटिव एक्सपांशन किया है? हम राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, ले जाने की मन में कल्पना होनी चाहिए, पर, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इंटरवेंशन करने की कहां जरूरत है। इंटरवेंशन करने के लिए हम जोर्डन जाकर इनीशिएटिव करके आये हैं। हमारा रेफरेंस जोर्डन है, हमारा रेफरेंस यू.के. नहीं है। हमारा रेफरेंस अमेरिका नहीं है, हमारा रेफरेंस जोर्डन है, क्योंकि जोर्डन की एक महारानी ने प्राइमरी एजुकेशन में इनीशिएटिव लेने का काम किया। हमें डावोस जाने का मौका मिला इसलिए हमने कह दिया कि प्राइमरी एजुकेशन के इनीशिएटिव का काम भी करेंगे। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं माननीय तिवाड़ी साहब से, क्या हमें यह जानकारी है? राजस्थान के अन्दर आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हैं, उनके एनरोलमेंट की स्थिति के सम्बन्ध में एक पिक्चर देना चाहता हूं।

(डा. सी.पी. जोशी)

क्योंकि आंकड़े शिक्षा विभाग ने पहले नहीं दिये, जब तक के आंकड़े दिये, मैं चाहता हूं, आप मुझे करैक्ट करें, मैं एक फिगर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख हुआ है, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता, लेकिन हम राजस्थान में इंटरवेंशन कहां करना चाहते हैं? मैं एजुकेशन का एक फिगर देना चाहता हूं, वर्ष 2002-2003 में राजस्थान में 12वीं क्लास में 167574 लड़के थे, उसमें अनुसूचित जाति के लड़कों की संख्या 26557 और अनुसूचित जनजाति के लड़कों की संख्या है 19614 । अध्यक्ष महोदय, सबसे तकलीफ की बात है, साइंस फैकल्टी के अन्दर 47676 बच्चे हैं सब मिलाकर, उसमें से अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या 5403 और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या 953 है। यह 50 साल की आजादी के बाद 12वीं कक्षा की स्थिति है। मैं ये 2002-2003 के आंकड़े दे रहा हूं, उसके बाद के आंकड़े शिक्षा विभाग ने दिये हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे करैक्ट करें। ये फिगर देना चाहता हूं कि 953 बच्चियां आज 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं साइंस के अन्दर और अनुसूचित जनजाति के बच्चियों की संख्या 507 है। 50 साल की आजादी के बाद 12वीं क्लास में हमारे साइंस के अन्दर 507 बच्चियां हैं और उन बच्चों के अन्दर अनुसूचित जाति के हैं 5403 और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या 3552 । अब मुझे तिवाड़ी साहब बताएं कि साइकिल देकर 17000 साइकिल दे देंगे...

(16.59 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस साइकिल देने से यह 500 कि संख्या मिलाकर कितनी हो जाएगी? 50 साल में एस.सी. और एस.टी. की कामर्स और साइंस में संख्या यह है, अगले 100 साल तक हम इंतजार करेंगे कि अनुसूचित जाति की बच्ची कामर्स पढ़ने के लिए आएगी, साइंस पढ़ने के लिए आएगी। क्या हमने यह इंटरवेंशन किया है? क्या हमने इसको रीटेन करने की कोशिश की है? रीटेंशन में क्या प्राब्लम है?

(17.00 बजे)

क्या एस.टी., एस.सी. की बच्चियों की एडोलेंस एज के पहले शादी हो जाती है, उनकी समस्या क्या है, कैसे उनके तकलीफ होती है, कैसे वह

(डा. सी.पी. जोशी)

फाइनेंशियल सपोर्ट की स्थिति बन रही है, क्या हमारे मन में यह कल्पना नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, हम श्रेय लेना चाहते हैं, स्कूलें खोल दीं, इसका अपग्रेडेशन कर दिया, हमने इतने काम कर दिये, पर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कहते हुए तकलीफ है, आज हमने कितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल साइंस के खोले, कितने हायर सैकण्डरी स्कूल कामर्स के खोले? उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस साल से राजस्थान में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल साइंस की नहीं खुली, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कामर्स की नहीं खुली। और हम इनेशियेटिव लेना चाहते हैं कम्प्यूटर का। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया है और कम्प्यूटर एजुकेशन से हम इतना परिवर्तन कर देंगे। आज जाब का रिजर्वेशन है, मैंने आंकड़े लिये हैं, माननीय तिवाड़ी साहब, एस.सी., एस.टी. का थर्ड ग्रेड का मास्टर, एस.सी., एस.टी. का सैकण्ड ग्रेड का मास्टर, यदि प्रमोशन दोगे तो उतना परसेंटेज वहां एम्पलायमेंट नहीं है। यदि प्रमोशन करके रिजर्वेशन को आगे भी बढ़ा दिया तो नीचे की स्कूल की आपकी एस.सी. एस.टी. की पोस्टें खाली हो जाएंगी। अब यह इंटरवेंशन कौन करेगा, उपाध्यक्ष महोदय? हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया और वह काम करने के बाद हमें कोई तकलीफ भी नहीं है कि एजुकेशन का इतना काम हो गया। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जो प्रतिभा जैसे संस्थान ने इवेल्युएशन करके यह कहा है कि राज्य में लैंग्वेज के सम्बन्ध में हमें जोर देने की आवश्यकता है। आपने अच्छा काम किया, धन्यवाद भी देते हैं कि आपने अंग्रेजी लेंग्वेज को पहली-दूसरी क्लास में स्टार्ट किया, करना चाहिए। आज जमाना ऐसा आ गया है कि जब तक साइंस के बारे में बच्चों को हम एजुकेट नहीं करेंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं है, मैथेमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, उसकी रीजनिंग डवलप नहीं होगी और रीजनिंग डवलप नहीं होगी तो आगे जाकर वह काम नहीं कर सकेगा। अब मुझे बताइये कि राजस्थान का जो शिक्षा का प्रतिशत है एस.टी., एस.सी. का, मैं माननीय दिलवार साहब, धन्यवाद देता हूं आपके कमिटमेंट का, पर मैं फीगर देकर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग का जो स्पेशल कम्पोनेंट का पैसा है, उस स्पेशल कम्पोनेंट की स्थिति क्या है। स्पेशल कम्पोनेंट का, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, राजस्व व्यय का...

श्री हेमराज : मैं आपके बीच में बोल रहा हूं...

डा. सी.पी. जोशी : मुझे बोलने दें। आप आराम से बोल लें फिर।

श्री हेमराज मीणा : एस.सी., एस.टी. के बच्चों के लिए क्या नहीं किया? एस.टी., एस.सी. बच्चों के लिए कितने हास्टल खोले हैं उन हास्टल में कोच लगा रखें हैं पढ़ाने के लिए। उनकी अच्छी परसेंटेज जा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं आगे।

डा. सी.पी. जोशी : हां, बोलिये, बोलिये। आप बोल लें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं फीगर देना चाहता हूं कि राज्य में 17.16 प्रतिशत अनुसूचित जाति की पापुलेशन है और अनुसूचित जाति का राजस्व व्यय का प्रतिशत 0.51 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का पूंजीगत व्यय है 0.17 प्रतिशत। अनुसूचित जाति की राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों को मिला लें अपना बजट का तो 0.44 प्रतिशत। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.टी. की देखें हम, राजस्थान में एस.टी. की पापुलेशन है 12.56 प्रतिशत और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का प्रतिशत है 0.43 और पूंजीगत व्यय का है 1.10 और टोटल 0.56 । राज्य में एस.टी. और एस.सी. की पापुलेशन 29.72 प्रतिशत, रेवेन्यू का एक्सपेंडीचर है 0.94 प्रतिशत और पूंजीगत का है 1.27 प्रतिशत, केवल मात्र एक प्रतिशत। अब मुझे बताइये, उपाध्यक्ष महोदय, दो साल में हमने मैनेजमेंट किया, कैपिटल आउट-ले बढ़ा दिया हमने, राजस्व के घाटे को पूरा कर दिया हमने, हमने रेवेन्यू की सब व्यवस्था अच्छी कर दी, इस कैपिटल आउट-ले के बाद मैं कहना चाहूंगा, यदि एस.सी.एस.टी. की पापुलेशन के साथ हमने सही समय पर इंटरवेंशन नहीं किया, तो 54 में से 44 से ज्यादा आदमी, 40 से ज्यादा आदमी हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं एस.टी.एस.सी. के क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि यहां इंटरवेंशन करें? हमारा धर्म बनता है सेज बनावें, हमारा धर्म बनता है रिडकोर बनावें, हमारा धर्म बनता है कि दारू की दुकानों को बेचने का काम करें, हमारा धर्म नहीं बनता है हम इसके बारे में बैठकर चर्चा करें कि कैसे इस पोपुलेशन के सम्बन्ध में हम आगे बढ़ाने का काम करें?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो नये मापदण्ड आ गये हैं, हम बीमारू से आगे निकल गये हैं। हमें इंडिया टुडे के फीगर दिये हैं कि 13 में से 12वीं पोजीशन में आ गये हैं। 2004 के दिये हैं, 2005 के भी देख लें,

(डा. सी.पी. जोशी)

स्टेटस राज्य का कहां गया है। हम डावोस से लगाकर दिलावर साहब तक आ गये हैं, हम पता लगा लें कि हम हिन्दुस्तान में कहां जा रहे हैं, हम किसका डवलपमेंट करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एच.आर.डी. हमारा नहीं बढ़ेगा तो हम क्या करना चाहते हैं। एच.आर.डी. में इन्वैस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाकर राज्य की पापुलेशन आगे बढ़ेगी, और यही काम किया है हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यू.पी.ए. की की सरकार ने, आप उठाकर देख लें, किन-किन योजनाओं में पैसा दिया है आपको-सोशल सैक्टर में नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल फूड फार वर्क प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अन्त्योदय अन्न योजना, मिड-डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड एण्ड जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन। ये वे सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनसे पैसा सरप्लस होकर इनके पास आ रहा है और जो पैसा हमारे समय में उपलब्ध नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे एचीवमेंट का मापदण्ड क्या है। हमारे एचीवमेंट का मापदण्ड डा. दिगम्बर सिंहजी बैठे हैं, आप मुझे बताइये कि एम.एम.आर. कितनी हुई हैं? आप बताइये, चाइल्ड में मोर्टलिटी रेट कितनी कम हुई है ढाई साल में? आपने तो कहा है, आपका तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि दो साल में हम गरीबों को सारी व्यवस्था कर देंगे। वह वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजैक्ट है, वह हमारे समय से इनीशियेट हुआ था। वह वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट हमें मालूम है, उस वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट में जो कम्पोनेंट लिखा हुआ है, उस कम्पोनेंट में लिखा हुआ है कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब के बच्चों की व्यवस्था करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी जवाब दें कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वह वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजैक्ट है हैल्थ का, उस पैसे को, डाइवर्ट कर रहे हैं झालावाड़ के हास्पिटल में? क्योंकि जब यह प्रोजैक्ट बनकार आया था, उस प्रोजैक्ट के अन्दर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल कि कितनी कैंपेसिटी थी, उस आधार पर पैसा आया था। मुझे नाथद्वारा की जानकारी है, आज नाथद्वारा के हास्पिटल को आप पचास बैड के हास्पिटल के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं जबकि नाथद्वारा का हास्पिटल दो सौ बैड का हास्पिटल है, क्योंकि उस समय जब प्रोजैक्ट बनकर आया था उस समय नाथद्वारा का हास्पिटल पचास बैड का था। ढाई साल बाद आपकी सरकार को जानकारी नहीं है कि दो सौ बैड का हास्पिटल बन गया। जब प्रोजैक्ट बनकर गया तब झालावाड़ का कितने बैड का हास्पिटल था, आज झालावाड़ के तीन सौ बैड के हास्पिटल के नाम पर हम फंडिंग देना

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहते हैं, यह हम रूरल हैल्थ की सर्विस के सामने काम करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें फंड उठाकर देख लें, जो पैसा आज आपके वहां पर जा रहा हैं, मैंने आपका स्टेटमेंट सुना, इसमें 472.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें पन्द्रह प्रतिशत राजस्थान सरकार देगी। आपने लिखा है इसमें कि 2004-05 में काम शुरू कर देंगे। 2005-06, अब खतम होने के बाद, मान्यवर, टेली मेडिसिन की बात पहले सैशन में सरकार बनते ही सी.पी. जोशी ने की थी, रिकार्ड में है, टेली मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। दो साल बाद टेली मेडिसिन की व्यवस्था की है। कहां की है? झालावाड़ में। कैसे की है, आज चल नहीं रहा है वहां पर। वहां पर डाक्टर हैं, टेली मेडिसिन की कास्ट कम होनी चाहिए, टेली मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट जुडना चाहिए। टेली मेडिसिन बनने के बाद तीन सौ बैड के हास्पिटल की आवश्यकता क्या है? क्या यह आवश्यकता नहीं है कि नीचे की पी.एच.सी., ए.एन.एम. लेवल के लोगों को हम टेली मेडिसिन से जोड़े। डाक्टर, प्रोफेशनल होने के बाद, ढाई साल में पैसा उपलब्ध होने के बाद हम यह काम नहीं कर सके। अब यह हमारा अचीवमेंट है कि टेली मेडिसिन का काम हम नहीं कर सके। हमने काम किया है प्रोक्योरमेंट का। वर्ल्ड बैंक के हैल्थ के सिस्टम के अन्दर प्रोक्योरमेंट का हमने काम किया है। प्रोक्योरमेंट क्यों किया हमने? कौन-कौन सी मशीनें होंगी, मशीनों को हमने प्रोक्योर कर लिया, डिस्ट्रिक्टस में हमने मशीनें भेज दीं। और उन मशीनों का काम करने वाले आदमी वहां पर हैं नहीं। पेरा मेडिकल स्टाफ आपके पास नहीं, उन मशीनों को कोई देखेगा ही नहीं। जब तक आप वहां पर पोस्टिंग करेंगे तक तक मशीनें सारी खराब हो जाएंगे। और वर्ल्ड हैल्थ सिस्टम का हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल गया। जिस तरह से डीपीआईपी के काम। मैं हो सकता है गलत हूं, आप जब बोलें सब बता दें, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि तीन सौ बेड के हास्पिटल में, झालावाड़ के हास्पिटल में स्टेट के बजट का पैसा लगा है, बाकी जो व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था में कहीं पर हैल्थ सिस्टम का पैसा तो नहीं लग रहा क्योंकि आपने सबसे पहले झालावाड़ को टेली मेडिसिन से जोड़ा है। क्यों भई? डूंगरपुर नहीं जुड़ सकता था, बांसवाड़ा नहीं जुड़ सकता था, उदयपुर नहीं जुड सकता था? वहां गरीब आदमी नहीं है? उसकी हैसियत नहीं है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह समझने की आवश्यकता है कि आज हम जिस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं उस तरह के प्रोग्राम कैसे बन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, डीपीआईपी का कार्यक्रम चल रहा है, डीपीआईपी का कार्यक्रम कैसे चल रहा है। छह सौ करोड़ का पैसा, सात डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, पर डीपीआईपी के कार्यक्रम में भी जितनी हमारी मानिटरिंग होनी चाहिए, उतनी मानिटरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण रहे हों, लेकिन आज ढाई साल हो गये हैं, ढाई साल बनने के बाद हमारी सरकार नहीं कर सकी, चली गई। डीपीआईपी का कार्यक्रम ठीक ढंग से लागू हो, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम ठीक ढंग से लागू हो सके, इसका काम होना चाहिए था, लेकिन आज डीपीआईपी के पैसे को जितना हम एग्जास्ट करना चाहते हैं, उतना हम एग्जास्ट नहीं कर सके। और हमें वर्ल्ड बैंक वाले आकर कह रहे हैं कि आप यह नहीं करोगे तो हम व्यवस्था कर देंगे। तो हम इमीजियेटली फैसला करते हैं कि इतना प्रोक्योरमेंट कर लिया जाए, इतना पैसा करा जाए। यह फिजिकल टारगेट प्रोक्योरमेंट के नाम से पैसा बुक करने के लिए एक्सटर्नल एडेड फंड के जितने प्रोजेक्टस आ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है और अल्टीमेटली यह लोन हमारा ऊपर लायबलिटी बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं कि एक आरयूआईडीपी का लोन आप लाये थे, डीपीआईपी का लोन आप लाये थे, ये जितने हम लोन ला रहे हैं, यह लोन एक व्यवस्था के अन्दर, सरकार एक कंटीन्यू सरकार होती है, वह सरकार लोन लेकर आती है, हमारा धर्म बनता है कि ढाई साल की आपकी सरकार बनने के बाद हमने क्या किया, हम हार गये, आप सरकार में आ गये, आपने क्या किया, अब बताने की जरूरत है, ढाई साल में आपने क्या इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। वह बताएं तो हमें समझ में आता है कि यह काम कर रहे हैं।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक्सटर्नल एडेड जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं इनमें एक नई व्यवस्था लागू हो गई है, उसमें भी हम सब को चिंता व्यक्त करने की जरूरत है। इसमें पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होने के बाद हमारी जो असेम्बली की कमटियां हैं, अकाउंटस कमटी या हमारी एस्टीमेट कमेटी वह इनके परव्यू में नहीं है। पन्द्रह प्रतिशत पैसे वहां लग जाएं, अस्सी-पिच्यासी प्रतिशत पैसा लगा लें, सोसाइटी बना दें, पैसे को

(डा. सी.पी. जोशी)

डाइवर्ट कर दें और उस पैसे का इन्टरनल आडिट नहीं हो, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसमें जांच नहीं कर सकें, मनमाने ढंग से पैसा खर्च हो, तो एक आज आवश्यकता बन गई। उस समय कानून और नियम में नहीं, लेकिन आज हमारी विधान सभा की प्रक्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि ये जितने भी, जिस तरह के भी एक्सटर्नल फंड के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी परव्यू में लाये जाएं, असेम्बली की जितनी भी एस्टीमेट कमेटी या अकाउंटस कमेटी या जो रेलेवेंट कमेटी हैं, जिससे हम आडिट का ठीक ढंग से काम कर सकें।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं, तिवाड़ी साहब, आपको मालूम हैं, हर साल आपका रिव्यू होता है, जो भी आपके सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत है। सर्व शिक्षा अभियान में लिखा हुआ था कि पचास प्रतिशत पोस्ट फीमेल की होंगी, सर्व शिक्षा अभियान का लाभ लेकर, आप जितना होशियार पार्लियामेंटेरियन बीजेपी का मंत्री शायद कोई नहीं होगा, आपने कहा कि हम पोस्ट भर देंगे, पोस्टें भर रहे है आप एलीमेंटरी एजुकेशन को स्ट्रेन्थन करने के लिए और एलीमेंटरी एजुकेशन के जो क्वालीफाइड टीचर हैं उनका हम ट्रांसफर कर देंगे सैकण्डरी एजुकेशन में, क्यों भई? आपने हैड तो चार्ज किया है हमें एलीमेंटरी एजुकेशन का सर्व शिक्षा अभियान का पैसा। स्ट्रेन्थन करना है हमें एलीमेंटरी एजूकेशन को जो टीचर कांसीटेंट हैं वो एलीमेंटरी से अच्छा पढ़ाएं। वो काम हम नहीं करेंगे । हमने भर्ती वहां कर ली, पैसा चार्ज वहां से कर लिया और चार्ज करने के बाद हम उनको सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देंगे। भेजना चाहिए, यह भी हमारा काम है, लेकिन कम से कम इस बात का तो धन्यवाद दें कि वो पैसा जो मिल रहा है, जो पैसा हम नहीं ख़र्च कर सके, उसका श्रेय लेकर ये 58 हजार टीचर भर्ती कर दिये शिक्षकों की भर्ती कर दी, ये काम हमने कर दिया। हम नालायक थे हम कुछ नहीं कर सके, अब यह काम करके आप जो टीचर को लगा रहे हो, मान्यवर, इसका तो कम से कम धन्यवाद दें।

हम व्यवस्था करें, कोई व्यवस्था करें, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, घनश्यामजी, आपसे, आपने फ्यूचर का सोचा है, ये जो आपने 58 हजार टीचर भर्ती किये हैं, 38 हजार और बाकी आपने एडजस्ट किये हैं, आपको जानकारी है कि 75% टीचर्स में कोई भी साइंस और मैथेमेटिक्स का नहीं हैं? These are 75% of teachers जिनके सब्जैक्ट हिन्दी है, सोशोलांजी है, पब्लिक एड है, ये थर्ड ग्रेड के टीचर आपने भर्ती कर दिये। न इनको कंप्यूटर मालूम है न गणित मालूम है। आने वाले समय में ये ही

(डा. सी.पी. जोशी)

टीचर सैकिंड ग्रेड के टीचर बनेंगे। कटारिया साहब जानते हैं, They are, the world I am using is, computer illiterate. आपने भर्ती तो कर दिया पर कम्प्यूटर इललिटरेट भर्ती कर दी। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्वालिफिकेशन को एड करें। क्वालिफिकेशन को चेंज करें कि कैसे हम क्वालिफिकेशनों को चेंज करके इस व्यवस्था को ठीक ढंग से कर सकें। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सोचा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह बात कहने की आवश्यकता है, कि यह जो गवर्नर का भाषण दिया उसमें उदाहरण दिया, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आपने नम्बर-1, पैसा कितना भारत सरकार से आया, उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। और एक धन्यवाद मैं भूल गया, मुझे पता नहीं, कटारिया साहब, इस गवर्नर स्पीच कमेटी के शायद संयोजक आप ही थे, इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2004-05 में 20 पाइंट प्रोग्राम में राजस्थान फर्स्ट आया। 2004-05 में 20-पाइंट प्रोग्राम का चेयरमैन कौन था? जो फर्स्ट लाया वो तो कंपीटेंट आदमी था, वो आपकी पार्टी में है क्या? हमने यह ध्यान नहीं रखा और हम मेंशन कर रहे हैं कि 2004-05 में राजस्थान 20-पाइंट प्रोग्राम में फर्स्ट आया। फर्स्ट आने वाला जो आदमी है, जो आदमी चेयरमैन था, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेट सारा करके काम किया, उस आदमी को हमने रिवार्ड क्या दिया? कि तू डिजर्व नहीं करता, हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, बाहर निकल। मैं तो इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा इसमें पास किया, 2004-05 में 20 पाइंट प्रोग्राम मे नंबर-1 रहा। मुझे बहुत-बहुत खुशी रही। मैं पढ़ूं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशी जी, नंबर-1 वालों की हालत ऐसी ही होती है।

श्री संयम लोढ़ा : यह आप नरेन्द्र मोदी की भी भविष्यवाणी कर रहे हो क्या? नरेन्द्र मोदी के लिए कह रहे दिखते हो?

डा. सी.पी. जोशी : वो गलती नहीं हुई। पहले वाली गवर्नर स्पीच के संयोजक घनश्याजजी थे और दूसरी वाली के कटारियाजी थे, अन्तर इतना ही है। मैं तो खाली ध्यान आकर्षित कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, यह समय आ गया है, मैं ये आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं कि मैं पोलिटिकल बात करूंगा, क्योंकि पोलिटिकल जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

आएगी। मैं दो-तीन आंकड़े देकर अपनी बात खतम करूंगा। इनमें तीन बातें कहीं गयी हैं, बजट का बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, अभी 2005-06 में राजस्व व्यय 20128 करोड़ रुपये से बढ़कर 22061 करोड़ रुपये किया गया है। यह वृद्धि गत वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में 10% अधिक है। राजस्व प्राप्ति का अनुमान गत वर्ष के राजस्व व्यय संशोधित अनुमान, राठौड़ साहब, आप एडवाइजर हो, सुन लें, 17481 करोड़ रुपये से बढ़कर 30583 करोड़ रुपये रखा गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा है। आय तो 10% है, खर्चा 17% है। अब रेवेन्यू डेफीसिट कैसे पूरा कर रहे है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडीचर मायनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपीटल आउट-ले। कैपीटल आउट-ले मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके जो आंकड़े हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हम जब गये थे सरकार छोड़ कर उस समय हम ब्याज पर पैसा दे रहे थे, 4477 करोड़ रुपये, अब आपने कैपीटल आउट-ले बढ़ाया, राजस्व का फिस्कल डेफिसिट कम किया है और अब आपके हो गये हैं 5319 करोड़ रुपये। यह ब्याज की अदायगी का फीगर मैं बता रहा हूं आपका। रेवेन्यू रिसीट्स के मुकाबले एक्सपेंडीचर आप बढ़ा रहे हो, कैपीटल आउट-ले पर आप बाजार से बोरोइंग करके काम कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमने बहुत अच्छा फिस्कल मैनेजमेंट कर रखा है, हमें पैसा मिल रहा है। 532 करोड़ रुपये ज्यादा दे रहे हो आप ब्याज के और आप कह रहे हो भारत सरकार से हमने 45 करोड़ रुपये ले लिये। यह हमारा फिस्कल मैनेजमेंट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कैपीटल आउट-ले तो बढ़ा है, कैपीटल आउट-ले किसमें बढ़ा है? यह सरकार सौभाग्यशाली है, ये 2003-04 के एक्चुअल्स आये हैं, 2004-05 के एक्चुअल्स नहीं है, 2005-06 के एक्चुअल्स अभी नहीं आये हैं। अभी तक हमारे पास अवेलेवल हैं ये 2003-04 के। अब कैपीटल आउट-ले बनने में लगना चाहिए। किसमें लगना चाहिए, अशोक गहलोत सरकार कैपीटल आउट-ले कुछ नहीं कर सकी। 1750 मेगावाट बिजली पैदा की है, बिजली पैदा की तो कल-कारखाने लगे हैं, रोजगार लगे हैं, लोगों को रोजगार मिला है। कैपीटल आउट-ले नहीं हैं, और वाहवाही ले रहे हैं कि हमने 87 हजार कुओं को बिजली दी है। एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की है और कैपीटल आउट-ले बढ़ाकर हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान में कैपीटल

आउट-ले बढ़ा रहे हैं। कैपीटल आउट लें 3 हजार से 5 हजार कर दिया है, यह 5 हजार का कैपीटल आउट-ले हम बढ़ा रहे हैं, सबको समझाने की आवश्यकता है। राजेन्द्रजी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, वसुन्धराजी बन जाएं और कटारियाजी बन जाएं, बट वो जो आफिसर है, वो जो लिख कर देता है वो ही बोलना पड़ता है हमको। जब तक हम यह स्टडी नहीं करेंगे कि यह हो क्या रहा है तब तक हम इस बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। फिस्कल स्ट्रेस राजस्थान में बढ़ रहा है कैपीटल आउट-ले के नाम पर, मैं 2003-04 के आंकड़े देना चाहता हूं। एक तो उदाहरण दिया है मैंने आपको बिजली का, आप मुझे करैक्ट कर दें, 1750 मेगावाट में मैं यह भी मान लूं कि 225 मेगावाट का काम भैरोसिंहजी के जमाने में चल गया, यह क्रेडिट मैं आपको दे देता हूं। और आपने ढाई साल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। यह मैं आपका बजट भाषण लेकर आया हूं 2003-04 का, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, धौलपुर में हमने काम किया, गिरल में हमने काम किया है और हमने क्या कहा था? कि हम कितनी जल्दी बिजली लाएंगे? यह लिखा है इसमें, मैं आपका भाषण ही पढ़ रहा हूं-राज्य सरकार विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित गिरल परियोजना का कार्य द्रुतगति से चल रहा है तथा मार्च, 2006 तक इस परियोजना को चालू करने का लक्ष्य है। अब 2006 है, ये जो आपका लिखा हुआ है। और अब आपने लिख दिया 2007 । फिर लिख देना 2008, फिर लिखना 2009 । हम करना क्या चाहते हैं, आप बताएं। यह आपका ही भाषण है 3 फरवरी, 2005 का, आपने कहा कि गिरल वाली 2006 में कर लेंगे। धौलपुर के लिए आपने लिखा है कि 330 मेगावाट कर देंगे और अब धौलपुर के लिए आपने क्या कहा कि 2007 तक कर देंगे।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी में यह लिखा हुआ है कि 2012 तक राजस्थान में बिजली का उत्पादन पूर्ण हो जाएगा, यह भी पढ़ लें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : 2012 तक तो रहेंगे तब है।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे जानकारी है। नहीं, आप तो सौ साल तक रहें, शाश्वत रहें। आप पांच सौ साल तक रहें।

एक माननीय सदस्य : आप हो वो ही रहोगे और धीरे-धीरे कम होते जाएंगे।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा-अच्छा, आप तो मोक्ष प्राप्त करना।

श्री जुबेर खान : देखो, विष्णुजी तो रहेंगे, यह पता नहीं कि इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे।

श्री मदन दिलावर : आप तो कहीं भी नहीं रहेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह इसमें तो लिखा है गिरल के लिए 2006 तक, तो जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो बताएं कि 2006 तक गिरल की बिजली आ गयी क्या? जो धौलपुर की बिजली के लिए आप कह रहे हैं कि 2007 तक आ जाएगी, क्या 2007 तक बिजली आ जाएगी? ढाई साल हो गये तब तक तीन साल हो जाएंगे 2007 तक, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की फिर कैपीटल आउट-ले बढ़ाया है, कैपीटल आउट-ले बढ़ाकर हमने यह काम कर दिया।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको पता है नहीं है कि वहां की क्या स्थिति है, जल्दी ही हो रहा है, जल्दी ही। आपको पता नहीं है, मेरे को पता है कि वहां की क्या स्थिति है, जल्दी ही हो रहा है। आपको पता नहीं है। पधारिये आप वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : विरोजिये आप। तेल का कारखाना आपके लिए भेज रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि जो सरकार बिजली पैदा नहीं करें वो कल कारखानों से रोजगार कैसे पैदा करेगी? यह सरकार कह रही है कि एक लाख से हमने 60 हजार बढ़ा दिये, हमने रोजगार पैदा कर दिया, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया. Letter of Intent cannot be the criterion for employment. इतने करोड़ हमने लैटर ऑफ इंटेंट किये, आज बिजली दे नहीं रहे हो उन आदमियों को आप। आप बिजली पैदा नहीं कर रहे हो, किसान को बिजली नहीं दे रहे हो। किसान को बिजली देने के

(डा. सी.पी. जोशी)

लिए आप कितनी सब्सिडी दे रहे हो? राजस्थान का कैपीटल आउट-ले पूछना पड़ेगा, आपके नियामक ने आपका पैसा बढ़ा दिया, पैसा बढ़ाने के बाद शांति खरीदने के लिए, वर्ड यूज कर रहा हूं to buy peace with leftists, पड़ाव को खतम करने के लिए हमने फैसला किया। आज दिन तक उसका हम पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी का अमाउंट कितना हो गया? 4 हजार करोड़ रुपऐ तो भैरोसिंहजी के राज में आपने करने में खर्च कर दिये, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। अब चार हजार करोड़ रुपये और खर्च कर देना बिजल परचेज करने में, एक मेगावाट बिजली पैदा मत करना। और कहेंगे कि राजस्थान का बहुत विकास हो रहा है, इस विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। हौसले से काम हो रहा है। हौसले तो ऐसे ही होते हैं। हौसले में तो पंख ऐसे उड़ते हैं... (व्यवधान) उसमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने पांच साल में तीन बार बिजली की रेट बढ़ायी। आपको धन्यवाद देना चाहिए वसुन्धराजी को कि उन्होंने ढाई साल में एक पैसा दर नहीं बढ़ायी।

डा. सी.पी. जोशी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने बढ़ाया, हम इधर आ गये। आपने नियामक से बढ़ाया, राजकोष से पैसा दे रहे हैं। यह बेइमानी कर रहे हो और बता भी नहीं रहे हो।

श्री विष्णु मोदी : बेइमानी नहीं कर रहे हैं, हमने किसान के साथ जो वादा किया है उसको निभा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा, किसान के साथ वादा किया। बहुत अच्छा काम किया, मुझे याद दिला दिया आपने, मैं किसान को भूल गया था। अभी नाथूसिंहजी ने भाषण दिया था, पिछली सरकार ने बाइबल दे दिये थे, इतने इन्होंने प्रोमिसेज दिये। यह बनाने में तो विष्णु मोदीजी भी मौजूद थे, मुझे याद आ गया। एक तो इनके मित्र 25-प्रोग्राम में थे, एक यह खुद थे। अंधेरे से उजियारे की और, माननीय गुलाबचन्दजी को मालूम है कि जब किसी क्रिमिनल को इन्टेरोगेट करना पड़ता है तो उसको बहुत ज्यादा बिजली फोकस करनी पड़ती है, तब भी उसकी अंधे जैसी हालत हो जाती है। बहुत ज्यादा बिजली भी आदमी को बेसुध कर देती है। तो अंधेरे से उजियाले में तो आ गये, उजियाले से घनघोर उजियाले में जा रहे हो आप। उपाध्यक्ष महोदय, यह

(डा. सी.पी. जोशी)

इन्हीं का है-''हमारी प्राथमिकताएं'' यह वसुन्धराजी का फोटो है। अब तो फोटो अच्छा आया है। आजकल तो सरस में छप रहा है वह फोटो इससे अच्छा आया है लेकिन यह फोटो भी इन्हीं का छपा हुआ है, उन्हीं के नाम का फोटो है। उस फोटो में हमारी प्राथमिकताएं, इन प्राथमिकताओं में 175 करोड़ के किसान कल्याण कोष की स्थापना, 250 करोड़ का किसान सहायता कोष, बीमार के इलाज के लिये 25 करोड़ का किसान जीवन कल्याण कोष बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये 50 करोड़ का तकनीकी पुनर्जन्म, बेरोजगारों के लिये रोजगार गारंटी के लिये 100 करोड़ के रोजगार कोष की स्थापना, 2007 तक बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 50-50 हजार मकान बनाना, वृद्धजनों को मुफ्त चिकित्सा देना, 250 करोड़ का अकाल प्रबन्धन कोष, गृह कर समाप्त, पढ़ लेना। स्वायत्त शासन मंत्रीजी, यह पांच साल में खर्च करेंगे, यह नहीं लिखा है। प्राथमिकता में लिखा है, गृह कर समाप्त, ढांचागत विकास के लिये 250 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन को पुनः चालू करना। ये 61 हैं, मैंने 10 बोली हैं। आपकी 61 प्राथमिकताएं थीं, आपने 300 प्राथमिकताओं को पूरा कर दिया। ये 300 प्राथमिकता कहां से आईं? यह हमारा खोटा डाक्यूमेंट है। आपका बाइबल लाकर दे दो हमारा बाइबल गलत हो गया हो तो, आपका बाइबल लाकर देख लें। इसको बनाने वालो के नाम भी बोल दूं, श्री हरिशंकर भाभड़ा जो आजकल इकोनोमिक एडवाइजर हैं हमारे, श्री गुलाबचन्दजी कटारिया गृह मंत्री हैं, श्री घनश्याम तिवाड़ी शिक्षा मंत्री हैं, सुनील भार्गव सी.ए., जो आपके बहुत बड़े एडवाइजर हैं, डा. रामप्रतापजी जिनको अभी आपने चेयरमैन बनाया है, नन्दलालजी मीणा जिनको मंत्री बना रहे हैं आप, माननीय दिलवारजी हमारे आलरेडी मंत्री हैं, विष्णु मोदीजी लाइन में लगे हुए हैं, सरोज कंवरजी को चेयरमैन बना रखा है, इन सबने मिलकर यह बनाया है। यह मैंने नहीं बनाया हैं इन सब ने मिलकर बनाया है। इतना लंबा-चौडा बनाया। और इसमें से आखिर में एक पता और निकाला, हमारी प्राथमिकताएं ये हैं। ये आपकी प्राथमिकताएं नहीं है। (व्यवधान) आपकी प्राथमिकता मैं बाद में बताऊंगा, अभी प्राथमिकता यह हैं..... (व्यवधान) आपका कमिटमेंट है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। होना चाहिए, संस्कार हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आप बहुत संस्कारित आदमी हैं। आप गैर सस्कारित आदमी के साथ काम कर रहे हो, उसकी तकलीफ है। मुझे तकलीफ इस बात की है

(डा. सी.पी. जोशी)

कि एक संस्कारित आदमी गैर संस्कारित आदमी के साथ काम कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो सहानुभूति है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा कि आप मेरी तकलीफ मिटाकर संस्कारित आदमी को ले आना। घनश्यामजी को लाओ, गुलाबचन्दजी को लाओ, किसी को भी लाओ, संस्कारित आदमी को लाओ।

श्री मदन दिलावर : भारतीय जनता पार्टी में कोई असंस्कारित है ही नहीं। सब चले गये उधर।

डा. सी.पी. जोशी : जो थोड़े बहुत हैं उनको आप पद दिलवा देना। उपाध्यक्ष महोदय, उन्नत होगा राजस्थान, खुशहाल होगा मजदूर किसान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशीजी, आप मुझे यह बता दो, किसका संस्कार कराना है।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो आप? सभी जानते हैं कि आपके मन मे किस का संस्कार करने का है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं कि ढाई साल बाद की पोलिटिकल फिलोसोपी जिससे गवर्नेस हो रहा है, उस पर डिस्कस कर लेना चाहिये। इसी में लिखा है माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़क बनाएंगे हम 1500 करोड़ रुपये की, 2003-04 मे लिखा है 1500 करोड़ रुपये के 4 स्टेट हाइवे। माननीय मंत्रीजी, रिडकोर बनाई है अपन ने, रिडकोर बनाने में 5-5 करोड़ का इक्विटी लिया है। जो 4 स्टेट हाइवे बनाएंगे, वह तो सभी को मालूम है, आप कहो तो मैं बता देता हूं, मेरे पास तो मेम्बर आफ अन्डरस्टेंडिंग भी पूरा है। Memorandum of Association and Article of Association, Road Infrastructure Development Compnay Rajasthan Ltd. और आपने उसके साथ Shareholder's agreement-Government of Rajasthan. I am repeating. Infrastructure, Leasing & Financial Services Ltd. Mumbai (ILFS) and Road Infrastructure. यह मंत्रीजी, आपके संबंध में नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या राजस्थान सरकार ने इस विधान सभा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई पालिसी पास कराई? क्या राजस्थान सरकार की केबिनेट मे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई चीज पास हुई है। ये भारत सरकार की गाइडलाइन हैं, मैं बताना चाहूंगा-Government of India, Ministry of Finance

(डा. सी.पी. जोशी)

Department of Economic Affairs, Infrastructure Section, उस गाइडलाइन में क्या लिखा है पहले टोटल प्रोजैक्ट की कास्ट के आधार पर प्रोजैक्ट बनाए। यदि 1500 करोड़ का प्रोजैक्ट था, फिर आप टेण्डर इन्वाइट करते और टेण्डर इन्वाइट करने के बाद इक्विटी करते फिफ्टी-फिफ्टी की, साढ़े सात सौ करोड़ रुपये राजस्थान के होने चाहिये थे और साढ़े सात सौ करोड़ उस कम्पनी के होने चाहिये थे। आपने टेण्डर किया, आपने एक कम्पनी के साथ एग्रीमेन्ट किया, 5-5 करोड़ की आपने इक्विटी ले ली, 1500 करोड़ का उसको काम दे दिया, उसका सीईओ अपाइंट कर दिया आपने। यह स्टेट के भले के लिये है? रोड़ चौड़ी होगी तो वह काम करेगा, प्रोजैक्ट बनाएगा तो वह काम करेगा। कांट्रेक्ट का वह सब कांट्रेक्ट देगा। यह कौनसी पालिसी है? 5 करोड़ रुपये खर्च करके उस आदमी ने 1500 करोड़ का काम बुक कर लिया, कोई पालिसी सरकार से पास नहीं कराई। मुझे बताया जाए, राजस्थान सरकार ने किस नियम के अन्तर्गत, कौन से फाइनेंस के रूल हैं जिस रूल में अमैंडमेंट करके काम किया? या यह भारत सरकार की फाइनेंस पालिस का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, यह लिखा हुआ है, "Total Project cost means the lower of the total capital cost of the PPA project as estimated by the government, statutory entity, that owns the project. as sanctioned by the lead financial institution.." And what is written here-"The project shall be implemented i.e. developed, financed, constructed, maintained and operated for the project term by a private sector company to be selected by the government or a statutory entity through a process of open competitive bidding..." ये आपके भारत सरकार के नियम। अब राजस्थान सरकार ने बिडिंग की है, 5 करोड़ की इक्विटी में 1500 करोड़ रुपये का काम करके हम राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं, रेवरेज कारपोरेशन लिमिटड बहुत अच्छा काम किया हमने। गंगानगर शुगर मिल पास में जा रहा था गंगानगर शुगर मिल पब्लिक एन्टरप्राईजेज एक ऐसा था जो प्रोफिट में जा रहा था, उसको खतम करने के लिये पहले 25 परसेंट किया गया, 75 परसेंट किया गया और प्राइवेट आदमियों को काम देने के नाम पर आपने गंगानगर शुगर मिल को कोलेप्स करने का काम किया। आप बताएं, आपने टेण्डर निकाले, कितने ब्राण्ड की दारू बनती है, हिन्दुस्तान के किस-किस जगह से बनती है? आपने फैसला कर लिया कि एक ही ब्रान्ड की दारू एक कम्पनी से आएगी

(डा. सी.पी. जोशी)

और उस कम्पनी से आकर राजस्थान में सेल होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां बिजनसमैन बैठे हुए हैं, जब हम एक रुपये का एक आइटम खरीदते हैं तो उसकी कास्ट अलग होती है, जब लाखों के हम आइटम खरीदते हैं तो उसकी कास्ट कम होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह लाखों रुपये की जो दारू आ रही है, उसमें जो पैसा कम हो रहा है, जो कंजूमर पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वह पैसा कहां जा रहा है? यह किस नियम के अन्तर्गत बेवरेज कारपोरेशन को ट्रांसफर किया है? हम तो विकास करना चाहते हैं। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण की रिप्लाई में दिया है कि हम दारू की व्यवस्था कर्नाटक, केरला के हिसाब से करना चाहते हैं और इस पैसे से हम राजस्थान का भला करना चाहते हैं। आपकी देशी दारू की पालिसी क्या हुई है? हायर प्राइस पर प्रोक्योट करके उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कंजूमर पर, जो बीच का पैसा है वह कहां जा रहा है, मैं तो यह पूछ रहा हूं? आपने पालिसी बनाई कंट्री लिवर की, यहां पर साथी धंधा करते हैं, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, आपका 1100 करोड़ रुपये का टारगेट भी पूरा नहीं हो रहा है। आपकी दारू की दुकानों का आक्शन नहीं हो रहा है। आपने पहले का जो कार्टेल था उसको तोड़ने का काम किया, उसके लिये धन्यवाद. I am for this. मैं कभी इस बात को मना नहीं करता। कार्टेल टूटना चाहिये। पर कार्टेल टूट कर कुछ लोगों को पैसा मिल जाए, यह कौनसी व्यवस्था है, समझाओ मुझे? आपने कार्टेल तोड़ने के नाम पर राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया है। बाहर के लोग आकर कमाई लेकर जाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। यह हिडन एजेंडा है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, हम तो गवर्नर की स्पीच पर डिस्कस करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिये कि हम पालिसी क्या बना रहे हैं। मैंने रिडकोर का उदाहरण दिया 1500 करोड़ रुपये का, राजस्थान की किसी भी सरकार चाहे वह बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसको अधिकार नहीं है 5 करोड़ रुपये के इन्वैस्टमेंट में राजस्थान की जनता का 1500 करोड़ रुपये का काम बुक करने का। आज सीईओ प्राइवेट आदमी को लगा दिया, वह कांट्रेक्ट कर रहा है। वह टोल टैक्स वसूल करेगा। उसने यह भी फैसला कर लिया है कि रोड अगर भविष्य में चौड़ी भी होगी तो चौड़ी होने के बाद भी उसी को काम मिलेगा। मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों के सम्बन्ध में चिंतित होने की आवश्यकता है कि हम राजस्थान में किस तरह की व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

(डा. सी.पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टम के बारे में मैंने आपसे कहा, सीएसएस के सामने कहा मिड-डे-मील, इसके लिए अभी मैं बोलूंगा तो बिरला साहब नाराज हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के अन्दर माननीय स्पीकर ने फैसला दिया था, स्पीकर ने किया था कि एक कमेटी को हम रैफर करेंगे, कमेटी को रैफर करने के बाद वह कमेटी फैसला करेगी कि मिड-डे-मील की व्यवस्था किस तरह हो रही है। मिड-डे-मील की व्यवस्था के अन्तर्गत, मैं कहना नहीं चाहता, least I speak better it is. हमारा कमिटमेंट गरीब के प्रति है, कमिटमेंट अगर गरीब आदमी के प्रति है तो मैं, दिलावर साहब, आपसे कहना चाहता हूं, निर्णय करिये, जाकर देखिये। क्वालिटी आफ फूड चल रहा है उसमें कम्प्रोमाइज मत करिये, कमिटमेंट नजर आना चाहिये। आपको लगना चाहिये कि मैं गरीब के लिये हूं। उस गरीब आदमी के लिये, बच्चे के लिए मां को जो दे रहे हैं छोटे-छोटे बच्चों को जो दे रहे हैं, उनके साथ क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिये। क्या हम क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? कैसे फैसले होंगे, कोर्ट का क्या फैसला था, कैसी व्यवस्था कर दी हमने मिड-डे-मील के अन्दर इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट करें, कोई तकलीफ नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था कर रहे हैं जिस व्यवस्था के अन्तर्गत आमेर का किला, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, आमेर का किला, स्टेट प्लान का पैसा 35 करोड़ रुपये, 44 करोड़ रुपये, कोई टेण्डर निकाला, एक मिलने वाले हमारे कोई अच्छी जान-पहचान के क्योंकि जितना बड़ा सर्कल होता है, मैं और दिलावर साहब तो गरीब आदमी, हमारे तो नहीं है, बड़े आदमी मुख्य मंत्रीजी तो बड़ा सर्कल बनता है, इन सब सर्कल के आदमियों को 45 करोड़ रुपये का टेण्डर आमेर के किले के रिनोवेशन का जिला रिनोवेशन के लिये। कोई टेण्डर नहीं, एक आदमी करेगा टेण्डर। क्यों भाई, हिन्दुस्तान में जिलों को रिनोवेट करने वाला आदमी नहीं है? Transparency is a buzz word. हम तो जाकर आये हैं राठौड़ साहब और वो दावोस में, आप तो आई.टी. का काम करके आएंगे। हम तो प्रोक्योरमेंट को आई.टी. पर लाएंगे, वैबसाइट पर लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, Is it the transparency? The Government is not functioning on the basis of the transparency. और ट्रान्सपेरेंसी हम नहीं करें, हम कितने ही खुश हो जाएं, कितने ही हम फोटो लगवा लें, कितनी ही लोगों की वाहवाही लूट लें, लेकिन राजस्थान की जनता लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार से आशा नहीं करती। इसलिए मैंने कहा कि संस्कारित आदमी हो, संस्कारित आदमी का

(डा. सी.पी. जोशी)

दबाव हो। मुझे खुशी होती, एक कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी अच्छा है, एक आरएसएस का आदमी अच्छा है, एक कमिटमेंट तो है किसी के लिये। जिन लोगों का कमिटमेंट नहीं है वो आदमी राजस्थान में राज करेंगे तो राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है।

जेडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पंचायती राज को हम एम्पावर करना चाहते हैं, दो-ढाई साल हो गये केबिनेट कमेटी बन गई है, चुनाव हो गये, पंचायती राज के आदमी चुनकर आ गये, उनको अधिकार दे दिये, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जेडीए एक्ट बना था 1982 में, जेडीए एक्ट बना था तब कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था। तब जेडीए के एक्ट के अन्तर्गत आस-पास के गांवों को लिया गया था। गांवों को लेकर आज जेडीए के नाम पर लैंड बैंक बनाया, उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून का, संविधान का खुला उल्लंघन है इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो अमेंडमेंट किया उस अमेंडमेंट को पढ़ना चाहता हूं, रिकार्ड में आना चाहिये, कि क्या होता है इसमें- 243(G):- Powers, authority and responsibilities of Panchayats, यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट है, 93 मे हुआ, 94 में तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोसिंहजी शेखावत ने पंचायती राज एक्ट राजस्थान में लागू कर दिया, लागू करके कानून बनाकर अधिकार दे दिया पंचायत को एक बार कानून बनाकर अधिकार देने के बाद जेडीए को उस जमीन को लेने का अधिकार नहीं है। क्या-क्या अधिकार दिये हुए हैं, सुनाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 243 कांस्टीट्यूशन को पढ़ रहा हूं-

"Powers, authority and responsibilities of Panchayats :- Subject to the provisions of the Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government."

आपने 94 में उनको अधिकार दे दिये, इसके अन्तर्गत, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panachayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to :-

(डा. सी.पी. जोशी)

(a) the preparation of plans for economic development and social justice ;

The implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relations to the matters listed in the Eleventh Schedule." उपाध्यक्ष महोदय, ये पंचायत के पावर है। पंचायत के पावर के बाद, 94 में पंचायत एक्ट बना, पंचायत में शिड्यूल में क्या लिखा है, वह भी पढ़कर बताता हूं।

Functions and powers of the Panchayats :-... अब, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के पावर के शिड्यूल में लिखा हुआ है- General function:- preparation of annual plan for the development of the Panchayat in the sphere of the administration, the control of the cattle stands, facing floors grazing grounds and the common lands.

यह पावर पंचायत के पास है। इसके आगे रूल बनाये, रूल भी पढ़ता हूं "Rule 131. All common lands in public streets together with the pavement stones and other material thereof as well as all government lands lying within the Abadi area of the Panchayat circle shall; the word use "shall"; vest in and belong to the Panchayat."

यह राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर दिया, पंचायत का यह काम है। उसके बाद जेडीए की जमीन पर रोहिणी स्कीम बन रही है, लैंड बैंक स्कीम बना दिया। यह भी छोड़ दीजिये। इसमें कांस्टीट्यूशन में एक और प्रोविजन कर रखा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी।

243 ZD. Committee for district planning :- उसमें लिखा है, "There shall be, the word is "shall" constituted in every State at the district level, a District Planning Commission to Consolidate the Plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole."

आपको यदि यह काम करना भी था, पंचायत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन में प्रस्ताव रखते, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के प्रस्ताव सरकार बनाती और फिर पंचायत को हैंडओवर करते। हमें तो लैंड बैंक बनाना है। लैंड बैंक क्यों बनाना है, भई? रिडकों के नाम पर बनाना है, ब्रेवरेज के नाम पर बनाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह इस संविधान का कानून का खुला उल्लंघन

(डा. सी.पी. जोशी)

है। आज जेडीए को कानून में कोई अधिकार नहीं है कि जो आबादी की चारागाह की पंचायत की जमीन है उस पर कब्जा कर ले, कब्जा अपने खाते में ले ले और खाते में लेकर लैंड बैंक के नाम बेच दें। पंचायत असहाय होकर बैठी हुई है। काहे के लिए पंचायत को डिसीजन पावर दे रखी है? यह सरकार संविधान में जो पंचायत को अधिकार दिये हुए हैं उन अधिकारों का हनन कर रही है हनन करके अपनी चीजों को लागू कर रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, इस बात को समझें कि किस तरह की गवर्नेंस हो रही है? कानून को मानें नहीं, नियम को मानें नहीं, राजा के राज की तरह हम करना चाहते हैं, राजा जो कह दे नियम बन जाएगा। बनना चाहिए, राजा का राज हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं हम भी मानते हैं इस बात को। हमारे मां-बाप गुलाम थे, राजा की बात मानते थे। लोकतंत्र मे तो राजा का राज नहीं है, कानून का राज है। उपाध्यक्ष महोदय, कानून के राज में पंचायत एक्ट की जितनी कमी कर दी, यह सबसे बड़ा खतरा है। यह लैंड बैंक नहीं है, बीजेपी का लैंड बैंक हो जाएगा। यह जमीन खिसक जाएगी इंतजार करो एक-दो साल तक और। यह लैंड बैंक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, "A man is known by the company he keeps. Company he keeps. वोट डलवा लें सीक्रेट वोट डलवा दें, लोगों की जांच करवा लें, पता लगा लें कि क्या ओपनियन है जेडीए के कमिश्नर के बारे में क्या करना चाहते हैं? I don't want to put aspersion to anybody but my concern is about the governance. You do it, बीड़ी में करिये, इसमें करिये, पास करिये हैल्प करिये, मदद करिये, राज का डवलपमेंट करिये, पर डवलपमेंट की कास्ट पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये, ट्रांसपेरेंसी की कास्ट पर डवलपमेंट नहीं। गुलाबजी कटारिया, घनश्यामजी के संस्कार 50 साल के, कोई संस्कार का मतलब नहीं है। काहे के संस्कार किस संस्कार को लेकर हम सार्वजनिक जीवन में आये? क्या हमारे सार्वजनिक जीवन में संस्कार इस बात का है कि हम गलत बात को नहीं बोल सकें? न्याय के लिये लड़ाई नहीं लड़ सकें? ऐसा राज करने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम अपने आपको संस्कारित होने का गौरव करते हैं तो संस्कार की लड़ाई लड़नी चाहिये, कानून में व्यवस्था है। मुझे खुशी हुई, कटारियाजी, दो-तीन दिन से मैं इनका स्टेटमेंट सुन रहा हूं कि कानून कोई हाथ में लेगा तो कार्यवाही करेंगे, उनको यह भी गर्व है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं। अच्छी बात है। लेकिन आज गृह मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा धर्म बनता हैं, मैं न्याय का काम करूंगा। परन्तु हमारा धर्म नहीं बनता, हम किस तरह की गवर्नेस कर रहे

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं? कटारियाजी, मैंने आपके भाषण सुनें हैं, आप दिल से बोलते हैं, ये कानून और नियम के काम बने हुए हैं, आप कैबिनेट में कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, फिर आप और हम क्या कर रहे हैं? क्या सब काम ठीक हो रहे हैं? क्या सब काम ठीक हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के लिये ठीक नहीं है। हम डवलपमेंट कर लेंगे, विकास तेज गति से हो जाएगा, कैपिटल आउट-ले भी हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के अन्दर लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र यदि कमजोर हो जाएगा तो साधारण गरीब आदमी का राज में आकर कल्पना करना बेकार हो जाएगा। यह हमारे लिये ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे इलाके में जुगाड़ चलता है, जुगाड़ क्या होता है? किसी भी काम में, व्यवहार में जुगाड़ नहीं चलता है, मुझे भी जानने का काम पड़ा, दौसा साइड में जुगाड़, मैकेनिक आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, वह छोटी-मोटी चीजों को करके जुगाड़ कर लेता है। जुगाड़ चलता है ट्रक की तरह, वह जुगाड़ छोटे-मोटे काम पूरे कर लेता है। राजस्थान की राजनीति में भैरोसिंहजी ने संस्कार दिये थे, कुछ लोगों ने जुगाड़ बना दिया। जुगाड़ पर कब्जा कर लिया, समझे कि हम भी ड्राइवर हैं (व्यवधान) किसी ने असेम्बलिंग का काम किया होगा, किसी ने पहिया लगाया होगा, लेकिन जुगाड़ पर कोई आदमी बैठकर समझे कि जुगाड़ से मैं लीलेंड का मुकाबला कर लूंगा, आजकल ट्रोला आया उसका मुकाबला कर लूंगा, जुगाड़ तत्कालीन नीड्स को पूरा कर सकता है लेकिन जुगाड़ आटोमोबाइल की जो नई ट्रक आ रही है उसका रिप्लेस नहीं कर सकता है, ओम बिरलाजी, यह याद रखिये। राजनीतिक जुगाड़ से सत्ता में आ गये हम, वह जुगाड़ मे गुडविल थी भैरोसिंह शेखावत की, गुडविल थी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। यह गुडविल होगी पोलिटिकल मैनेजमेंट की, जो पोलिटिकल मैनेजमेंट बाम्बे में फेल हो गया, राजस्थान में पास हो गया। लेकिन इसमें कन्ट्रीब्यूशन उसका 10 प्रतिशत होगा, 70 प्रतिशत वेटेज देंगे तो भैरोसिंहजी की गुडविल का होगा। इस जुगाड़ को, राजनीतिक जुगाड़ को आप ट्रक की तरह चलाना चाहते हो तो इसमें 10 किलो का काम हो सकता है, 15 किलो का काम हो सकता है, कोई 100 टन का माल लेकर चलना चाहे तो यह जुगाड़ भी टूट जाएगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय जोशीजी, हम जुगाड़ से नहीं आये हैं, जनता ने चुनकर भेजा है। जुगाड़ से नहीं आये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो कैसे आये हैं, ललितजी को धन्यवाद, बैठो आप। (व्यवधान) मुझसे क्यों कहलवा रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : जुगाड़ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जुगाड़ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जुगाड़ तो जुगाड़ ही रहता है, कि जिसका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन कर दें। उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं आपका इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जुगाड़ के साथ हमारे मंत्रीजी पर.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भैरोसिंहजी के ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते हैं यहां पर। आप उनके दामाद हो सकते हैं, You are not holding the brief of Shri Bhairon Singhji. यह हकीकत है जो यहां कही जा रही है।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं ब्रीफ की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर क्या कह रहे हैं आप?

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, जुगाड़ के साथ में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य हमारे मंत्रीजी की तरफ ही देखते जा रहे थे, जैसे कोई ये भी एक जुगाड़ हों।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह जुगाड़ ही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : भैरोसिंहजी का नाम क्यों ले रहे हैं आप?

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों में हूं जो मुख्य मंत्रीजी की काम करने की शैली के बारे में प्रशंसक हैं। मैं उनमें भी सम्मिलित हूं कि लोकतंत्र के नियम और कानून को तोड़कर यदि काम किया जाए तो ऐसा काम लोकतंत्र में सम्भव नहीं है। लोकतंत्र में समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जो नियम ओर कानून

(डा. सी.पी. जोशी)

बने हुए हैं उन नियमों और कानूनों की पालना किस तरह से की जाए। यदि वह पालना नहीं करके हम कोई काम करना चाहेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आप और हम सबका धर्म बनता है, अच्छा काम हो, काम अच्छा कर रहे हैं, इनिशियेटिव लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन नियम, कानून और संविधान, इन चीजों का उल्लंघन होता है तो फिर मोटिव्ज लगते हैं। और मोटिव्ज लगते हैं तो ये किसी नेता के लिये ठीक नहीं है। क्या जरूरत है? मुख्य मंत्रीजी पहले भी फोरेन जाकर आयी हैं, प्रतापसिंहजी सिंघवी साहब, क्या यह मालूम है कि आपके जो फोटो लग रहे हैं, दावोस से जब मुख्य मंत्रीजी आयीं. एक रात में फोटो लग गये, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मैं उधर ही रहता हूं, दूसरी रात में हट गये। उसका हिसाब किताब नहीं है। यह किसी एक आदमी की दया पर हम मुख्य मंत्रीजी की इमेज बनाना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी सेल्फ ब्रांड हैं, वह जीतकर आयी हैं, परिवर्तन यात्रा घूमकर आयी हैं, उनको फोटो की क्या जरूरत है? काहे को एक काकस बनाकर हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिस व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य मंत्रीजी को जितना आप अपने स्तर से एक्सपोज करेंगे उतना आपका लीडर कमजोर होगा। आपको समझना है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। आपको सूट करता है, जुगाड़ से सरकार चलायी ढाई साल तक, और ढाई साल जुगाड चलाओ। आप जैसे चलाना चाहें, यह आपका मामला है। लेकिन मेरा मामला इतना है कि अच्छे काम करने के बाद भी यदि नियम और कानून की पालना नहीं होती है, अच्छे आदमियों से कानून को लागू करने का काम नहीं होता है तो उसका लाभ लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं मिलता है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, I do not want to attribute the motives. यह कहना बहुत सरल है कि वह चोर है, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं हैं वे भंग करके जो काम हो रहा है, उस व्यवस्था को भंग करने से राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होता है। यदि 5 करोड़ की इक्विटी से 1500 करोड़ का कोई धन्धा ले लें, इससे बढ़िया कोई धन्धा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों के सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता है, क्योंकि समय आ गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पालिसी की बात होनी चाहिए। इसलिये मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, न तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, बारोड मनी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। यह बात सही है, प्लान का साइज

(डा. सी.पी. जोशी)

बढ़ा है, मैं फिगर लेकर आया हूं। मैं फिगर यह भी कोट करना चाहता हूं, आज रेवेन्यू रिसोर्सेज की बात करते हैं, आंकड़े उठाकर देख लें; हमारे समय में सन् 1998 में 3 हजार कुछ करोड़ था, हमने जाते-जाते 6 हजार करोड़ रेवेन्यू कर दिया। आप रेवेन्यू में कौनसी बड़ी बात कर रहे हैं? अब 6-7 हजार आपका रेवेन्यू है, जब आप 14-15 हजार रेवेन्यू करें, तब बताना आप। आप आप्टीमम हो चुके हैं। आपकी एक्साइज का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। आपका रेवेन्यू बढ़ा रहा है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में। क्या आप भूल गये स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को आई.टी. कराने का काम किस सरकार ने किया था? महाराष्ट्र में भेजकर स्टाम्प रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू हो, यह योजना किसने लागू की? जन्म तिथि योजना किसने लागू की? जो चीज कांग्रेस सरकार ने लागू की, उसका कोई श्रेय ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा और देना चाहता हूं, मैंने एक बिजली का दिया, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंट्रेस्टिंग आंकड़ा है। जितना पैसा हम इरिगेशन पर खर्च कर रहे हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। एक तो सबसे इंट्रेस्टिंग है, भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं कि हमारे बजट की कोई सैंक्टिटी नहीं है। बजट से ज्यादा हमारे एप्रोप्रिएशन बिल में हम चार्ज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट 2003-04 के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं, यह गम्भीर मामला है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान में हम जिस तरह का बजट और एप्रोप्रिएशन ले रहे हैं उस एप्रोप्रिएशन के कारण स्थिति यह बन गयी कि आज हमारा बजट बिलकुल मोकरी हो गया। और कुछ हैड में तो हम इतना करने लग गये, मैं 2-3 बातें बताकर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। एप्रोप्रिएशन का फिगर मैं दे रहा हूं, आप देखेंगे, वोटेड रेवेन्यू हमने 14823 करोड़ रुपये की ओरिजिनल ध्यान में रखी और सप्लीमेंट्री में हमने रखा 1937, टोटल हुआ 16761 और इसमें 1609 करोड़ रुपये की सेविंग है। इसी तरह से कैपीटल में हमने 3867 करोड़ रुपये का ओरिजिनल ग्राण्ट रखा और सप्लीमेंट्री ग्राण्ट लाये 784 करोड़, कुल हुए 4652 करोड़ और इसमें से खर्चा हुआ 3580 करोड़ और 1072 करोड़ रुपये बचे। लोन एण्ड एडवांस में 11657 प्रतिशत का एक्सेस है। यह बजट क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? यह बजट मोकरी है। इस बजट के आधार पर हम यदि एप्रोप्रिएशन ग्राण्ट में इतना वेरियेशन कर रहे हैं तो यह कैपिटल आउट-ले की बातें कर रहे हैं, हम कैपिटल आउट-ले बढ़ा रहे

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं, ये सब बातें कर रहे हैं ताली बजाकर, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो एक्चुअल्स 2003-04 के हैं, 5-6-7 के आए तो और फिगर आपके सामने आएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। आज इर्रिगेशन में, इर्रिगेशन में मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि हमारी लाइफलाइन है, कैपिटल आउट-ले हम बढ़ाना चाहते हैं, क्या स्थिति है उसको समझने की आवश्यकता है। The Financial result of 5 major and 12 medium irrigation projects with the capital outlay of 3240.52 crores at the end of March, 2004 showed that a revenue realize is Rs. 33.89 crores from these Projects during 2003-04 was only 1% of the capital outlay which was not sufficient to cover even the direct working expenses. यह कैपिटल आउट-ले इस तरह से खर्च करेंगे हम जिसका रेवेन्यू हमारा एक प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। After the meeting the working maintenance expenses of 77.02 crores, an interest of Rs. 310 crores, the scheme suffered a net loss of 354.6 crores. As per the information received from the State Government as on 31st March, 2004 there were 374 incomplete projects in which Rs. 2558.96 crores were blocked. Of this 241 projects amounting 574.94 crores remained incomplete for less than 5 years. 133 projects amounting 1984 crores remained incomplete for period ranging from 5 to 41 years. यह हम कैपिटल आउट-ले को खर्च कर रहे हैं। और आपने यह अभी इसमें लिखा है।

श्री विष्णु मोदी : To keep the record straight, जो आउट-ले की बात कर रहे हैं, बीसलपुर डैम पर 400 करोड़ रुपये खर्च हुए और एक साल में 400 करोड़ रुपये की क्राप हुई। इन्दिरा गांधी कैनाल में कितना पैसा खर्च हुआ, वह एक साल में उसकी क्राप पैदा होती है। तो यह इर्रिगेशन के अन्दर हमारी गवर्नमेंट की, राजस्थान की गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये जितना ही पैसा खर्च हो। जो बारिश का पानी बहकर जा रहा है उसका हमकारा कमिटमेंट है रोकने के लिये, कैपिटल का आउट-ले करके उससे पैसा कमाने का ध्येय नहीं है गवर्नमेंट का।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पता नहीं है इतने अच्छे एडवाइजर हैं, इस सरकार में उनका उपयोग नहीं लिया जा रहा है। मुझे यह जानकारी में नहीं था, मैं तो ये ए.जी. के फिगर दे रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि हमारे इतने यहां एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और उनका उपयोग भी सरकार नहीं ले रही है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यह तो हमारे इधर का एक आदमी डैपुटेशन पर गया है, यह तो खाली व्यवस्था बना रहे है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपने इनकी काबिलियत को नहीं पहचाना, इसलिये लेना पड़ा हमको।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अध्यक्ष भी हैं, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी का बजट भाषण है उसी को कोट कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर आपके आदमी डैपुटेशन पर हैं तो फिर इनकी रैपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके भाषण को कोट कर रहा हूं। वर्ष 2005-06 में, माननीय विष्णु मोदीजी, ध्यान से सुनें, 45 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2006 तक 20. कितना बोला मैंने? 45 के अगेंस्ट में 20 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 25 परियोजनाओं तथा 44 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। यह मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004 तक यह स्थिति थी। आपका यह आंकड़ा आपने पिछले साल के बजट में प्रोविजन किया है। आज 25 कर सके, हमें कैपिटल आउट-ले में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इफैक्टिव मानिटरिंग करने की जरुरत है जिससे हमारी असेट बने। मैं कोई कमेण्ट नहीं करना चाहता।

श्री विष्णु मोदी : To keep record straight कि पिछले 5 साल में पहले की गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। इस गवर्नमेंट में 2 साल में एक लाख हैक्टेयर की एडिशनल सिंचाई उपलब्ध करवायी गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मोदीजी, I don't want to intervene. मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, आप तथ्यों के विपरीत यहां कह रहे हैं और जब मैं बोलूंगा तब आपकी बात का जवाब दूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, अच्छा है। क्योंकि आपने एक हजार करोड़ कहा तो मंत्रीजी करैक्ट कर लें उसका रेवेन्यू कितना आया। (व्यवधान) आपका आंकडा बजट में असत्य न हो इसको देख लीजियेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं कि माननीय सदस्य को जो प्रवाह है वह बीच में इंटरप्ट करके तोड़ते हैं, तो इसमें आप प्रोटेक्शन दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह महसूस नहीं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह क्या करेंगे? मैं आब्जेक्ट कर रहा हूं और में निवेदन कर रहा हूं न।

श्री उपाध्यक्ष : वे शिकायत कर लेते। वह सबसे पहले शिकायत करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दायित्व तो आपका है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपका दायित्व नहीं है क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला हुआ है कि कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो ये बीच में नहीं बोलने नहीं देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर जब एक सज्जन आदमी कुछ नहीं कहे तो आपका दायित्व नहीं बनता है क्या उसको प्रोटेक्ट करने का?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह जोशीजी का सूट कर रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, तब आप गूंगे थोड़े ही है? आसन कोई गूंगा थोड़े ही है?

श्री कालूलाल गुर्जर : जोशीजी की विद्वता पर इनको क्या शंका हो रही है?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी पार्टी के किसी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हमें आब्जेक्शन है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपको भारी शंका हो रही है इनकी विद्वता पर।

श्री रामनारायण चौधरी : देखिये, आप अपने वचन को याद कीजिए, आपने वचन दिया था कि नहीं। तो फिर क्यों बोलते हैं वे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कोई विरोध नहीं किया गया जिससे कि परेशानी हो।

श्री रामनारायण चौधरी : तो क्या सरकार सारी नपुंसक बैठी है? सरकार सारी नपुंसक बैठी है, बे बोल रहे हैं? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो इनको करैक्ट कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग में जो सत्यानाश आपने किया, चाहे वह इन्दिरा गांधी कैनाल हो, चाहे और दूसरे प्रोजैक्ट हों, उसमें.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चीफ व्हिफ साहब, सुनिये। यह ओकेजन नहीं है इसका।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो उन्हें करैक्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : He is nobody to interfere. Government is here. या तो यह कह दीजिए कि यहां पर कोई सरकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को प्रतिपक्ष के नेता का नपुंसक कहना, मेरे को उस बारे में एतराज है। हम सब इसलिए चुप हैं कि इस बार सर्वदलीय मीटिंग में यह तय हुआ था कि किसी भी वक्ता के बीच में कोई भी नहीं बोलेगा।

श्री संयम लोढ़ा : आपको साबित करना पड़ेगा कि आप नहीं हो।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सब शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। हम शांति से बैठे सुन रहे हैं, जिसमें यह नपुंसक बता रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको अकेले को तकलीफ क्यों हुई इससे? आप साबित करोगे कि आप नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लिहाज ही नहीं करते। शर्म भी नहीं करते, लिहाज भी नहीं करते।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फैसला उस सर्वदलीय बैठक में हुआ था उसकी पालना हम अक्षरश: कर रहे हैं इसलिए हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। और यह कटाक्ष कर रहे हैं कि नपुंसक हैं। फिर सारे बोलने चालू हो जाते हैं। यह कोई बात है क्या?

श्री जोगाराम पटेल : यह हटाया जाए। यह हमारा निवेदन है।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां है सरकार? सरकार है तो वे क्यों उद्वेलित हैं? आप जवाब देने के लिए सक्षम हैं।...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : हां, देगी सरकार जवाब।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या आप पढ़े-लिखे नहीं हैं?

श्री जोगाराम पटेल : बिलकुल जवाब देगी सरकार, क्यों नहीं देगी?

श्री रामनारायण चौधरी : एक एम.एल.ए. को उछाल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल : आपको शब्दों का कण्ट्रोल करना चाहिए। आपको शब्दों का कण्ट्रोल करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको शर्म करनी चाहिए।...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : इन्होने मुझे कितना इंटरवीन किया? आप यहां थे नहीं, नहीं तो आप देखते।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो था ही नहीं यहां पर। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे कितना इंटरवीन किया आपने?

श्री जोगाराम पटेल : आप नहीं तो आपके साथी लोग सब थे।

डा. सी.पी. जोशी : आप भी शुरू कर दो, मैं खड़ा हूं। बोलो, और तो क्या? मुझे कोई तकलीफ नहीं है।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको अगर हमारे आदमी ने डिस्टर्ब किया तो आपके चीफ व्हिप ने कोई आब्जेक्शन दर्ज करवाया हो तो वह बताओ आप? यह कोई कहने का तरीका नहीं है। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस समय आप लोग भी नपुंसक थे क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जिम्मेदारी चीफ-व्हिप की है, मेरी नहीं है। मैं मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उनको कहा कि मैं आपको इण्टरफियर नहीं करता, फिर भी नहीं माने।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आब्जर्वेशन है, इस पर मैं आपत्ति नहीं कर सकता, because you are in the Chair.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मुझे नहीं कहा था, मेरे मंत्री बनने की बात हाउस में कहना?.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बोल रहे हैं वह सोच-समझ कर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह जोशीजी को सूट करता है, बीच में टोकाटोकी.... (व्यवधान) इनके सबसे पहले... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, आप आब्जर्वेशन नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आसन से ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और मोटिवेट होंगे यह।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या बोलते हो आप?.... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : किसी को सम्बोधित नहीं है, यह इनको ही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको खुद को सोचना चाहिए... (व्यवधान) कभी-कभी ऐसी बात होती है बीच में।....(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : सम्बोधित इनको ही करते हैं, क्या करें, मजबूरी हो जाती है।

डा. सी.पी. जोशी : मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के सदस्यो को नेता पर विश्वास नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : दिक्कत क्या है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी गुगली फेंकती है और यह गांगुली हो जाते हैं।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अब इनका क्या करें? आप ठीक प्ले कर लेना। उस गुगली को ठीक प्ले कर लेना। चक्कर में मत पड़ जाएं कहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाथूसिंह मंत्री बने तो मैं लड्डू बाटूंगा इस सदन के अन्दर। नाथूसिंह मंत्री बनेगा तो मैं इस सदन के अन्दर लड्डू बाटूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो मैंने आपको कहा एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस शब्द का हमारे लिए प्रयोग कर दिया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, मैं उसका विरोध तो खैर नहीं करता हूं, उस शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन मैं इतना-सा ही कहना चाहता हूं कि आज यह वियाग्रा लेकर जरूर आये हैं।...;(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : क्या बात है, घनश्यामजी? और कोई काम बचा नहीं क्या आपका? कोई आयुर्वेदिक नाम लेते। अंग्रेजी नाम क्यों ले रहे हैं? संस्कृत में लेते कोई नाम।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह वियाग्रा का जबान से सम्बन्ध नहीं है। आपको याद है।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि Another big fallacy of the budget is variation or revise in actual estimates,fiscal immoculacy is the degree of accuracy between two estimates. A World Bank study on fiscal prudence says a wide variations between the actuals and estimates raises questions about the integrity and sanctity of the budget machenism. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आशा करता हूं कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि बजट और

(डा. सी.पी. जोशी)

एप्रोप्रिएशन में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहे। यह तो हम जो सारा डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है। एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी थी, वह एक मामला है। दूसरा मामला यह है कि आज राजस्थान में 70 लाख के करीब एस.टी. की पापुलेशन है, 70 लाख में से 30.93 लाख जो पापुलेशन है वह शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर है, करीब 12.49 लाख है माडा योजना के अन्तर्गत और पाइंट 45 लाख है माडा कलस्टर योजना के अन्तर्गत, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट चार, पाइंट आठ लाख सहरिया पापुलेशन है। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी संख्या 17.31 लाख पापुलेशन है, वे लोक स्केटर्ड पापुलेशन में हैं। आज जिस इलाके से मैं आता हूं हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप, आदिवासियों की लड़ाई एक इतिहास है, आज उन लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता। आज मावली के आदिवासी को उसका फायदा नहीं मिलता। आज कुम्भलगढ़ के आदिवासी को उसका फायदा नहीं मिलता। आज वल्लभनगर के आदिवासी को उसका फायदा नहीं मिलता। बड़ी-सादड़ी के आदिवासी को उसका फायदा नहीं मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17.31 लाख जो स्केटर्ड पापुलेशन में हैं या शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर नहीं रहते, इनको न तो फायदा इण्डिविजुअल स्कीम का मिल रहा है और न एरिया डवलपमेंट का फायदा मिल रहा है। इनको प्रपोर्शनेट या तो पैसा बढाया जाए या इन लोगों को भी उसमें कवर किया जाए। या 45 परसेंट में जो हमने जॉब 1 टू 6 कर रखे हैं, इनको कवर किया जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों में इनको रखा जाए और इण्डिविजुअल बेनिफिट की स्कीम का लाभ भी इनको मिले। यह एक बहुत बड़ा लैप्स, उन आदिवासी गरीब आदमियों के लिए है जो शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर नहीं रहते हैं। आने वाले समय में दो तरह के आदिवासी हो जाएंगे। एक तो आदिवसी एरिया के अन्दर रहने वाले आदिवासी और एक नॉन शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर रहने वाले आदिवासी। यह दो तरह का जो अन्तर हो जाएगा, वह आने वाले समय में बहुत बड़ी प्राब्लम खड़ी कर देगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्केटर्ड पापुलेशन है उस स्केटर्ड पापुलेशन के सम्बन्ध में भी शिड्यूल्ड एरिया के अलावा जितना पैसा महाराष्ट्र पैटर्न में देना चाहते हैं, उसकी पापुलेशन के प्रपोर्शनेट इन लोगों को भी पैसा मिले। इण्डिविजुअल बेनिफिट का उनको लाभ मिले और सरकारी

(डा. सी.पी. जोशी)

नौकरी का भी लाभ मिले। यह नियम और कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दिलावर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी नहीं हैं ... (व्यवधान) उनके साथ चले। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का जो पैसा है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है। हमने पापुलेशन के आधार पर जो पैसा डिवाइड कर रखा है, बजट का पैसा, सड़क का पैसा, यह सब पूरा करके 17 परसेंट पैसा हम बता देते हैं। यह 17 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट स्पेशल कम्पोनेंट का हो। मंशा नहीं थी। शिड्यूल्ड कास्ट स्पेशल कम्पोनेंट का पैसा पहले नोडल डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए और फिर नोडल डिपार्टमेंट द्वारा उसको डाइवर्ट करना चाहिए। आज स्थिति यह बनी हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने किया है यह। हम तो कोशिश कर रहे हैं।....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : नहीं किया है जब ही तो आपको ध्यान दिला रहे हैं। आप कर लेना। आप कोशिश करना। मंत्री रहे तो पूरा कर लेना ओर इधर आ जाओ तो ध्यान रखना आप।

यह इतनी बड़ी समस्या है जिस समस्या का समाधान, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्रीजी ने कहा आपकी मीटिंग में, प्रधान मंत्रीजी ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा –"In the mid 1970s, the special component plan and the tribal sub plan were initiated. Tribal sub plan and special component plan should be an integral part of the annual plans as well as the Five Year Plans making the provisions therein non-divertible and non lapsable with the clear objective of bridging the gap in socio-economic development of SC and ST within a period of 10 years." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार से पूरा का पूरा पैसा कांस्टीट्यूशन के तहत मिलता है और हमारी इण्डिविजुअल बेनिफिट के जितनी भी स्कीम आएंगी उतना पैसा हमें मिलेगा। आज हमें इसमें और ज्यादा पैसा लेने की आवश्यकता है। यह काम यदि हम नहीं करेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हैव्ज और हेव्जनाट का गैप है वह ज्यादा बढ़ेगा। निश्चित तौर पर चाहे हमारी सरकार ने काम नहीं किया हो लेकिन इस सरकार को भी आगे

(डा. सी.पी. जोशी)

आकर इस एस.सी., एस.टी. के स्पेशल प्लान के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां व्यक्ति को लाभ ज्यादा मिल सके। एरिया डवलपमेंट के नाम पर जो हमने पैसा बता रखा है इर्रिगेशन में, सड़क के अन्दर बता रखा है और इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है, यह खाली आपको हैड को चार्ज करने का है, उस इण्डिविजुअल आदमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में भी कोई चर्चा करके सरकार को निर्णय करना चाहिए। मैं आंकड़े भी लेकर आया हूं, 15 परसेंट का वेरिएशन हमारी सरकार में देख लो और आपकी सरकार में भी देख लो। आपने पाइंट 5 कुछ बढ़ाया है, बाकी टोटल आपका जो आउट-ले है, स्पेशल कम्पोनेंट का, वह 15 पाइंट समथिंग है। उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। दो-ढाई साल में दिलावर साहब जैसा कमिटेड आदमी है, उसके बाद में वह 18 परसेंट नहीं हुआ है। आप फिगर उठाकर देख लीजिए, आपका फिगर 15 परसेंट भी टच नहीं कर रहा कहीं पर। 15.67 है, 16 परसेंट टच ही नही किया है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी निश्चित तौर पर हमें कोई व्यवस्था करनी चाहिए जो कानून-सम्मत व्यवस्था का लाभ इन लोगों को मिल सके। यह एक हमारी कमी है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब को गणेश मानकर, भ्रष्टाचार को नाक से निकालकर इस राजस्थान की राजनीति को परिवर्तित करने की आज इन्होंने कोशिश की है, आज गरीब को गणेश मान रहे हैं? आज भ्रष्टाचार को नाक से निकाल रहे हैं? लक्ष्मी पुत्रों के चक्कर लगाकर भ्रष्टाचार को हजम कर हम इस राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम गरीब को गणेश मानकर पूजा करने की बात कर रहे थे? कटारिया साहब तो उस समय पार्टी के अध्यक्ष भी थे, सी.एल.पी. लीडर भी थे, वे नेता भी यहां पर थे, गरीब को गणेश मानने की कल्पना कटारिया साहब कैसे भूल गये? आपके लिए तो गरीब वही है, उस ट्राइबल इलाके से है, आज आप उस गरीब को गणेश मानकर कैसे सेवा कर सकें, इसकी राज्य सरकार से व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में पहल करिये। यह आपसे भी अपेक्षा करते हैं। रहीमदासजी ने एक दोहा कहा है,

(डा. सी.पी. जोशी)

कैसे निभे बैर कैर को संग।

वह रस ढोले आपको और बाके फाटे अंग।।

आर.एस.एस. के और इस जुगाड़ में कैसे काम चले ? एक ढोले तो उसका रंग फटेगा और उसका बैर का पेड़ है वह उसको काटेगा। यह फैसला आप कर लो, श्रीमान्। मन की व्यथा मन में ही राखे, सुनिये असि सब ले।.... (व्यवधान) इसलिए हम तो आपसे बांटना नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से कहना चाहते हैं कि राजस्थान का विकास करने की जो आपकी पहल है हम साधुवाद देते हैं, करिये।

(18.00 बजे)

पर पहल के साथ नियम और संविधान की यदि पालना होती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। और व्यक्ति की प्रशंसा करने से? जैसे नाथूसिंहजी ने कहा, कि यह सब मंत्री बेकार हैं, मंत्री तो कोई काम करता ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ही सब करते हैं। सारा काम मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया, बाकी सब मंत्री नींद निकालते हैं, इनका कोई काम नहीं है? मुख्य मंत्रीजी ही सारा काम कर रही हैं इसलिए गरीब को गणेश मानने वाले लोग मुख्य मंत्रीजी की परिक्रमा लगाकर मंत्री बन सकते हैं लेकिन गरीब को ताकत देने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ढाई साल के बाद मिड -टर्म कलेक्शन, यदि पॉलिसी में कोई कमी-खामी होती है तो एप्रोप्रिएट टाइम होता है, मिड-टर्म कलेक्शन की आवश्यकता है। पॉलिसी के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और इस तरह करें कि जिससे आने वाले समय में यह काम हो सके। हम तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको साधुवाद देते हैं, आपकी हम कामना करते हैं कि ढाई साल बाद और राज में आएं लेकिन मेहरबानी करके कानून, नियम और संविधान का पालन करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है यह संविधान के अन्तर्गत काम नहीं कर रही है। यह सरकार जिस तरह की व्यवस्था कर रही है उस व्यवस्था से गरीब आदमी के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। गरीब को गणेश मानने वाले लोग पूंजीपति को ज्ञान मानने लगे हैं।

(डा. सी.पी. जोशी)

ट्रांसपेरेन्सी नहीं है। लैण्ड बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चहता हूं, भूल गया था मैं, कि यह लैण्ड बैंक से पैसा क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? एक किसान यदि जमीन बेचता है तो उसके पुरखे जमीन से जुड जाते हैं, परन्तु जो आदमी खरीदता है वह जमीन को वापस दुबारा बेच सकता है। ये नियम आपने सेज में बनाये हैं। सेज बननी चाहिये, सेज लगनी चाहिये पर सेज के साथ ट्रांसपेरेन्सी के आधार पर फैसला होना चाहिये। सेज में ऐसे क्लॉज नहीं होने चाहिये कि वह आदमी फायदा उठा जाए, कम्पनी फायदा उठा जाए। उससे सेज का फायदा नहीं होगा। सेज राजस्थान के हित में है, भारत सरकार ने प्रारम्भ की है, हम इस सेज का विरोध नहीं करते, परन्तु सेज का विरोध करने के लिये जो आधार हैं, उन आधारों को हम कैसे कम करें, यह भी सोचने की आवश्यकता है। बाकी, निश्चित तौर पर गवर्नेंस में बदलाव करके ही राजस्थान का विकास हो सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने पहल की, मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, ये जो बातें हमने कहीं हैं, यदि आपको ठीक लगती हैं तो आप निश्चित तौर पर सुधार करें, राजस्थान के विकास की ओर कदम बढ़ायें। अन्यथा जो मोटिव लग रहे हैं वे मोटिव आने वाले समय में आपकी लीडरशिप को कमजोर करेंगे, पार्टी को कमजोर करेंगे और लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन हिडन पॉलिसीज का कोई वर्णन नहीं हुआ है इसलिए इन हिडन पॉलिसीज का वर्णन नहीं करने के कारण मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण दे रहे थे उस समय ही मैं बैठा-बैठा यह सोच रहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव तो पास हो ही गया। और बखूबी हो गया बड़े हर्ष के साथ, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। इस धन्यवाद भाषण के द्वारा दो वर्षों में वसुन्धराजी की सरकार ने राजस्थान को आगे बढ़ाने का जिस तरह से कार्य किया, जिस मंशा से किया और राजस्थान

(श्री तगाराम चौधरी)

का कोई भी वर्ग, कोई क्षेत्र, जिसको आगे बढ़ाने के लिये सम्मिलित करते हुए, जो आगे बढ़ रही है सरकार, उसका यह जीता-जागता उदाहरण है। पिछले दो बजटों के बाद में जब तीसरा बजट आ रहा है, तीसरा अभिभाषण सुन रहा हूं, उसमें बहुत अन्तर है। अन्तर यह है कि उस समय के प्रतिपक्ष और इस समय के प्रतिपक्ष के भी बात समझ में आ रही है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान अवश्य आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। परन्तु साथ ही साथ एक बात मुझे निवेदन करनी पड़ेगी, बार-बार यह बात आ रही थी, आज भी, कि पिछली सरकार के बारे में कोई उदाहरण नहीं दिया जाए, मैं कहूं कि अभी नाथद्वारा से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जितना भाषण दिया, उसमें वही-वही उदाहरण आ रहे थे, हमारे यह काम नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। तो फिर इस बात पर टिप्पणी करना भी कोई आवश्यक नहीं लग रहा था। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि प्रतिपक्ष का भी सोच जिस तरह से सकारात्मक बात की तरफ आ रहा है और जिस तरह से राजस्थान सरकार वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति कर रही है, राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो रहा है उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है। अब जो प्रत्यक्ष है उसको तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या यह बात भी सही नहीं कि इतने समय में दो-सवा दो साल में क्या कभी ओवरड्राफ्ट राजस्थान की सरकार ने लिया है? और क्या यह भी सही है कि पहले वाली सरकार ने जो पांच साल पहले वाली सरकार थी, उन्होंने नहीं लिया है? इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है। जब भारत सरकार मान चुकी है, और पहले भारत सरकार आपके पक्ष की नहीं थी, हमारे पक्ष की थी, अब भारत सरकार आपके पक्ष की है, हमारे पक्ष की नहीं है, उसके बावजूद क्या कभी माननीय मंख्य मंत्री महोदय के श्रीमुख से किसी ने सुना है कि भारत सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है? इस तरह की बात नहीं है। पहले भी जिस किसी भी योजना में तत्कालीन भारत सरकार क्या नहीं दे रही थी इस तरह की सहायता? सारी की सारी बातें हैं, वे पहले भी थीं। मैं तो यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना किसकी देन है? अटलजी द्वारा जिस तरह का यह कार्य शुरू किया गया है, वह जन-जन के मुख से सुनते हैं कि बहुत अच्छा कार्य था। यदि वह सरकार फिर रहती, इस वक्त भी, तो नदियों को जोड़कर यहां यह पानी की

(श्री तगाराम चौधरी)

किल्लत है जनसंख्या वृद्धि के कारण, वह दूर होती, परन्तु ऐसा हुआ नहीं। वह नई बात है, आगे की बात है। पर आगे बढ़ता हुआ राजस्थान देखकर यह स्वाभाविक है कि प्रतिपक्ष को भी कुछ न कुछ कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इनका दायित्व है। इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, न कोई तकलीफ है। हमें और आगे किस तरह बढ़ना है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वसुन्धराजी की सूझबूझ, दूरदर्शिता, उनकी हिम्मत और नेक इरादा, इन पर मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने को वह कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और जो कमियां हैं उनका वापस सुधार भी हो रहा है। वह तो हर जगह देखने को मिल रहा है कोई भी चीज ले लें। चाहे प्रशासन से ले लें या आम जनता से ले लें। उनकी इच्छाओं के अनुसार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अभी कर लगाने के बारे में किसानों को बुलाकर उनसे सलाह ली जा रही थी, उनसे सुझाव लिये जा रहे थे। मेरे देखने में यह नई बात है। मैं विधान सभा में नया हूं इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन विधान सभा की दर्शक दीर्घाओं में तो 1952 से ही देख रहा हूं, तो देखने को तो मिलता ही है। कि कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इसलिए इस प्रकार की सलाह लेकर जनता की राय के मुताबिक, जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, इसकी जो भी सराहना की जाए वह कम है।

अभी बात आयी मुख्य मंत्रीजी की सराहना कर रहे हैं, सराहना तो होगी। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। और होगी। और आज त्रौं खुशी है कि आप भी कर रहे हैं1 अब आप कर रहे हैं, थोड़ा फर्क है वह ठीक हो जाएगा तो फिर राजस्थान अवश्य आगे बढ़ेगा। इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है और पक्का विश्वास है कि राजस्थान वसुन्धराजी के नेतृत्व में भारत में एक नम्बर का राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। अभी ढाई साल कहते हैं तो ढाई भी पूरे नहीं हुए हैं, सवा दो ही हुए हैं और सवा तीन शेष पड़े हैं, उसमें जो कमियां हैं.... (व्यवधान) पौने तीन की दीजिए। जब सवा के ढाई कहे जाते हैं तो फिर सवा तीन भी कहा जा सकता है।

नहीं, उम्र में तो मैं तो अपने आपको बहुत कम उम्र का ही समझ रहा हूं परन्तु मैं जो बोल रहा हूं वह मैं गांव की भाषा बोल रहा हूं क्योंकि गांव का हूं और वसुन्धराजी गांवो की तरफ जितना ध्यान दे रही हैं, किसानों की तरफ

(श्री तगाराम चौधरी)

जितना ध्यान दे रही हैं, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि गत वर्ष फसल बीमा योजना के तहत 33 करोड़ रुपये मेरे बाड़मेर जिले को, बाड़मेर के किसान भाइयों को घर बैठे मिले हैं कृषि बीमा से और इस बार 44 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। 23 करोड़ और आगे। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं तो मेरा कहूं, मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ हूं, पंचायत के वार्ड पंच से शुरू हुआ हूं, मैंने भी कितने ही वर्षों तक यह गला काम में लिया होगा। फसल बीमा, फसल बीमा, और वह सपना हमारा साकार हुआ है इसलिए मुझे खुशी है। इसलिए मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान सरकार को कि इस प्रकार का सराहनीय कार्य हुआ है।

यही नहीं, अभी पिछले वर्ष रायड़ा खरीदा था, अब कहने को तो कह दिया जाएगा कि भारत सरकार मदद कर रही है। तो मैं कह रहा हूं, भारत सरकार तो सब में मदद कर रही है, क्योंकि जब एम.पी. खड़े होते हैं तो उसमें कौन से जनता के वोट नहीं ले रहे हैं? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं, चाहे एम.एल.ए. हों चाहे एम.पी. हों। और चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, दोनों का दायित्व बनता है। दोनों जो भी खर्चा कर रही हैं वह जनता का पैसा है। लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी नेता, मुखिया है, जैसे अभी उदाहरण आया मां का, मैं कहूं कि एक मां तो ऐसी है जो उनको चाहे कोई सामान ला कर दिया जाए उसका खाना बनाएगी तो आदमी खा नहीं सकता और दूसरी ऐसी है कि जो कम में भी इतना अच्छा खाना बना सकती है कि जो खाता ही धापता नहीं है। गांव की भाषा बोल रहा हूं। तो फिर बहुत अन्तर है।

मैंने यह अनुभव किया है इन सवा दो वर्षों में कि राजस्थान अवश्य आगे बढ़ेगा। वसुन्धराजी और सम्बन्धित मंत्रीजी, और मैं कहूंगा सदन भी, जिन्होंने मेरे बाड़मेर के ऊपर तो पूरी कृपा की है। काला सोना तो भगवान ने दिया जमीन से, लेकिन उसके लिए रिफाइनरी वहां लगाने के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया है, उनका तो मैं बहुत आभारी हूं। और विशेष तौर से आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, उनकी दूरदर्शिता है। मैं बाड़मेर का हूं और बाड़मेर विधान सभा का विधायक हूं, मेरे बाड़मेर में किया और बाड़मेर में ही तेल निकला है इसलिए मैं इस बात के लिए भी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उद्योग मंत्री, खान मंत्री, जलदाय मंत्री

(श्री तगाराम चौधरी)

और सभी मंत्रिमण्डल के सदस्य और पूरा सदन, सभी ने इस रिफाइनरी के बारे में मीटिंग्स की हैं, विचार किया है, सब शामिल थे इसलिए मैं तो मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आप सब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बाड़मेर में, जो पिछड़ा हुआ जिला है उसमें, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उद्यमियों को धंधा मिलेगा और यहां पर हर तरह के और उद्योग खुलेंगे। इस बात को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है उसमें भगवान भी राजी हुआ है और होगा। मैं यही कामना करता हूं कि वसुन्धराजी राज करती रहें और राजस्थान आगे बढ़ता रहें और बढ़े और तरक्की करे। दुनिया आए यहां पर देखने के लिए और बाड़मेर में भी आए।

इन्हीं शब्दों के साथ मे मै महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए मेरे कथन को विराम देता हूं। आपने, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, तगारामजी। श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय विधायक ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उस पर चल रहे वाद-विवाद में जो बातें सामने आयीं, अब तक उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहते हुए, न रिपीट करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई किसी भी पार्टी का हो, हम सब राजस्थान के हैं, राजस्थान के विकास में हम सब मिल कर पूरी तरह से भागीदारी निभाएं, यह हमारा सोच होना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हरिमोहनजी से पूछ लीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए छबड़ा से आने वाले माननीय विधायकजी, माननीय मंत्रीजी, नहीं, नमस्कार करने की जरूरत नहीं, मैंने वह बात अभी तक किसी को नहीं बतायी है जो 15 साल पहले अपन दोनो के बीच मे हुई थी... (व्यवधान) अब आपको पता है। आपने सोचा, मैं भूल गया होऊंगा। मैं भी सेठों के साथ रहता हूं, आप जैसों के साथ रहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छे हैं लेकिन इन मंत्रीजी से एक गलती हो रही है, यह इसी का पार्ट है।

डा. एन.एस.गुर्जर : बताना भी मत। दोस्ती की बात है, बताना मत।

श्री रामनारायण मीणा : वह बात तो नहीं कहूंगा। माफ करना, दोस्ती की बात तो नहीं कहूंगा, ना उनकी कहूंगा, ना आपकी कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात पर आ जाइये, यह जानबूझकर आपको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : यह बात सही है कि छबड़ा के विकास को गति देना चाहती है सरकार भी और वहां के मंत्री भी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन में जाएं, जिसका कोई नहीं, उसका भगवान है, संविधान और संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, छबड़ा में आप थर्मल पावर स्टेशन बना रहे हैं, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि राजस्थान के विकास में छबड़ा को भी शामिल करना चाह रहे हैं और छबड़ा का भी विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन मंत्रीजी, उन गरीब किसानों का नुकसान क्यों कर रहे हो आप? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, अन्ता, एन.टी.पी.सी. में दूसरा दौर जो चले, दूसरी यूनिट के लिए अंता, में जमीन को एक्वायर किया, केन्द्रीय सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह बारहवीं विधान सभा की बात है, जितना मुआवजा दिया जाना चाहिए था, माननीय प्रताप सिंहजी, तिगुना मुआवजा दिया गया था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन गांवों की भी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो छबड़ा में लग रहा हैं, उसमें जमीन आ रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दें, बाद में...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, इनका जवाब मैं दे दूं। सहर्ष ही इन्होंने स्वीकार किया है और खुद आगे बढ़कर एस.डी.ओ. के यहां जाकर अपनी जमीन के जो चैक मिलते हैं, वे ले जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो बढ़कर वहां घोषणा की थी कि इन तीन गांवों में विकास के लिए पचास लाख रुपये का अलग से पैकेज दिया जाएगा, इससे वहां का किसान बहुत खुश है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कितने ही अड़ंगे लगाओ, वह इलाका भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो ऐसा जवाब सुनने का आदी हूं और न सदन को सुनना चाहिए। मेरा तो एक ही मकसद है, किसान को कितना ज्यादा मुआवजा दे सकते हो, इसके बारे में बोलो तो इंटरवीन करो। नहीं तो कृपा करके आपकी मर्जी, आपका किसान है, आपका मतदाता हैं आप उसका कुछ भी करो। आप जो मर्जी आए जो करो। मेरा फर्ज बनता है कि आप जो गलतियां कर रहे हो, आपके ध्यान में लाऊं, सरकार जो गलतियां कर रही है। गरीब के प्रति आपकी भावना होनी चाहिए। पचास लाख रुपये दो, आप कुछ भी करो, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा, मंत्री महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि किसी आदमी को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाए, नजदीकी आदमी स्मैक का धंधा करे, उसको बचाया जाए और गरीब आदमी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए, क्या यह सरकार में नहीं हो रहा?

मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप तो झालावाड़ जिले के और बारां जिले के क्रिमिनल केसेज को मंगा लीजिये, इस सदन में और कमेटी बैठा दीजिये, भारतीय जनता पार्टी टैरर से राज करना चाहती है। जो-जो इनके आदमी फंस रहे हैं उनके मुकदमों मे तो एफ.आर. और जो गरीब आदमी हैं उनका चालाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान स्तर पर स्मैक का जो कारोबार होता है इनके इलाके में, कहीं नहीं होता, आप जांच कर लीजियेगा। सारे अखबार बोलते हैं, सारे नेता बोलते हैं और सारी पुलिस कहती है कि हम क्या करें। इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मंत्री महोदय, मैं तो एक ही अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि आप किसान मुआवजा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइयेगा। नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम आपसे अर्ज ही कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। आप शासन में हो, इसलिए आपसे अर्ज कर रहे हैं, बाकी मैं आपसे कुछ कहने वाला नहीं हूं। आप जीत कर आओ, मेरी शुभकामनाएं। आप हारोगे, जनता जाने, लेकिन हम आपको हराने नहीं आएंगे। पहले भी नहीं आये। आप और हम तो पडौसी हैं, अच्छे पड़ोसी की भाषा बोलियेगा आप। मैं तो आपको एक ही बात अर्ज कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अर्ज किया इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह पौन दो घंटे का अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल महोदय का, एक बात मैंने सुनी, आपकी राज्यपाल हैं, पार्टी से आप आंकियेगा मत कि

(श्री रामनारायण मीणा)

किसी पार्टी की कौन राज्यपाल हैं, किस स्टेट की राज्यपाल हैं, सवाल यह है कि आपने राज्यपाल महोदय से क्या-क्या कहलवाया। इसमें इस तरह का भाषण कि हम पंचायतों के सरपंचों को प्रशिक्षण दे रहे हैं इसके लिए दस करोड़ रुपया, मैंने तो ऐसा अभिभाषण कभी सुना नहीं। ऐसा अभिभाषण नहीं होना चाहिए। यहां यह होना चाहिए था कि भारत सरकार मिड-डे मील के लिए 4169 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, राजस्थान की सरकार का प्लान का साइज हमने बढ़ाया है, राजस्थान की सरकार के ऊपर हमने जो हमारी सीमा है लिक्विडिटी की, वह बढ़ायी है, हम मिड-डे मील के लिए गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पता नहीं कहां चले गये सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना किस सरकार ने शुरू की, मैं नहीं जानना चाहता, भारत सरकार का पैसा है, आप निर्माण करवा रहे हैं, पर मैंने ऐसी भी सड़कें देखी हैं जो आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। नजदीक से मिट्टी ली गयी है, चौड़ाई बराबर है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह योजना किसने शुरू की, यह क्यों नहीं कहना चाहते आप? क्यों टाल रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा : बंगरप्पा ने, आप बैठिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जब आप क्रेडिट देने में कोताही करो तो हम भी क्यों देंगे आपको क्रेडिट?

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, मैं आजकल डरता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए डरता हूं, यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने लालकृष्ण आडवाणी को धक्के देकर अपने घर से बाहर बेदखल कर दिया है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है....

श्री जोगेश्वर गर्ग : वह सीताराम केसरी थे, लालकृष्ण आडवाणी नहीं। वह सीताराम केसरी थे जिनको आपने धक्के मारे थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं मानता हूं....

श्री जोगाराम पटेल : अभी आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना है, न कि आपको लालकृष्ण आडवाणीजी के ऊपर बोलना है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण कौनसा दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दे रहे हैं या किसके ऊपर दे रहे हैं? यह क्या बात हो गयी, कह रहे हो धक्का मारकर बाहर निकाला? आप अपशब्द क्यों काम में ले रहे हो?

श्री रामनारायण मीणा : जो मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल : आपको किसने दी जिम्मेदारी? आडवाणी की जिम्मेदारी आपको किसने दी? अपनी खुद की जिम्मेदारी लो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जोगारामजी, वह भूल गये, वह सीतारामजी केसरी बोल रहे थे जिनको इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह शब्द बाहर निकलवाइये।

एक माननीय सदस्य : वहां तो राहुल लाओ, राहुल लाओ, और यहां पर लालकृष्ण आडवाणी क्यों याद आ गये आपको?

श्री रामनारायण मीणा : आप नहीं जानते, कोटा में जिस मकान में रहते थे आडवाणीजी, मैं उनको जानता हूं, उनका आदर करता हूं। सुनिए मेरी बात को, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर आ जाइये, आप उसमें क्यों जाते हो?

श्री रामनारायण मीणा : सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, उस प्रधान मंत्री सड़क योजना में किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा उनकी जमीन का। भारत सरकार क्या कहती है, आप क्या कहते हो, हमें उस पर नहीं जाना है। मेरा छोटा-सा गांव मंडेरा, बैरवा जाति के लोग, तीन बीघा जमीन उनके पास, उनकी पूरी तीन बीघा जमीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आ गयी उनको मुआवजा नहीं मिला। मैंने प्रश्न भी लगाया, आप भी सहानुभूति रखते हो, मैं जानता हूं आपने स्टेटमेंट भी दिया है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में मेरी

(श्री रामनारायण मीणा)

आपसे अर्ज है कि सड़क की योजना ज्योंही चालू हो त्योंही आप मुआवजा निर्धारण करें। यदि आपने मुआवजे का निर्धारण किया तो किसान बच जाएंगे। दो-चार साल बाद जिस तरह से होता है धारा चार का नोटिफिकेशन निकलता है, धारा छह का निकलता है फिर मियाद बाहर हो जाता है किसान अदालत में लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस बारे में विचार करेंगे तो शायद आपको और हमको हमदर्दी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह आदमी जिसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचेगा.... (व्यवधान) उस आदमी को वह अपने आप बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब, आज कल तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है, पहले हुआ करती थी। अब तो पैसे मुआवजे के मिलते भी हैं, वर्ना बना भी नहीं सकते थे।

श्री रामनारायण मीणा : वह किसान क्यों आए जब हम किसान की जमीन ले रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो है, उसको करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मुआवजा है ही नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मुआवजा दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के मापदण्ड पूरे देश के अन्दर समान रूप से लागू हैं, इसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में जो भी सड़क बने उसका मुआवजा काश्तकार को मिले। इसीलिए पहले सहमति पत्र लेते हैं। सड़क का काम प्रारम्भ करने से पहले सहमति पत्र इसीलिए लेते हैं ताकि इस बात का हो। बाकी हमारी सरकार ने चालीस करोड़ रुपए का मुआवजा दो सालों में बकाया था बारह साल का, वह वितरण करने का काम किया। और कोई सड़क का मुआवजा बकाया हो तो आप हमें बता दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रधान मंत्री सड़क योजना में जब इंजीनियर वैरिफाई करता है तो उस सड़क को बनाने की नीयत से वह प्राइवेट जो ओनर्स हैं, खातेदार हैं उसका उसमें हवाला नहीं रहता है। उसकी नीयत यह रहती है कि यह सड़क बन जाए। काम्प्लीकेशन यह होता है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मुआवजा अलाउ नहीं करती है, आप देते नहीं हो तो जहां से वैरीफिकेशन हो उस सड़क का, उस समय उनको ध्यान रखना चाहिए, यह बात है।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपके रूल्स क्या कहते हैं। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, आप तो किसान के हितैषी हैं, गांव के लोगों की भावनाएं समझते हैं और हम सब जानते हैं कि गरीब का हित होना चाहिए। आप सड़क निकालें, दस आदमी की जमीन आए और 100 आदमी यदि उनके ऊपर दबाव डालें तो सहमति पत्र तो दे देते हैं, लेकिन क्या आप अपनी गवर्नमेंट से कुछ प्रतिशत उनका मुआवजा बनाते हैं, देने की स्थिति में हैं क्या? आप अपने रूल्स के तहत उस चीज को लेकर उन गरीबों का, मेरा एक सजेशन आपको है, यदि आप यह कर दोगे तो हम तो पार्टी लेवल से हट कर इस बात के लिए आपको धन्यवाद देंगे। मेरा आपसे अर्ज करना है, क्योंकि किसानों को कहीं मुआवजा मिल नहीं रहा। जिस किसान की जमीन जाती है, आप सारी स्थिति समझते हो। मेरा आपसे अनुरोध करना है।

एक चर्चा बहुत हुई, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी नहीं हैं, शिक्षा संबल योजना, शिक्षा का महायज्ञ । इस तरह की बातें होती हैं, यह साफ है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से पैसा आता है, भारत सरकार अटलजी की हो या डा. मनमोहन सिंह की या जो भी हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन शिक्षा की तरफ जिस तरह से भारत सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे से जिस तरह से हम नियुक्तियां दे रहे हैं, और उसके बाद जो पार्टी, आज राजस्थान में राज में है वह तो देश को एक बांधकर रखना चाहती है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि मैंने बड़े-बड़े पोस्टर्स देखें, कहीं भी प्रधान मंत्री का फोटो पोस्टर पर नहीं है। जो पैसा भारत सरकार का आए न प्रधान मंत्री का उसमें कोई हवाला... (व्यवधान) अब सुनिये मेरी बात। आप दिल्ली और जयपुर को अलग मानेंगे तो हमारे में अलगाववाद की प्रवृत्ति पैदा होगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपकी सरकार में प्रधान मंत्रीजी का हवाला देते थे क्या पांच साल में, वह पूछ रहे हैं। अब आप कहना चाहते हो, उस समय क्या हुआ था? उस समय आपने हवाला दिया था क्या? अटलीजी के फोटो क्यों हटाये? जितने भी फोर लेन, एट लेन हो रहे हैं, अटलजी के फोटो क्यों हटाये?

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पोस्टर नेशनल हाइवे पर लगाते थे, आपको याद नहीं है क्या?

एक माननीय सदस्य : और मनमोहन सिंहजी के क्यों नहीं लगाये?

श्री कालूलाल गुर्जर : आप तो ऐसा ही करते हो। राज में आते ही आपने पहले पूर्व सरकार के सारे फोटो हटवाये, अब बताओ आप... (व्यवधान) निपटारे तो कोई करता ही नहीं आपके जितना।

श्री जोगाराम पटेल : अटलजी के सारे फोटो हटवा दिये। और यह सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कह दिया था मैं पार्टी से अलग हटकर, किसी ने टोका इसलिये मैं कुछ कह गया, अब आप आदर्शवादी बैठे हैं....

श्री कालीचरण सर्राफ : खुद तो गुरूजी बैंगन खाए चेला ने उपदेश दे।

श्री रामनारायण मीणा : खैर, जो भी स्थिति है, मेरा अर्ज करना यह है कि न तो आप जो सदस्य बोल रहे हैं आज सरकार में है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार वसुन्धराजी की है, आपकी नहीं है। आप शामिल हो जाओगे तो सहयोगी हो जाओगे, अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है। मेरी पार्टी में न मैं कभी मंत्री रहा और न संतरी, इसलिये सरकार किसकी है मैं इससे अलग हटकर.... (व्यवधान) सुनिये मेरी बात।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हमारी पार्टी की नहीं है तो आपकी पार्टी की है क्या? सरकार हमारी नहीं है तो आपकी है क्या?

श्री रामनारायण मीणा : कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से अकाल में काम किया, जिस तरह से प्रबंधन किया, आज दिल्ली में भी जिस तरह से काम हुआ है... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सब घोटाले किये, गरीबों का गेहूं खा गये आप। आपके कार्यकर्ता खा गये, आपके एम.एल.ए. खा गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री यह नहीं कहतीं कि राजस्थान का खजाना खाली है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : गरीबों के हिस्से का गेहूं आपके कार्यकर्ता बैठ कर खा गये। ट्रक के ट्रक भर कर गुजरात में बेचकर आ गये।

श्री रामनारायण मीणा : आप घोटालों की बात कर रहे हो, मैं आपका ही एक घोटाला बताऊंगा।

श्री जुबेर खान : आप तो लगता है अगले तीन साल में पूरा राजस्थान बेच खाओगे जिस तरह से बेच रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बंकिया का नया गांव बांध है। उस बांध में जमीन का मआवजा किसानों को दिया गया। मैंने गृह मंत्रीजी से कहा, मुकदमे दर्ज हुए, किसानों के चैक का पैसा नहीं मिला। थाने में मुकदमे दर्ज है। दो साल से आपने फाइल अटका कर डाल रखी है। वह आदमी आर.एस.एस. का है या कांग्रेस का है, घोटाले को दबाने की प्रवृत्ति सरकार में नहीं होनी चाहिये इसलिये मैं आपसे अर्ज कर रहा था। आप चाहो तो मैं बता दूं। गृह मंत्रीजी नहीं है। जिस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है, आज हमारे हिण्डौली में क्या हुआ? बम ब्लास्ट किया पर्टीकूलर टाइप के लोगों ने, वे किससे सम्बन्धित हैं? आप पूछ लीजिये। बम ब्लास्ट किया गया एक माहेश्वरी की दुकान में जब गिरफ्तारियां शुरू करने लगी वहां की पुलिस, इस बात के लिये मैं माननीय हरिमोहनजी से इजाजत लेता हूं, आपका विधान सभा क्षेत्र है, जब उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुईं, एक घंटे के बाद जब पुलिस वहां से चलने को थी उस फाइल को जयपुर मंगवा लिया गया। ब्लास्टिंग के मामले में, एक्सप्लोजिव के मामले में मुल्जिमों को बचाया जा रहा है। सवाल पार्टी का नहीं है। ये वही लोग हैं, कांग्रेस के राज में जिन लोगों को मैं नजदीक देखता था, आज वे बिरलाजी के साथ घूमते हैं। जिन लोगों ने घोटाले किये या दूसरी जमीनों में, आज वे, दूसरे संसदीय सचिव के साथ घूमते हैं। इन लोगों से सतर्क रहोगे तो प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं, हमारा सरकार का आचरण ठीक रहेगा, सबका ठीक रहेगा। इसलिये मेरा तो आपसे अर्ज करना है...

श्री हरिमोहन शर्मा : दोनों ही अकले हो जाएंगे।

श्री रामनारायण मीणा : अकेले नहीं। इनके साथ कोई भी रहे, हमारे

(श्री रामनारायण मीणा)

मित्र हैं, कोई नहीं रहेगा तो अपन बात कर लेंगे। चाय पी लेंगे आपस में। वह सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बातें इस अभिभाषण में कही गयी हैं, शिक्षा के बारे में ज्यादा बात नहीं है।

किसान बीमा योजना की बात बहुत कुछ हो रही है, कितना किसानों को बीमा चुकाया गया? बैंकों ने किसानों का कितना करोड़ रुपया लिया ? हम सबको सोचने की बात है। कांग्रेस के राज में इसमें किया था कि नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन किसान बीमे की किश्त दे दे, उसको उसका मुआवजा नहीं मिले, आपके और हम सबके लिये सोचने की बात है। इसके बारे में भी आपको और हमको विचार करना चाहिये। इसका बजट में कोई स्पेशल प्रोविजन रखकर, यदि कहीं रूल्स आड़े आते हैं तो उसके बारे में भारत सरकार से बात करनी चाहिये और मिल-बैठकर किसानों के हित में बात करनी चाहिये, क्योंकि पार्टियां तो आती-जाती रहती हैं, आप और हम यहीं हैं, राजस्थान यही है। इसलिय मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

इस अभिभाषण में जो सारी बातें कहीं गयी हैं उन पर न जाते हुए एक बात मैं आपसे कह रहा हूं स्टाम्प शुल्क के बारे में कहा कि हमने यहां रिलैक्सेशन दे दिया है। दो साल पहले यह किसने बढ़ाया था? किसने घटाया? इसी तरह से यहां कहा गया, बीस सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान नम्बर वन पर है। हम गरीब का फायदा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अर्ज करना चाहता हूं सरकार से, और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से बात करना चाहता हूं कि कितने बी.पी.एल. परिवारों को हम ए.पी.एल. की श्रेणी में लाये हैं? राजस्थान में ऐसे परिवारों की संख्या कोई बता दे। दस भेड़ बकरी देने से या पांच हजार रुपया किसी को अनुदान देने से यदि वह ए.पी.एल. की श्रेणी में आ गया हो तो हम उसके बारे मे करें। यह सवाल हमारी राजस्थान विधान सभा का नहीं है, यह हमारे देश का सवाल है। राजस्थान भी उसमें शामिल है। इसलिये बी.पी.एल. परिवार ए.पी.एल. में नहीं आ रहे हैं। एक आदमी, मैं नाम लेकर स्पेसिफिक इसलिये कह रहा हूं कि सरकार इसके बारे में जांच कर ले, हनुमान बैरागी मकान के लिये एक दफा सात-आठ हजार रुपया उसके परिवार के मुखिया को मिला होगा अनुदान। ए.डी.एम. ने उससे कहा, नसबंदी का कोई महायज्ञ, पता नहीं क्या चल रहा था बड़ा कार्यक्रम, ए.डी.एम. ने कहा आप नसबंदी करवा लें, आपको हम इंदिरा आवास देंगे। गरीब आदमी

(श्री रामनारायण मीणा)

ने उनके कहने के बाद परिवार कल्याण योजना में योगदान किया, अपना नसबंदी आपरेशन करवाया। उस आदमी ने घूमते-घूमते पंचायत समिति, जिला परिषद स्तर पर नेताओं के पास दरख्वास्तें दीं, मुख्य मंत्री को, प्रधान मंत्रीजी को, चिकित्सा मंत्री को, काफी पैसा खर्च किया। एक सीमा हमारे राजस्थान में होनी चाहिये कि जिसको इस सीमा तक या इतने वर्ष तक सहयोग नहीं मिला और यदि वह फिर भी बी.पी.एल. परिवार में है, चयनित है, उसको कोई सहयोग मिले। भारत सरकार भी कहती है, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, और हम भी कहते हैं कि हम बी.पी.एल. को ए.पी.एल. की श्रेणी में लाएंगे। यह है जिस तरह से आंकड़े हम इसमें देते हैं अभिभाषण में और जो वास्तविकताएं हो रही हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, अभी एक सर्वे हुआ है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, काट-काट कर सरकारी अध्यापकों के पुत्र चयनित में आ रहे हैं, गरीब आदमी को चयनित नहीं किया जा रहा है। यह शिकायत एक विधान सभा क्षेत्र में नहीं है, यह शिकायत पूरे राजस्थान में है। इस तरह का गलत काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आप थोड़ा कृपा करके सुनेंगे। सवाल आपके विधान सभा क्षेत्र का नहीं है, सवाल पूरे राजस्थान का है। चयनित परिवारों में जो कर्मचारी जिस भावना का मिल गया, उन आदमियों को चयनित कर रहे हैं। आंकड़े कोट कर रहा हूं, नम्बर 19 से 20 दे रहे हैं या 5 के 20 दे रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आपको ही नहीं आतीं, पूरे राजस्थान में हैं। कृपा करके कहीं न कहीं एक-दो कर्मचारियों को टोकन में यदि आप सजा दोगे तो अपनी योजना, अपना चयन ठीक हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि...

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : रामनारायणजी, ये तो ग्राम सभा में ही नम्बर दिये जा रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : हमारा कर्मचारी कोई अलग से नम्बर नहीं देता। यह जो बी.पी.एल. परिवार के लिये चयन प्रक्रिया है उसमें हमने नम्बरिंग रखा है, वे नम्बर भी ग्राम सभा के पटल पर सबके सामने दिये जा रहे थे। उसके बाद भी यदि आपको कोई शिकायत है किसी ने कांटा-फांसी करके अगर गलत कर दिया है तो हम जांच कराने के लिये तैयार है।

श्री जीतमल खांट : ग्राम सभा में कहां नम्बर दिये जा रहे हैं? सर्वे जो हुआ था, सर्वे में जो उस पर अंक किया है.....

श्री कालूलाल गुर्जर : वार्ड सभा में हुआ है। वार्ड सभा में सबसे पहले वैरिफिकेशन हुआ, वार्ड सभा में नम्बर दे दिये, उसके बाद में ग्राम सभा ने उसको एप्रूव किया और उसके बाद भी यदि गड़बड़ है तो उसकी अपील करने का प्रावधान है एस.डी.एम. के यहां। फिर एस.डी.एम. के यहां अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर कलक्टर के यहां पर अपील हो सकती है।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, गरीब आदमी कहां अपील करेगा ?

श्री कालूलाल गुर्जर : और रह गये, उनको भी जोड़ने का उसमें प्रावधान है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं, मैं तो मंत्रीजी के ध्यान में इसलिये लाया हूं कि आपका प्रोसीजर है यह बिलकुल वही है, लेकिन कहीं ग्राम सभाएं हैं, लोगों का उत्साह नहीं है, योजनाओं से इतना प्रतिफल मिल नहीं पा रहा है। कहीं बीस आदमी हैं, दस्तखत करने हैं। इसलिये यदि सरकार इसके ऊपर गौर करे, कुछ इसको मोडीफाई करे या इस तरह की रिपोर्ट्स ले तो यह शिकायतों को मिनिमाइज करने का एक तरीका है जो मैंने आपसे अर्ज किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सरकार ने डांग विकास योजना चलायी है, पहले भी चली थी जब भाभड़ाजी उप मुख्य मंत्री हुआ करते थे, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन डांग विकास योजना को पर्टीकूलर एरिया में चलाया जाए। चम्बल के पास मेज नदी है, चम्बल के पास कोरल नदी है, चम्बल के पास दूसरी नदियां है, डांग विकास योजना का, यदि पैसा हम भारत सरकार से लेते हैं और अनुदानित करते हैं तो जितने भी हमारे रेवास के इलाके हैं आज चम्बल में कोई डकैती होती नहीं है, चम्बल की सहयोगी नदियों को हम साथ में ले सकते हैं। उनको हम इसमें शामिल करेंगे तो राजस्थान के विकास को जितना सम्भव हो सकेगा उतना हम योगदान दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे कहनी है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में कि इसका कितना हमें बेनिफिट मिला है। आज पांच सौ

(श्री रामनारायण मीणा)

रुपये देने की बात है, किसी से यदि हम आशा करें कि वह दरख्वास्त देकर कलक्टर तक इसकी शिकायत करेगा, कोई गर्भवती महिला बी.पी.एल. परिवार की, गांव में पटवारी रहता है, गांव में सरपंच रहता है, गांव में अध्यापक होता है, मुझे सरकार से अर्ज करना है कि जिस महिला को मातृत्व लाभ का बी.पी.एल. परिवार का फायदा नहीं मिला तो उन कर्मचारियों को, वहां जो रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको इसके बारे में जिम्मेदार माना जाए।

यहां इस भाषण में आया है, मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय आपको, आपके मंत्री आज यहां नहीं हैं, आप भले नाबार्ड से एनीकट बना रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं या भारत सरकार से पैसा ले रहे हैं. एनीकट का जो कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का कार्यक्रम है वह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, साइट सलेक्शन में जिस तरह से बेईमानी और गड़बड़ी ठेकेदार कर रहा है, यदि इसमें हम सतर्क रहें तो हमारी जो योजनाएं हैं भूमिगत जल स्तर में बढ़ोत्तरी की, वे सफल हो सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगा शिक्षा के बारे में। डीपीईपी की स्कूलें बन रही हैं, हमने शिकायत भी की है, उन स्कूलों का जो निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री लग रही है। मैंने अभी दो स्कूलों की चैकिंग करवायी, उनकी निर्माण सामग्री घटिया स्तर की पायी गयी। पैसा भारत सरकार से आया, किसी का भी आया, जब राजस्थान में आ जाता है तो पैसा राजस्थान का है, राजस्थान सरकार का है। इसके बारे में यदि हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो घटिया निर्माण कार्य हो रहा है उसमें हम इसको ठीक कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह घटिया सामग्री, या जो हमारी दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप हैं, उनका जिस तरह का निर्धारण हो रहा है, उसमें कही न कहीं बेईमानी या गड़बड़ी है। हर पंचायतवार दुकानें नहीं हैं। एक-एक व्यक्ति को चार-चार, पांच-पांच दुकानें दी जा रही हैं, उससे वह काम करने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन कुल मिलाकर इसमें जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहते हुए आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करूंगा, आप सरकार के वरिष्ठ सदस्य हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ जितना

(श्री रामनारायण मीणा)

न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम अभी बना हुआ है, साफ प्रोविजन है, यदि उसको दोषी माना जाता है, साफ लिखा है, कि जिस महिला के साथ उसने गलत काम किया उसको 50 हजार मिले, हत्या हो गयी उसको 2 लाख मिलना चाहिए, अंग-भंग हो गया उसको 25 हजार रुपये मिलना चाहिए। आज राजस्थान में आप इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले ध्यान देने की बात की थी पिछली सरकार ने, आप इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने दो-तीन केसेज इस सरकार को भेजे हैं। उनके बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, मामला आया बाबा रामदेव का, मैं योग शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं न मैं कोई बाबा रामदेव की खिलाफत करता हूं। लेकिन सरकार चूंकि आध्यात्मिक भावना की बात करती है, सरकार योग भावना की बात करने वाला है, मैं मानता हूं कि एड्स की दवा कारगर नहीं है लेकिन ध्यान में और योग में उसका इलाज सम्भव है। यह बहुत-से चिकित्सकों ने भी कहा है कि ध्यान से और योग से ऐसा हुआ है। लेकिन, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बाबा रामदेव एक ही तो नहीं हैं हिन्दुस्तान में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : बाबा रामदेव की जगह बाबा रामनारायण कर दें।

श्री रामनारायण मीणा : हां, हां कोई बात नहीं है। नाम कुछ भी रखिये। एक आपसे अर्ज कर रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान, दर्शन केन्द्र में एक यहां आये थे उन्होंने यहां एक कैम्प चलाया और एक बोर्ड लगाया। अब मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता क्योंकि अभी हो-हल्ला हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस ग्रुप के लोगों ने किया, नगर निगम, जयपुर से 40 हजार रुपये की राशि कटवानी पड़ी उस महाराज को। वह यहां से छोड़कर चले गये। क्या इस तरह से साधु-महात्माओं के साथ हम भेद करेंगे? एक तरफ आप पोस्टर लगाएं, विज्ञापन लगाएं, चरण छुएं, हमें एतराज नहीं है। बुद्धिमान आदमी के पास आप चरण छूते हैं। एक बात हैं। सौभाग्य से वह आदमी जाट है सियाग है, लेकिन सियाग को अधिकार नहीं है क्या ध्यान योग केन्द्र चलाने का? आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एड्स के मरीज दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। यदि कोई ज्ञानी आदमी ध्यान से, योग से कोई चिकित्सा करता है, सरकार

(श्री रामनारायण मीणा)

ऐसे आदमियों के बारे में बात करें, हम सबसे पूछे। इस तरह के यदि केन्द्र चलाता है तो उसमें जनता का, गरीब का फायदा होगा राजस्थान में, यह मेरा आपसे अर्ज करना है।...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप तो हमारी विचारधारा के दिखते हो। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आडवाणीजी मुझे जानते हैं।...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : इससे पहले आप संघ से रहे हुए हो।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, नहीं, आडवाणीजी मुझे जानते हैं, मैं कहता हूं ना....। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपको शक है क्या कोई?... (व्यवधान) आप शक क्यों करते हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : उनका कमरा भी मैं जानता हूं। इसमें कहां तकलीफ है?... (व्यवधान) आप इतने चिल्ला रहे थे, उनसे राम-राम नहीं करते हो। मुझे तो दूरे से कहेंगें, आओ मीणाजी। मैं आपको बता दूं। वह मेरी इतनी इज्जत करते हैं। कोटा में रहा हूं मैं। मैं सांसद था, मैं एक केस लेकर उनके पास गया, कोटा डिवीजन का केस। कोई केस सी.बी.आई. में नहीं गया था। मैं आपके सम्पर्क में रहा हूं। आप कांग्रेस में काम करते थे उस जमाने में मैं भी कांग्रेस में था, इसलिए आप इस बात को आगे नहीं बढ़ाएं तो ठीक रहेगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैं तो कभी कांग्रेस में नहीं रहा, लेकिन आप जरूर आर.एस.एस. में रहे होंगे क्योंकि आडवाणीजी यहां जिला प्रचारक रहे। आप हमारे संघ में रहे हो... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अटलजी कांग्रेस में रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप मेरा टाइम नहीं खराब करें, कृपा करें। मुझे एक-दो बातें कहनी हैं फिर मैं समाप्त करूंगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

सिंचाई की बात यहां बहुत हो रही है बांधों की। 1990 में जब मैं विधायक था, एक मांचली बांध शुरू किया गया था, उसका काम प्रारम्भ किया गया था। आज वह बांध जैसे का जैसा पड़ा हुआ है। इस तरह की जो योजनाएं हैं, 25 को चालू कर दिया, 30 को चालू कर दिया, हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, सिंचाई योजनाओं पर हमारा ध्यान कम है, उसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग का एक सामाजिक हित योजना का परिपत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि पेंशन वालों को दस किलो गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में इस तरह से अभी ना तो कोई गेहूं का वितरण हो रहा है, यह सारी योजनाएं कागजों में है, और ना कुछ हो रहा है। यह बात सही है कि भारत सरकार ने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ायी है। राजस्थान सरकार को भी उसी के मुताबिक उसी अनुपात में पैसा देकर अपना योग बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, बहुत गम्भीर बात है, ट्राइबल वैलफेयर मंत्री यहां नहीं हैं। एक माडा योजना है, ग्रामीण विकास के मंत्री भी यहां बैठे हैं, उस योजना में आज किसी जिले में 6 हैंड पम्प लग रहे हैं, किसी में 4 हैंड पम्प लग रहे हैं। माड़ा योजना के गांवों को, माननीय तिवाड़ी साहब, शिक्षा मंत्रीजी, जब सीकर ने अपने को नकारा तो माड़ा योजना के लोगों ने अपने को स्वीकारा है, अपन मंत्रिमंडल में इसके बारे में विचार रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माड़ा योजना के नाम से गांवों को फायदा नहीं मिल रहा है, उन गांवों को इसका फायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे विकास को गति मिलेगी। मैं इसी के साथ अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय जो चौपाल वहां जमा रहे हैं, डेकोरम को बनाएं, इसको बंद कराएं। अपने दफ्तर में जाकर चौपाल लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, मीणाजी। श्री बंशीलाल।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो कमेटियां बैठायी थी, जो कमेटिया हैं उसमें से एक कमेटी का मैं नाम देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हुआ है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : उन कमेटियों को आप लागू करें। इसी के साथ इस अभिभाषण में आपने जो भी बातें कहलवाई हैं, उनको मैं इसलिए नकारता हूं कि उसमें राजस्थान के विकास के लिए कोई विशेष बात नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : आपको ऐसा ही दिखेगा। आप विरोजो, मेरा नम्बर आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकार लिया है, आप विराजो।

श्री रामनारायण मीणा : आपने इस अभिभाषण में एक भी ऐसा वाक्य नहीं कहलवाया है जिससे राजस्थान के विकास को गति मिले। आप राजस्थान के विकास के लिए अभिभाषण से अलग हटकर बजट में बोलें, हम आपका साथ देंगे सही काम के लिए। अगर आपने सही काम नहीं किया तो हम उसका विरोध करेंगे। इसी के साथ मैं इस अभिभाषण को समर्थन देने में असमर्थ हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और राजस्थान के विकास की तरफ थोड़ा ध्यान देगी, फालतू की बातों पर कम विचार करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक।

श्री बशीलाल खटीक (राजसमन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारहवीं विधान सभा के इस पंचम सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बंशीलालजी, 10 मिनट में समाप्त करना है।

श्री बंशीलाल खटीक : 15 मिनट, 15 मिनट। (व्यवधान) आप मुझे टोकें नहीं। देखें, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। एक भी माननीय सदस्य के बीच में नहीं बोला हूं, कोई नहीं बोलें, सीधी-सी बात कह देता हूं। एक भी सदस्य के बीच में नहीं बोला हूं ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट में खतम करें।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : नहीं तो?

श्री बंशीलाल खटीक : नही तो संवैधानिक कार्यवाही होगी। मेरी इस रफ्तार को धीमा मत करो, चलने दो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हमारी सरकार ने देश की रक्षा करने वाले रणबांकुरों के शहीद होने पर उनकी याद को चिर स्थायी बनाने के लिए अमर जवान ज्योति का निर्माण कराकर राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के जन-जन को शौर्य का संदेश दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिन्धिया द्वारा जो गत 2 वर्षों में राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, इससे वास्तव में हमारा राजस्थान बहुत ही तेज गति से प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारी सरकार का वित्तीय प्रबन्धन, जल संसाधान अभियान, ग्राम एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का काम एवं विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम हमारे समक्ष हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय. हमारी सरकार ने जो मेहनत की है उसके परिणाम आज पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। हमारे किसान बंधुओं की फसल का बीमा कराकर उनका भागीरथी सहयोग किया है, उससे कई किसानों और युवाओं को रोजगार भी मिला है। व्यापारी, किसान वर्ग एवं सभी वर्ग हमारी मुख्य मंत्री महोदया की कार्य शैली से खुश हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कई तरह के रोजगार की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया और पूरे मंत्रिमण्डल ने ध्यान लगाया है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बन्धुओं का विकास हुआ है। इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति के कुल 33 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के 24 और अनुसूचित जनजाति के 24 विधायकों में से 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भाव है और एक श्रद्धा है

(श्री बंशीलाल खटीक)

इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकें वितरित की हैं, जिसकी संख्या 1 करोड़ 14 लाख है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की ही बात है कि आज तक के हमारे कार्यकाल में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, निरन्तर हमारे खाते में सरप्लस की स्थिति रही है। राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सामग्री की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की गई। पंजीयन एवं मुद्रांक के प्रकरणों में आम जनता को सहयोग करने के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों को 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पंजीयन प्रक्रिया को सरलीकरण करके सारथी योजना बनाई गई है, इससे लोगों को राहत मिली है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी द्वारा वार्षिक योजना के आकार को निरन्तर बढ़ाया गया है, दो वर्षों में दुगुना किया है। इन योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक संरक्षण को दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में 20-सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान ने हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कई तरह की आपदाओं से निपटने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित कर जनता को राहत प्रदान की गयी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय माननीय सदस्य बंशीलालजी अपना भाषण समाप्त करें तब तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य बंशीलालजी के अपना भाषण समाप्त करने तक सदन की बैठक का समय बढ़ाया गया। शार्ट में करें।

श्री बंशीलाल खटीक : शार्ट में करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या फर्माया?

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तय हुआ था कि 7 बजे तक हाउस चलेगा और यह आपका ही प्रस्ताव था। यह फिर रोज की चलेगी क्या?

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे बोलने में आपको आपत्ति है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपत्ति नहीं कर रहा।

श्री बंशीलाल खटीक : तो बोलने दो न। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सिर्फ पांच मिनट में सारगर्भित भाषण आप सुन लो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मेरे बोलने में आपको क्या आपत्ति है? फिर मैं बीच में बोलूंगा, आप किसी को नहीं बोलने दूंगा, ध्यान रखना, मेरी चुप्पी को तोड़ूंगा। अभी बैठ जाएं, मेरा समय खराब मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : पांच-सात मिनट बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे इतना-सा जानना चाह रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि हाउस 7 बजे तक चलेगा।

श्री बंशीलाल खटीक : यह मेरे ऊपर ही तय हुआ था क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आज के लिए कर रहे हैं या रोज का जो अन्तिम वक्ता होगा उसका वक्तव्य खतम होने तक करेंगे, इतना-सा जान रहा हूं? यह बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप 8 बजे तक बढ़ाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : परिस्थिति के अनुसार होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वक्ता-वक्ता पर निर्भर करता है। बंशीलालजी जितना अच्छा भाषण दे रहे हैं सब लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए इनके भाषण पूरा होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री बंशीलाल खटीक : इनको आपत्ति क्यों हैं?

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : इनको जलन हो रही है।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरा क्रम मत तोडों, मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलेंगे तो इससे भी जयादा हो जाएगा।

श्री बंशीलाल खटीक : आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरा क्रम नहीं तोड़ेंगे। देखो, मैं बहुत शान्त प्रवृत्ति से जीना चाहता हूं। मुझे उग्र करना चाहते हो तो देख लो, अभी तक समय बाकी है बजट सत्र का (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा अनुसार इन लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत सदन की गरिमा में बंध कर यहां रहना सीखें। (व्यवधान) यदि कोई सदस्य बोल रहा हो तो बीच में टोकना संवैधानिक अपराध है, इनको आप यह कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : सबके लिए ही है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : आप बजरंग दल के हैं इसलिए आप से सब जलते हैं।

(19.00 बजे)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बंशीलाल खटीक : अभी उसकी याद मत दिलाओ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के बन्धुओं से कहना चाहता हूं कि प्यारे बंधुओं, (व्यवधान) बन्धु तो हम हमारे यहां कहते हैं, हमारे तो संस्कार हैं। हम आप जैसे नहीं है। इसलिए कुछ तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जीना सीखो। जिस प्रकार 45 साल तक आप राज करके भोले-भाले एस.सी., एस.टी. के लोगों को गुमराह करके, थोथी घोषणाएं करके वोट बटोर-बटोरकर आप लोगों ने उनके साथ अन्याय किया और सत्ता हासिल की है, अब आपके अन्दर की भावनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जान चुके हैं और उन्होंने मन में ठानी है कि कांग्रेस को सदैव के लिए विपक्ष में बिठाना उनका परम कर्तव्य बन गया है। इसलिए अपनी सीमा में रहकर आप बात करें। मैं

(श्री बंशीलाल खटीक)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा हूं। और आप बीच-बीच में मुझे टोक रहे हैं, ऐसा करके आप ठीक नहीं कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान में अकाल के समय में हमारी सरकार ने नये अकाल राहत खोले हैं। अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, कई गरीब लोगों को इस अकाल राहत का लाभ मिल रहा है। मेरे विपक्ष के लोग अकाल राहत के लिए चिल्ला रहे हैं, उनका चिल्लाना ठीक नहीं है। यदि ये हकीकत में जाकर देखें तो क्षेत्र में हमारे गरीब लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है।

गौवंश के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। गौवंश के संवर्द्धन के लिए गौशाला, पथपेड़ा को 1245 लाख रुपये और गौ सेवा आयोग को दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। गौवंश के संवर्द्धन के लिए कामधेनु गौपालक एवं गौरक्षंक बीमा योजना प्रारम्भ की गई है जिससे हमारे गौवंश को बचाया जा सकेगा। कांग्रेस के लोगों द्वारा इस गौवंश एक्ट के खुर्द-बुर्द किया गया। हमारे वर्तमान उप राष्ट्रपति माननीय भैरोसिंहजी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल में गौरक्षा एक्ट बनाया गया था। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की सरकार के आते ही गायों को राजस्थान की सीमा से बाहर ले जाने के लिए इन्होंने कसाइयों का हौंसला बढ़ाया। कंपलीट छूट दे दी क्योंकि वो कसाई सभी इनके मिलने वाले थे। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कोटा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां रोजाना गायें मर रही हैं। उनका दाना, चारा, पानी का जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में खा रहे हैं, हड़प रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : व्यवस्था कर रहे हैं, आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : आप उनको ठीक करिएगा, फिर सरकार पर आइएगा। सरकार में तो ये लोग बैठे हैं, इनसे कहो, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहे हैं?

श्री बंशीलाल खटीक : मुकदमा हमने दर्ज कराया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप पूछ लीजिए, ये दोनों संसदीय सचिव बैठे हैं, क्या तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष : क्यों व्यवधान कर रहे हैं, बोलने दो। विराजो, आप सुनो तो सही।

श्री रामनारायण मीणा : ये कहां बीच में आ गये? कोटा में गायों को मारा जा रहा है, उनके चारे का पैसा खा रहे हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां बजरंग दल ने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा गत वर्ष में 80 लाख रुपया व्यय कर मंदिरो का जीर्णोद्धार कराया गया। धार्मिक पर्यटन हेतु दो धार्मिक पर्यटक सर्किट बनाये गये- मेवाड़ और वागड़। ब्रज सर्किट में पर्यटन विभाग द्वारा विकास कराया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस की व्यवस्था बहुत ही सक्रिय और सजग रही है जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। पुलिस जनता संवाद से आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, अपराधों में जोरदार कमी आयी है। हमारी पुलिस ने 12 इनामी डकैतों सहित 33 डकैतों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंसा है। (व्यवधान) कई बाकी हैं उनको ठूंसना है। हमारी पुलिस ने माननीय गृह मंत्रीजी के कुशल दिशा-निर्देश में एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए कुख्यात आतंकवादी शब्बीर अहमद को हथियारों सहित गिरफ्तार किया जिससे राज्य में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कई आतंकवादी अदृश्य बैठे हुए हैं उनको भी चंद दिनों में जेलों की सलाखों के पीछे किया जाएगा। कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके ऊपर केस चलाकर उनको जेलों में ठूंसा गया है।

शहरी क्षेत्र को गरीब वर्ग के आवास के लिए दैनिक किश्तों के आवास उपलब्ध कराया गया है। एक आवास 76 हजार रुपये में पड़ता है और दैनिक 18 रुपये की किश्त से शहर के गरीबों को हमारी सरकार ने आवास उपलब्ध कराया है। केन्द्र द्वारा राज्य की विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो राशि उपलब्ध होनी चाहिए थी, वह राशि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने द्वेषता से रख कर राज्य

(श्री बंशीलाल खटीक)

के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया के कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है और हर विभाग ने उन्नति की है।

ऊर्जा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। दूरस्थ ढाणी और गांवों में बिजली पहुंची है। देश आजाद होने के बाद में कई ऐसी ढाणिया थीं, इन कांग्रेसियों को वोट दे-देकर भी हमारा आदिवासी इलाका, हमारा जनजातीय, हमारा अनुसूचित जाति क्षेत्र बिजली से वंचित रहा था। इन लोगों का जो वोट लेने का तरीका है, माननीय मंत्री महोदय, आप इशारा कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि आज इनको बोंलने दो, इन लोगों की कारगुजारी मैं आपको बताता हूं-खम्भे ले जाना, वहां डालना, दारू पिलाना और उनके वोट बटोरना और सत्ता में आ जाना इनका परम कर्त्तव्य बनता है। उन खम्भों को वापस यथास्थान भेज देते हैं और वोट ले लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बुरा लग रहा है, जब ये जाएंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता आराम से सुनें, भले दूसरे चले जाएं।

बिजली के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ दो मिनट।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हमारे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में जो सड़कों का जाल बिछाया है भूतो न भविष्यति। न ऐसा कभी हुआ है। हमारी सरकार रहेगी तो होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि 7.5 करोड़ की सड़कों का काम वर्तमान में चल रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं और आगे भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसे काम दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मोटी-मोटी बात तो बोल दीं।

श्री रामप्रताप कासनिया : ये बहुत दयालु हैं, इनको टोकना नहीं चाहिए।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शार्ट करते हुए अब मैं इनके घोटालों के ऊपर आ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस चक्कर में मत पड़ो।

श्री बंशीलाल खटीक : पड़ने दो, ये अभी ऊंचे-ऊंचे होकर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बंशीलालजी, इस चक्कर में मत पड़ो, आप तो अपनी उपलब्धियां बताओ।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने तो 1500 किलोमीटर सड़क रिडकोर से बनाकर 13 जिलों को जोड़ा है, उसमें 1400 करोड़ रुपये खर्च हुए, उसमें इन लोगों को तकलीफ होती है। यह भी तकलीफ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के कारनामें-एंटरटेनमेंट पैराडाइज को 700 रुपये वर्ग फीट पर जमीन आबंटित कर इन लोगों ने भारी घोटाला किया है। सात सौ रुपये वर्ग फीट पर जमीन आबंटित कर इन लोगों ने भारी घोटाला किया है। बोफोर्स घोटाला, कम्प्यूटर घोटाला जिसकी चर्चा हुई है हमारे इस सदन में। और फव्वारों में घोटाला। हमने तो शराब नीति को माफियाओं के चुगंल से निकाल कर इसका सरलीकरण किया है और ये लोग चिल्लाते हैं। एक कहा है किसी शायर ने, अब मैं उसमें अन्तिम कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : काहे को बैठे हो मुंह नीचे करके, उसकी भावना समझो आप। तो आपको मना कर रहे हैं, आप एक्शन लीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों के तो ये कारनामें हैं जो अभी हिन्दू देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाये वह थॉमस, उसको बचाने में लगे हुए हैं, ये लोग तो ऐसे हैं। कांग्रेस के लोग बचाने में लगे हुए हैं, इनके तो ये कारनामे हैं। अब सुनो आप, हमारी सरकार का जो संदेश है, हर समस्या सुलझेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि वे कितनी गम्भीरता से सदन को चला रहे हैं और हंस रहे हैं, शर्म आती है कैबिनेट के मिनिस्टरों को?

श्री बशीलाल खटीक : शर्म आ रही है आपके बोलने में।

श्री हरिमोहन शर्मा : ये तरीका है सदन चलाने का? ये तरीका है जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या हो गया?

श्री हरिमोहन शर्मा : ये तरीका है ? बेकार यों ही हंस रहे हो। सदन को मखौल बना रहे हो आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : (व्यवधान) जब सवेरे अप्रांसगिक बोल रहे थे तब शर्म नहीं आई?

श्री हरिमोहन शर्मा : ये कोई तरीका है सदन चलाने का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या गलत हुआ ?

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या तरीका है ?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : आप जब सवेरे लाइसेंस के बीच गाडियां ला रहे थे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या हुआ जो हंस रहे हैं वो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : ही ही कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। (व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) वे बोल रहे हैं और आप ताली पीट रहे हो? (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : जोगेश्वरजी, विराजो। (व्यवधान) हीरालाल जी माननीय सदस्य, आप विराजो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस पांच मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं, पांच मिनट भी नहीं लूंगा।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य आपके अधिकार कैसे ले रहे हैं?

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय इन कांग्रेसी बंधुओं को एक बात कहना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां न तो कांग्रेसी बंधु हैं, हम यहां माननीय सदस्य हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य, हां बात मान लेता हूं। विद्वान जी।

डा. सी.पी. जोशी : यहां एक वरीयता है।

श्री बंशीलाल खटीक : हां, एक त्रुटि। हां, मेरे विद्वान माननीय सदस्य, आपकी बात मानता हूं। हर समस्या सुलझेगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : ये डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं। मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं, मुझे क्या तकलीफ है?

श्री बंशीलाल खटीक : सुनो सब संदेश मेरा, हर समस्या सुलझेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो लिबर्टी है वह परकाष्ठा पर मत टांगने दो। हमारी तरफ हाथ करके कहते हैं ये लोग, ये कौन लोग? हम सब माननीय सदस्य हैं। हम कहेंगे ये लोग, ये कौन लोग? ये सब माननीय सदस्य है हमारे, बाकी माननीय मंत्री हैं हमारे।

श्री उपाध्यक्ष : वह सुधार ली उन्होंने, सुधार ली।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय प्रतिपक्ष के नेता विराजें तो मैं उठूं।

श्री रामनारायण चौधरी : ये माननीय मंत्री हैं बाकी हमारे माननीय सदस्य हैं। अब ये लोग, ये लोग, कोई चौपाल में भाषण दे रहे हो आप?

श्री बंशीलाल खटीक : आपका आदेश।

श्री उपाध्यक्ष : हाथ जोड़ लिये, गलती मान ली।

श्री बंशीलाल खटीक : आप विराजो तो मैं उठूं। नियमों और प्रक्रिया से चलता है यह संदन। हां, तो सुनो, हर समस्या सुलझेगी। आपके लिए, माननीय सदस्यों के लिए, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें, हर राह जरूर मिलेगी आप भटकना छोड़ दें। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक 2 मार्च, 2006 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.15 बजे दिनांक 2 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सहायता

7. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार राज्य में नई खेल नीति बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सहायता की निम्नांकित योजनाएं वर्तमान में विद्यमान है :-

1. खेल रत्न पुरस्कार
2. महाराणा प्रताप पुरस्कार
3. नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि आबंटन
4 .भू-खण्ड आबंटन
5. राजस्थान खेल अनुदान नियमों के तहत नकद पुरस्कार योजना
6. राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण, उपकरण आदि हेतु विशेष सहायता
7. राजकीय नौकरी में आरक्षण

(2) जी हां। खेल नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

महुआ में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

8. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

(1) 2002-03 से 2005-06 तक महुआ विधायक कोष में से विधान सभा क्षेत्र महुआ (टोडाभीम तहसील की पंचायतों सहित) में कितने कार्य स्वीकृत किये गये, कितने कार्य स्वीकृति के बाद प्रारम्भ नहीं हुए, कितने कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) जारी किये गये व कितने कार्य प्रगति पर हैं? वर्षवार, कार्यवार स्वीकृत/अवशेष राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक महुआ विधायक कोष से स्वीकृति जारी होने के बाद विवादित/प्रारम्भ नहीं होने वाले कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किया गया है? यदि हां, तो वर्षवार, कार्यवार निरस्तीकरण के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। ऐसे निरस्त हुए कार्यों के बाद कोष के अवशेष राशि की वर्षवार स्थिति का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2002-03 से 2005-06 में महुआ विधायक कोष से स्वीकृत कार्य अपूर्ण/प्रगति पर चल रहे कार्यों को क्या सरकार शीघ्र पूर्ण करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराने/पूर्णता प्रमाण -पत्र जारी नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार है, उन अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला परिषद दौसा एवं करौली से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2002-03 से वर्ष 2005-06 तक विधान सभा क्षेत्र महुआ में विधायक कोष से (टोडाभीम तहसील की पंचायतों सहित) कुल 254 कार्य स्वीकृत किये गये। जिनमें से स्वीकृति के बाद कुल 7 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए। कुल 213 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण हुये कार्यों में से 184 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं एवं 29 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

19 कार्य प्रगति पर हैं। वर्षवार कार्यवार स्वीकृत/अवशेष राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक विधान सभा क्षेत्र महुआ

(ग्रामीण विकास मंत्री)

में विधायक कोष से स्वीकृति जारी होने के बाद विवादित/प्रारम्भ नहीं होने वाले कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किया गया है, उनके वर्षवार, कार्यवार निरस्तीकरण आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

वर्षवार अवशेष राशि का विवरण निरस्तीकरण कार्यों सहित परिशिष्ट "अ" के कॉलम संख्या-9 पर अंकितानुसार है।

(3) जी हां। यथा शीघ्र निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराने, सी.सी. जारी नहीं करने वाले के विरूद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य के अभिस्वीकृत पत्रकारों को देय सुविधाओं में वृद्धि

9. मोहम्मद माहिर आज़ाद (नगर) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभिस्वीकृत पत्रकारों को सुविधायें मुहैया कराई जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पत्रकारों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पत्रकारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की प्रति संलग्न है।

(2) सरकार पत्रकारों को जयपुर में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आबंटित करने का विचार रखती है। इसकी प्रक्रिया चालू है।

परिशिष्ट "क"

पत्रकारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

1. जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों द्वारा भूखण्ड आरक्षण करने के प्रावधान हैं।

2. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास आबंटित करने में 2.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अधिस्वीकृत पत्रकारों को नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाती है।

4. अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेलवे कूपन के आधार पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देय है।

5. पत्रकारों को राजकीय/विभागीय अतिथि मानकर राजकीय खर्चे पर भ्रमण करवाना तथा उसके स्वागत सत्कार की व्यवस्था की जाती है।

6. राजकीय विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा दी जाती है।

7. प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्तियां व छायाचित्र तथा इ.एन.जी. कैसेट सुलभ कराई जाती है।

8. पंजीकृत पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान प्रेस अधिस्वीकरण सलाहकार समिति, राजस्थान वर्गीकरण सलाहकार समिति, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष समिति तथा राजस्थान आवास समितियों में सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान है।

9. राजकीय समारोहों, विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों, विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव, पंचायत चुनाव की कवरेज हेतु प्रवेश पत्र सुलभ कराये जाते हैं।

10. अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं उनके परिजनों को वित्तीय वर्ष 2005-06 से सरकारी चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

11. अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं उनके परिजनों को गम्भीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए "स्वास्थ्य बीमा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

12. अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए "दुर्घटना बीमा योजना" लागू करने का

निर्णय लिया गया है। योजना के तहत दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

13. आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

14. पत्रकार कल्याण कोष से गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आबंटित राशि

10. **श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा उदयपुर संभाग की जनजाति क्षेत्र की किन-किन पंचायत समितियों को गत पांच वर्षों मे कितनी-कितनी राशि किस आधार पर विकास कार्यों हेतु आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्र की पंचायत समितियों को कार्यों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं राशि उपलब्धता के आधार पर गत पांच वर्षों में विकास कार्य हेतु आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

गत पांच वर्षों में जनजाति मद से विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितिवार राशि का आबंटन

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	नाम पंचायत समिति	वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	कुल योग
	जिला- उदयपुर							
1.	गोगुन्दा	कोटडा	0.00	62.14	73.92	31.89	107.20	275.15
2.	फलासिया	कोटडा	0.00	57.50	120.26	108.52	60.34	346.62
		झाडोल	43.34	217.19	165.48	77.96	76.15	580.12
3.	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	0.00	369.94	491.46	435.74	46.97	1344.11
4.	सलूम्बर	सलूम्बर	26.00	70.09	93.78	41.07	56.48	287.42
		गिर्वा	32.60	14.75	17.69	17.75	0.00	82.79
5.	उदयपुर ग्रामीण	गिर्वा	76.40	175.53	73.58	46.06	41.65	413.22
6.	सराडा	सराडा	0.00	176.59	168.33	46.13	40.84	431.89
		गिर्वा	0.00	2.25	15.64	0.00	1.50	19.39
7.	लसाडिया	धरियावद	6.50	123.32	105.62	49.31	47.29	332.04
		सलूम्बर	0.00	28.78	34.68	13.60	0.80	77.86
8.	उदयपुर शहर	उदयपुर	80.80	61.25	1.34	103.30	0.45	247.135
	योग :-		265.64	1359.33	1361.78	971.33	479.67	4437.75
	जिला- डूंगरपुर							
1.	सागवाडा	सागवाडा	0.00	11.71	24.49	50.13	55.37	141.70

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	नाम पंचायत समिति	वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	कुल योग
		सीमल वाडा	0.00	0.00	2.50	68.74	33.10	104.34
		आसपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50
2.	चौरासी	डूंगरपुर	0.00	11.50	19.52	14.20	6.45	51.67
		बिछीवाडा	0.00	4.13	95.87	33.10	46.34	179.44
		सीमल वाडा	0.00	9.11	22.88	1.25	3.00	36.24
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	0.00	69.71	19.43	12.25	14.00	115.39
		बिछीवाडा	0.00	0.00	35.63	14.95	2.50	53.08
4.	आसुपर	आसपुर	0.00	18.41	22.90	14.01	24.30	79.62
		आसपुर	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82
		सागवाडा	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
	योग :-		0.00	132.64	243.22	208.63	189.56	774.05
1.	प्रतापगढ़ (चित्तौड)	प्रतापगढ़	326.81	489.53	135.10	257.59	580.39	1789.42
	जिला-बांसवाडा							0.00
1.	घाटोल	घाटोल	12.00	2.50	61.77	17.35	37.25	130.87
		पीपलखूंट	6.00	0.00	5.05	8.00	3.00	22.05
2.	कुशलगढ़	कुशलगढ़	9.00	2.00	24.62	11.80	13.50	60.92
		सज्जन गढ़	7.00	40.24	28.10	15.90	7.00	98.24

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	नाम पंचायत समिति	वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	कुल योग
3.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	16.00	0.00	0.40	4.30	18.95	39.65
		गढी	13.00	0.00	7.99	93.46	70.50	184.95
4.	बागीदौरा	आनन्द पुरी	3.00	0.00	119.25	26.21	35.00	183.46
		बागीदौरा	6.00	0.00	8.75	13.69	26.00	54.44
5.	दानपुर	तलवाड़ा	6.00	0.00	5.05	28.00		39.05
		बागीदौरा	4.00	0.00	18.50	7.20		29.70
		पीपलखूंट	7.50	0.00	7.50	3.65	18.50	37.15
	योग :		89.50	44.74	286.98	229.56	229.70	880.48

डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी का लोकार्पण प्रकरण

11. **श्री भरतसिंह (दीगोद)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी का निर्माण किस वर्ष में पूरा किया व किस वर्ष में यह आवासीय विद्यालाय प्रारम्भ किया गया? उक्त आवास में वर्तमान में कुल कितनी छात्राएं अध्ययन कर रही हैं? कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस छात्रावास का लोकार्पण वर्ष 2005-06 में किया गया था? यदि हां, तो किसके द्वारा व इसमें कौन-कौन अधिकारी व जन-प्रतिनिधि शामिल थे? इस कार्यक्रम के आयोजन पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि विद्यालय के लोकार्पण के कुछ दिनों बाद ही बालिका छात्रावास में अध्यापकों के बीच मारपीट हुई थी? यदि हां, तो इस

(श्री भरतसिंह)

प्रकरण की किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई व किन लोगों को दोषी पाया गया व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी का निर्माण वर्ष 2003-04 में पूरा किया गया। यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2003-04 से प्रारम्भ किया गया। उक्त विद्यालय में वर्तमान में कुल 182 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। कक्षावार सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगीं का लोकार्पण शैक्षणिक सत्र 2005-06 में मेरे द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में निम्न अधिकारी व जन प्रतिनिधि शामिल थे :-

अधिकारीगण :—

1. श्री सिरमौर मीणा, परियोजना निदेशक, राइस, जयपुर।
2. डा. चन्द्रभूषण जैन, सहायक निदेशक (प्रशा.) राइस, जयपुर।
3. श्रीमती सविता कृष्णिया, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, कोटा।

जन प्रतिनिधिगण :—

1. श्रीमती कमला मीणा, जिला प्रमुख, कोटा।
2. श्रीमती इन्द्रा गुप्ता, प्रधान पंचायत समिति, सांगोद।
3. श्री हरिशंकर नागर, पंचायत समिति सदस्य, सांगोद।
4. श्री जसवीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य, सांगोद।
5. श्रीमती कान्ता मेघवाल, जिला परिषद सदस्य, कोटा।

इस आयोजन पर सरकार द्वारा कुल 60,722.00 रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(3) जी हां। विद्यालय लोकार्पण के कुछ दिनों बाद ही दिनांक

(समाज कल्याण मंत्री)

12.1.2006 को विद्यालय परिसर में कुछ अध्यापकों के बीच आपस में मारपीट हुई थी। इस प्रकरण की जांच जिला कलक्टर कोटा के निर्देशानुसार आई.ए.एस. प्रशिक्षणार्थी श्री रवि जैन, से तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार राइस, जयपुर में कार्यरत डॉ. चन्द्रभूषण जैन सहायक निदेशक (प्रशासन) द्वारा अलग-अलग करवाई गई है। दोनों अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्न अध्यापक दोषी पाये गये :-

1. श्री महेश चन्द्र गुप्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष

2. श्रीमती सुमन शर्मा, अध्यापिका

3. श्रीराम निवास नागर, अध्यापक

तीनों अध्यापकों को उनके पैतृक विभाग (शिक्षा विभाग) के लिए दिनांक 19.1.2006 को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के विकास कार्यों हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

12. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी तीन वर्षों में विकास कार्यों की कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या व कब तक इन योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विकास कार्यों के लिये खर्च की जाने वाली राशि का आंकलन किया गया है? यदि हां, तो किये जाने वाले व्यय के लिये आय के क्या स्रोत रहेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले विकास कार्यों की कोई योजना अलग से तैयार नहीं करायी गई है। विकास कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जेडीए द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों के लिये खर्च किये जाने वाली राशि का आंकलन नहीं किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के व्यय के लिये आय के मुख्य स्त्रोत भूखण्डों का आबंटन/नीलामी/निर्मित सम्पत्तियों की नीलामी, नियमन शुल्क, सीवरेज चार्ज आदि हैं।

(4) जी हां। प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में जन प्रतिनिधियों की अभिशंसा ली जाती है एवं इसके अलावा विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु गठित कमेटी (प्रोजेक्ट वर्क कमेटी) में जन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

बारां जिले की पंचायत समितियों को आबंटित राशि

13. **श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 में ज़िला बारां की किस-किस पंचायत समिति को कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? आबंटन राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समितियों द्वारा उक्त राशि का ग्राम पंचायतों को किस आधार पर आबंटन किया गया? आबंटित राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बारां द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत पंचायत समितियों को वर्ष 2005-06 में जनवरी, 2006 तक राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समितियों द्वारा उक्त राशि का ग्राम पंचायतों को योजनाओं की मार्गदर्शिका के आधार पर परिशिष्ट-2 के अनुसार किया गया है। आबंटित राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की निजी आय में वृद्धि करने हेतु राज्य वित्त आयोग-III के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में पंचायतों के स्वयं के स्तर पर भी पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है।

परिशिष्ट - 1

जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र) बारां द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत पंचायत समितियों को वर्ष 2005-06 में (जनवरी, 2006 तक) आबंटित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम योजना	बारां	अन्ता	अटरू	छबड़ा	छीपा बड़ौद	किशन गंज	शाहबाद
1.	एसजीआरवाई 30%	15.68	22.27	13.46	14.78	15.92	12.08	18.10
2.	सहरिया विशेष रोजगार योजना	-	-	-	-	-	114.86	185.76
3.	बारहवां वित्त आयोग	29.02	41.87	37.40	27.98	40.49	38.11	30.45
4.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1.20	1.80	2.80	1.80	1.00	3.50	3.20
5.	मिड-डे-मील कार्यक्रम	50.00	75.00	54.41	50.00	50.00	59.00	50.00

परिशिष्ट "2"

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(अनुभाग-1)

विभिन्न योजनान्तर्गत पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि आबंटन का आधार संक्षिप्त में नीचे प्रस्तुत है :-

1. **एस.जी.आर.वाई. 30%** - योजनान्तर्गत भारत सरकार से क्षेत्रीय जनसंख्या को आधार मानकर विकास कार्यों के लिए राशि आबंटित की जाती है। पंचायत समिति स्तर पर इस राशि की स्वीकृति एवं उपयोग के लिए क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे जाकर कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित करायी जाती है। इस अनुमोदित कार्य योजना में से क्षेत्र की मांग और प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, लेकिन 30 प्रतिशत के 22.½ राशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यय किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक पंचायत को इस राशि में से राशि आबंटित किये जाने का कोई प्रावधान/मानदण्ड नहीं है।
2. **सहरिया विशेष रोजगार योजना** - बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कुल दो पंचायत समिति क्षेत्र के लिए ही इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में आबंटित राशि का पंचायत समिति स्तर पर क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे जाकर जिला परिषद स्तर पर कार्य योजना का अनुमोदन कराया जाता है। अनुमोदित कार्य योजना में ही स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राशि व्यय की जाती है। प्रत्येक पंचायत को इस राशि में से राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान/मानदण्ड नहीं है।
3. **बारहवां वित्त आयोग** – ग्राम पंचायतों को राशि का आबंटन वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
4. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा में चयनित व्यक्ति के मुख्य कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य है, की मृत्यु होने पर प्रत्येक पात्र आवेदक को 10,000 रुपये

की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस सहायता कार्यक्रम में प्रत्येक पंचायत को अग्रिम स्वरूप राशि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान/ मानदण्ड नहीं है।

5. **मिड-डे-मील कार्यक्रम** – इस कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के नामांकन के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट "3"

पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को वर्ष 2005-06 में आबंटित स्वीकृत राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम योजना	बारां	अन्ता	अटरू	छबड़ा	छीपा बड़ौद	किशन गंज	शाह बाद
1.	एसजीआरवाई 30%	11.11	13.61	13.46	12.66	15.92	12.08	18.10
2.	सहरिया विशेष रोजगार योजना	-	-	-	-	-	74.37	83.85
3.	बारहवां वित्त आयोग	22.91	33.05	29.53	22.09	31.97	36.42	24.05
4.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.90	1.80	2.30	2.50	1.30	2.90	4.10
5.	मिड-डे-मील- कार्यक्रम	52.73	49.93	39.93	51.00	51.43	70.82	50.42

नोट :—

(1) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बी.पी.एल. चयनित परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आश्रित को 10,000/- रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंचायतवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है और न ही ग्राम पंचायतों को राशि आबंटन किया जाता है।

(2) मिड-डे-मील कार्यक्रम में पोषाहार की राशि पंचायत समितियों द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

प्रदेश के संरक्षित स्थानों के संरक्षण हेतु आबंटित राशि

14. श्री अमराराम (धोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गत दो वर्षों में संरक्षित स्थानों के संरक्षण हेतु कितनी राशि किस-किस स्थान हेतु आबंटित की गई तथा किस-किस कार्य पर राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें1

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि के व्यय किये जाने हेतु सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दिशा निर्देशों के अनुरूप उक्त राशि व्यय नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों व इस हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में विभिन्न स्थानों पर संरक्षण कार्यों हेतु आबंटित राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) संरक्षित स्थानों के संरक्षण कार्यों हेतु जिस संरक्षित सम्पत्ति का कार्य किया जाना होता है, उसके निमित्त बने अधिनियमों/नियमों के तहत संरक्षित कार्य कराये जाते हैं यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अधिनियम। पृथक से पर्यटन विभाग की ओर से कोई दिशा निर्देश उक्त कार्यों के लिए जारी नहीं किये गये हैं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

पर्यटन विभाग को वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 मे स्मारकों के संरक्षण हेतु आबंटित राशि एवं व्यय की सूचना :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि
1.	तारागढ़ किले अजमेर में सीढ़ियों का निर्माण	9.44	2.75
2.	मूसी रानी की छतरी. अलवर	1.50	0
3.	महारानी की छतरी, जयपुर	2.68	0
4.	किशोरी महल. भरतपुर	3.00	1.50
5.	फतेहजंग गुम्बद. अलवर	8.00	7.78
6.	किराडु मंदिर. जिला बाड़मेर	33.34	33.34
7.	अकबर कोस मीनार, जयपुर	7.39	5.16
8.	विराट नगर. जयपुर	16.67	6.52
9.	फतेहप्रकाश, चित्तौडगढ़	12.00	12.00
10.	गढ़ पैलेस, झालावाड़	4.17	2.94
11.	पटवों की हवेली, जैसलमेर	20.00	20.00
12.	कामरा खास, भरतपुर	32.33	32.33
13.	अमरसिंह राठौड़ की छतरी, नागौर	11.77	10.91
14.	अलबर्ट हाल का संरक्षण, जयपुर	58.33	17.55
15.	जंतर मंतर का संरक्षण, जयपुर	6.67	5.23
16.	नाहरगढ़ किले का संरक्षण, जयपुर	7.00	1.33
17.	आमेर किले का संरक्षण, जयपुर	26.66	26.66
18.	सूर्य मंदिर, झालावाड़	20.00	0
19.	गागरोन किला, झालावाड़	20.00	0
20.	कोल्वी गुफाएं चन्द्रभागा आदि अन्य पर्यटन स्थल	20.00	0
21.	फूल बावड़ी छोटी खाटू	5.00	0
22.	तालाबशाही. धोलपुर स्थित प्राचीन महल	30.00	0
23.	मुगल गेट. विराट नगर	0.15	0

पेंशन प्राप्त विकलांगों एवं विधवाओं हेतु निःशुल्क गेहूं वितरण

15. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त विकलांगों एवं विधवाओं को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इसके लिए कितना बजट प्रावधान रखा गया तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई?

(2) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने पेंशन प्राप्त विकलांग एवं विधवाएं हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। इन्हें 10 किलो प्रतिमाह की दर से वर्ष 2005-06 के लिए कितना गेहूं चाहिए था?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा के अनुसार गेहूं उपलब्ध करवाने हेतु कोई परिपत्र अथवा निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश अथवा परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग की रिवाइज एसटीमेट 2005-06 में इसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) पेंशन प्राप्त विकलांग एवं विधवाओं की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन्हें 10 किलोग्राम प्रतिमाह गेहूं उपलब्ध कराने के लिए 3 हजार मैट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह चाहिए।

(3) जी हां।

आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर के विकास हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त ऋण

16. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) क्या यह सही है कि सरकार अजमेर में एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से कार्य करवा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कर्ज लेते समय सरकार द्वारा क्या-क्या शर्तें तय की गईं तथा कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या थी।

(3) क्या कार्य समय पर हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि काम स्वीकृति से कम किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार जवाबदेही तय कर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर अजमेर शहर में करवाये जा रहे हैं कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) कर्ज लेते समय अनुबन्ध की शर्तें परिशिष्ट 'ख' पर है। परियोजना अवधि, जून 2005 थी अब एशियन विकास बैंक द्वारा परियोजना अवधि बढ़ाकर मार्च, 2008 कर दी गई है।

(3) यह सही है कि कार्यों में विलम्ब हुआ है जिसका मुख्य कारण घनी आबादी वाली बस्तियों में कार्य होना, गहरी खुदाई में चट्टाने एवं भूमिगत जल का आना, भूमि अवाप्ति में विलम्ब, सीमेन्ट एवं लोहे की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि आदि है। फिर भी जहां कहीं भी संवेदक के स्तर पर संभावित विलम्ब प्रतीत हुआ है वहां पर संविदा की शर्तों के अनुसार पैनल्टी आरोपित की गई है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	पैकेज सं.	कार्य का नाम
1.	डब्ल्यू एस-01	घूघरा घाटी पर 3 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय व 7.25 लीटर क्षमता का भूतल जलाशय एवम् घूघरा घाटी, नयाघर, कल्याणीपुरा व गुलाबबाडी आदि कालोनियों में पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य।
2.	डब्ल्यू एस-02	एस आर-7 से अलवर गेट तक मुख्य पानी की सप्लाई लाइन डालने का कार्य
3.	डब्ल्यू एस-03	अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य तोपदड़ा, चौरसियावास, रातीडांग, आतेंड, माखुपुरा, फायसागर रोड एरिया, वैशाली नगर, सरस्वती नगर, कल्याणीपुरा आदि।
4.	डब्ल्यू एस-04	अजमेर शहर में स्थिति विभिन्न दस कालोनियों में उच्च जलाशर्यो एवं पम्प हाउसों का निर्माण कार्य (माखुपुरा, फायसागर, वैशालीनगर, रातीडांग, आंतेड, चौरसियावास, तोपदड़ा, शक्तिनगर, सरस्वतीनगर व कल्याणीपुरा)
5.	डब्ल्यू डब्ल्यू- 03	आनासागर क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य (रातीडांग, वैशालीनगर, इनकम टैक्स कालोनी, आंतेड, हरीभाउ उपाध्याय नगर, नोसर, ऋषिघाटी आदि)
6.	डब्ल्यू डब्ल्यू- 04	शास्त्रीनगर, एलआईसी कालोनी, आनन्द नगर, शान्तिनगर, सिविल लाईन्स, मीरशाह अली कालोनी, पुलिस लाइन आदि में सीवर लाइन डालने का कार्य।
7.	डब्ल्यू डब्ल्यू- 05	तोपदड़ा, गुलाबबाड़ी, पलटन बाजार, पाल बीछला, शक्तीनगर नाका मदार, धोलाभाटा, कुन्दन नगर, मेयो कालेज क्षेत्र आदि में सीवर लाइन डालने का कार्य।
8.	डब्ल्यू डब्ल्यू- 06	पहाड़गंज, रामगंज, भगवानगंज, ब्यावर रोड, केसरगंज, अजयनगर, सुभाष नगर, खेल नगर, चन्द्रबरदाई नगर आदि में सीवर लाइन डालने का कार्य।

क्र.सं.	पैंकेज सं.	कार्य का नाम
9.	डब्ल्यू डब्ल्यू– 08	जोन्सगंज, गढ़ी मालियान, सुभाष नगर, आर्दश नगर, नारीशाला रोड, अंगीरा नगर आदि में सीवर लाइन डालने का कार्य।
10.	डी आर - 01	काजी का नाला, वैशाली नगर डाईवेजन चैनल, महावीर कालोनी नाला, भोंपों का बाडा नाला, मेहन्दी खोला नाला, गंज नाला, कचहरी रोड नाला आदि नालों का निर्माण कार्य
11.	डी आर– 02	आनासागर एस्केप चैनल, मसूदा नाडी, बांडी नदी नालों एवं सेंदरिया में लैण्ड फिल साइट का निर्माण कार्य
12.	एफ आर 01	देहली गेट लौंगिया व सेदरिया में फायर स्टेशनों का निर्माण कार्य
13.	एस टी - 02	ब्यावर रोड रामगंज से ट्रांसपोर्ट नगर का चारलेनीकरण और मार्टिन ब्रिज का भुजा निर्माण
14.	एस टी - 03	जयपुर रोड, बस स्टैण्ड से यूनिवर्सिटी तिराहा तक सड़क चौडी करने का कार्य
15.	बीआर - 03	सीआरपीएफ रेलवे क्रासिंग पर आरओबी का निर्माण कार्य
16.	एस आई - 01	अजमेर शहर में स्थित विभिन्न आवासीय बस्तियों में सड़क एवं नाली निर्माण तथा पानी की पाइप लाइन का कार्य।
17.	एम एस - 01	आदर्श नगर में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण कार्य

परिशिष्ट-ख

एशियाई विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण अदायगी की मुख्य शर्तें

1) राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण राशि नगर स्थानीय निकायों के परियोजना कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, उसके लिये राज्य सरकार एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के मध्य ऋण समझौता हस्ताक्षरित होगा एवं उसकी मुख्य शर्तें में संशोधन अथवा समाप्त करना बिना बैंक की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

2) सलाहकारों की नियुक्ति एवं निर्माण अथवा सामग्री हेतु अनुबन्ध आदि बैंक की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किया जायेगा।

3) परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था

क) मंत्री, नगरीय विकास की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन एवं उस समिति को राज्य सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रदान करना।

ख) इस परियोजना की कार्यपालन एजेन्सी नगरीय विकास विभाग होगा, जो इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।

ग) इस परियोजना का प्रबन्धन एवं समन्वय परियोजना प्रबन्धन इकाई के द्वारा होगा। इस इकाई का प्रमुख परियोजना निदेशक होगा जिसकी सहायता के लिए योग्य व अनुभवी स्टॉफ लगाना एवं यह परियोजना अवधि के लिए नियुक्त होंगे।

घ) प्रत्येक परियोजना शहर में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी जो परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विस्तृत अभिकल्पन (design) के 15 माह के पश्चात तक उस कार्य हेतु समस्त आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। परियोजना की पुर्नवास योजना में शामिल नहीं होने वाले अपरिहार्य अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रबन्धन के लिये नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तदानुरुप परिवर्तित करें।

5) बैंक द्वारा सुझाये गये नीतिगत, संस्थागत एवं वितीय सुधारों को, तय की गई समय सारणी अनुसार राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करना।

6) राज्य सरकार द्वारा जनसहभागिता बाबत एक नीति क्रियान्वित की जायेगी जिसमें कच्ची बस्तियों में महिलाओं के लिए लघु ऋण, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम एवं जनता द्वारा नागरिक सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करना शामिल हो।

7) परियोजना के शहरों के स्थानीय निकायों के राजस्व सुधार हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें निम्न भी शामिल होंगे :-

क) गृहकर एवं भूमि व भवन कर का यौक्तिकीकरण (rationalisation) करना। गृहकर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार जिससे की वार्षिक किराये मूल्य में संशोधन एवं आत्म मूल्यांकन (self assessment) को बाध्य किया जा सके।

ख) नगर निगम/परिषद की राजस्व में बढ़ोत्तरी हेतु अन्य उपाय जैसे की भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, नगर निगमों/परिषदों की सम्पत्तियां, जो किराये पर दी गई हो, से बाजारी दर पर किराया वसूल करना।

ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त परियोजना शहरों की नगर निगमों/परिषदों का क्लोजिंग बेलेन्स 2004 तक सकारात्मक हो।

8) राज्य सरकार के द्वारा जल आपूर्ति में अनुदान घटाया जाये जिससे कि परियोजना शहरों की जलदाय योजनाएं वित्तीय सम्पोषणता (Financial sustainability) प्राप्त कर सकें। इसके लिए निम्न कार्य अपेक्षित हैं :-

क) ऐसे उपाय किये जाय जिससे की मार्च, 2004 तक गैर राजस्व जल घटकर 30 प्रतिशत से अधिक न हो। इनमें कलेक्शन इफीशियेन्सी (Collection Efficiency) में सुधार कर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने एवं जल आपूर्ति विच्छेद नीति के क्रियान्वयन जैसे उपाय शामिल हों।

ख) जल की दर में इस प्रकार वर्ष 2001 से निरन्तर वृद्धि की जाये जिससे कि मार्च, 2005 तक पूर्ण संचालन-संधारण लागत की वसूली उपभोक्ताओं से हो सके एवं वर्ष 2011 तक संचालन अनुपात (operation ratio) 1.2 प्राप्त किया जा सके।

9) राज्य सरकार के द्वारा परियोजना शहर के सिवरेज व्यवस्था के संचालन-संधारण व्यय हेतु पर्याप्त कर राजस्व सुनिश्चित कर इसके लिए विशेष रूप से आबंटित की जायेगी।

10) उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं बैंक की सहमति से परियोजना शहरों की क्षमता निर्माण हेतु एक योजना नवम्बर, 1999 तक तैयार की जाय जो निर्धारित समय सारणी के अनुसार क्रियान्वित हो।

11) निम्न परिस्थितियों में बैंक के द्वारा ऋण निरस्त किया जा सकता है :-

(अ) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा किसी अनुबन्ध में, जैसे सामग्री क्रय, सलाहकारों की नियुक्ति या कार्य क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है अथवा आपत्तिजनक प्रक्रिया अपनाई गई हो एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा समय पर एवं समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

(ब) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में ऋण समझौते में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

12) ऋण खाते में से राशि निकालने की अंतिम तारीख 30 जून, 2005 होगी, अथवा अन्य दिनांक जो बैंक एवं भारत सरकार की सहमति से निर्धारित की जायें।

13) इस परियोजना के लेखों का अलग से संधारण होगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद परियोजना लेखों का अंकेक्षण बैंक की सहमति से नियुक्त स्वतंत्रता अंकेक्षणकर्ता के द्वारा कराया जाकर बैंक को प्रेषित करना होगा।

प्रोजेक्ट "करिश्मा" की क्रियान्विति हेतु व्यय राशि

17. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में प्रोजेक्ट "करिश्मा" की शुरुआत कर दी गई है? यदि हां, तो कब से? इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट को कितने चरणों में किस समयावधि में पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है तथा वह राशि कहां से प्राप्त होगी?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) उपरोक्त प्रोजेक्ट में प्रारम्भ से अब तक कितनी राशि किन-किन पंचायतों पर कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, करिश्मा प्रोजेक्ट दिनांक 9.12.2005 को प्रारम्भ किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को एक कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर व एक यूपीएस मय एप्लीकेशन साफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त पंचायत सम्बन्धित पंचायत समिति व जिला परिषद व पंचायती राज मुख्यालय से जुड़ जायेंगे।

(2) उक्त प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्ण कर लिया जावेगा।

(3) वर्तमान प्रोजेक्ट में राशि रुपये 23.38 करोड़ का प्रावधान है। यह राशि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन एवं लेखा संधारण को सुव्यस्थित करने हेतु प्राप्त राशि में से व्यय की जा रही है।

(4) परियोजना पर अभी कार्य प्रारम्भ हुआ है। परियोजना की क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित एजेन्सी जो भारत सरकार का राजकीय उपक्रम है, को 4.66 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम दी गई है। फिलहाल व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इलेक्ट्रोनिक्स मीटरिंग से प्राप्त राजस्व में वृद्धि

18. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोनिक्स मीटर लगाने से विद्युत राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत एवं निगम को हुए इस लाभ से उपभोक्ताओं पर कितना आर्थिक भार पड़ा?

(2) राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रसारण में कितने प्रतिशत हानि (छीजत) होती है एवं महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा में ट्रांसमिशन लॉस कितना प्रतिशत है? सरकार द्वारा ट्रांसमिशन छीजत कम करने हेतु क्या योजना बनायी गयी है?

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(3) यह सही है कि पूर्व के किन्हीं वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस.आई.) तथा इलेक्ट्रोनिक टेस्ट एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन (ई.टी.डी.सी.) से विद्युत ट्रांसफार्मरों की प्रमाणिकता जांच करवाई जाती थी? यदि हां, तो क्यों? क्या वर्तमान में विद्युत ट्रांसफार्मर का आई.एस.आई. तथा ई.टी.डी.सी. से प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रो-मेकेनिकल मीटरिंग में कालान्तर में उत्पन्न हानियों को रोकने के लिये कालातीत त्रुटि रहित इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाने से विद्युत अंकन में बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रोनिक मीटर का मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपेक्षाकृत सही विद्युत अंकन है। अतः इलेक्ट्रो-मेकेनिकल मीटरों की जगह इलेक्ट्रोनिक मीटर लगे उपभोक्ताओं को आर्थिक भार की बजाय अंकेक्षण/अडिट चार्ज से उत्पन्न कठिनाई तथा संभावित त्रुटिपूर्ण विद्युत अंकन से राहत मिली है। तीन वर्षों में विद्युत विक्रय एवं राजस्व निर्धारण के निगम वार आंकड़े निम्न रहें :-

अजमेर डिस्काम

वर्ष	विद्युत विक्रय (एम.यू. में)	राजस्व (करोड़ों में)
2003-04	4863.78	1653.86
2004-05	5412.84	1815.98
2005-06 (दिस. 05 तक)	4380.21	1661.33
जोधपुर डिस्काम		
वर्ष	विद्युत विक्रय (एम.यू. में)	राजस्व (करोड़ों में)
2003-04	4146.72	1326.00

(ऊर्जा मंत्री)

वर्ष	विद्युत विक्रय (एम.यू. में)	राजस्व (करोड़ों में)
2004-05	4738.46	1429.56
2005-06 (दिस. 05 तक)	2558.80	841.29
जयपुर डिस्काम		
वर्ष	विद्युत विक्रय (एम.यू. में)	राजस्व (करोड़ों में)
2003-04	5625.17	1876.11
2004-05	6317.02	2255.94
2005-06 (दिस. 05 तक)	5141.28	1988.96

(2) तीनों विद्युत वितरण निगमों में वर्ष 2005-06 (माह दिसम्बर-05 तक) अनुमानित छीजत निम्न प्रकार रही :-

1. अजमेर निगम 39.95 प्रतिशत
2. जयपुर निगम 35.77 प्रतिशत
3. जोधपुर निगम 40.30 प्रतिशत

महाराष्ट्र पंजाब, हरियाणा में ट्रांसमिशन लॉस से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। ट्रांसमिशन छीजत कम करने हेतु निम्न योजनाएं बनाई गई है।

1. नये 33/11के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण।
2. एच.वी.डी.एस./एफ.आर.पी./ए.पी.डी.आर.पी. योजनाओं की क्रियान्विति द्वारा।
3. अरबन फोकस एवं इण्डस्ट्रीयल फोकस की योजनाओं की क्रियान्विति द्वारा
4. एल.टी. लैस सिस्टम की स्थापना।

(ऊर्जा मंत्री)

5. विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में नंगे तारों की लाइनों को ए.बी.सी. केबल से बदलना।

6. सघन एवं लगातार विजिलंस चैकिंग की क्रियान्विति द्वारा

7. 11 के.वी. एवं एल.टी. लाइनों के तारों को उच्च क्षमता के तारों में बदलना।

8. पर्याप्त क्षमता के कैपेसिटरों की स्थापना।

9. 11/04 के.वी. ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित करना।

(3) जी नहीं। पूर्व में भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस.आई.) तथा इलेक्ट्रोनिक टेस्ट एवं डवलपमेंट कारपोरेशन (ई.टी.डीसी) से विद्युत ट्रांसफार्मरों की प्रमाणिकता की जांच नहीं करवाई गई। वर्तमान में भी भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस.आई.) तथा इलेक्ट्रोनिक टेस्ट एवं डवलपमेंट कारपोरेशन (ई.टी.डी.सी.) से विद्युत ट्रांसफार्मरों की प्रमाणिकता की जांच नहीं करवाई जाती है। लेकिन पूर्ववर्ती रा.रा.वि.म. द्वारा ट्रांसफार्मरों का टाइप टेस्ट करवाया जाता था। वर्तमान में टाइप टेस्ट के लिए सी.पी.आर.आई. (बैंगलोर/भोपाल/ एन.टी.एच. गाजियाबाद/ई.आर.डी.ए. बडौदा के प्रमाण पत्र मान्य है।

परिशिष्ट - "अ"

Central Electricity Authority — General Review 2005

Table No. 5.3 (Contd.)

STATEWISE SYSTEM LOSSES DURING 2003-04

ENERGY SENT OUT TO/SOLD TO

(GWh)

State/ U. Ts.	Ultimate Consumers within the State	Other States/ DVC Including outside the country	Total (7+8)	Transformation & Distribution Losses & Energy unaccounted for Quantum (GWh)% age	
	7	8	9	(6-9)	To Column 6
Haryana	12915.72	0.00	12915.72	6098.14	32.07
Himachal Pradesh	2736.92	1604.15	4341.07	1279.34	22.76

State/ U. Ts.	Ultimate Consumers within the State	Other States/ DVC Including outside the country	Total (7+8)	Transformation & Distribution Losses & Energy unaccounted for Quantum (GWh)% age	
	7	8	9	(6-9)	To Column 6
Jammu & Kashmir	3534.20	259.86	3794.06	3172.55	45.54
Punjab	22125.30	549.72	22675.02	7951.64	25.96
Rajasthan	14691.24	587.24	15278.48	11878.78	-
Uttar Pradesh	26659.62	550.54	27210.16	14764.30	35.17
Uttaranchal	2662.45	834.50	3496.95	3390.68	49.23
Chandigarh	816.41	16.87	833.28	534.19	39.06
Delhi	11903.26	1541.81	13445.07	10417.31	43.66
B.B.M.B.	0.00	11271.10	11271.10	139.03	1.22
Northern Region				59625.96	37.48
Gujarat	37971.72	0.00	37971.72	12125.54	24.20
Madhya Pradesh	15907.83	7.17	15915.00	11263.42	41.44
Chhattisgarh	5420.83	830.70	6251.53	4629.69	42.55
Maharashtra	51823.90	0.76	51824.66	26843.34	34.12
Goa	1376.66	140.76	1517.42	1243.94	45.05
D. & N. Haveli	1546.52	0.00	1546.52	274.96	15.10
Daman & Diu	917.35	0.00	917.35	186.33	16.88
Western Region				56567.22	32.94

State/ U. Ts.	Ultimate Consumers within the State	Other States/ DVC Including outside the country	Total (7+8)	Transformation & Distribution Losses & Energy unaccounted for Quantum (GWh)% age	
	7	8	9	(6-9)	To Column 6
Andhra Pradesh	34165.97	4.04	34170.01	13109.36	27.73
Karnataka	23143.17	0.00	23143.17	7027.93	23.29
Kerala	9093.10	25.33	9118.43	2516.57	21.63
Tamil Nadu	39240.21	275.00	39515.21	8188.02	17.16
Lakshad weep	18.96	0.00	18.96	2.55	11.85
Pondicherry	1794.47	0.00	1794.47	235.56	11.60
Southern Region				31079.99	22.31
Bihar	3730.34	20.11	3750.45	2170.73	36.66
Jharkhand	7774.11	217.91	7992.02	2713.88	25.35
Orissa	7157.48	117.65	7275.13	9680.25	57.09
West Bengal	17815.87	2430.86	20246.73	9100.53	31.01
D.V.C.	0.00	9762.62	9762.62	269.89	2.69
A. & N. Islands	113.21	0.00	113.21	39.67	25.95
Sikkim	182.24	0.00	182.24	222.66	54.99
Eastern Region				24197.61	33.12
Assam	1920.38	0.00	1920.38	1243.99	39.31
Manipur	175.38	0.00	175.38	328.35	65.18

State/ U. Ts.	Ultimate Consumers within the State	Other States/ DVC Including outside the country	Total (7+8)	Transformation & Distribution Losses & Energy unaccounted for Quantum (GWh)% age	
	7	8	9	(6-9)	To Column 6
Meghalaya	797.02	7.72	804.74	161.66	16.73
Nagaland	136.24	0.00	136.24	166.52	55.00
Tripura	414.26	33.20	447.46	388.00	46.44
Arunachal Pradesh	125.00	0.00	125.00	113.26	47.54
Mizoram	129.90	00.0	129.90	162.26	55.54
North Eastern Region				2564.04	38.64
All India				174034.82	32.53

सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर कृषकों से ब्याज वसूली

19. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं में कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं?

(2) नाबार्ड से प्राप्त विभिन्न कृषि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज दर और किसानों को दिये गये ऋणों पर ब्याज दर में लगभग 06 प्रतिशत संस्थापन व्यय के रूप में सहकारी बैंकों द्वारा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस राशि को कम कर किसानों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस रूप में व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नाबार्ड द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों से विभिन्न योजनाओं में वसूल की जा रही ब्याज दर निम्नानुसार है :-

(अ) अल्पकालीन फसली ऋण : 5-50 प्रतिशत वार्षिक

(ब) निवेश ऋण : 6.00 से 6.75 प्रतिशत वार्षिक

दिनांक 7.2.2006 से नाबार्ड द्वारा निवेश ऋणों पर ब्याज दर में वृद्धि कर 6.50 प्रतिशत से 7.00 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। उद्देश्यवार विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) सहकारी बैंकों द्वारा किसान को कृषि ऋण निम्न ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं :-

(अ) अल्पकालीन कृषि ऋण : 11.50 प्रतिशत वार्षिक

(ब) निवेश ऋण : 9.50 प्रतिशत से 10.00 प्रतिशत वार्षिक

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-एक में दर्शाया गया है।

(3) यह सही है कि अल्पकालीन फसली ऋणों में नाबार्ड से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर एवं अंतिम ऋणों से ली जाने वाली ब्याज दर में 6.00 प्रतिशत का अन्तर है। लेकिन निवेश ऋणों में यह अन्तर 3.50 से 3.75 प्रतिशत का ही है।

नाबार्ड से अल्पकालीन फसली ऋणों के तहत 30 प्रतिशत राशि का ही पुनर्वित उपलब्ध होता है। जबकि शेष राशि बैंकों को अमानत आदि संग्रह कर लगानी होती है, जिसकी लागत नाबार्ड से प्राप्त उधारों पर निर्धारित ब्याज दर से काफी अधिक होता है।

(4) जी नहीं। सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण सहकारी साख ढांचे के त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सभी स्तर पर ब्याज के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः मार्जिन की उपलब्धता को देखते हुए तथा नाबार्ड द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने पर ही भविष्य में ब्याज दरों में कमी किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट - एक

THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LTD, JAIPUR
RATE OF INTEREST ON INVESTMENT CREDIT UNDER FARM AND NON-FARM SECTORS TO BE CHARGED AT VARIOUS LEVELS

S.No.	PURPOSE	LOAN SIZE	BY DCCB FROM		BY RSCB FROM DCCB w.e.f. 01.04.2005		BY NABARD FROM RSCB w.e.f. 16.03.2005
			Direct Borrower	PACS	Direct	Through PACS	
	1	2	3	4	7	8	11
1	Minor Imigation, Dry Land Farming, Land Development, Waste land development, SGSY, SHGs, SC-ST Action Plan, Organic Farming, Contract Farming under Agri Export Zone, Aromatic & Medicinal Plants, Farm Mechanisation	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
		Rs. 50,001/- to Rs. 2.00 Lacs	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
		Above Rs. 2.00 lacs.	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
2	Cold Storage, Rural Godowns, & Other Purposes	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%

S.No.	PURPOSE	LOAN SIZE	BY DCCB FROM		BY RSCB FROM DCCB w.e.f. 01.04.2005		BY NABARD FROM RSCB w.e.f. 16.03.2005
			Direct Borrower	PACS	Direct	Through PACS-	
	1	2	3	4	7	8	11
		Rs. 50.001/- to Rs. 2.00 Lacs	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
		Above Rs. 2.00 lacs.	10.00%	8.50%	7.25%	7.00%	6.75%
3	Agri-Clinic and Agri-business	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
		Rs. 50,001/- to Rs. 2.00 Lacs	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
		Above Rs. 2.00 lacs.	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
4	Non– Farm Sector	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
		Rs. 50,001/- to Rs. 2.00 Lacs	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
		Above Rs. 2.00 lacs.	10.00%	8.50%	7.50%	6.75%	6.50%

S.No.	PURPOSE	LOAN SIZE	BY DCCB FROM		BY RSCB FROM DCCB w.e.f. 01.04.2005		BY NABARD FROM RSCB w.e.f. 16.03.2005
			Direct Borrower	PACS	Direct	Through PACS	
	1	2	3	4	7	8	11
5	Rural Housing	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%
		Rs. 50,001/- to Rs. 2.00 Lacs	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
		Above Rs. 2.00 lacs.	10.00%	8.50%	7.25%	6.50%	6.25%
6	Swarojzar Credit Card	Upto Rs. 50,000/-	9.50%	8.00%	6.75%	6.25%	6.00%

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले की कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि एवं भवनों की पंजीयन दरें

1. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र की कृषि, आवासीय व वाणिज्यिक भूमि एवं भवनों की पंजीयन दरें क्या निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंजीयन दरों में बढ़ोतरी का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर पंजीचन दर 1% तथा अधिकतम 25,000/- रुपये देय है। यह दर सम्पूर्ण प्रदेश की सभी श्रेणी की भूमियों पर लागू है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

बारां जिले के अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरण

2. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में जिला बारां में मृत राज्य कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्तियां किस-किस विभाग में दी गईं? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में किस-किस विभाग में आज तक भी अनुकम्पात्मक नियुक्तियों के आवेदन किन-किन कारणों से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन अधिकारियों की वजह से मृत आश्रित

(श्री हेमराज मीणा)

कर्मचारियों के परिवार को नौकरी नहीं मिल पाई, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बारां जिले के विभिन्न विभागों में विगत 5 वर्षों में मृत राज्य कर्मचारियों के कुल 189 आश्रितों को नियुक्तियां दी गई। विभागवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिले के विभिन्न विभागों में दिनांक 25.2.2006 तक कुल 33 आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु लम्बित है। सूची कारण सहित परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है1

(3) बिन्दु 2 में दर्शाये गये प्रकरण किसी अधिकारी विशेष की गलती के कारण लम्बित नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	विभाग का नाम	आश्रितों की संख्या जिन्हें नियुक्ति दी गयी
1.	कार्या. जिला कलक्टर, बारां	52
2.	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग बारां	03
3.	उप निदेशक (कृषि) विस्तार बारां	02
4.	अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग बारां	02
5.	अधिशासी अभियन्ता राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां	01
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां	02
7.	अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां	06
8.	उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग बारां	01
9.	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बारां	01

क्र.सं.	विभाग का नाम	आश्रितों की संख्या जिन्हें नियुक्ति दी गयी
10.	सहायक निदेशक, अभियोजन बारां	01
11.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) बारां	21
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बारां	06
13.	प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां	01
14.	सहायक रजिस्टार सहकारी समितियां बारां	02
15.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्र) बारां	04
16.	मण्डल वन अधिकारी बारां	06
17.	प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय बारां	02
18.	जिला आबकारी अधिकारी बारां	01
19.	जिला आयुर्वेद अधिकारी बारां	10
20.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां	45
21.	पुलिस अधीक्षक बारां	09
22.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बारां	05
23.	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत बारां	06
		189

परिशिष्ट- "ब"

बारां जिले में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने से लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण

क्रम सं.	नाम कार्यालय जहां आवेदन लम्बित हैं	मृतक कमर्चारी के आश्रित का नाम	आवेदन लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां	1. आदित्य सिंह	आयु सीमा में शिथिलता बरतने हेतु निदेशालय बीकानेर के स्तर से विचाराधीन
		2. जितेन्द्र बागोरिया	——"——
		3. मनुबाई	दो से अधिक संतान होने से शिथिलता बरतने हेतु निदेशालय बीकानेर के स्तर से
2	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बारां	श्री शफराज	नियुक्ति अधिकारी आयुक्त कालेज शिक्षा जयपुर के स्तर से
3.	उप निदेशक कृषि विभाग	1. अभिषेक पारीक	मेल नर्स के पद पर नियुक्ति चाहने के कारण विभाग के स्तर पर (निदेशालय) लम्बित है।
		2. अरूण कुमार	क.लि. का पद रिक्त नहीं होने के कारण निदेशालय स्तर पर लम्बित है।

1	2	3	4
4.	अधिशासी अभियन्ता दायी नहर खण्ड-11 सी.ए.डी. अन्ता	1. श्री मोड्र लाल 2. कु. रतना स्वामी 3. नाथू लाल 4. गंगाधर 5. धनराज	नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नियुक्तियां नहीं दी जा सकी हैं।
5.	मण्डल वन अधिकारी बारां	1. रामचन्द्र मीणा	नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उच्च अधिकारी को प्रेषित होने से लम्बित
		2. जगदीश प्रसाद	प्रार्थी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण लम्बित
6.	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि. विभाग बारां	1. तुषार अग्रवाल	आवेदन नाबलिक होने से आवेदन पत्र विभाग को भेजा गया है।
		2. सत्यनारायण	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी सा.नि.वि. जयपुर द्वारा आवेदन पत्र के भाग 5 (2) का संशोधित प्रमाण-पत्र चाहा है।
7.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (बारां)	1– ललित कुमार वर्मा 2– देवेजा शर्मा 3- हेमन्त कुमार नामा 4- नफीस खान	समस्त आवेदन पत्र आयुक्त शिक्षा विभाग बीकानेर के स्तर पर विचाराधीन है।

1	2	3	4
		5– जितेन्द्र कुमार	सेवा समाप्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में स्थानीय कार्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
8.	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत बारां	1. श्री शिवराज 2. श्री योगेश्वर नागर 3. श्रीमती ज़गन्नाथीबाई 4. श्री रामनिवास 5. श्री चन्द्र प्रकाश 6. श्री बाबूलाल 7. श्रीमती भगवती 8. श्री महावीर प्रसाद 9. श्री ललित किशोर शर्मा 10. श्री दीपक गुप्ता 11. श्री हरिमहेन्द्र 12. श्रीमती सूरजदेवी	उक्त समस्त प्रकरणों में प्रार्थीगण एवं सम्बन्धित कार्यालयों के स्तर से आक्षेपों का निराकरण नहीं होने से लम्बित है
9.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां	1. श्री रमेश चन्द मीणा	आवेदन पत्र नियुक्ति अधिकारी निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर के स्तर पर लम्बित है।

गांधी पथ, क्वींस रोड, जयपुर की चौड़ाई बढ़ाई जाने हेतु कार्यवाही

3. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वैशाली नगर, क्वींस रोड स्थित गांधी पथ की चौड़ाई वर्तमान में 80 फीट से कम है एवं उक्त सड़क की चौड़ाई 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मकानों एवं दुकानों पर केवल एक तरफ ही लाल निशान लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए केवल एक तरफ से ही जमीन लेकर चौड़ाई बढ़ाया जाना निमयों के अनुरूप है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मार्ग पर लाल निशान लगाये जाने के पश्चात् क्षेत्र के निवासियों को नोटिस नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब तक इस सम्बन्ध में विधिवत नोटिस जारी कर दिये जावेंगे?

(4) क्या सरकार सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर होने वाले नुकसान का सम्बन्धितों को मुआवजा दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि, व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत सेक्टर प्लान के अनुसार गांधी पथ की चौड़ाई 80 फीट निर्धारित है। क्वींस रोड से गांधी पथ मोड पर गांधी पथ की शुरूआत में चौड़ाई वर्तमान में 80 फीट से कम है जिसका कारण सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा सड़क भाग पर अतिक्रमण किया जाना है। सेक्टर प्लान के अनुसार सड़क की निर्धारित चौड़ाई पूरा करने हेतु 80 फीट की चौड़ाई में आ रहे निर्माणों पर सड़क के एक ओर निशान लगा दिये गये हैं एवं दूसरी ओर निशान लगाये जाने शेष हैं जो शीघ्र लगा दिये जायेंगे।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) वर्तमान में निर्धारित चौड़ाई तक सड़क बढ़ाने हेतु एक ओर निशान लगाये गये हैं और इसी प्रक्रिया में दूसरी तरफ निशान लगाये जाने शेष हैं। जी नहीं। एक तरफ से जमीन नहीं ली जा रही है बल्कि निर्धारित सेक्टर प्लान अनुसार 80 फीट सड़क में आने वाली भूमि तक चौड़ाई बढ़ाई जावेगी।

(3) जी हां। सैक्टर प्लान अनुसार निर्धारित सड़क के दोनों ओर निशान लगाये जाने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किये जायेंगे। विधिवत प्रक्रिया पूरा कर, नोटिस जारी करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(4) अतिक्रमण राजकीय सड़क की भूमि पर होने के कारण मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि प्रकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त स्तर पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जावेगा।

लालवास ग्राम (जयपुर) में प्रस्तावित अवैध आवासीय कालोनियां

4. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लालवास, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 124 से 131 पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अनधिकृत सहकारी समितियों के सहयोग से अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम लालवास तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं. 124 से 131 के बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

7114/91 मैसर्स एस.एम.एस. इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड बनाम सरकार व अन्य में अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12.11.1992 के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। जिसकी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पालना की जा रही है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा समय-समय पर स्थानीय पुलिस बल एवं स्थानीय प्रशासन की मदद से समय-समय पर अवैध रूप से सृजित की जा रही कॉलोनियों एवं अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई है। दिनांक 7.12.2005 को भी स्थानीय पुलिस बल की मदद से जविप्रा के प्रवर्तन दस्ते द्वारा अवैध निर्माणों एवं अवैध रूप से सृजित की जा रही कॉलोनियों के सम्बन्ध में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। उक्त क्षेत्र में पुनः कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तर जयपुर शहर एवं जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 6.2.2006 लिखा गया तथा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 22.2.2006 को उक्त क्षेत्र से अवैध रूप से सृजित कॉलोनियों एवं अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं मौके पर शांति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु लिखा गया है।

(3) प्राधिकरण के किसी अधिकारी/कर्मचारी का उक्त अनाधिकृत सहकारी समितियों में इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसाने में कोई सहयोग/भूमिका नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

एस्कार्ट चिकित्सालय, जयपुर को आबंटित भूमि प्रकरण

5. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में एस्कार्टस अस्पताल को कहां एवं कितनी जमीन, किस दर पर आबंटित की गई तथा आबंटित रियायती जमीन का बाजार मूल्य और जयपुर विकास प्राधिकरण की आरक्षित दर क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एस्कार्टस अस्पताल से रिहायशी दर पर जमीन की राशि वसूल की गई है? यदि हां, तो निर्णय किस स्तर पर हुआ?

(3) जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर रिहायशी, कामर्शियल और संस्थाओं के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की आरक्षित दर और बाजार दरें क्या है?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(4) एस्कार्टस अस्पताल की जमीन की कम दर वसूलने के लिये क्या विद्यमान नियमों में कोई रियायत दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि कामर्शियल उपयोग अथवा कामर्शियल संस्था के लिये रियायती दर पर जमीन आबंटन नहीं करना चाहिए? यदि हां, तो क्या इस पृष्ठभूमि में एस्कार्टस को आबंटित भूमि की दरें उचित हैं?

उत्तर

(1) जयपुर में एस्कार्टस अस्पताल को जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर 3 एकड़ एवं 3.68 एकड़ भूमि क्रमशः 82 लाख प्रति एकड़ व 1/- रुपये टोकन मनी पर दिनांक 24.11.1999 आबंटित की गई थी। आबंटित भूमि का कुल क्षेत्रफल 27029.67 व.मी. है। तत्समय जेडीए की आवासीय आरक्षित दर 6000 रुपये प्रति व.मी. तथा व्यावसायिक दर 18000/- रुपये प्रति व.मी. थी। जे.एल.एन. मार्ग पर तत्समय नीलामी न होने के कारण बाजार दर की अलग से जानकारी देना सम्भव नहीं है। तत्पश्चात विनियोजन नीति के तहत दिनांक 8.2.2005 को आवासीय आरक्षित दर 60 प्रतिशत राशि पर आबंटन किया गया। उक्त तिथि को आवासीय आरक्षित दर 6000/- प्रति व.मी. तथा व्यावसायिक दर 12000/- रुपये प्रति. व.मी. थी। जे.एल.एन. मार्ग पर नीलामी नहीं होने के कारण बाजार दर दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य सरकार की नीति के अनुरूप तत्समय प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत दर पर जमीन की राशि वसूल की गई थी। यह निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था।

(3) जवाहर लाल नेहरू मार्ग की वर्तमान आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थानिक दरें क्रमशः रुपये 15000/- प्रति वर्ग मीटर, रुपये 40000/- प्रति वर्ग मीटर एवं रुपये 18750/- प्रति वर्ग मीटर है। जे.एल.एन. मार्ग पर नीलामी नहीं होने के कारण बाजार दर दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) यह आबंटन राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।

(5) इस प्रकरण में राज्य सरकार की नीति के अनुसार 50 करोड़

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

रुपये से अधिक की राशि के विनियोजन एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत दर के आधार पर जमीन का मूल्य उपयुक्त रूप से वसूल किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार

6. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सीमा का विस्तार किया गया है? यदि हां, तो इसमें कहां-कहां, कौन-कौन से गांव सम्मिलित होंगे? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इन गांवों को शामिल करने से पहले सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों की राय ली गई?

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी सीमा में लिया गया है उनके विकास की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई लीज अवधिपार सम्पत्तियां

7. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जयपुर एवं वतर्मान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न सम्पत्तियां किराए अथवा लीज पर दी हुई हैं? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी सम्पत्तियां हैं जो किराए पर दी हुई है? क्या सरकार द्वारा उनका किराया नियमित वसूल किया जा रहा है।

(2) उक्त सम्पत्तियों में से ऐसी कौन-कौनसी सम्पत्तियां हैं जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वे किस-किस संस्था, समूह व व्यक्ति को आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) जिन सम्पत्तियों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिन भूखण्डों/पेट्रोल पम्पों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी लीज अवधि बढ़ाई गई है? यदि हां, तो कब-कब व उनसे कितनी-कितनी राशि वसूल की गई?

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास न्यास/जविप्रा द्वारा किराये/लीज पर दी गई सम्पत्तियों की सूची एवं किराये की स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 6 पर विवरण अंकित है।

(4) सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट - 1

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1.	व्यावसायिक भूखण्ड, 1700 व.ग., विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	मै. राजेन्द्र कुमार प्रेमचन्द जैन	1.4.1970 से 1.3.1971 तक लीज 25.2. 2002	24.2.2101	99 वर्ष के लिए आबंटन 25.2.2002 से 24.2.2101	प्रकरण में राज्यस्तरीय समझौता समिति द्वारा 99 वर्ष की लीज पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमन किये जाने का निर्णय प्रारित होने पर राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् फर्म द्वारा 69 लाख रुपये प्राधिकरण कोष में जमा कराये गये।
2.	पैट्रोल पम्प हेतु मालवीय नगर में	मै. अजीत सर्विस स्टेशन	26.7.1995	25 वर्ष के लिए 25.7.2020	25 वर्ष के लिए नीलामी में आबंटन	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प हेतु मालवीय नगर में नीलामी द्वारा 25 वर्ष की लीज पर भूमि का आबंटन किया गया है।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
3.	2254 व.ग. वेस्टर्न मोटर्स, सांघी पैट्रोल पम्प, एम.आई.रोड	वेस्टर्न मोटर्स सांघी पैट्रोल पम्प	13.1.51	29.2.77	नोटिस जारी किया जा चुका है।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.3.90 तक अवधि बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं कराया गया।
4.	677, व.ग. बदले में पूर्व शर्तानुसार 3333 व.ग. झोटवाड़ा रोड़	प्रेमनाथ मोटर्स प्रा. लि. एम.आई. रोड़, जयपुर	17.12.51	4.11.72	नोटिस जारी किया जा चुका है।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4.11.72 को तीस वर्ष की अवधि बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं कराया गया।
5.	65 व.ग. चांदपोल बाजार	मैसर्स गिरधारी लाल मुंथा. चांदपोल बाहर	17.12.51	12.4.73	नोटिस जारी किया जा चुका है।	12.4.73 को अम्बाबाड़ी में 1111 वर्ग गज भूमि बदले में पूर्व शर्तानुसार आबंटित की गई है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड 1981 की बाढ में बह गया है। प्रार्थी ने दस्तावेज प्रस्तुत कर चौमूं पुलिया के पास नियमन हेतु निवेदन किया है।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
6.	प्लाट नं. 12 सी उर्फ 336 हसनपुरा	ताज मोहम्मद	27.8.1968	27.7.1969	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
7.	15 वर्ग गज भूमि दुकान हेतु हसनपुरा	डा. मंगूलाल वाधवा	1.4.57	1.4.58	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
8.	6x6 वर्ग गज भूमि पी.डब्ल्यू.डी. के पीछे हसनपुरा	लादूराम शर्मा, हसनपुरा	1.4.57	1.4.58	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
9.	91 वर्ग गज भूमि ग्राम हसनपुरा	केसरलाल-शंकरलाल हसनुपरा	18.3.56	18.3.57	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
10.	भूखण्ड संख्या 279 व 278 के बीच खाली पड़ी भूमि, जालूपुरा	श्रीमती रूडी देवी पत्नी अब्दुल खां, जालूपुरा	26.5.69	26.5.70	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
11.	प्लाट नम्बर-36, क्षेत्रफल 66.66 वर्ग गज, जालूपुरा	अलाउद्दीन खान पुत्र ईमाम खां, जालूपुरा	25.10.66	25.10.67	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
12.	133 व.ग. प्लाट नम्बर 279, जालूपुरा	जमरुद्दीन खान पुत्र मेहताब खां जालूपुरा	2.12.59	2.12.60	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
13.	70 व.ग. एम.आई.रोड़, कसाबपुरा	श्री अक्कूराम, खेतान भवन के पीछे, एम. आई. रोड़, कसाबपुरा	1.7.64	1.7.65	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
14.	533.33 व.ग. एम.आई. रोड़, कसाबपुरा	श्री छोटूराम, कसाबपुरा, एम.आई. रोड़	5.5.69	5.5.70	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।
15.	267 व.ग. भूखण्ड संख्या 33, लेबर कालोनी	नारायण लाल पुत्र भंवर लाल	23.9.55	23.9.56	नोटिस जारी किया जा चुका है।	इनकी लीज अवधि नहीं बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं किया गया।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
16.	लाल कोठी क्षेत्र में खालसा भूमि 9 एकड़	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	20.11.1957 (30 वर्षों के लिए)	19.11.1987	प्रश्नगत भूमि 9 एकड का कब्जा जविप्रा को सम्भलवाने हेतु नोटिस दिया गया है।	भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा माननीय न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 22.12.2005 को यथा स्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये।
17.	लाल कोठी क्षेत्र 6700 वर्ग मीटर	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का. लिमिटेड	17.12.1952 (25 वर्षों के लिए)	16.12.1977	प्रश्नगत भूमि 6700 वर्ग मीटर का कब्जा जविप्रा को सम्भलवाने हेतु नोटिस दिया गया है।	लीज 2002 में समाप्त हो गई। जविप्रा द्वारा बेदखली का नोटिस जारी किया गया।

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1.	पैट्रोल पम्प हेतु मालवीय नगर में	मैं: अजीत सर्विस स्टेशन	26.7.95	25.7.2020	लीज अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प हेतु मालवीरय नगर में नीलामी द्वारा 25 वर्ष की लीज पर भूमि का आबंटन किया गया है।
2.	2254 व.ग. वेस्टर्न मोटर्स; सांघी पैट्रोल पम्प, एम.आई.रोड	वेस्टर्न मोटर्स सांघी पैट्रोल पम्प	13.1.51	29.2.77	नोटिस जारी किया जा चुका है।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.3.90 तक अवधि बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं कराया गया।
3.	677 व.ग. चांदपोल बाजार	प्रेमनाथ मोटर्स प्रा.लि. एम.आई. रोड जयपुर	17.12.51	4.11.72	नोटिस जारी किया जा चुका है।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4.11.72 तीस वर्ष की अवधि बढ़ाई गई तथा किराया जमा नहीं कराया गया।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यंक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
4	65 व.ग. चांदपोल बाजार	मैसर्स गिरधारी लाल मुंथा, चांदपोल बाहर	17.12.51	12.4.73	नोटिस जारी किया जा चुका है।	12.4.73 को अम्बाबाड़ी में 1111 वर्ग गज भूमि पूर्व शर्तानुसार आबंटित की गई है1 वर्तमान में उक्त भूखण्ड 1981 की बाढ़ में बह गया है। प्रार्थी ने दस्तावेज प्रस्तुत कर चौंमू पुलिया के पास नियमन हेतु निवेदन किया है।
5.	लाल कोठी क्षेत्र में खालसा भूमि 9 एकड़	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	20.11.1957 (30 वर्षो के लिए)	19.11.1987	प्रश्नगत भूमि 9 एकड़ का कब्जा जविप्रा को सम्भालवाने हेतु नोटिस दिया गया है।	भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा माननीय न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दिनांक 22.12.05 को यथा स्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये।

क्र. सं.	लीज या किराये पर दी गई सम्पत्ति का विवरण	आबंटित संस्था समूह या व्यक्ति का नाम	लीज/किराये की दिनांक	लीज अवधि की समाप्ति की दिनांक	लीज अवधि समाप्ति पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
6.	लाल कोठी क्षेत्र 6700 वर्ग मीटर	हिन्दुस्तान पेट्रोलियत कों. लिमिटेड	17.12.1952 (25 वर्षो के लिए)	16.12.1977	प्रश्नगत भूमि 6700 वर्ग मीटर का कब्जा जविप्रा को सम्भालवाने हेतु नोटिस दिया गया है।	लीज 2002 में समाप्त हो गई। जविप्रा द्वारा बेदखली का नोटिस जारी किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित रिंग रोड़ निर्माण

8. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में रिंग रोड़ का कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या उक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का है?

(2) उक्त कार्य किस निदेशक के अधीन करवाया जा रहा है? निदेशक का नाम तथा क्या वे उक्त कार्य को करने की योग्यता रखते हैं? उनके चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा क्या मानदण्ड रखे गये?

(3) उक्त कार्य हेतु किस-किस विभाग के कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी लगाए गए हैं? नाम व पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि रिंग रोड़ प्रोजेक्ट के कार्यालय हेतु कोई भवन किराए पर लिया गया है? यदि हां, तो कहां व किस दर से एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान जयपुर शहर के मध्य तीन राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 8 एन.एच. 11 व एन.एच. 12 प्रस्थान करता है। जिससे भारी यातायात के कारण शहर की सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ प्रतिदिन दुर्घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए तथा जयपुर शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रख कर इस परियोजना का प्लान तैयार किया गया है।

दिनांक 23.12.2003 को सार्वजनिक निर्माण विभाग संचालन एवं हस्तांतरण के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के निर्णय के क्रम में उक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। अब तक अपनाई गई प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	मुख्य बिन्दु	कार्यवाही दिनांक
1.	रिंग रोड़ विकसित परियोजना को जविप्रा द्वारा करवाने के लिये माननीय अध्यक्ष जविप्रा के अनुमति दिनांक	25.11.2004
2.	परियोजना को पूर्ण करवाने के लिये एम्पावर्ड कमेटी एवं टास्क टीम के गठन की आदेश तिथि	31.12.2004
3.	रिंग रोड़ परियोजना के लिए सर्वे एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु जारी 15.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति	17.3.2005
4.	रिंग रोड़ एवं विकसित कोरीडोर परियोजना पर प्रस्तावित एलायमेन्ट का जविप्रा के सक्षम स्तर पर अनुमोदन	04.04.05
5.	माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के लिये जविप्रा को जारी दिशा निर्देश दिनांक	28.06.05
6.	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर रोड़ से आगरा रोड़ तक कुल 1556 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति के लिए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करने की दिनांक	07.07.05
7.	राज्य सरकार द्वारा अजमेर रोड से आगरा रोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की दिनांक	15.07.05

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	मुख्य बिन्दु	कार्यवाही दिनांक
8.	परियोजना के लिए टोंक रोड से आगरा रोड तक (कुल 626 हैक्टेयर) अवाप्ताधीन भूमि के विरुद्ध आयी आपत्तियों की सुनवाई निस्तारण एवं राज्य सरकार को धारा (6) के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने की तिथि	इस चरण में खातेदारों द्वारा अवाप्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की है। अतः प्रस्ताव धारा (6) की कार्यवाही के लिये दिनांक 6.12.2005 में राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है।
9.	परियोजना के लिए अजमेर रोड से टोंक रोड तक (कुल 930 हैक्टेयर) भूमि अवाप्ति के विरुद्ध आई आपत्तियों की सुनवाई, निस्तारण एवं राज्य सरकार को धारा (6) के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने की तिथि	90 प्रतिशत आपत्तियों पर सुनवाई भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जा चुकी है। धारा (6) के लिए अतिशीघ्र प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है।
10.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.2005 के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूमि की एवज में (दिनांक 16.2.2006 से 28.2.2006 तक) तिथिवार एवं ग्रामवार निःशुल्क भूमि समर्पित करने के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन की तिथि	28.01.06
11.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा दस्तावेज तैयार करवाने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति हेतु आमंत्रित एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट की दिनांक	13.11.05

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	मुख्य बिन्दु	कार्यवाही दिनांक
12.	'एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट' के अन्तर्गत कुल 36 फर्मो द्वारा आवेदन एवं 26 फर्म योग्यता परिक्षण में सफल घोषित, फर्मो द्वारा रिंग रोड एवं विकसित कोरिडोर परियोजना हेतु टर्म्स आफ रेफरेन्स को फाइनल करने के लिए दिया गया प्रेजेन्टेशन दिनांक	23.01.06
13.	प्रजेन्टेशन में प्राप्त सुझावों को फाइनल टी.ओ.आर. में शामिल कर वित्तीय निविदा प्राप्त करने की तिथि	17.03.06
14.	सफल सलाहकार फर्म के द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा दस्तावेज तैयार करने की प्रस्तावित तिथि	30.09.06
15.	परियोजना का क्षेत्र में बी.ओ.टी. आधार पर कार्य शुरू करवाने के लिये तकनीकि व वित्तीय निविदा आमंत्रित करने की प्रस्तावित तिथि	15.11.06
16	बी.ओ.टी. पद्धति के आधार पर सफल फर्म के द्वारा क्षेत्र में कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तिथि	15.12.06
.17.	कार्य सम्पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि	30.11.08

जी हां, परियोजना सम्पूर्ण रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार सीमा में है।

(2) उक्त कार्य सलाहकार (रिंग रोड प्रोजेक्ट) श्री रामबाबू गुप्ता के पर्यवेक्षण में करवाया जा रहा है। श्री रामबाबू गुप्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता हैं। श्री रामबाबू गुप्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में बी.ओ.टी. आधार पर कार्य करा चुके हैं और उक्त कार्य को करने

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

का अनुभव रखते हैं। यह नियुक्ति केवल एक वर्ष की अल्पावधि के लिए हैं। अतः इनका चयन इनके पूर्व रिकार्ड एवं अनुभव के आधार पर किया गया है।

(3) उक्त कार्य हेतु सा.नि.वि. से 5 एवं रीको से 1 अधिकारी लगाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

श्री जी.सी.पंवार	अधीक्षण अभियन्ता, सा..वि.
श्री संजय गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, रीको
श्री अनिल कुमार	सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि
श्री अनिल गुप्ता	सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि.
श्री अनिल कुमार	गुप्ता सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि.
श्री दिनेश अग्रवाल	सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि.

(4) जी नहीं। रिंग रोड परियोजना से सम्बन्धित अधिकरी/कर्मचारियों के कार्यालय की व्यवस्था जविप्रा परिसर में ही कर दी गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005-06 में करवाये गये कार्य

9. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005-06 में कितने कार्य बिना निविदा करवाये गये एवं क्यों? बिना निविदा के करवाए गए कार्यों व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य बिना निविदा के करवाने का क्या कारण है एवं कौन-कौनसी फर्म व ठेकेदार से कितनी-कितनी राशि के कौन से कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बिना निविदा उक्त कार्य किसकी अनुमति से करवाए गए? अधिकारियों का विवरण मय नाम, पदनाम पृथक-पृथक कार्यवाह सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2005-06 में बिना निविदाएं तीन कार्य करवाए गए। ये कार्य विशिष्ट प्रकृति एवं तात्कालिक आवश्यकता होने के कारण कराए गए हैं। कार्य व खर्च राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. सिविल लाईन में हॉर्टिकल्चर एवं लैण्डस्केपिंग का कार्य रूपये 15.05 लाख
2. मीटिंग हॉल का नवीनीकरण का कार्य रूपये 39.66 लाख
3. जयपुर विकास आयुक्त कक्ष, निजी सचिव आयुक्त कक्ष, मीटिंग रूम, पेन्ट्री, निदेशक (आयोजना) व अन्य अधिकारियों के कक्षों का नवीनीकरण कार्य रूपये 55.33 लाख।

(2) उपरोक्त कार्य अत्यन्त टेक्नीकल एवं विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण करवाए गए हैं। विभिन्न फर्मों से जो कार्य करवाए गए हैं उनकी लागत सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

1. सिविल लाईन में हार्टीकल्चर एवं लैण्डस्केपिंग का कार्य मैसर्स गार्डन ब्यू लैण्ड प्रा.लि. गुड़गांव, हरियाणा द्वारा करवाया गया जिस पर रूपये 15.05 लाख का भुगतान किया गया।
2. मीटिंग हॉल का नवीनीकरण का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा कराया गया है जिस पर राशि रुपये 39.66 लाख व्यय हुए हैं।
3 जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त कक्ष, निजी सचिव आयुक्त कक्ष, मीटिंग रूम, पेन्ट्री, निदेशक (आयोजना) व अन्य अधिकारियों के कक्षों का नवीनीकरण कार्य मैं, ए.के. जैन एण्ड एसोसिएट द्वारा करवाया गया इस कार्य पर कुल राशि रुपये 55.33 लाख व्यय हुए।

(3) उपरोक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रभावी सेड्यूल आफ पावर (एस.ओ.पी.) में प्रदत्त शक्तियों में अन्तर्गत निदेशक (वित्त) की सहमति (concurrence) पर आयुक्त, जविप्रा की स्वीकृति से करवाए गए हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटरीकरण पर व्यय

10. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठेके के माध्यम से कुल कितने कम्प्यूटर लगवाए गए तथा किस-किस अधिकारी के पास कितने-कितने कम्प्यूटर लगे हुए हैं?

(2) किस-किस फर्म से कितने-कितने कम्प्यूटर लिये गए? क्या उनसे कम दर पर कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है?

(3) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में कितने आपरेटर/प्रोग्रामर संविदा पर रखे गऐ हैं? क्या किसी आपरेटर/प्रोग्रामर द्वारा अदालत में मुकदमा भी किया हुआ है? यदि हां, तो किसने व कब से? जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या संविदा पर रखे अन्य कर्मचारियों द्वारा भी अदालत में मुकदमा किया गया हैं? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में कहां-कहां पद स्थापित है?

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वयं के कितने कम्प्यूटर व कितने लेपटाप हैं एवं किस-किस अधिकारी के पास है तथा उनसे क्या-क्या कार्य लिए जा रहे हैं?

(6) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर ठेके पर लेने हेतु टेण्डर किए गए? यदि नहीं, तो क्यों? क्या टेण्डर किए जाने पर प्रतिबन्ध है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठेके के माध्यम से कुल 118 कम्प्यूटर लगाये गये हैं। अधिकारियों के पास कितने कम्प्यूटर लगाये गये हैं उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिन फर्मों से कम्प्यूटर लिए गये हैं उसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। चूंकि उक्त कम्प्यूटर वित्त विभाग के आदेश एफ-9(1)एफडी-1(1)बजट/2001 दिनांक 30 मई, 2001, क्रमांक एफ-9(1)एफडी-1(1)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

बजट/2001 दिनांक 10/18 अप्रैल, 2002 एवं क्रमांक प-9(1)वित्त-1(1) आ.व्यय/2004 दिनांक 30 सितम्बर, 2004 के अन्तर्गत लिए गये हैं। अत: दर के सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है।

(3) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में 4 प्रोग्रामर एवं 5 डाटा एन्ट्री आपरेटर कुल 9 संविदा के आधार पर रखे गये हैं, जिनमें से 3 डाटा एन्ट्री आपॅरेटरों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है एवं 1 व्यक्ति द्वारा श्रम न्यायालय में भी वाद दायर किया हुआ है। सूची व विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी हां, अन्य कर्मचारियों द्वारा भी अदालत में मुकदमा किया गया है। संविदा पर रखे अन्य कर्मचारी जिनके द्वारा अदालत में मुकदमा किया गया है, वर्तमान में प्राधिकरण में पदस्थापित नहीं हैं।

(5) जे.डी.ए. के स्वयं के 37 कम्प्यूटर हैं एवं 3 लेपटाप हैं। जिन-जिन अधिकारियों के पास हैं एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्य का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। संविदा पर कम्प्यूटर वित्त विभाग के आदेश/परिपत्र क्रमांक एफ-9(1)एफडी-1(1)बजट/2001 दिनांक 30 मई, 2001, क्रमांक एफ-9 (1)एफडी-1(1)बजट/2001 दिनांक 10/18 अप्रैल, 2002 एवं क्रमांक प-9(1) वित्त-1(1)आ.व्यय/2004 दिनांक 30 सितम्बर, 2004 के आधार वर्णित शर्तों पर लिये गये हैं। टेण्डर किए जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

Officer wise List of MWM Through Computer Cell

S.No.	O.I.C.	Total Computer
1.	AC (ADM)	1
2.	AC (EAST)/S.A.	13
3.	ACE-1	1
4.	ACE-II– Dir (Engg.)	1
5.	ACJM-1	1

S.No.	O.I.C.	Total Computer
6.	ACJM-2	1
7.	AR (CO-OP)	1
8.	C.E.-II (TA to JDC)	1
9.	C.E.-III Dir (Engg.)	1
10.	C.E-1V	1
11.	CCE	3
12.	D.C. (Admin)	3
13.	D.C. (Cord)	2
14.	D.C. (Suaraj)	1
15.	D.C. 01	1
16.	D.C. 02	1
17.	D.C. 03	2
18.	D.C. 07	1
19.	D.C. 08	2
20.	D.C. 09	1
21.	D.C. 12	2
22.	D.D. (E&B)	1
23.	D.D. (Law)	2
24.	D.D (R&DP)	2
25.	D.R. (Co-op)	1
26.	D.R. (Co.op)/S.A	5
27.	Dir (Engg.)	2

S.No.	O.I.C.	Total Computer
28.	Dir (Finance)	1
29.	Dir (Law)	1
30.	Dir (T.P.)	1
31.	DS-2 (UDH)	1
32.	DTP (Project)	1
33.	DTP (Ring Road)	1
34.	Enforcement Officer	1
35.	LAO	1
36.	LAO & ZE (Ring Road)	3
37.	MIN. UDH	2
38.	Monitoring Committee	1
39.	O.S.D. (Land)	2
40.	O.S.D. (RM)	1
41.	P.R.O.	1
42.	P.S. (UDH)	1
43.	PD (ITC)	1
44.	Programmer (Development)/S.A	3
45.	Project Director (RR)	1
46.	PS TO JDC	4
47.	RTO	3
48.	Rajasthan Bank/S.A	5
49.	S.A.	1

S.No.	O.I.C.	Total Computer
50.	S.T.P. (BPC)	1
51.	Sr. A.O. (P)	1
52.	E.O. (Stores)	1
53.	STP (MP)	1
54.	STP (Project)	1
55.	T.C.B.	1
56.	Z.E GARDEN	1
57.	Z.E. (RRP)	1
58.	Z.E. 09	1
59.	Z.E. 3 & 4	1
60.	Z.E. 12	1
61.	Z.E.– Dir (Engg.)	5
62.	ZE (RRP)	1
63.	DC-5	1
64.	DC-6	1
65.	AC- (Enquary)	1
66.	DC-11	2
67.	ZE (PHE)	1
68.	DC-10	1
69.	Member (Tribunal)	1
70.	ZE-HAR H.Q.	1
71.	DC-4	1
	Total	**53**
	Grand Total	**118**

परिशिष्ट "ब"

Firms Wise List of MWM Through Computer

S.No.	Name of Firm	Total Computer
1.	M/S Abhishek Singh	1
2.	M/S Absar Computers	1
3.	M/S Alia Computers	8
4.	M/S Anil Kumar	2
5.	M/S Ashok Kumar Gupta	2
6.	M/S Brijnesh Kumar Sharma	1
7.	M/S Compu Clinic	1
8.	M/S Deepak Verma	3
9.	M/S Devendra Kumar Sharma	1
10.	M/S Devesh Meharwal	1
11.	M/S Excel Technovation Pvt. Ltd.	26
12.	M/S Gaurav Ajmera	1
13.	M/S Jaicom Computers	3
14.	M/S Jatin Computer	1
15.	M/S Jitendra Kumar Jangid	3
16.	M/S Kailash Chand Gurjar	1
17.	M/S Madhuri Vershnay	1
18.	M/S Murari Sharan Sharma	1
19.	M/S Naresh Parmar	1

S.No.	Name of Firm	Total Computer
20.	M/S Nexcel Computers	19
21.	M/S Omprakash Rawat	1
22.	M/S Pankaj Gupta	1
23.	M/S Rani Mehta	1
24.	M/S Parwati Computers	5
25.	M/S Rajdeep Sharma	1
26.	M/S Ram Network Systeme Infotech	10
27.	M/S Santosh Kumawat	2
28.	M/S Satveer Singh	1
29.	M/S Saurabh Computers	1
30.	M/S Sunil Badjatya	1
31.	M/S Unitech System	1
32.	M/S Vehid Ahamad	2
33.	M/S Vankteshwar Enterprises	7
34.	M/S Awadesh Choudhary	1
35.	M/S Tarun Pandey	1
36.	M/S Sangita Vaishast	1
37.	M/S Vinayak Om Kandelwal	1
38.	M/S Krishan Kumar	1
39.	M/S Comman Computer Services P.LTD	1
	Total :	118

परिशिष्ट - "स"

आपरेटरों द्वारा न्यायालय में किये गये मुकदमों की स्थिति

1. एकल पीठ याचिका संख्या 367/99 बलवीर सिंह राठौड़ बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण, वर्तमान स्थिति, वर्ष 1999 से न्यायिक प्रकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दिनांक 27.04.2000 को जवाब पेश व प्रकरण लम्बित।
2. एकल पीठ याचिका संख्या 2007/2000 महेन्द्र कुमार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान स्थिति, वर्ष 2000 से न्यायिक प्रकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 05.09.2002 को जवाब पेश व प्रकरण लम्बित।
3. खण्डपीठ अपील संख्या 56/2001 श्री मनोज कुमार मित्तल वर्तमान स्थिति, डाटा ऐन्ट्री द्वारा एकल पीठ निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई।
4. श्रम न्यायालय में एल.सी.आर. 376/04 श्री दिनेश कुमार गुर्जर का जवाब पेश व प्रकरण लम्बित है।

परिशिष्ट "द"

LIST OF JDA OWNED COMPUTERS

S.No.	O.I.C	Total Computer	Type of Work
Desktop Computer			
1.	AC (East)	1	Office Work
2.	AC (West)	2	Office Work
3.	OSD (Per)	1	Office Work
4.	PS to AC (Adm)	1	Office Work
5.	PS to Secretary	1	Office Work
6.	Secretary	1	Office Work
7.	AO (P)	1	Office Work
8.	PS To JDC	1	Office Work

S.No.	O.I.C	Total Computer	Type of Work
Desktop Computer			
9.	DD (Law)	1	Office Work
10.	Computer Center	13	Office Work
11.	Dir (T.P.)	1	Office Work
12.	STP (MP)	1	Office Work
13.	DS-UDH	1	Office Work
14.	Princ. Secy (UDH)	1	Office Work
15.	D.C. –1	1	Office Work
16.	D.C. –2	1	Office Work
17.	D.C.-7	2	Office Work
18.	D.C.-10	1	Office Work
Laptop Computer			
1	Princ. Secy (UDH)	1	Office Work
2	OSD (RM)	1	Office Work
3	System Analyst	1	Office Work
Server			
1	HP Server LC 2000	1	
2	Infiniti 2700	1	
3	Proxy	1	
*	Desktop Computer (outdated)	2	
	Total :	40	

रोहिणी नगर योजना (जयपुर) की प्रथम एवं द्वितीय फेज के आवेदकों से प्राप्त राशि

11. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) एवं श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की रोहिणी नगर I एवं II योजना में कुल कितने फार्म किस-किस वर्ग में जमा हुए? फार्मों से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं उस राशि का क्या उपयोग किया गया? प्राप्त राशि किस-किस बैंक में किस-किस ब्याज दर पर जमा करवाई गई? क्या राशि जमा कराने हेतु विभिन्न बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त योजनाओं के फार्म कहां-कहां जमा किए गऐ एवं जमा करने हेतु किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया व किस-किस संस्था से फार्म जमा करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रोहिणी नगर योजनाओं में निम्नलिखित वर्गों में निम्नानुसार फार्म जमा हुए हैं :-

रोहिणी नगर प्रथम			रोहिणी नगर द्वितीय		
क्र.सं.	वर्ग	फार्मों की संख्या	क्र.सं.	वर्ग	फार्मों की संख्या
1.	अ	30698	1.	अ	10240
2.	ब	8689	2.	ब	9136
3.	स	1541	3.	स	2341
4.	द	1633	4.	द	8245
5.	य	1492	5.	य	2968
		44053	6.	र	140
			7.	ल	650
			8.	अन्य	142
					33862

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

रोहिणी नगर प्रथम में पंजीकरण राशि 32.70 करोड़ रू. एवं रोहिणी नगर द्वितीय में पंजीकरण राशि 18.05 करोड़ रू. इस प्रकार कुल पंजीकरण राशि 50.75 करोड़ रू. प्राप्त हुई है उक्त पंजीकरण राशि को जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिकृत बैंक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. शाखा-बापू नगर में 5.50 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर जमा कराई गई। उक्त राशि जमा कराने हेतु विभिन्न बैंको से प्रस्ताव इसी लिये प्राप्त नहीं किये गये क्योंकि उक्त बैंक द्वारा ही ये समस्त राशि कलेक्ट की गई है तथा असफल आवेदकों को शीघ्र ही इसी बैंक द्वारा राशि रिफण्ड की जानी है।

(2) रोहिणी नगर प्रथम एवं द्वितीय योजना के आवेदन फार्म प्राधिकरण के काउण्टरों, लोकमित्र के जयपुर स्थित विभिन्न केन्द्रों में तथा दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की जयपुर स्थित विभिन्न शाखाओं में जमा कराये गये। फार्म जमा कराने के लिये अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया।

राज्य सरकार की अधिकृत संस्था लोकमित्र द्वारा फार्म जमा कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये गये तथा प्रस्ताव अनुसार ही स्वीकृत दर पर उक्त कार्य लोकमित्र एवं प्राधिकरण के अधिकृत बैंक दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड से फार्म जमा करवाये गये।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तुविद/परामर्शदाता की नियुक्ति

12. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) एवं श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शूटिंग रेंज स्मृति उद्यान एवं खोले के हनुमानजी हेतु वास्तुविद/परामर्शदाता नियुक्त किए गये हैं? यदि हां, तो किस-किस वास्तुविद/परामर्शदाता को नियुक्त किया गया एवं उन्हें क्या-क्या फीस दी जा रही है?

(2) उक्त वास्तुविदों/परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक (नगर आयोजना) उक्त योजनाओं की क्रियान्विति हेतु सक्षम हैं? यदि नहीं तो क्यों?

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

(4) उक्त योजनाओं हेतु किस-किस व्यक्ति को सलाहकार नियुक्त किया गया एवं उन्हें क्या-क्या सुविधाएं, वेतन, भत्ते इत्यादि दिए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विस्तृत विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रचलित शिड्यूल आफ पावर एवं निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त ही वास्तुविद को तय किया गया है।

(3) योजना क्रियान्विति का कार्य निदेशक (आयोजना) द्वारा नहीं किया जाता।

(4) विवरण परिशिष्ट '1' में दिया गया है।

परिशिष्ट "1"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परामर्शदाता/वास्तुविद	फीस की राशि
1	शूटिंग रेंज, जगतपुरा	1. मैसर्स एम.डी. शाह एण्ड एसोसिएटस 2. श्री सुशील चौधरी	1. परियोजना लागत का 3.5 प्रतिशत 2. रूपये 20,000 प्रतिमाह
2	स्मृति उद्यान	डा. राजीव खन्ना, दिल्ली	परियोजना की लागत का 3 प्रतिशत
3	खोले के हनुमान जी	मैसर्स सिन्सीयर आर्चिटेक्ट एण्ड कन्सलटेन्ट इंजीनियर जयपुर	8.35 लाख

देवली मांजी ग्राम (कोटा) में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

13. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील सांगोद के ग्राम

(श्री भरत सिंह)

देवली मांजी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम देवली मांजी में 132 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाने पर सांगोद 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर भार कम हो जाने से सांगोद तहसील के लगभग 200 गांवों की जनता को लाभ मिलेगा?

(3) क्या सरकार ग्राम देवली मांजी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन वर्ष 2006-07 में स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम देवली (जिला-कोटा) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने के कारण स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) 132 के.वी. सब स्टेशन पर लोड/मांग के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता समय-समय पर बढ़ा कर जनता को लाभान्वित किया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान विद्युत मांग के आधार पर वर्ष 2006-07 में देवली पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में आवासीय इमारतों के ऊपर से गुजर रही उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें

14. **श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में अनेक स्थानों पर विद्युत की हाई टैंशन लाईन विभिन्न इमारतों एवं स्कूलों आदि पर से गुजर रही हैं? क्या सरकार इन्हें हटाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अनेक स्थानों पर विद्युत की हाई टैंशन लाईन विभिन्न इमारतों एवं

(ऊर्जा मंत्री)

स्कूलों आदि से गुजर रही हैं किन्तु उक्त हाई टैंशन लाईनों के निर्माण के समय इसके नीचे किसी प्रकार की इमारत एवं स्कूल आदि नहीं थे। इनका निर्माण विद्युत विभाग को सूचित किये बिना ही कर लिया गया है। इसके बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति विशेष एवं संस्था द्वारा जन-धन के लिए घातक लाईनों को हटाने/शिफ्ट करने हेतु आवेदन किया जाता है तो तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने पर निगम नियमानुसार प्रस्तावित तकमीने की आधी राशि (50 प्रतिशत राशि) आवेदक द्वारा जमा कराने पर शेष 50 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा वहन की जाकर प्रस्तावित कार्य संपादित करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में मण्डल व निगम द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

JAIPUR VIDYUT VITRTAN NIGAM LTD.

(COMMERCIAL WING)

No. JPD/ACE/XEN/C.II/F.4 (117)/Pt.1/D 122 Dt. 24.01.2002

CIRCULAR

Sub : Sharing the cost of shifting of existing electric lines.

In accordance with the existing order No. RSEB/DCO/C.I/F.4 (117)/95/Pt.II/D. 1527 dt. 23-5-1996 (Comml. 170), the electric lines, passing over buildings and other structures which may prove hazardous to life and property could be shifted from one place to another place by recovering only (fifty) 50% of the total cost of the estimate for shifting, from persons (s)/ agencies desiring such shifting. The balance (fifty) 50% of the cost would be borne by Jaipur Discom.

It has been reported that the said order is not being followed in the field in its right spirit. It is, therefore, reiterated that in cases where the electric lines are likely to cause hazards could be shifted from one place to another by recovering 50% of the total cost of the estimate for shifting from persons(s)/ agencies desiring such shifting. The balance 50% of the cost shall be borne by Jaipur Discom. However, for preparing the estimate, order No. JPD/CAO/ Rules/F.251/D. 162 dt. 17-1-2001 (JPR6-52) will be applicable which stipulates that a uniform overhead charges @ 50% (fifty percent) of the cost of material shall only be charged instead of earlier practice of charging, which was in the vicinity of 93%.

(A.C. Gupta)

Addl. Chief Engineer (Comml.)

राजस्थान अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम द्वारा लाभान्वित परिवार/व्यक्ति

15. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम द्वारा गरीब बेरोजगार व दस्तकार अल्प संख्यकों को रोजगार हेतु आर्थिक सहायता (ऋण) उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो किस आधार पर किस प्रक्रिया से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में किन-किन अल्प संख्यकों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम को केन्द्र द्वारा अनुदान या सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में केन्द्र से प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सहायता (ऋण) उपलब्ध कराये जाने का आधार एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विगत दो वर्षों में उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नवसृजित शिशु पालना केन्द्र के कर्मियों का बकाया भुगतान

16. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2005 से अब तक कितने शिशु पालना केन्द्र कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) उक्त शिशु पालना केन्द्रों में शिशुओं की संख्या कितनी रही? पालना केन्द्रवार शिशुओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिशु पालना केन्द्रों पर सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शिशु पालना केन्द्रों में पदस्थापित कर्मचारियों को कोई वेतन/सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उनको बकाया वेतन व देय सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी?

(5) क्या यह सही है कि अनेक शिशु पालना केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां?

उत्तर

(1) जनवरी, 2005 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 442 शिशु पालना केन्द्र खोले गये। वर्तमान में 332 शिशु पालना केन्द्र संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। 110 केन्द्रों पर बच्चे नहीं आने व उस गांव में उनकी आवश्यकता नहीं होने के कारण केन्द्रों को बन्द किया गया, जिनकी जिलेवार संख्या सूचीं परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक शिशु पालना केन्द्र में शिशुओं की संख्या 15 रखी गई थी। केन्द्रवार शिशुओं की संख्या परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शिशु पालना केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको चिकित्सकीय सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(4) जी नहीं। केन्द्रों पर पदस्थापित धाय मां को 800/- रूपये, परिचारिका को 550/- रुपये एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 200/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा हैं।

(5) जी हां। परिशिष्ट 'अ' में वर्णित सभी शिशु पालना गृह आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही चलाये जा रहे है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विचाराधीन पेन्शन प्रकरण

17. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक किन-किन विधवाओं, विकलांगों एवं वृद्धाओं को पेंशन स्वीकृत की गई तथा किन-किन के प्रकरण विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार विचाराधीन प्रकरणों में पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र, सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक विधवा पेंशन में 136 विकलांग पेंशन में 57 एवं वृद्धावस्था पेंशन में 48 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई (सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है)। वर्तमान में एक प्रकरण श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी स्व. श्री सुरेश कुमार खींचड़ (खींचड़ों का वास) का आवेदन विधवा पेंशन में विधवा के पुत्र के आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण विचाराधीन है।

(2) एक प्रकरण विधवा पेंशन में विधवा पेंशन के पुत्र के आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विचाराधीन है। पूर्ति होने पर नियमानुसार स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूमि विकास बैंक डेगाना (नागौर) द्वारा अवधिपार ऋणों की वसूली

18. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूमि विकास बैंक नागौर की डेगाना शाखा द्वारा किन-किन व्यक्तियों को ट्रेक्टर अथवा अन्य उपकरण खरीदने हेतु पिछले 6 वर्षों के दौरान दीर्घकालिक ऋण स्वीकृत किया गया? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋणियों में से कई व्यक्तियों का ऋण अवधिपार हो गया है? यदि हां, तो किन-किन का और कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अवधिपार डिफाल्टरों से ऋण वसूलने हेतु समय-समय पर बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा डेगाना द्वारा गत 6 वर्षों में कुल 360 व्यक्तियों को ट्रेक्टर अथवा अन्य उपकरण खरीदने हेतु दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत किया गया जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1 के कालम-1 से 5 तक)

(2) हां, यह सही है कि कई व्यक्तियों का ऋण अवधिपार हो गया है। 1.7.2005 को अवधिपार ऋणियों की सूची एवं तत्पश्चात वसूली की स्थिति संलग्न है। (परिशिष्ट-1 कालम-6 व 7)

(3) अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की गई है तथा वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। पूर्व विवरण अवधिपार ऋणवार संलग्न है (परिशिष्ट-1 कालम-7 व 8)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजाखेड़ा एवं धौलपुर पंचायत समिति के अधिशेष हैण्डपम्प मिस्त्री

19. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति धौलपुर व राजाखेड़ा में विभिन्न योजनाओं में कितने हैण्डपम्प कब-कब से लगे हुये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समितियों में हैण्डपम्पों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मिस्त्री की व्यवस्था नहीं है? यदि हां,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तो सरकार द्वारा उक्त पंचायत समितियों पर लगे हुये पम्प मिस्त्रियों को सरप्लस किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति धौलपुर में 1893 हैण्डपम्प तथा पंचायत समिति राजाखेड़ा में 1531 हैण्डपम्प गत वर्षों से लगे हुए हैं।

(2) पंचायत समिति राजाखेड़ा में हैण्डपम्प मिस्त्रियों की संख्या पर्याप्त है। पंचायत समिति धौलपुर में वर्तमान में हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कुछ कमी है। पंचायत समिति धौलपुर से वर्तमान में किसी भी हैण्डपम्प मिस्त्री को सरप्लस नहीं किया गया है। विभिन्न योजना के तहत हैण्डपम्पों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है किन्तु हैण्डपम्प मिस्त्रियों की संख्या यथावत है।

जयपुर शहर के ओवरब्रिजो पर कलात्मक चित्रकारी पर व्यय

20. श्री अमरा राम (धोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के ओवरब्रिजो पर कलात्मक चित्र बनवाये गये हैं? यदि हां, तो इन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के ओवरब्रिजो पर जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के मार्फत कलात्मक चित्र बनवाये गये हैं। इन पर रूपये 33.00 लाख की राशि व्यय की गई है। ओवर ब्रिज/फ्लाईओवर की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

ओवर ब्रिजों/फ्लाई ओवर पर करवाये गये कलात्मक चित्रों का विवरण

क्र.सं.	ओवरब्रिज/फ्लाई ओवर का नाम
1	[illegible]पाल पु[illegible] फ्[illegible]ई ओवर

क्र.सं	ओवरब्रिज/फ्लाई ओवर का नाम
2	मालवीनय नगर आर.ओ.बी.
3	सरस डेयरी आर.ओ.बी.
4	गोपाल पुरा आर.ओ.बी.
5	बाइसगोदाम आर.ओ.बी.
6	अजमेर रोड़ आर.ओ.बी.
7	खातीपुरा आर.ओ.बी.
8	झोटवाडा आर.ओ.बी.
9	दुर्गापुरा आर.ओ.बी.
10	टौंक फाटक आर.ओ.बी.

जोनल अभियन्ता प्रथम 'ए'
जविप्रा, जयपुर।

सिरोही जिले का राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजनान्तर्गत लम्बित भुगतान प्रकरण

21. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में कितनी महिलाओं का नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से बीमा किया गया व इस कार्य में किस-किस संस्था ने क्या-क्या अंशदान किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कम्पनी द्वारा बीमित महिला को दिये गये बीमा प्रमाण-पत्र में प्रसव से मृत्यु के लिए पच्चीस हजार रुपये सहायता राशि का प्रावधान था? यदि हां, तो प्रमाण-पत्र के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) क्या यह सही है कि कालन्द्री निवासी ललिता पत्नी जयंती का 01 अक्टूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक राज. राजेश्वरी योजना में बीमा किया गया था तथा उक्त महिला ने 10 मई, 2004 को एक बच्चे को जन्म दिया? क्या यह सही है कि उक्त महिला की 10 मई, 2004 को सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई? यदि हां, तो उक्त महिला को अब तक सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं?

(4) राज राजेश्वरी योजना के प्रसार के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये तत्कालीन मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री के फोटो लगे पेम्पलेट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2003-04 में कुल 1,03,486 (एक लाख तीन हजार चार सौ छियासी) महिलाओं को राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराया गया। इस कार्य हेतु के.पी. सिंघवी चेरिटेबल ट्रस्ट, पावापुरी (सिरोही) द्वारा 8.00 लाख रुपए का अंशदान दिया गया।

(2) जी हां। प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत है।

(3) जी हां। श्रीमती ललिता पत्नी श्री जयंती, निवासी कालन्द्री का 1 अक्टूबर 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक के लिए राज माहेश्वरी महिला कल्याण, बीमा योजना के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा किया गया था। जिसका बीमा प्रमाण पत्र संख्या 39276 जारी किया गया है। स्वर्गीय श्रीमती ललिता के पति श्री जयंती के अनुसार बच्चा पैदा होने के उपरांत उनकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 10/5/2004 को हो गई। इस पर बीमा क्लेम दिलवाने हेतु प्रकरण उप निदेशक (बाल विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, सिरोही के माध्यम से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, पाली को प्रेषित किया गया। कंपनी द्वारा उनके पत्रांक निल दिनांक 2/9/04 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित महिला के पति के दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित धन बीमित महिला को ही मिलता है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

कम्पनी द्वारा दावा पारित नहीं किये जाने के कारण उक्त वाद वर्तमान में पीडित पक्षकार ने अनुतोष के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षक मंच सिरोही में परिवार संख्या 1 जिला/04 दायर किया हुआ है। जिसकी अगली पेशी 18.04.06 है।

(4) इस योजना के सम्बन्ध में कोई पम्पलेट महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था, योजना की उपादेयता को देखते हुए दिनांक 31/5/2003 के कुछ समाचार पत्रों में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय और तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से जनहित में एक अपील जारी की गई थी (प्रति संलग्न) जिसका भुगतान भी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया गया था।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में जलग्रहण विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

22. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा गत दो वर्षों में पाली जिले में मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल ग्रहण विकास हेतु कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले में केवल मरू विकास कार्यक्रम लागू है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	2004-05	2005-06
1	मरू विकास कार्यक्रम (जलग्रहण)	40	50
2	मरू विकास कार्यक्रम (विशेष)	40	50

(ग्रामीण विकास मंत्री)

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पाली जिले में लागू नहीं है।

टोंक जिले में विधायक स्थानीय विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्य

23. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक में वर्ष 2004 व 2005 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन व कितनी-कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य अभी तक शुरू ही नहीं किये गयें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अपूर्ण कार्यों के पूर्ण नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जो कार्य शुरू नहीं किए गये उसके क्या कारण हैं? अब किन-किन कार्यों को कब तक शुरू करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद टोंक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत टोंक जिले में 187.64 लाख रूपये के कुल 590 कार्य स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 2005-06 में अब तक 248.61 लाख रूपये के कुल 170 कार्य स्वीकृत किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण, अपूर्ण एवं शुरू नहीं हुए कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट '2' पर अंकितानुसार है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) अपूर्ण कार्यों के पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण परिशिष्ट '1' के कालम-8 पर वर्णितानुसार है। अपूर्ण कार्यों को यथा समय पूर्ण कराया जायेगा।

(4) जो कार्य शुरू नहीं किये गये उनके कारण परिशिष्ट '1' के कालम संख्या 8 पर अंकितानुसार है। उक्त कार्यों को प्रारम्भ कराने के जिला परिषद को निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट –1

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पं. सं. छोटी सादड़ी में माड़ा योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(जनगणना 1991)

क्र.सं.	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कु.ज.सं.	जनजाति जनसंख्या	पं.सं.
1.	2	कुलमिया	251	142	छोटी सादड़ी
2.	3	गुडली	612	198	”
3.	4	ननामा की भागल	331	324	”
4.	5	हुडमतिया	912	409	”
5.	7	मोतीपुरा	380	-	”
6.	8	खेडी कुण्डाल	383	75	”
7.	11	गजपुरा	686	663	”
8.	31	लालपुरा	449	290	”
9.	33	पीतल बड़ी कलां	659	70	”
10.	34	संतोकपुरिया	443	300	”
11.	35	हरिपुरा	524	223	”
12.	36	हमेरपुरा उर्फ टूटी तलाई	575	137	”
13.	45	एकलिंगपुरा मय रोहनीखेड़ा	238	217	”
14.	46	किशनपुरा खालसा	2	2	”

क्र.सं.	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कु.ज.सं.	जनजाति जनसंख्या	पं.सं.
15.	47	उण्डा वेला	416	399	छोटी सादड़ी
16.	48	तीखीमगरी	-	7	,,
17.	49	नया खेड़ा	289	274	,,
18.	51	पीपली खेडा उर्फ बालियाखेड़ा	247	245	,,
19.	52	हरिसिंह जी का खेड़ा कलां	382	-	,,
20.	53	नेगडिया	217	-	,,
21.	54	हरिसिंह जी का खेड़ा खुर्द	136	-	,,
22.	55	भचेड़ी	199	-	,,
23.	56	करणपुरा खुर्द	369	315	,,
24.	57	करणपुरा कलां	572	513	,,
25.	58	कांकरा	410	-	,,
26.	59	पीली खेड़ा	1176	1069	,,
27.	60	भेरवी जागीर	954	757	,,
28.	61	अखेपुर	679	624	,,
29.	63	उदपुरा खुर्द	122	122	,,
30.	64	कंवर चौकी	174	174	,,
31.	65	लाख्यां का खेड़ा	67	67	,,
32.	66	बिल्लिया	547	442	,,
33.	67	रूपपुरा जागीर	196	182	,,
34.	68	सालेडा	355	310	,,
35.	69	पीपल बड़ी खुर्द	181	82	,,

क्र.सं.	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कु.ज.सं.	जनजाति जनसंख्या	पं.सं.
36.	72	राजू खेड़ा	385	219	छोटी सादड़ी
37.	73	लबाना खेड़ा	111	104	,,
38.	75	सखानिया	258	231	,,
39.	76	गणेशपुरा	1085	326	,,
40.	77	थानपुर	128	128	,,
41.	78	डावटा	542	509	,,
42.	79	सज्जनगंज	गैर आबाद	-	,,
43.	81	चीरवा	28	28	,,
44.	82	मानपुरा खालसा	644	637	,,
45.	83	राजपुरा खालसा	416	391	,,
46.	84	सांगरी खेडा	179	169	,,
47.	85	भाट ख़ेड़ी	414	414	,,
48.	86	महीदा रेल	122	122	,,
49.	87	काला कोट	1034	981	,,
50.	88	बूरा	217	124	,,
51.	89	हरमारा की रेल	400	400	,,
52.	90	पाटिया	26	26	,,
53.	91	ईटों का तालाब	1216	1180	,,
54.	92	चरलिया अम्बा	106	106	,,
55.	93	नादन खेड़ी	795	697	,,
56.	94	धौला पानी	1908	1664	,,
57.	95	बरोल	250	119	,,
58.	96	पलां का खेड़ा	223	130	,,

क्र.सं.	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कु.ज.सं.	जनजाति जनसंख्या	पं.सं.
59.	97	शम्भूगंज	गैर आबाद	-	छोटी सादड़ी
60.	120	मानपुरा भाटिया	287	287	”
61.	121	साकरिया	546	518	”
62.	124	रजिया	-	-	”
63.	126	गाडरियावास	1354	72	”
64.	127	बरखेड़ा	811	115	”
65.	128	नरसिंह खेडा खंडाई	32	32	”
66.	129	रेवडा	449	407	”
67.	130	जोगी खेड़ा	-	-	”
68.	132	नरवाल खेडा	-	-	”
69.	133	भैरवी खालसा	41	41	”
70.	137	धूलकोट	55	55	”
71.	140	छायान खुर्द	244	188	”
72.	142	सज्जनपुरा उर्फ डांडिया	86	86	”
73	144	छायान कला	337	313	”
74.	145	किशनपुरिया खालसा	गैर आबाद	-	”
75.	146	सिया खेडी	1456	1108	”
76.	147	जोडा महुडा	6	6	”
77.	148	काला खेत	16	-	”
78.	149	छायान जागीर	गैर आबाद	-	”
79.	150	राती रुण्डी	136	66	”
	योग		30476	20681	67.86%

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 का विवरण

क्र.सं.	नाम निकाय	वर्ष 2005-06 में गृहकर के लिये निर्धारित लक्ष्य (लाखों में)	अब तक वसूल की गई राशि (लाखों में)	गृहकर वसूली के विरोध में हुए धरने प्रदर्शनों का तिथिवार विवरण
1	2	3	4	5
		उदयपुर सम्भाग		
1	उदयपुर	300	0.85	01. दिनांक 15.1.06 को जगदीश चौक से रैली 02. दिनांक 16.2.06 को सविना चौराहे से रैली
2	फतेहनगर	30	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
3	भीण्डर	15	0.07	दिनांक 10.11.05 को धरना व महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन
4	कानोड	15	0.03	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
5	सलूम्बर	15	0.56	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
6	बांसवाड़ा	50	14.05	दिनांक 15.2.05 को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया
7	कुशलगढ़	50	0.35	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
8	डूंगरपुर	50	7.06	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
9	सांगवाड़ा	15	0.8	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
10	चित्तौड़गढ़	50	9.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
11	निम्बाहेड़ा	50	1.89	01. दिनांक 27.12.05 को पालिका के बाहर धरना
12	प्रतापगढ़	50	2.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
13	कपासन	15	0.89	01. दिनांक 6.12.05 को नगर पालिका के बाहर धरना
				02. दिनांक 7.12.05 को न.पा. व एस.डी.ओ. कार्यालय के बाहर धरना
14	बड़ी सादड़ी	15	0.38	दिनांक 15.2.05 को धरना दिया
15	छोटी सादड़ी	30	1.11	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
16	बेगूं	15	1.02	दिनांक 26.12.05 को धरना दिया
17	रावतभाटा	15	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
18	राजसमन्द	50	4.05	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
19	नाथद्वारा	30	4.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
20	देवगढ़	15	0.24	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
21	आमेट	30	0.7	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
	योग	905	49.53	

1	2	3	4	5
जोधपुर सम्भाग	जोधपुर सम्भाग	जोधपुर सम्भाग	जोधपुर सम्भाग	जोधपुर सम्भाग
22	जोधपुर	2000	76.16	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
23	बिलाड़ा	30	5.59	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
24	पीपाड शहर	30	2.48	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
25	फलौदी	30	1.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
26	बाडमेर	50	7	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
27	बालोतरा	50	12.98	दिनांक 29.12.05 को धरना
28	जैंसलमेर	50	17.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
29	पोकरण	15	3.31	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
30	जालौर	50	3.25	दिनांक 30.12.05 को जिलाधीश कार्यालय के सामने
				दिनांक 31.12.05 को गांधी चौक में प्रदर्शन

1	2	3	4	5
31	भीनमाल	30	8.75	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
32	सांचौर	15	13.57	दिनांक 18.1.06 को एसडीएम कार्यालय के सामने
33	सिरोही	50	2.6	दिनांक 12.12.05 को शिविर में प्रदर्शन
34	शिवगंज	30	7.77	दिनांक 6.12.05 को सामुदायिक भवन पर दिनांक 7.12.05 को हनुमान चौक छावनी पर
35	पिंडवाड़ा	15	1.43	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
36	आबूरोड	50	10.56	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
37	आबूपर्वत	50	20.31	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
38	पाली	300	33.28	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
39	सुमेरपुर	50	38.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
40	जैतारण	15	0.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
41	सोजत	30	1.76	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
42	तख्तगढ़	15	4.73	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
43	रानी	15	3.21	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
44	बाली	15	7.06	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
45	फालना	15	4.66	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
46	सादड़ी	15	6.55	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
	योग	3015	294.88	
बीकानेर सम्भाग	बीकानेर सम्भाग	बीकानेर सम्भाग	बीकानेर सम्भाग	बीकानेर सम्भाग
47	श्रीगंगानगर	300	102.04	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
48	रायसिंहनगर	50	18.4	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
49	गजसिंहपुर	30	3.8	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
50	करणपुर	30	6.35	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
51	केसरीसिंहपुर	30	7.47	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
52	श्रीविजयनगर	30	7.12	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
53	अनूपगढ़	30	6.66	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
54	पदमपुर	30	9.66	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
55	सूरतगढ़	30	17	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
56	सार्दुलशहर	30	5.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
57	हनुमानगढ़	50	50.86	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
58	नोहर	30	12.28	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
59	रावतसर	15	12.34	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
60	पीलीबंगा	30	11.71	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
61	संगरिया	30	9.51	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
62	भादरा	30	7.48	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
63	चूरू	50	4.9	दिनांक 16.1.06 को जिला कलक्टर के समक्ष धरना
64	रतनगढ़	50	1.42	दिनांक 13.1.06 को एस.डी.एम के समक्ष धरना
65	सुजानगढ़	50	9.97	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
66	सरदारशहर	50	0.03	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
67	बीदासर	15	0.01	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
68	छापर	15	0.34	मण्डल की बैठकों में विरोध
69	तारानगर	15	0.28	दिनांक 24.10.05 को ज्ञापन दिया
70	राजलदेसर	15	0.36	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
71	राजगढ़	30	0.94	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
72	रतन नगर	15	0.38	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
73	बीकानेर	300	142.13	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
74	नोखां	30	3.36	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
75	डूंगरगढ़	30	0.76	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
76	देशनोक	15	1.29	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
	योग	1455	454.441	
कोटा सम्भाग				
77	कोटा	2000	0	दिनांक 21.12.05 को सम्भागीय आयुक्त महोदय के कार्यालय के सामने
				दिनांक 22.12.05 को कैथूनी पोल थाने के सामने
				दिनांक 28.12.05 को नगर निगम कार्यालय कोटा
				दिनांक 28.12.05 को सम्भागीय आयुक्त महोदय के कार्यालय के सामने
				दिनांक 16.1.06 को नगर निगम कार्यालय के सामने
78	कैथून	15	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
79	रामगंजमण्डी	30	2.75	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
80	सांगोद	15	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
81	करौली	50	0.48	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
82	हिण्डौन	50	28.5	19 जनवरी 06 को
83	टोडाभीम	15	0.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
84	झालावाड़	50	1.7	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
85	झालरापाटन	30	0.02	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
86	भवानीमण्डी	30	0.01	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
87	अकलेरा	15	0.08	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
88	पिड़ावा	15	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
89	बूंदी	50	0.29	दिसम्बर 05 में
90	केशोरायपाटन	30	0.4	दिनांक 26.11.05 को
91	कापरेन	15	0.07	जनवरी 06 को
92	लाखेरी	30	0.18	दिनांक 13.1.06

1	2	3	4	5
93	इन्द्रगढ़	15	0.01	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
94	नैनवां	15	0.01	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
95	बारां	50	3.88	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
96	अन्ता	50	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
97	मांगरोल	15	0.05	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
98	छबड़ा	15	0.1	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
99	सवाईमाधोपुर	50	9.14	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
100	गंगापुर सिटी	50	22.43	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
	योग	2700	70.7	
अजमेर सम्भाग				
101	अजमेर	300	126.3	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
102	ब्यावर	300	32	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
103	किशनगढ़	50	16.25	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
104	केकड़ी	30	0.19	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
105	पुष्कर	30	0.12	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
106	विजयनगर	30	9.12	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
107	सरवाड़	30	0.14	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
108	भीलवाड़ा	300	36.36	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
109	गुलाबपुरा	30	16.13	दिनांक 16.2.06 को धरना प्रदर्शन किया गया
110	गंगापुर	15	1.94	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
111	जहाजपुर	15	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
112	आसीन्द	15	9.21	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
113	माण्डलगढ़	15	1	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
114	शाहपुरा	30	1.24	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
115	नागौर	50	3.6	दिनांक 13.1.06 को कलक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन
116	लाडनूं	50	0.23	दिनांक 13.1.06 को कलक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन

1	2	3	4	5
117	मेड़तासिटी	50	6.95	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
118	मकराना	50	0	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
119	परबतसर	30	0.14	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
120	नावां	15	0.5	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
121	कुचेरा	15	1.62	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
122	मूण्डवा	15	2.12	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
123	डीडवाना	30	3.3	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
124	कूचामनसिटी	30	6.9	कोई धरना पदर्शन नहीं
125	टोंक	300	6.85	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
126	देवली	50	11.54	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
127	निवाई	30	0.31	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
128	मालपुरा	15	1.33	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
129	टोडारायसिंह	15	0.98	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
130	ऊनियारा	15	0.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
	योग	1950	296.44	
		जयपुर सम्भाग		
131	चौमू	30	1.37	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
132	फुलेरा	15	1.1	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
133	किशनगढ़ रेनवाल	15	1.5	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
134	सांभर	30	1.84	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
135	शाहपुरा	15	2.25	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
136	चाकसू	30	1.36	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
137	बगरू	15	6.5	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
138	कोटपूतली	30	1.2	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
139	जोबनेर	15	3.7	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
140	विराटनगर	15	0.11	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
141	दौसा	50	10.65	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
142	लालसोट	15	0.1	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
143	बांदीकुई	30	1.5	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
144	धौलपुर	50	1.72	दिनांक 17.1.06 को धरना दिया
145	बाड़ी	30	0.45	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
146	राजाखेड़ा	15	0.5	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
147	अलवर	300	31.14	दिनांक 17.2.06 को प्रदर्शन
148	खैरथल	30	1.97	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
149	तिजारा	15	2	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
150	खेडली	30	0.25	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
151	राजगढ़	30	0.91	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
152	बहरोड़	15	1.05	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
153	भरतपुर	300	16.92	दिनांक 10.1.06 से 12.1.06

1	2	3	4	5
154	कामां	30	1.93	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
155	बैर	15	0.24	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
156	बयाना	30	0.54	दिनांक 13.1.06
157	नदबई	30	0.76	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
158	डीग	30	0.19	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
159	कुम्हेर	15	1.66	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
160	नगर	15	0.51	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
161	भुसावर	15	0.12	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
162	सीकर	300	141.2	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
163	नीमकाथाना	15	0.27	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
164	श्रीमाधोपुर	30	5.37	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
165	रींगस	15	8.29	दिनांक 24.10.05 को प्रदर्शन
166	लोसल	15	1.52	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
167	रामगढ़	30	0.57	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
168	खण्डेला	15	0.54	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
169	फतेहपुर	50	7.39	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
170	लक्ष्मणगढ़	30	6.1	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
171	झुंझुनू	50	14.07	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
172	मण्डावा	15	2.41	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
173	पिलानी	15	2.38	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
174	खेतड़ी	15	1.7	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
175	मुकुन्दगढ़	15	4.33	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
176	बिसाऊ	15	0.23	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
177	नवलगढ़	50	3.6	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
178	विद्याविहार	15	2.34	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
179	चिड़ावा	30	4.13	कोई धरना प्रदर्शन नहीं

1	2	3	4	5
180	उदयपुरवाटी	15	0.21	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
181	सूरजगढ़	15	1.39	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
182	बग्गड़	15	1.53	कोई धरना प्रदर्शन नहीं
183	जयपुर	3000	1141	01. दिनांक 14.12.05 को गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड़
				02. दिनांक 16.12.05 को रजत पथ, मानसरोवर
				03. दिनांक 16.12.05 को सेक्टर 5 मालवीय नगर
				04. दिनांक 18.12.05 को ईमलीवाला फाटक
				05. दिनांक 19.12.05 को बस स्टेण्ड ढहर का बालाजी, सीकर रोड़
				06. दिनांक 19.12.05 को कुक्कुट शाला के सामने, खातीपुरा
				07. दिनांक 20.12.05 को मन्दिर मोड, सर्किल विद्याधर नगर
				08. दिनांक 20.12.05 को रेल विहार, विद्याधर नगर
				09. दिनांक 21.12.05 को शाह नर्सिंग होम, बनी पार्क
				10. दिनांक 17.12.05 को गोपीनाथ जी का मन्दिर, पुरानी बस्ती

1	2	3	4	5
				11. दिनांक 21.12.05 को बस स्टेण्ड, ब्रह्मपुरी
				12. दिनांक 22.12.05 को गुजर की थड़ी
				13. दिनांक 23.12.05 को आर.के. होटल के सामने, शास्त्री नगर
				14. दिनांक 25.12.05 को पंचायत समिति के सामने, झोटवाड़ा
				15. दिनांक 26.12.05 को करधनी शोपिंग सेन्टर
				16. दिनांक 27.12.05 को लजीज रेस्टोरेन्ट
				17. दिनांक 30.12.05 को खेतान अस्पताल के सामने
				18. दिनांक 16.12.05 को बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना
				19. दिनांक 28.01.06 को बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना
	योग	5065	1446.61	
	महायोग	15090	2612.601	

सदस्य सूची

बुधवार, 1 मार्च, 2006

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-जयपुर शहर के ओवरब्रिजों पर कलात्मक चित्रकारी पर व्यय	326
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	16
पर्यटन	
-प्रदेश के संरक्षित स्थानों के संरक्षण हेतु आबंटित राशि	262
सहकारिता	
-नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधि पार ऋणों की वसूली	28
शासकीय वक्तव्य	
-राज्य में किसानों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता	165
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आबंटित राशि	252
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का माडा योजना में चयन	21

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री उपाध्यक्ष	
घोषणा	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा	124
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव	125
व्यवस्था का प्रश्न	
-विधान सभा सत्र आहुत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए	111
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का माडा योजना में चयन	21
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत कार्य	7
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बानसूर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पन्न दहशत का वातावरण	92
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
पंचायती राज	
-पंचायतीराज विभाग की दो अधिसूचनाएं	102

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में आवासीय इमारतों के ऊपर से गुजर रही उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें	320
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना	6
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-इलेक्ट्रोनिक्स मीटरिंग से प्राप्त राजस्व में वृद्धि	271
स्थगन प्रस्ताव	
-पाली जिले में 75 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के उपरान्त भी इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने के संबंध में	50
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	14
शासकीय वक्तव्य	
-राज्य में किसानों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता	160

नाम	पृष्ठ संख्या
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005	107
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर कृषकों से ब्याज वसूली	277
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) विधेयक, 2006	123
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जैसलमेर जिले में विद्यालय खोले जाने का मानदण्ड	85
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-नवसृजित शिशु पालना केन्द्र के कर्मियों का बकाया भुगतान	322
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-प्रोजेक्ट "करिश्मा" की क्रियान्विति हेतु व्यय राशि	270
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चूरू में पेयजल हेतु अधिक पानी का आबंटन	78

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था तथा धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के संबंध में	50
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	17
खेल	
-प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को सहायता	248
नियम 248 के तहत विशेष उल्लेख	
-जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम बिशनपुरा को जयपुर-रामगढ़ बांध मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़क का अपूर्ण निर्माण	77
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बानसूर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पन्न दहशत का वातावरण	91
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य के पूर्वी जिलों में पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में	50
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-लूणी में नये विद्युत उपखण्ड की स्वीकृति	83
व्यवस्था का प्रश्न	
-विधान सभा सत्र आहुत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए	119

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-विधान सभा सत्र आहुत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए	113
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	217
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	15
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बानसूर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पन्न दहशत का वातावरण	89
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत कार्य	7
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति	35

नाम	पृष्ठ संख्या

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-चूरू में पेयजल हेतु अधिक पानी का आबंटन 80

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन 104

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 34

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-धौलपुर एवं राजाखेड़ा पंचायत समिति के अधिशेष हैण्डपम्प मिस्त्री 325

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत कार्य 12

स्वायत्त शासन

-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 40

श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-आहोर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों का जालौर की बजाय सुमेरपुर मण्डी से जुड़ाव 97

नाम	पृष्ठ संख्या
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005	106
-राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004	106
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	237
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वस्तुविद/परामर्शदाता की नियुक्ति	318
-जयपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटरीकरण पर व्यय	308
-रोहिणी नगर योजना (जयपुर) की प्रथम एवं द्वितीय फेज के आवेदकों से प्राप्त राशि	317
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना	1
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार	292

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर शहर के विकास कार्यों हेतु प्रस्तावित कार्य योजना	257
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-देवली मांजी ग्राम (कोटा) में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन	319
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका विद्यालय हिंगी का लोकार्पण प्रकरण	255
श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा), संसदीय सचिव	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
निर्वाचन/चुनाव	
-निर्वाचन विभाग की अधिसूचना	104
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	16
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधि पार ऋणों की वसूली	23

नाम पृष्ठ संख्या

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-पाली जिले में जलग्रहण विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं 329

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य में विद्युत वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था एवं किसानों को पर्याप्त 70
बिजली उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

व्यवस्था का प्रश्न

-विधान सभा सत्र आहूत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए 117

सदन की कार्यवाही

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 178

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 239

समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार

-कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन 107

-कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन 121

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-राजस्थान अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम द्वारा लाभान्वित 322
परिवार/व्यक्ति

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधि पार ऋणों की वसूली	25
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	
-राज्य के अभिस्वीकृत पत्रकारों को देय सुविधाओं में वृद्धि	250
स्थगन प्रस्ताव	
-भरतपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाले के कारण फसल को हुए नुकसान का मुआवजा	50
श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना	1
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
शिक्षा	
-शिक्षा विभाग की अधिसूचना	101
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004	105
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
शासकीय वक्तव्य	
-राज्य में किसानों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता	165

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सीकर में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विचाराधीन पेन्शन प्रकरण	324
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सीकर शहर की सीवरेज, पेयजल व नलवगढ़ रोड़ से गंदे पानी की निकासी योजनाओं का क्रियान्वयन	75
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बानसूर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पन्न दहशत का वातावरण	91
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
सार्वजनिक निर्माण	
-सावर्जनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना	102
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान स्टेट रोड डवलपर्मेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-05	105
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-जयपुर जिले की कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि एवं भवनों की पंजीयन दरें	282

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति	37
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
राजस्व	
-राजस्व विभाग की ग्यारह अधिसूचनाएं	102
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	221
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना	4
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बूंदी के रामगंज बालाजी स्थित तेल उद्योग बुंगे प्राइवेट लि. द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण	80
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बढ़ रही हिंसक घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में	50
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन	17

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	169
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-नागौर के डेगाना के भूमि विकास बैंक द्वारा अवधिपार ऋणों की वसूली	324
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधि पार ऋणों की वसूली	23
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल वार्षिक लेखे (1996-97 से 2000-2001) व वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05	105
श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सामुदायिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों से समीप वासियों को होती असुविधा	82
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-राजगढ़ (चूरू) में स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत कार्य	13

नाम पृष्ठ संख्या

स्वायत्त शासन

-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 41

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन 13

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य में खरीफ एवं रबी दोनों ही फसलों को हुए नुकसान के कारण अकाल के हालात पैदा होने के संबंध में 50

श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 106

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-आहोर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों का जालौर की बजाय सुमेरपुर मण्डी से जुड़ाव 97

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-एस्कार्ट चिकित्सालय, जयपुर को आबंटित भूमि प्रकरण 290

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना 5

नाम	पृष्ठ संख्या

स्वायत्त शासन

-अजमेर के विकास हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त ऋण 264

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित रिंग रोड़ निर्माण 302

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई लीज अवधिपार सम्पत्तियां 292

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005-06 में करवाये गये कार्य 306

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तुविद/परामर्शदाता की नियुक्ति 318

-जयपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटरीकरण पर व्यय 308

-रोहिणी नगर योजना (जयपुर) की प्रथम एवं द्वितीय फेज के आवेदकों से प्राप्त राशि 317

महिला एवं बाल विकास

-सिरोही जिले का राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजनान्तर्गत लम्बित भुगतान प्रकरण 327

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 33

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य में आपसी सदभाव के बढ़ते खतरे पर प्रभावी रोकथाम के संबंध में 50

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जैसलमेर जिले में विद्यालय खोले जाने का मानदण्ड 84

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-बीकानेर जिले के कृषि कनेक्शन 16

नाम पृष्ठ संख्या

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-बारां जिले में ट्यूबवैल व हैण्डपम्प खोदने में अनियमितता 100

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

अभिभाषण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 178

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-प्रदेश में गृह कर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 39

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जैसलमेर जिले में विद्यालय खोले जाने का मानदण्ड 86

व्यवस्था का प्रश्न

-विधान सभा सत्र आहूत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए 107

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधि पार ऋणों की वसूली 27

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-लालावास ग्राम (जयपुर) में प्रस्तावित अवैध आवासीय कालोनियां 289

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-महुआ में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य 248

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-वाहन संचालन क्षमता में सुधार हेतु कार्य-योजना 5

समाज कल्याण

-पेंशन प्राप्त विकलांगों एवं विधवाओं हेतु नि:शुल्क गेहूं का वितरण 264

स्थगन प्रस्ताव

-बूंदी जिले की तहसील हिण्डौली में अकाल की स्थिति 50

श्री हीरालाल (निवाई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-टोंक जिले में विधायक स्थानीय विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्य 330

स्वायत्त शासन

-गांधी पथ, क्वींस रोड, जयपुर की चौड़ाई बढ़ाई जाने हेतु कार्यवाही 288

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार्मिक

-बारां जिले के अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरण 282

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-बारां जिले की पंचायत समितियों को आबंटित राशि 258

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-बारां जिले में ट्यूबवैल व हैण्डपम्प खोदने में अनियमितता 98